

fofu; kx ys[ks

2012-2013

mRrj i nš k l j dkj

प्रस्तावना	(v)
विनियोग लेखे का सारांश	(vii)-(xxv)
भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रमाण पत्र	(xxvii)-(xxix)

vuupku ; k fofu; ksx dh l d; k rFkk uke

1. आबकारी विभाग	1-3
2. आवास विभाग	4-7
3. उद्योग विभाग(लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन)	8-11
4. उद्योग विभाग(खानें और खनिज)	12-14
5. उद्योग विभाग (खादी एवं ग्रामोद्योग)	15
6. उद्योग विभाग(हथकरघा उद्योग)	16-17
7. उद्योग विभाग(भारी एवं मध्यम उद्योग)	18-20
8. उद्योग विभाग(मुद्रण तथा लेखन—सामग्री)	21-23
9. ऊर्जा विभाग	24-27
10. कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास)	28-31
11. कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	32-44
12. कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (भूमि विकास एवं जल संसाधन)	45-46
13. कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	47-56
14. कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)	57-64
15. कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)	65-68
16. कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास)	69-71
17. कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)	72-73
18. कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता)	74-76
19. कार्मिक विभाग(प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय)	77-78
20. कार्मिक विभाग(लोक सेवा आयोग)	79
21. खाद्य तथा रसद विभाग	80-84
22. खेल विभाग	85-89
23. गन्ना विकास विभाग (गन्ना)	90-91
24. गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)	92-93
25. गृह विभाग (कारागार)	94-97
26. गृह विभाग (पुलिस)	98-108
27. गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा)	109-113
28. गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय)	114-117
29. गोपन विभाग(राज्यपाल सचिवालय)	118-119

30. गोपन विभाग(राजस्व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय तथा अन्य व्यय)	120
31. चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)	121-125
32. चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा)	126-133
33. चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं युनानी चिकित्सा)	134-136
34. चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा)	137-139
35. चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	140-143
36. चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)	144-145
37. नगर विकास विभाग	146-157
38. नागरिक उड्डयन विभाग	158-159
39. भाषा विभाग	160-161
40. नियोजन विभाग	162-174
41. निर्वाचन विभाग	175-178
42. न्याय विभाग	179-187
43. परिवहन विभाग	188-190
44. पर्यटन विभाग	191-195
45. पर्यावरण विभाग	196-197
46. प्रशासनिक सुधार विभाग	198-199
47. प्राविधिक शिक्षा विभाग	200-208
48. अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	209-214
49. महिला एवं बाल कल्याण विभाग	215-218
50. राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)	219-222
51. राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)	223-226
52. राजस्व विभाग (राजस्व परिषद तथा अन्य व्यय)	227-234
53. राष्ट्रीय एकीकरण विभाग	235-236
54. लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)	237-238
55. लोक निर्माण विभाग (भवन)	239-244
56. लोक निर्माण विभाग (विशेष क्षेत्र कार्यक्रम)	245
57. लोक निर्माण विभाग (संचार साधन सेतु)	246-248
58. लोक निर्माण विभाग (संचार साधन –सडकें)	249-258
59. लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय)	259-263
60. वन विभाग	264-269
61. वित्त विभाग(ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)	270-277
62. वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें)	278-283
63. वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन)	284-286

65. वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प बचत आदि)	287-289
66. वित्त विभाग (सामूहिक बीमा)	290
67. विधान परिषद सचिवालय	291-292
68. विधान सभा सचिवालय	293-295
69. व्यावसायिक शिक्षा विभाग	296-301
70. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	302-303
71. शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	304-309
72. शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	310-317
73. शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	318-324
75. शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद)	325-329
76. श्रम विभाग(श्रम कल्याण)	330-334
77. श्रम विभाग(सेवायोजन)	335-336
78. सचिवालय प्रशासन विभाग	337-341
79. समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण)	342-346
80. समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण)	347-354
81. समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)	355-358
82. सतर्कता विभाग	359-360
83. समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना)	361-374
84. सामान्य प्रशासन विभाग	375-376
85. सार्वजनिक उद्यम विभाग	377
86. सूचना विभाग	378-381
87. सैनिक कल्याण विभाग	382-383
88. संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय)	384
89. संस्थागत वित्त विभाग (वाणिज्य कर)	385-387
90. संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर)	388-389
91. संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण)	390-392
92. संस्कृति विभाग	393-397
94. सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)	398-428
95. सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)	429-431

i f j f ' k " V

i " B l a ; k

- परिशिष्ट I- आकस्मिकता निधि से वर्ष 2012-13 की अवधि में स्वीकृत अग्रिमों से किये गये व्यय, जिनकी वर्ष के अन्त तक निधि में आपूर्ति नहीं की गयी, के ब्यौरे 432
- परिशिष्ट II- वसूलियों के अनुमानों और वास्तविक आंकड़ों का, जिन्हे व्यय में से कटौती करके लेखाओं में समायोजित किया गया है, अनुदान वार विवरण 433-437
- परिशिष्ट III- उचन्त लेन-देन, अनुदान संख्या 94- सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) राजस्व प्रभाग 438
- परिशिष्ट IV- निदेशन एवं प्रशासन और मशीनरी एवं उपस्कर संयंत्र प्रभार (2012-13) 439-442
- परिशिष्ट V- उचन्त लेन-देन, अनुदान संख्या 94- सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) पूंजीगत प्रभाग 443-444

i Lrkouk

उत्तर प्रदेश सरकार के वर्ष 2012-13 के विनियोग लेखे के इस संकलन में भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 और 205 के अधीन पारित किये गये विनियोग अधिनियमों से संलग्न अनुसूचियों में निर्दिष्ट राशियों से तुलना करते हुए, 31 मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष में व्यय की गयी राशियों के लेखे प्रस्तुत किये गये हैं।

इस लेखे में:—

“मूल” से तात्पर्य मूल अनुदान या विनियोग से है।

“पूरक” से तात्पर्य पूरक अनुदान या विनियोग से है।

“पुनर्वि०” से तात्पर्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत पुनर्विनियोगों, वापसियों अथवा अभ्यर्पणों से है।

प्रभारित विनियोग और व्यय तिरछे अंको में दर्शाये गये हैं।

fofu; ks ys[ks dk I kjk k

	vuqku ; k fofu; ks dh I a[; k vkj uke	dy vuqku ; k fofu; ks	0; ;	<u>dy vuqku@fofu; ks dh rnyuk es 0</u> cpr % gtkj ₹ ea %	vf/kd 0; ;
1.	आबकारी विभाग— राजस्व—				
	दत्तमत	1,26,78,31	1,17,16,44	9,61,87	..
	प्रभारित	20,00	6,39	13,61	..
	पूँजीगत—				
	दत्तमत	2,89,19	1,18,20	1,70,99	..
2.	आवास विभाग— राजस्व—				
	दत्तमत	1,38,49,04	1,14,98,21	23,50,83	..
	प्रभारित	3,65,88	3,65,88
	पूँजीगत—				
	दत्तमत	4,78,76,24	4,76,33,38	2,42,86	..
	प्रभारित	7,08,69	7,08,69
3.	उद्योग विभाग(लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन)— राजस्व—				
	दत्तमत	1,19,89,28	1,10,08,83	9,80,45	..
	प्रभारित	6,00	..	6,00	..
	पूँजीगत—				
	दत्तमत	3,49,15	3,35,35	13,80	..
4.	उद्योग विभाग(खानें और खनिज)— राजस्व—				
	दत्तमत	22,87,69	19,33,32	3,54,37	..
	पूँजीगत—				
	दत्तमत	7,00,00	5,36,16	1,63,84	..
5.	उद्योग विभाग (खादी एवं ग्रामोद्योग)— राजस्व—				
	दत्तमत	89,04,76	89,10,60	..	5,84
6.	उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग)— राजस्व—				(584481)
	दत्तमत	1,04,53,39	64,32,76	40,20,63	..

	वृत्तवर्ष ; क फोवु; क्स द्वितीय ; क फोवु; क्स	0; ;	द्वितीय वृत्तवर्ष@फोवु; क्स द्वितीय वृत्तवर्ष cpr	वर्ष/द्वितीय 0; ;	
				₹	
7.	उद्योग विभाग(भारी एवं मध्यम उद्योग)– राजस्व– दत्तमत	69,85,34	18,05,97	51,79,37	..
	पूँजीगत– दत्तमत	1,55,01,07	1,54,94,61	6,46	..
8	उद्योग विभाग(मुद्रण एवं लेखन सामग्री)– राजस्व– दत्तमत	1,34,03,07	1,21,77,90	12,25,17	..
	पूँजीगत– दत्तमत	5,00,00	1,76,50	3,23,50	..
9.	उर्जा विभाग– राजस्व– दत्तमत	55,29,32,12	55,28,88,28	43,84	..
	प्रभारित	39,46,50	32,88,71	6,57,79	..
	पूँजीगत– दत्तमत	31,92,52,00	31,63,58,78	28,93,22	..
	प्रभारित	32,37,87	32,37,87
10.	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्योगिक एवं रेशम विकास)– राजस्व– दत्तमत	1,96,60,89	1,68,82,26	27,78,63	..
	प्रभारित	1,10,62	1,02,37	8,25	..
	पूँजीगत– दत्तमत	8,20,00	7,28,25	91,75	..
11.	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)– राजस्व– दत्तमत	26,90,05,45	20,45,13,40	6,44,92,05	..
	प्रभारित	15,20	7,37	7,83	..
	पूँजीगत– दत्तमत	7,17,01,56	5,39,29,00	1,77,72,56	..

vunku ; k fofu; kx dh l a[; k vkj uke dny vunku 0; ; dny vunku@fofu; kx dh rnyuk es 0 ; k fofu; kx cpr vf/kd 0; ;

¼ g tkj ₹ es ½

12.	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (भूमि विकास एवं जल संसाधन)– राजस्व– दत्तमत	3,06,00,01	2,17,45,70	88,54,31	..
13.	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)– राजस्व– दत्तमत प्रभारित पूंजीगत– दत्तमत	14,28,23,11 15,50 25,85,71,28	13,24,43,84 9,72 23,82,49,12	1,03,79,27 5,78 2,03,22,16
14.	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)– राजस्व– दत्तमत पूंजीगत– दत्तमत	38,73,89,04 6,25,78,97	29,66,35,59 3,02,50,75	9,07,53,45 3,23,28,22
15.	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)– राजस्व– दत्तमत प्रभारित पूंजीगत– दत्तमत	5,07,05,66 13,79 17,40,60	4,83,99,22 13,79 7,05,53	23,06,44 .. 10,35,07
16.	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास)– राजस्व– दत्तमत प्रभारित पूंजीगत– दत्तमत	84,50,43 10 20,00,00	72,11,05	12,39,38 10 20,00,00
17.	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)– राजस्व– दत्तमत	80,11,07	46,93,66	33,17,41	..

	वृत्त ; क फोफु; क्स द्वि ल [; क वृत्त उके	द्वि वृत्त ; क फोफु; क्स	0; ;	<u>द्वि वृत्त@फोफु; क्स द्वि रयुकेस 0</u>	
				cpr % गतक ₹ ऐ %	वृत्त/कद 0; ;
18.	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता)– राजस्व–				
	दत्तमत	11,53,56,48	11,32,51,71	21,04,77	..
	प्रभारित	5,24,24	5,23,68	56	..
	पूँजीगत–				
	दत्तमत	22,52,58	6,94,58	15,58,00	..
	प्रभारित	10,32,82	9,66,57	66,25	..
19.	कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय)– राजस्व–				
	दत्तमत	8,85,13	4,65,04	4,20,09	..
	पूँजीगत–				
	दत्तमत	9,00,00	..	9,00,00	..
20.	कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग)– राजस्व–				
	दत्तमत	1,88,47	1,88,18	29	..
	प्रभारित	30,88,00	30,87,99	1	..
	पूँजीगत–				
	प्रभारित	5,00	5,00
21.	खाद्य तथा रसद विभाग– राजस्व–				
	दत्तमत	72,58,34	61,50,53	11,07,81	..
	पूँजीगत–				
	दत्तमत	96,44,12,57	86,04,63,45	10,39,49,12	..
	प्रभारित	9,17,68,60	9,16,07,77	1,60,83	..
22.	खेल विभाग– राजस्व–				
	दत्तमत	48,64,91	45,75,14	2,89,77	..
	पूँजीगत–				
	दत्तमत	89,90,09	89,90,06	3	..

	वृत्त ; क फोडु; कस दुधु लु; क वकु डुके	दुधु वृत्तु ; क फोडु; कस	0; ;	दुधु वृत्तु@फोडु; कस दुधु रुडुके सु 0	
				कडु % गतुके रुके %	वु/कु 0; ;
23.	गनुनल वलकलस वलडुलल (गनुनल)– रलकसुव–				
	दतुतडुत	1,41,34,50	1,16,80,57	24,53,93	..
	डुडुडुलरलतु	1,50	46	1,04	..
	डुडुडुडुगलत–				
	दतुतडुत	56,00,90	56,00,90
24.	गनुनल वलकलस वलडुलल (कुडुनी उदुडुग)– रलकसुव–				
	दतुतडुत	49,02,34	45,12,33	3,90,01	..
	डुडुडुडुगलत–				
	दतुतडुत	4,20,00,00	4,20,00,00
25.	गृहु वलडुललल (कलरलगलर)– रलकसुव–				
	दतुतडुत	3,85,96,00	3,85,81,02	14,98	..
	डुडुडुलरलतु	10,00	11	9,89	..
	डुडुडुडुगलत–				
	दतुतडुत	1,30,10,31	1,29,10,59	99,72	..
26.	गृहु वलडुललल (डुललस)– रलकसुव–				
	दतुतडुत	96,91,40,09	88,97,99,73	7,93,40,36	..
	डुडुडुलरलतु	75,00	54,69	20,31	..
	डुडुडुडुगलत–				
	दतुतडुत	7,14,11,75	3,50,87,44	3,63,24,31	..
27.	गृहु वलडुललल (नलगरलक सुरकुषल)– रलकसुव–				
	दतुतडुत	4,76,51,68	4,06,08,78	70,42,90	..
	डुडुडुडुगलत–				
	दतुतडुत	13,37,46	5,46,65	7,90,81	..
28.	गृहु वलडुललल (रलकनुडुतलक डुडुडुलन तथल अनुडु वुडुडु)– रलकसुव–				
	दतुतडुत	1,41,32,14	1,13,41,52	27,90,62	..
	डुडुडुडुगलत–				
	दतुतडुत	30,00	..	30,00	..

	वृणकु ; k fofu; kx dh l a[; k vkj uke	dy वृणकु ; k fofu; kx	0; ;	dy वृणकु@fofu; kx dh rnyuk es 0 cpr ½ g tkj ₹ ea ½	vf/kd 0; ;
29.	गोपन विभाग(राज्यपाल सचिवालय)– राजस्व– प्रभारित	9,89,76	9,20,08	69,68	..
30.	गोपन विभाग(राजस्व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय तथा अन्य व्यय)– राजस्व– दत्तमत	3,60,14	3,56,63	3,51	..
31.	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)– राजस्व– दत्तमत	11,69,98,87	10,83,90,11	86,08,76	..
	पूँजीगत– दत्तमत	7,11,45,58	6,90,96,18	20,49,40	..
32.	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा)– राजस्व– दत्तमत	32,12,19,24	28,08,40,11	4,03,79,13	..
	प्रभारित	20,00	..	20,00	..
	पूँजीगत– दत्तमत	5,83,68,94	3,53,00,82	2,30,68,12	..
33.	चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा)– राजस्व– दत्तमत	4,82,92,27	4,33,76,68	49,15,59	..
	पूँजीगत– दत्तमत	35,38,71	28,08,33	7,30,38	..
34.	चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा)– राजस्व– दत्तमत	2,12,75,53	2,07,73,17	5,02,36	..
	पूँजीगत– दत्तमत	30,31,74	29,39,78	91,96	..
35.	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)– राजस्व– दत्तमत	25,56,88,98	23,35,64,22	2,21,24,76	..
	प्रभारित	16,00	1,24	14,76	..

vunku ; k fofu; kx dh l a[; k vkj uke dy vunku ; k fofu; kx 0; ; dy vunku@fofu; kx dh rnyuk es 0
cpr vf/kd 0; ;

¼ g tkj ₹ es ½

36.	चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)– राजस्व–				
	दत्तमत	4,39,69,47	3,94,21,00	45,48,47	..
	प्रभारित	2,00	17	1,83	..
	पूँजीगत–				
	दत्तमत	26,53,00	..	26,53,00	..
37.	नगर विकास विभाग– राजस्व–				
	दत्तमत	11,50,50,81	9,11,99,73	2,38,51,08	..
	पूँजीगत–				
	दत्तमत	33,88,11,39	26,50,11,98	7,37,99,41	..
38.	नागरिक उड्डयन विभाग– राजस्व–				
	दत्तमत	32,67,86	26,90,41	5,77,45	..
	पूँजीगत–				
	दत्तमत	55,00,00	23,97,82	31,02,18	..
39.	भाषा विभाग– राजस्व–				
	दत्तमत	11,21,72	10,81,54	40,18	..
40.	नियोजन विभाग– राजस्व–				
	दत्तमत	1,78,95,99	1,12,51,78	66,44,21	..
	पूँजीगत–				
	दत्तमत	19,59,49,99	14,99,79,88	4,59,70,11	..
41.	निर्वाचन विभाग– राजस्व–				
	दत्तमत	2,36,93,04	2,00,15,44	36,77,60	..
42.	न्याय विभाग– राजस्व–				
	दत्तमत	11,62,79,07	9,84,26,72	1,78,52,35	..
	प्रभारित	2,07,64,49	1,76,32,52	31,31,97	..
	पूँजीगत–				
	दत्तमत	4,14,22,30	3,92,99,18	21,23,12	..
	प्रभारित	62,79,51	10,91,76	51,87,75	..

(xiv)

vunku ; k fofu; kx dy vunku 0; ; dy vunku@fofu; kx dh rnyuk es 0

dh l a[; k vkj uke

; k
fofu; kx

cpr

vf/kd 0; ;

g tkj ₹ es %

43.	परिवहन विभाग— राजस्व— दत्तमत	1,15,70,34	97,12,93	18,57,41	..
	पूँजीगत— दत्तमत	12,91,74	11,47,85	1,43,89	..
44.	पर्यटन विभाग— राजस्व— दत्तमत	23,76,56	18,23,73	5,52,83	..
	पूँजीगत— दत्तमत	99,13,12	71,24,21	27,88,91	..
45.	पर्यावरण विभाग— राजस्व— दत्तमत	3,96,50	3,36,64	59,86	..
46.	प्रशासनिक सुधार विभाग— राजस्व— दत्तमत	9,82,14	6,68,57	3,13,57	..
47.	प्राविधिक शिक्षा विभाग— राजस्व— दत्तमत	2,36,19,21	1,70,10,71	66,08,50	..
	प्रभारित	1,02	..	1,02	..
	पूँजीगत— दत्तमत	2,66,95,88	1,34,65,34	1,32,30,54	..
48.	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग— राजस्व— दत्तमत	16,49,01,99	15,44,75,62	1,04,26,37	..
	प्रभारित	2,05	1,70	35	..
	पूँजीगत— दत्तमत	6,96,06,74	5,31,33,57	1,64,73,17	..
49.	महिला एवं बाल कल्याण विभाग— राजस्व— दत्तमत	43,76,43,62	40,03,46,44	3,72,97,18	..
	प्रभारित	1,00	..	1,00	..

(xv)

vunku ; k fofu; kx
dh l a[; k vkj uke

dy vunku
; k

0; ;

dy vunku@fofu; kx dh rnyuk es 0

	fofu; kx		cpr	vf/kd 0; ;
			g tkj ₹ es ½	
पूजीगत—				
दत्तमत	28,00,00	25,15,31	2,84,69	..
50. राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)—				
राजस्व—				
दत्तमत	6,50,14,07	4,94,66,63	1,55,47,44	..
प्रभारित	17,00	12,64	4,36	..
पूजीगत—				
दत्तमत	1,24,76,79	1,08,16,29	16,60,50	..
51. राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)—				
राजस्व—				
दत्तमत	6,38,93,06	11,07,85,12	..	4,68,92,06
पूजीगत—				(4689205643)
दत्तमत	20,00,00	8,39	19,91,61	..
52. राजस्व विभाग (राजस्व परिषद तथा अन्य व्यय)—				
राजस्व—				
दत्तमत	21,40,50,93	17,87,49,08	3,53,01,85	..
प्रभारित	18,78	48,17	..	29,29
पूजीगत—				(2939066)
दत्तमत	7,92,94	5,24,06	2,68,88	..
प्रभारित	10,51	..	10,51	..
53. राष्ट्रीय एकीकरण विभाग—				
राजस्व—				
दत्तमत	1,21,90	66,33	55,57	..
पूजीगत—				
दत्तमत	1,00	..	1,00	..
54. लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)—				
राजस्व—				
दत्तमत	15,07,60,23	8,26,15,37	6,81,44,86	..
प्रभारित	4,00	2,56	1,44	..

(xvi)

vupku ; k fofu; kx
dh l a[; k vkj uke

dy vupku
; k
fofu; kx

0; ;

dy vupku@fofu; kx dh rnyuk es 0

cpr

vf/kd 0; ;

55.	लोक निर्माण विभाग (भवन)– राजस्व–				
	दत्तमत	58,56,93	60,93,24	..	2,36,31 (23630712)
	प्रभारित	2,65,34	2,74,78	..	9,44 (943709)
	पूँजीगत–				
	दत्तमत	40,92,00	1,12,88,85	..	71,96,85 (719685165)
	प्रभारित	1,05,00	1,04,94	6	..
56.	लोक निर्माण विभाग (विशेष क्षेत्र कार्यक्रम)– पूँजीगत–				
	दत्तमत	2,70,00,00	2,51,39,53	18,60,47	..
57.	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन–सेतु)– राजस्व–				
	दत्तमत	16,00,00	20,02,01	..	4,02,01 (40200940)
	पूँजीगत–				
	दत्तमत	11,89,09,56	12,89,83,11	..	1,00,73,55 (1007355327)
58.	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन –सडकें)– राजस्व–				
	दत्तमत	17,98,08,00	19,64,20,31	..	1,66,12,31 (1661230932)
	प्रभारित	5,00	1,19	3,81	..
	पूँजीगत–				
	दत्तमत	34,44,10,01	55,96,47,49	..	21,52,37,48 (21523748204)
	प्रभारित	6,55,00	1,85,42	4,69,58	..
59.	लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय)– राजस्व–				
	दत्तमत	1,22,71,52	1,21,73,32	98,20	..
	पूँजीगत–				
	दत्तमत	1,01,52,52	1,01,45,61	6,91	..

(xvii)

vunku ; k fofu; ksx
dh l a[; k vksj uke

diy vunku
; k
fofu; ksx

0; ;

diy vunku@fofu; ksx dh rnyuk es 0

cpr

vf/kd 0; ;

60.	वन विभाग—				
	राजस्व—				
	दत्तमत	4,19,98,91	4,18,32,54	1,66,37	..
	प्रभारित	13,70	..	13,70	..
	पूँजीगत—				
	दत्तमत	1,46,03,94	1,40,50,31	5,53,63	..
61.	वित्त विभाग(ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)—				
	राजस्व—				
	दत्तमत	69,59,78,28	68,94,33,00	65,45,28	..
	प्रभारित	2,65,01,79,10	2,48,56,65,74	16,45,13,36	..
	पूँजीगत—				
	दत्तमत	3,31,40,05	1,08,76,43	2,22,63,62	..
	प्रभारित	1,80,44,06,40	81,09,90,44	99,34,15,96	..
62.	वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशन)े—				
	राजस्व—				
	दत्तमत	1,42,08,55,76	1,35,30,79,95	6,77,75,81	..
	प्रभारित	16,51,39	54,77,32	..	38,25,93 (382593196)
	पूँजीगत—				
	दत्तमत	1,50,00,00	56,68,33	93,31,67	..
63.	वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन)े—				
	राजस्व—				
	दत्तमत	2,02,62,01	1,40,47,49	62,14,52	..
	पूँजीगत—				
	दत्तमत	16,99,34	13,90,03	3,09,31	..
65.	वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प बचत आदि)े—				
	राजस्व—				
	दत्तमत	1,71,07,52	1,57,74,71	13,32,81	..
	पूँजीगत—				
	दत्तमत	8,00	..	8,00	..

(xviii)

vunku ; k fofu; kx
dh l a[; k vkj uke

dy vunku
; k
fofu; kx

0; ;

dy vunku@fofu; kx dh rnyuk es 0

cpr

vf/kd 0; ;

66.	वित्त विभाग (सामूहिक बीमा)–				
	राजस्व–				
	दत्तमत	22,89,19	22,81,65	7,54	..
	प्रभारित	1,64,06,13	1,64,06,12	1	..
67.	विधान परिषद सचिवालय–				
	राजस्व–				
	दत्तमत	29,65,32	24,72,14	4,93,18	..
	प्रभारित	78,79	47,84	30,95	..
	पूँजीगत–				
	दत्तमत	14,00	10,00	4,00	..
68.	विधान सभा सचिवालय–				
	राजस्व–				
	दत्तमत	82,58,93	72,14,97	10,43,96	..
	प्रभारित	1,08,89	72,81	36,08	..
	पूँजीगत–				
	दत्तमत	76,27	63,94	12,33	..
69.	व्यावसायिक शिक्षा विभाग–				
	राजस्व–				
	दत्तमत	2,36,77,13	1,98,43,08	38,34,05	..
	पूँजीगत–				
	दत्तमत	90,35,79	32,16,05	58,19,74	..
70.	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग–				
	राजस्व–				
	दत्तमत	68,05,97	67,91,66	14,31	..
	पूँजीगत–				
	दत्तमत	1,02,00,00	..	1,02,00,00	..
71.	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)–				
	राजस्व–				
	दत्तमत	2,40,80,46,77	2,22,14,66,27	18,65,80,50	..
	पूँजीगत–				
	दत्तमत	38,71,50	35,34,25	3,37,25	..
72.	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)–				
	राजस्व–				
	दत्तमत	85,31,31,10	72,54,54,47	12,76,76,63	..
	प्रभारित	2,70	50	2,20	..

(xix)

vunku ; k fofu; kx
dh l a[; k vkj uke

dy vunku
; k
fofu; kx

0; ;

dy vunku@fofu; kx dh ryuk es 0

cpr

vf/kd 0; ;

g tkj ₹ es ½

	पूँजीगत—				
	दत्तमत	1,87,88,21	1,87,92,98	..	4,77 (477061)
73.	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)—				
	राजस्व—				
	दत्तमत	22,87,87,76	14,71,78,74	8,16,09,02	..
	प्रभारित	1,00	..	1,00	..
	पूँजीगत—				
	दत्तमत	2,15,93,53	92,17,51	1,23,76,02	..
75.	शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्)—				
	राजस्व—				
	दत्तमत	85,61,28	74,62,60	10,98,68	..
	पूँजीगत—				
	दत्तमत	10,04	..	10,04	..
76.	श्रम विभाग(श्रम कल्याण)—				
	राजस्व—				
	दत्तमत	10,23,95,40	2,08,80,20	8,15,15,20	..
	प्रभारित	10	..	10	..
77.	श्रम विभाग(सेवायोजन)—				
	राजस्व—				
	दत्तमत	7,71,36,91	5,68,90,12	2,02,46,79	..
	पूँजीगत—				
	दत्तमत	26,25	25,25	1,00	..
78.	सचिवालय प्रशासन विभाग—				
	राजस्व—				
	दत्तमत	4,76,80,26	4,06,72,42	70,07,84	..
	पूँजीगत—				
	दत्तमत	8,45,00	..	8,45,00	..
79.	समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण)—				
	राजस्व—				
	दत्तमत	19,12,01,19	18,49,69,19	62,32,00	..
	पूँजीगत—				
	दत्तमत	1,71,89,90	73,58,29	98,31,61	..

(xx)

vunku ; k fofu; ksx
dh l a[; k vksj uke

diy vunku
; k
fofu; ksx

0; ;

diy vunku@fofu; ksx dh rnyuk es 0

cpr

vf/kd 0; ;

¼ gtkj ₹ ea ½

80.	समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण)– राजस्व–				
	दत्तमत	34,41,79,46	33,91,25,48	50,53,98	..
81.	समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)– राजस्व–				
	दत्तमत	59,84,57	46,51,64	13,32,93	..
	प्रभारित	10	..	10	..
	पूँजीगत–				
	दत्तमत	22,66,63	12,46,67	10,19,96	..
82.	सतर्कता विभाग– राजस्व–				
	दत्तमत	33,86,96	28,48,10	5,38,86	..
	प्रभारित	3,60,37	3,52,33	8,04	..
	पूँजीगत–				
	दत्तमत	4,53,17	4,53,17
83.	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना)– राजस्व–				
	दत्तमत	71,74,37,26	54,12,26,80	17,62,10,46	..
	पूँजीगत–				
	दत्तमत	34,77,89,80	28,89,06,16	5,88,83,64	..
84.	सामान्य प्रशासन विभाग– राजस्व–				
	दत्तमत	64,80,76	2,93,48	61,87,28	..
85.	सार्वजनिक उद्यम विभाग– राजस्व–				
	दत्तमत	4,47,85	3,84,55	63,30	..
86.	सूचना विभाग– राजस्व–				
	दत्तमत	1,44,94,18	56,83,62	88,10,56	..

(xxi)

vunku ; k fofu; ksx
dh l a[; k vksj uke

dy vunku
; k
fofu; ksx

0; ;

dy vunku@fofu; ksx dh rnyuk es 0

cpr

vf/kd 0; ;

¼ gtkj ₹ ea ½

87. सैनिक कल्याण विभाग–

	राजस्व—				
	दत्तमत	42,94,06	34,29,91	8,64,15	..
	पूँजीगत—				
	दत्तमत	1,43,88	1,43,88
88.	संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय)—				
	राजस्व—				
	दत्तमत	5,27,84	4,88,59	39,25	..
89.	संस्थागत वित्त विभाग (वाणिज्य कर)—				
	राजस्व—				
	दत्तमत	4,67,61,09	4,31,77,93	35,83,16	..
	प्रभारित	65,45,02	65,47,25	..	2,23
	पूँजीगत—				(222937)
	दत्तमत	9,71,74	9,49,17	22,57	..
90.	संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर)—				
	राजस्व—				
	दत्तमत	70,43,45	69,82,45	61,00	..
91.	संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण)—				
	राजस्व—				
	दत्तमत	2,43,33,02	2,38,99,94	4,33,08	..
	प्रभारित	4	..	4	..
	पूँजीगत—				
	दत्तमत	1,53,00	1,29,79	23,21	..
92.	संस्कृति विभाग—				
	राजस्व—				
	दत्तमत	39,93,58	36,03,17	3,90,40	..
	प्रभारित	5	..	5	..
	पूँजीगत—				
	दत्तमत	36,36,60	35,50,81	85,79	..

(xxii)

vunku ; k fofu; kx
dh l a[; k vkj uke

dy vunku
; k
fofu; kx

0; ;

dy vunku@fofu; kx dh rnyuk es 0

cpr

vf/kd 0; ;

¼ gtkj ₹ es ½

94. सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)—
राजस्व—

	दत्तमत	21,81,42,80	19,82,63,73	1,98,79,07	..
	पूँजीगत—				
	दत्तमत	30,33,62,05	22,27,85,52	8,05,76,53	..
	प्रभारित	15,00,00	9,15,91	5,84,09	..
95.	सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)—				
	राजस्व—				
	दत्तमत	27,14,52,21	22,31,11,72	4,83,40,49	..
	प्रभारित	50,00	27,67	22,33	..

dy jktLo&

दत्तमत	13,01,33,17,51	11,60,11,01,48	1,47,63,64,56	6,41,48,53
			-1,41,22,16,03	
प्रभारित	2,70,56,96,15	2,54,09,53,79	16,86,09,35	38,66,99
			-16,47,42,36	

dy i wthxr&

दत्तमत	4,04,72,68,36	3,65,39,51,42	62,58,29,59	23,25,12,65
			-39,33,16,94	
प्रभारित	1,90,97,09,40	90,98,14,37	99,98,95,03	..
			-99,98,95,03	

egk; kx&	21,67,59,91,42	18,70,58,21,06	3,27,06,98,53	30,05,28,17
			-2,97,01,70,36	

(xxiii)

निम्नलिखित दत्तमत अनुदानों में अधिक व्यय का नियमानुकूलन अपेक्षित है:-

	(jktLo Hkkx)	¼ /kujkf'k ₹ ea ½
(i)	51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)	4,66,62,34,553

(ii)	57.	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सेतु)	2,20,00,940
--------	-----	-------------------------------------	-------------

(i)

(i)	55.	लोक निर्माण विभाग (भवन)	68,53,05,410
-------	-----	-------------------------	--------------

(ii)	58.	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन -सडकें)	18,14,18,19,860
--------	-----	---------------------------------------	-----------------

निम्नलिखित प्रभारित विनियोगों में अधिक व्यय का नियमानुकूलन अपेक्षित है:-

(j)

(i)	55.	लोक निर्माण विभाग (भवन)	9,43,709
-------	-----	-------------------------	----------

(ii)	62.	वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें)	28,58,53,876
--------	-----	---	--------------

(iii)	89.	संस्थागत वित्त विभाग (वाणिज्य कर)	2,22,937
---------	-----	--------------------------------------	----------

निम्नलिखित प्रकरणों में भी दत्तमत अनुदानों तथा प्रभारित विनियोगों से अधिक व्यय हुआ किन्तु यह अधिक व्यय उचन्त लेखे के समायोजन के कारण था जैसी कि सम्बन्धित अनुदानों में टिप्पणी की गयी है, जिसमें अधिक व्यय का नियमानुकूलन अपेक्षित नहीं है:-

(jktLo nRrer)

- (i) 52. राजस्व विभाग (राजस्व परिषद तथा अन्य व्यय)

(iwtHxr nRrer)

- (i) 72. शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)

निम्नलिखित प्रकरणों में भी दत्तमत अनुदानों से अधिक व्यय हुआ किन्तु यह अधिक व्यय प्रोराटा समायोजन के कारण था जैसी कि सम्बन्धित अनुदानों में टिप्पणी की गयी है, जिसमें अधिक व्यय का नियमानुकूलन अपेक्षित नहीं है:-

(jktLo nRrer)

- (i) 55 लोक निर्माण विभाग (भवन)
- (ii) 58 लोक निर्माण विभाग
(संचार साधन -सड़कें)

(iwtHxr nRrer)

- (i) 57 लोक निर्माण विभाग
(संचार साधन-सेतु)

विनियोग लेखे के सार में दिखाये गये व्यय में आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिमों से व्यय की गई ₹ 2,62,45,40 हजार की राशि शामिल नहीं है, जिसकी वर्ष की समाप्ति से पूर्व निधि को पूर्ति नहीं की गई, जिसका ब्यौरा परिशिष्ट I में दिखाया गया है।

अनुदान और विनियोग व्यय हेतु आवश्यक सकल राशियों के रूप में होने के कारण उनके विरुद्ध दर्शाये गये आंकड़ों में वे वसूलियां (ब्यौरे परिशिष्ट II में दिये गये हैं) सम्मिलित नहीं हैं जिनका समायोजन लेखाओं में व्यय में से कटौती करके किया गया है। निवल व्यय के आंकड़े वित्त लेखे में दर्शाये गये हैं।

वर्ष 2012-13 के विनियोग लेखे के अनुसार कुल व्यय और उस वर्ष के वित्त लेखे में दिखाये गये कुल व्यय का समाधान नीचे दिया गया है:—

	i Hkkfjr		nrRer	
	jktLo	i thxr	jktLo	i thxr
	¼ gtkj ₹ ee ½			
विनियोग लेखे के अनुसार कुल व्यय	2,54,09,53,79	90,98,14,37,	11,60,11,01,48	3,65,39,51,42
घटाइये—परिशिष्ट—II में दिखाई गई कुल वसूलियां	6,96,91,55	1,18,91,08,72
कुल—निवल व्यय	2,54,09,53,79	90,98,14,37	11,53,14,09,93	2,46,48,42,70
वित्त लेखे के विवरण संख्या 10 में दर्शाया गया कुल निवल व्यय (djkm+ ₹ ee)	2,54,09.54	90,98.14	11,53,14.10	2,46,48.42

Hkkj r ds fu; æd&egkys[kki jh{kd dk i æk.k i =

31 मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के विनियोग लेखे वाला यह संकलन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 तथा 205 के अन्तर्गत पारित विनियोग अधिनियमों के साथ संलग्न अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट राशि की तुलना में वर्ष में खर्च की गई राशि के लेखे प्रस्तुत करता है। वर्ष के लिए सरकार के वित्त लेखे वर्ष की सरकार की प्राप्तियों और संवितरणों के लेखे के साथ वित्तीय स्थिति प्रदर्शित करते हैं, जिन्हें एक अलग संकलन के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

विनियोग लेखे, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्त्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की अपेक्षाओं के अनुसार मेरे पर्यवेक्षण में तैयार किये गये हैं तथा उत्तर प्रदेश सरकार के नियंत्रणाधीन कार्य करने वाले ऐसे लेखाओं के रखरखाव के लिए उत्तरदायी कोषागारों, कार्यालयों, तथा विभागों द्वारा बनाए गए वाउचरों, चालानों तथा प्रारम्भिक एवं सहायक लेखाओं तथा भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त विवरणों से संकलित किए गए हैं।

उत्तर प्रदेश सरकार के नियंत्रणाधीन कार्य करने वाले कोषागार, कार्यालय, तथा अथवा विभाग मुख्यतः प्रारम्भिक तथा सहायक लेखाओं को तैयार करने तथा परिशुद्धता के साथ-साथ इन लेखाओं तथा संव्यवहारों से संबन्धित लागू नियमों, मानदण्डों, नियमों तथा विनियमों के अनुसार संव्यवहारों की नियमितता सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी हैं। मैं वार्षिक लेखाओं को तैयार करने तथा उन्हें राज्य विधानमण्डल को प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी हूँ। लेखाओं को तैयार करने के लिये मेरे उत्तरदायित्व का निर्वहन महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के कार्यालय के माध्यम से किया जाता है। इन लेखाओं की लेखापरीक्षा, इन लेखाओं पर उस लेखापरीक्षा के परिणामों के आधार पर अपना मत व्यक्त करने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 तथा 151 तथा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्त्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की अपेक्षाओं के अनुसार स्वतंत्र रूप से प्रधान महालेखाकार (जनरल एण्ड सोशल सेक्टर आडिट) के कार्यालय के माध्यम से की जाती है। ये कार्यालय स्वतंत्र संगठन हैं जिनका अपना अलग संवर्ग, पृथक रिपोर्टिंग लाईनें तथा प्रबंधन ढांचा है।

लेखापरीक्षा सामान्यतः भारत में स्वीकृत लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार की गई थी। इन मानकों द्वारा यह अपेक्षा की जाती है कि हम योजना बनाएं और यथोचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा का निष्पादन करें कि लेखे तात्विक अर्थार्थ कथन से मुक्त हैं। लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों में राशियों एवं प्रकटनों से सुसंगत साक्ष्य के नमूना आधार पर जांच को शामिल किया जाता है।

मेरे अधिकारियों द्वारा प्राप्त सूचना तथा स्पष्टीकरण के आधार पर तथा लेखाओं की नमूना लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप अपनी पूर्ण जानकारी के अनुसार तथा दिए गए स्पष्टीकरण पर विचार करते हुए, मैं अपने पूर्ण ज्ञान तथा विश्वास के अनुसार प्रमाणित करता हूँ कि इस संकलन में दी गई अभ्युक्तियों के साथ पठित विनियोग लेखे, भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 तथा 205 के अन्तर्गत राज्य विधानमण्डल द्वारा पारित विनियोग अधिनियमों के साथ संलग्न अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट राशियों की तुलना में 31 मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष में खर्च की गई राशि के लेखाओं का सही एवं स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करते हैं।

इन लेखाओं के अध्ययन तथा वर्ष के दौरान अथवा विगत वर्षों के दौरान की गई नमूना लेखापरीक्षा उद्भूत ध्यान देने योग्य विषय 31 मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए पृथक रूप से प्रस्तुत किये जाने वाले उत्तर प्रदेश सरकार पर मेरे प्रतिवेदनों में शामिल किए गए हैं।

f nukd%

ubl fnYyh

(शशि कान्त शर्मा)

Hkkj r ds fu; æd&egkys[kki jh{k d

वृत्तिका 1; क 1&vkcckjh foHkkx

ए; 'kh"z

द्व वृत्तिका

कलरफोड 0; ;

व/कड 0; ; \$

; k

cpr&

फोफु; ksx

(g tkj ₹ e)

जक्तलो&

2039- जक्त; mRi kn 'kq/d]

2059- ykd fueZk dk; Z rFkk

2216- vkokl

nRrer&

मूल 1,26,78,31]
पूरक ..]

1,26,78,31 1,17,16,44 -9,61,87

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2013)

9,52,55

i Hkkfjr&

मूल 20,00]
पूरक ..]

20,00 6,39 -13,61

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2013)

13,60

i wthxr&

4059- ykd fueZk ij i wthxr ifj0; ;

nRrer&

मूल 2,89,19]
पूरक ..]

2,89,19 1,18,20 -1,70,99

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2013)

1,70,75

fVlif.k; ka , oa Vhdk; &

जक्तलो&

nRrer&

(i) वास्तविक व्यय ₹ 1,17,16.44 लाख में, वर्ष 2001-02, 2002-03, 2003-04, 2006-07,2007-08 और 2011-12 के उचन्त लेखे के समाशोधन की धनराशि ₹ 4.42 लाख सम्मिलित है ।

(ii) अन्तिम बचत ₹ 9,66.29 लाख (₹ 9,61.87 लाख+₹ 4.42 लाख), में से मात्र ₹ 9,52.55 लाख अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित किये जा सके ।

(iii) बचत मुख्यतः निम्न के अधीन हुई:-

'kh"KZ	dy vupku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$	
			cpr&	
				(yk[k ₹ ee)

2039- jkT; mRi kn 'kQ/d&

001- निदेशन तथा प्रशासन-

03- अधीक्षण-

मूल	27,04.94	}			
पुनर्वि०	-3,91.68		23,13.27	23,20.45	+7.18

वास्तविक व्यय में ₹ 1.49 लाख वर्ष 2001-02, 2002-03, 2003-04, और 2011-12 के उच्चत लेखे के समाशोधन के सम्मिलित हैं।

प्रावधान में ₹ 3,91.68 लाख की शुद्ध प्रत्याशित बचत में से, ₹ 3,54.68 लाख का अभ्यर्पण मांग की कमी तथा विभाग के पदों के रिक्त रहने के कारण हुआ। ₹ 37.00 लाख की कमी अनुकम्पा के आधार पर कर्मचारियों की नियुक्ति न होने के कारण हुई।

05- भट्टियां-

मूल	97,90.26	}			
पुनर्वि०	-5,44.56		92,45.70	92,32.58	-13.12

₹ 5,44.56 लाख की शुद्ध प्रत्याशित बचत में से, ₹ 5,74.56 लाख का अभ्यर्पण पदों के रिक्त रहने के कारण व मांग में कमी के कारण हुआ। प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 30.00 लाख की वृद्धि विज्ञापन बकाया का भुगतान व लम्बित बिलों के भुगतान के कारण हुई।

06- कम्प्यूटरीकरण एवं आन लाइन एक्साइज

मैनेजमेन्ट सिस्टम की स्थापना -

मूल	38.00	}			
पुनर्वि०	-12.18		25.82	23.94	-1.88

₹ 12.18 का अभ्यर्पण पुराने कम्प्यूटरों के प्रतिस्थापन प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण तथा कोई भी भुगतान शेष न रहने के कारण किया गया।

i Hkkfj r&

(iv) ₹ 13.61 लाख की अन्तिम बचत में से, मात्र ₹ 13.60 लाख की धनराशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित की जा सकी।

in the

of

(v) ₹ 1,70.99 लाख की अन्तिम बचत में से, मात्र ₹ 1,70.75 लाख की धनराशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित की जा सकी।

(vi) बचत मुख्यतः निम्न के अधीन हुई:-

'k'k

dy vupku

okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; \$

cpr&

(yk[k ₹ ee)

4059- ykd fuekzk ij in the ifj0; ; &

01- कार्यालय भवन -

051- निर्माण -

03- आबकारी विभाग के कार्यालय एवं गोदामों के निर्माण

हेतु एकमुश्त व्यवस्था-

मूल

2,89.19

1,18.44

1,18.20

-0.24

पुनर्वि०

-1,70.75

₹ 1,70.75 लाख का अभ्यर्पण अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा निर्माण हेतु परिपक्व प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण तथा लघु निर्माण हेतु कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुआ।

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये हैं (जून 2013)।

वृत्तिका 1 अंक 10 अंक रकम वृत्तिका (एच) फॉर्म
(वृत्तिका फंड , आरजेके फंड)

एच ; ' क ' क

वृत्तिका
; क
फंड ; क

वृत्तिका ; ;

वृत्तिका ; ; \$
cpr &

₹ गतक ₹ ए

जक्तल

2401- वृत्तिका अंक

2406- वृत्तिका अंक ; थो

2415- वृत्तिका अंक वृत्तिका अंक

2851- वृत्तिका अंक ; क

नरर

मूल 1,86,60,89
पूरक 10,00,00

1,96,60,89

1,68,82,26

-27,78,63

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2013)

27,34,58

वृत्तिका

मूल 1,10,62
पूरक ..

1,10,62

1,02,37

-8,25

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2013)

7,94

वृत्तिका

4401- वृत्तिका अंक ; वृत्तिका

वृत्तिका ; रकम

4406- वृत्तिका अंक ; थो ; वृत्तिका

वृत्तिका ; ;

नरर

मूल 8,20,00
पूरक ..

8,20,00

7,28,25

-91,75

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2013)

91,75

वृत्तिका ; क , आरजेके

जक्तल

नरर

(i) ₹ 27,78.63 लाख की अन्तिम बचत में से, मात्र ₹ 27,34.58 लाख की धनराशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित की जा सकी।

(ii) ₹ 27,78.63 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए, नवम्बर 2012 में प्राप्त किया गया ₹ 10,00.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(iii) बचत (अन्य शीर्षों के अन्तर्गत व्ययाधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न के अधीन हुई :-

'kh"kl	dqy vupku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$
		% yk[k ₹ ea %	cpr &

2401- Ql y df"kl&de&

001- निदेशन तथा प्रशासन-

05- जिला व मण्डलीय कार्यालय-

मूल	70,10.48			
पुनर्वि०	-59.38	69,51.10	69,69.31	+18.21

₹ 59.38 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

111- कृषि अर्थव्यवस्था तथा सांख्यिकी-

01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र

द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-

मूल	75.35			
पुनर्वि०	-19.68	55.67	54.65	-1.02

₹ 19.68 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

119- बागवानी तथा वनस्पति फसलें-

01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र

द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-

मूल	17,63.35			
पूरक	10,00.00	8,90.10	8,80.04	-10.06
पुनर्वि०	-18,73.25			

₹ 18,73.25 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

04- फल-

मूल	23,04.75			
पुनर्वि०	-3,58.26	19,46.49	19,24.70	-21.79

₹ 3,58.26 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

2406- okfudh rFkk ol; thou&

02- पर्यावरणीय वानिकी तथा

वन्य जीवन -

112- सार्वजनिक उद्यान-

04- लोहिया पर्यावरणीय उद्यान एवं पार्क-

मूल	1,80.00			
पुनर्वि०	-79.56	1,00.44	50.01	-50.43

₹ 76.56 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

' kh"klz dly vupku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; \$
cpr &
¼ yk[k ₹ ea ½

2415- dī'k vuq ā'kkū rFkk f' k{k&

80- सामान्य—

004- अनुसंधान—

07- राजकीय खाद्य प्रसंस्करण एवं
प्रोद्योगिकी संस्थान—

मूल	1,15.10	}
पुनर्वि०	-5.56	

1,09.54

1,02.39

-7.15

₹ 5.56 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

2851- xke rFkk y?kq m | ks&

107- रेशम उत्पादन उद्योग—

05- केन्द्रीय रेशम बोर्ड से सहायतित कैटालेटिक
विकास योजना—

मूल	8,00.00	}
पुनर्वि०	-2,09.35	

5,90.65

5,90.65

..

₹ 2,09.35 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

06- प्रयोग एवं प्रशिक्षण केन्द्र —

मूल	99.70	}
पुनर्वि०	-28.20	

71.50

60.80

-10.70

₹ 28.20 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत/व्ययाधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं
(जून 2013)।

(iv) व्ययाधिक्य मुख्यतः निम्न के अधीन हुआ:—

2406- okfudh rFkk ol; thou&02- पर्यावरणीय वानिकी तथा
वन्य जीवन —

112- सार्वजनिक उद्यान—

03- उद्यान—

मूल	21,63.05	}
पुनर्वि०	-5.98	

21,57.07

22,05.84

+48.76

₹ 5.98 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम व्ययाधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2013)।

i Hkkfj r&(v) ₹ 8.25 लाख के अन्तिम बचत में से मात्र ₹ 7.94 लाख की धनराशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित
की जा सकी।

i wthxr&
nRrer&

(vi) बचत मुख्यतः निम्न के अधीन हुई :-

'kh"kl	dgy vupku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$
		¼ yk[k ₹ ea ½	cpr &

4406- okfudh rFkk ol; tho ij i wthxr
i fj0; ; &

02- पर्यावरणीय वानिकी तथा
वन्य जीवन -

112- सार्वजनिक उद्यान-

03- लोहिया पर्यावरणीय उद्यान एवं पार्क-

मूल	2,70.00	}	1,80.00	1,80.00	..
पुनर्वि०	-90.00				

₹ 90.00 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

वृत्तवार्षिक 11 वें वित्त वर्ष के लिए (द्वितीय) अर्धवार्षिक

राज्य सरकार के वित्त वर्ष के लिए (द्वितीय) अर्धवार्षिक के लिए अंतिम बचत को देखते हुए, ₹ 6,44,92.05 लाख का अभ्यर्पण न्यायसंगत नहीं था तथा व्यय के त्रुटिपूर्ण अनुमान का द्योतक था।

जटिल

2013-14 का

2401- वित्त वर्ष के लिए

2402- वित्त वर्ष के लिए

2415- वित्त वर्ष के लिए

2435- वित्त वर्ष के लिए

निरंतर

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2013)	मूल	पूरक	कुल	अभ्यर्पण	अंतर
	26,88,55,44	1,50,01	26,90,05,45	20,45,13,40	-6,44,92,05
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2013)					6,47,63,09

वित्त वर्ष के लिए

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2013)	मूल	पूरक	कुल	अभ्यर्पण	अंतर
	15,20	..	15,20	7,37	-7,83
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2013)					7,07

वित्त वर्ष के लिए

4401- वित्त वर्ष के लिए

वित्त वर्ष के लिए

4415- वित्त वर्ष के लिए

वित्त वर्ष के लिए

निरंतर

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2013)	मूल	पूरक	कुल	अभ्यर्पण	अंतर
	7,16,01,56	1,00,00	7,17,01,56	5,39,29,00	-1,77,72,56
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2013)					1,77,46,08

वित्त वर्ष के लिए

जटिल

निरंतर

- ₹ 6,44,92.05 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए, ₹ 6,47,63.09 लाख का अभ्यर्पण न्यायसंगत नहीं था तथा व्यय के त्रुटिपूर्ण अनुमान का द्योतक था।
- ₹ 6,44,92.05 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए, नवम्बर 2012 में प्राप्त किया गया ₹ 1,50.01 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(iii) बचत (अन्य शीर्षों के अन्तर्गत व्ययाधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न के अधीन हुई :-

'kh"KZ	diy vupku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$	cpr &
				¼ yk[k ₹ ea ½
2401- Ql y dī'k&de&				
102- खाद्यान्न फसलें-				
01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-				
मूल 1,18,35.90	84,81.48	84,50.47	-31.01	
पुनर्वि० -33,54.42				
₹ 33,54.42 लाख का अभ्यर्पण मुख्यतः एच.डी.पी.ई. पाइप तथा स्पिंकलर सेट की दरें अनुमोदित न होने, भारत सरकार से प्रशासनिक स्वीकृति न प्राप्त होने, पदों के रिक्त रहने तथा केन्द्रांश कम प्राप्त होने के कारण हुआ।				
103- बीज-				
01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-				
मूल 12,41.47	7,61.07	7,57.53	-3.54	
पुनर्वि० -4,80.40				
₹ 4,80.40 लाख का अभ्यर्पण मुख्यतः कृषकों द्वारा बखारी क्रय में रुचि न लेने के कारण हुआ।				
03- प्रयोगात्मक प्रक्षेत्र प्रदर्शन और बीज बर्द्धन प्रक्षेत्र-				
मूल 27,24.36	25,36.58	25,09.29	-27.29	
पुनर्वि० -1,87.78				
₹ 1,87.78 लाख का अभ्यर्पण मुख्यतः वास्तविक मांग के आधार पर हुआ।				
04- प्रमाणित बीजों के लिए अनुदान-				
मूल 62,45.00	52,96.00	52,76.22	-19.78	
पुनर्वि० -9,49.00				
₹ 9,49.00 लाख का अभ्यर्पण लक्ष्य कम होने के कारण हुआ।				
05- संकर बीजों के उपयोग को बढ़ावा देने की योजना-				
मूल 30,00.00	21,11.10	21,24.74	+13.64	
पुनर्वि० -8,88.90				
₹ 8,88.90 लाख का अभ्यर्पण कार्य योजना की स्वीकृति में विलम्ब के कारण हुआ।				

' kh" kZ	diy vupku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$	cpr &
				¼ yk[k ₹ ea ½
06- संकर मक्का बीज के प्रोत्साहन की योजना—				
मूल	33,01.00			
पूरक	0.01	3,14.89	2,99.72	-15.17
पुनर्वि०	-29,86.12			
प्रावधान में कुल ₹ 29,86.12 लाख की कमी के सापेक्ष, ₹ 26,84.12 लाख का अभ्यर्पण तथा प्रावधान में ₹ 3,02.00 लाख की कमी लक्ष्य कम होने के कारण हुआ।				
07- ग्रीष्मकालीन मूंगफली के उत्पादन की प्रोत्साहन योजना—				
मूल	2,50.00			
पुनर्वि०	-1,49.03	1,00.97	1,00.32	-0.65
₹ 1,49.03 लाख का अभ्यर्पण कार्य योजना की स्वीकृति में विलम्ब के कारण हुआ।				
105- खाद तथा उर्वरक—				
05- प्रदेश के कृषकों को अनुदानित दर पर जिंक सल्फेट का वितरण—				
मूल	13,06.40			
पुनर्वि०	-1,05.72	12,00.68	11,93.22	-7.46
₹ 1,05.72 लाख का अभ्यर्पण भण्डार उपलब्ध न होने के कारण हुआ।				
107- वनस्पति संरक्षण —				
03- पौध संरक्षण सेवा तथा कृषि रक्षा सेवा—				
मूल	71,08.29			
पुनर्वि०	-9,65.50	61,42.79	61,51.74	+8.95
प्रावधान में ₹ 9,65.50 लाख की कुल कमी में से ₹ 7,65.50 लाख का अभ्यर्पण वास्तविक मांग के आधार तथा प्रावधान में ₹ 2,00.00 लाख की कमी लक्ष्य कम होने एवं वेतन आदि मद में बचत के कारण हुआ।				
04- विभिन्न परिस्थितिकी संसाधनों द्वारा कीट/रोग नियन्त्रण—				
मूल	31,11.00			
पुनर्वि०	-8,24.67	22,86.33	22,88.31	+1.98
₹ 8,24.67 लाख का अभ्यर्पण कार्य योजना की स्वीकृति में विलम्ब के कारण हुआ।				

'kh"KZ	diy vupku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$	cpr &
				¼ yk[k ₹ ea ½
108- वाणिज्यिक फसलें—				
01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें—				
मूल	1,34.80			
पुनर्वि०	-90.71	44.09	44.00	-0.09
₹ 90.71 लाख का अभ्यर्पण भारत सरकार से बजट प्रावधान के अनुसार प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त न होने एवं कम धनराशि अवमुक्त होने के कारण हुआ।				
109- विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण—				
01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें—				
मूल	17,00.00			
पुनर्वि०	-8,75.47	8,24.53	8,24.53	..
₹ 8,75.47 लाख का अभ्यर्पण कार्य योजना में कमी होने के कारण हुआ।				
07- कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए कृषि प्रसार; कृषि निवेश तथा तकनीकी प्रबन्धन—				
मूल	30,50.00			
पुनर्वि०	-18,83.28	11,66.72	11,67.43	+0.71
प्रावधान में कुल ₹ 18,83.28 लाख की कमी में से प्रावधान में ₹ 18,77.84 लाख की कमी किसान सेवा रथ का परिचालन न होने तथा ₹ 5.44 लाख की कमी आवश्यकता न होने के कारण हुई।				
08- कृषि के विकास हेतु सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग—				
मूल	8,19.28			
पुनर्वि०	-8,19.28
₹ 8,19.28 लाख का अभ्यर्पण योजना विभाग द्वारा स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण हुआ।				
110- फसल बीमा —				
04- फसल बीमा हेतु कृषि बीमा कम्पनी लिमिटेड को प्रीमियम का भुगतान—				
मूल	55,00.00			
पुनर्वि०	-50,52.51	4,47.49	4,47.49	..
₹ 50,52.51 लाख का अभ्यर्पण अच्छे उत्पादन के कारण क्षतिपूर्ति के लिए कम दावा प्राप्त होने के कारण हुआ।				

'kh"KZ	diy vupku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$	cpr &
				¼ yk[k ₹ ea ½
111- कृषि अर्थव्यवस्था तथा सांख्यिकी-				
01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-				
मूल	9,48.92			
पुनर्वि०	-4,80.36	4,68.56	4,03.54	-65.02
₹ 4,80.36 लाख का अभ्यर्पण पदों के रिक्त रहने के कारण हुआ।				
03- कृषि आंकड़ों में सुधार हेतु प्रायोजना-				
मूल	7,54.49			
पुनर्वि०	-80.31	6,74.18	6,38.54	-35.64
₹ 80.31 लाख का अभ्यर्पण मांग कम होने के आधार पर हुआ।				
05- फसलों की उत्पादकता तथा उत्पादन के आंकड़ों का डाटा बैंक-				
मूल	22,26.76			
पुनर्वि०	-22,26.76
₹ 22,26.76 लाख का अभ्यर्पण योजना विभाग से कार्य योजना की स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण हुआ।				
112- दालों का विकास-				
04- दलहन/तिलहन उत्पादन के प्रोत्साहन हेतु अन्तः फसली खेती की योजना-				
मूल	25,00.00			
पुनर्वि०	-23,75.67	1,24.23	1,02.61	-21.72
₹ 23,75.67 लाख का अभ्यर्पण कार्य योजना में कमी होने के कारण हुआ।				
800- अन्य व्यय-				
01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-				
मूल	1,18.44			
पुनर्वि०	-1,18.44
₹ 1,18.44 लाख का अभ्यर्पण भारत सरकार द्वारा धनराशि अवमुक्त न होने के कारण हुआ।				

'kh"KZ	diy vupku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$
		¼ yk/k ₹ ea ½	cpr &

03- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना—

मूल	6,80,00.03	4,19,47.44	4,25,10.98	+5,63.54
पुनर्वि०	-2,60,52.59			

₹ 2,60,52.59 लाख का अभ्यर्पण; बजट प्रावधान के अधिक होने, एस० एल० एस० सी० द्वारा अनुमोदन प्राप्त न होने तथा भारत सरकार द्वारा धनराशि अवमुक्त न होने के कारण हुआ।

2402- enk rFkk ty l j{k.k&

102- मृदा-संरक्षण —

03- बुन्देलखण्ड क्षेत्र में वर्षा जल संचयन एवं सिंचाई की योजना—

मूल	18,59.43
पुनर्वि०	18,59.43			

₹ 18,59.43 लाख का अभ्यर्पण दरें अनुमोदित न होने के कारण हुआ।

05- मृदा स्वास्थ्य का सदृढीकरण —

मूल	9,68.32	7,31.11	7,26.38	-4.73
पुनर्वि०	-2,37.21			

प्रावधान में ₹ 2,37.21 लाख की कुल कमी में से, ₹ 1,00.83 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं तथा ₹ 1,36.38 लाख का अभ्यर्पण दरें अनुमोदित न होने के कारण हुआ।

10- नाबार्ड सहायतित इन्टीग्रेटेड रेन वाटर मैनेजमेन्ट

(वाटर शेड मैनेजमेन्ट) प्रोजेक्ट—

मूल	2,00,00.50	1,40,63.66	1,40,64.90	+1.24
पुनर्वि०	-59,36.84			

₹ 59,36.84 लाख का अभ्यर्पण नाबार्ड द्वारा कम धनराशि अनुमोदित होने के कारण हुआ।

11- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना—

मूल	90,00.00	60,05.88	59,86.25	-19.63
पुनर्वि०	-29,94.12			

₹ 29,94.12 लाख का अभ्यर्पण एस० एल० एस० सी० द्वारा यथाअनुमोदित तथा भारत सरकार द्वारा अवमुक्त धनराशि के अनुसार हुआ।

' kh"kz	diy vuṅku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$
		¼ yk[k ₹ ea ½	cpr &
12- मृदा सुधार योजना—			
मूल	8,00.00		
पुनर्वि०	-3,89.54	4,10.46	4,12.91
			+2.45
₹ 3,89.54 लाख का अभ्यर्पण मांग कम होने के कारण पर हुआ।			
103- भूमि सुधार तथा विकास—			
06- मृदा में सूक्ष्म तत्व की कमी को दूर करने एवं भूमि सुधार हेतु जिप्सम का वितरण—			
मूल	17,48.00		
पुनर्वि०	-12,08.10	5,39.90	5,39.82
			-0.08
₹ 12,08.10 लाख के कुल प्रत्याशित बचत में से, प्रावधान में ₹ 2,35.75 लाख की कमी मांग न होने तथा ₹ 9,72.35 लाख का अभ्यर्पण जिप्सम की अनुपलब्धता के कारण हुआ।			
2415- df"k vuḍ ṛkku rFkk f' k{kk&			
80- सामान्य—			
120- अन्य संस्थाओं को सहायता—			
10- कृषि विश्वविद्यालय में प्रसार योजना का सदृढीकरण —			
मूल	2,32.50		
पुनर्वि०	-38.49	1,94.01	1,93.77
			-0.24
₹ 38.49 लाख का अभ्यर्पण आवश्यकता न होने के कारण हुआ।			
23- कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालयों में शोध कार्यक्रम—			
मूल	2,55.33		
पुनर्वि०	-2,50.12	5.21	5.21
			..
₹ 2,50.12 लाख के कुल प्रत्याशित बचत में से, प्रावधान में ₹ 1,00.00 लाख कमी आवश्यकता न होने तथा ₹ 1,50.12 लाख का अभ्यर्पण उचित प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुआ।			

'kh"kZ dy vupku okLrfod 0 ; ; vf/kd 0 ; ; \$ cpr & ¼ yk[k ₹ ea ½

26- उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद में
कृषि शोध सुविधाओं का सुदृढीकरण—
मूल 1,70.69
पुनर्वि० -1,70.69
₹ 1,70.69 लाख का अभ्यर्पण उचित प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुआ।

27- कृषि विश्वविद्यालय, बांदा
की स्थापना—

मूल	11,00.00			
		2,22.28	2,50.50	+27.72
पुनर्वि०	-8,77.72			

₹ 8,77.72 लाख की कुल प्रत्याशित बचत में से, ₹ 4,00.00 लाख की प्रावधान में कमी आवश्यकता न होने के कारण हुई तथा ₹ 4,77.72 लाख का अभ्यर्पण व्यय तथा आवश्यकता न होने के कारण हुआ।

2435- vl; d f" k dk; Øe&

01- विपणन तथा गुणवत्ता नियंत्रण—

101- विपणन सुविधाएं—

04- बाजार विनियमन एवं
प्रशिक्षण केन्द्र—

मूल	1,72.45			
		1,32.05	1,32.14	+0.09
पुनर्वि०	-40.40			

₹ 40.40 लाख का अभ्यर्पण कर्मचारियों के उत्तरांचल स्थानान्तरित होने तथा कर्मचारियों के प्रतिनियुक्ति पर अन्य विभागों में चयनित होने के कारण हुआ।

05- कृषि विपणन से सम्बन्धित मण्डलीय
तथा जनपदीय कार्यालय—

मूल	40.14			
पूरक	7.85	42.92	42.81	-0.11
पुनर्वि०	-5.07			

₹ 5.07 लाख का अभ्यर्पण कर्मचारियों के उत्तरांचल स्थानान्तरित होने तथा कर्मचारियों के प्रतिनियुक्ति पर अन्य विभागों में चयनित होने के कारण हुआ।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत/व्ययाधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2013)।

(iv) व्ययाधिक्य निम्न के अधीन हुआ:-

' kh"kZ	diy vupku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$	cpr &
				¼ yk[k ₹ ea ½
2401- Ql y d'f'k&de&				
001- निदेशन तथा प्रशासन-				
05- जिला संगठन-				
मूल	55,51.32	57,19.02	57,17.24	-1.77
पुनर्वि०	1,67.70			
प्रावधान में ₹ 1,67.70 लाख की शुद्ध वृद्धि में से, ₹ 2,80.00 लाख की वृद्धि अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होने के कारण हुई। तथा ₹ 1,12.30 लाख का अभ्यर्पण वास्तविक मांग के आधार पर हुआ।				
109- विस्तार तथा किसानों का प्रशिक्षण-				
03- कृषि प्रसार प्रायोजना तथा प्रदर्शनीयां (किसान सहायक, सहायक विकास अधिकारी तथा कृषि निरीक्षक अनुदान सं० 14 में स्थानांतरित)-				
मूल	1,88,91.68	1,90,84.32	1,90,70.56	-13.76
पुनर्वि०	1,92.64			
प्रावधान में ₹ 1,92.64 लाख की शुद्ध वृद्धि में से, ₹ 7.36 लाख का अभ्यर्पण वास्तविक मांग के आधार पर हुआ तथा प्रावधान में ₹ 2,00.00 लाख की वृद्धि छठवें वेतन आयोग के अनुसार अवशेष तथा नियमित भुगतान के कारण हुआ।				
06- निजी क्षेत्र में प्रसार सेवाओं का विकास-				
पुनर्वि०	5.44	5.44	..	-5.44
प्रावधान में ₹ 5.44 लाख की वृद्धि, एस० एल० एस० सी० द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं के वित्त पोषण के कारण हुआ।				
2402- enk rFkk ty l j{k.k&				
101- मृदा-संरक्षण तथा परीक्षण-				
05- जैव उर्वरक उत्पादन प्रयोगशालाओं का सदृढीकरण/जैव उर्वरकों के प्रयोग को प्रोत्साहित करने का कार्यक्रम-				
मूल	6,05.60	6,87.22	6,86.46	-0.76
पुनर्वि०	81.62			
प्रावधान में ₹ 81.62 लाख की शुद्ध वृद्धि में से, ₹ 1,00.83 लाख की प्रावधान में वृद्धि कम बजट प्रावधान के कारण हुआ तथा ₹ 19.21 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किए गए हैं।				

' kh" kZ	dy vupku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$
		¼ yk[k ₹ ea ½	cpr &
103- भूमि सुधार तथा विकास—			
07- भूमि सेना योजना—			
मूल	47,83.00	50,18.75	50,18.66
पुनर्वि०	2,35.75		
प्रावधान में ₹ 2,35.75 लाख की वृद्धि मंत्रिमण्डल द्वारा अनुमोदित परियोजना के लिए धनराशि की आवश्यकता के कारण हुई।			
2415- df" k vuq ' kku rFkk f' k{kk&			
80- सामान्य—			
120- अन्य संस्थाओं को सहायता—			
04- उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, कानपुर को अनुदान—			
मूल	50,75.00	53,75.00	53,75.00
पुनर्वि०	3,00.00		
प्रावधान में ₹ 3,00.00 लाख की वृद्धि कम बजट प्रावधान के कारण हुई।			
06- उ०प्र० कृषि अनुसंधान परिषद को अनुदान—			
मूल	1,61.74	1,82.74	1,82.74
पुनर्वि०	21.00		
प्रावधान में ₹ 21.00 लाख की वृद्धि कम बजट होने के कारण हुई।			
09- इलाहाबाद एग्रीकल्चरल इन्स्टीट्यूट को अनुदान—			
मूल	11,42.90	12,42.90	12,43.14
पुनर्वि०	1,00.00		
प्रावधान में ₹ 1,00.00 लाख की वृद्धि बजट कम होने के कारण हुई।			
12- कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, मोदीपुरम मेरठ की स्थापना—			
मूल	20,75.00	21,55.00	21,55.00
पुनर्वि०	80.00		
प्रावधान में ₹ 80.00 लाख की वृद्धि बजट कम होने के कारण हुई।			
उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत/व्ययाधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2013)।			

i Hkkfjr&

(v) ₹ 7.83 लाख की अन्तिम बचत में से, मात्र ₹ 7.07 लाख की धनराशि अभ्यर्पण के लिए प्रत्याशित की जा सकी।

(vi) बचत मुख्यतः निम्न के अधीन हुई :-

'kh"KZ	dy fofu; ksx	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$
			cpr &
		¼ yk[k ₹ ea ½	

2401- Ql y df"K&de&

001- निदेशन तथा प्रशासन-

03- कृषि निदेशालय का सामान्य अधिष्ठान-

मूल	15.00	}	8.10	8.37	-0.73
पुनर्वि०	-6.90				

₹ 6.90 लाख का अभ्यर्पण वास्तविक मांग के आधार पर हुआ।

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2013)।

i wthxr&

nRrer&

(vii) ₹ 1,77,72.56 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए, मात्र ₹ 1,77,46.08 लाख की धनराशि अभ्यर्पण के लिए प्रत्याशित की जा सकी।

(viii) ₹ 1,77,72.56 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए, नवम्बर 2012 में प्राप्त किया गया ₹ 1,00.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ix) बचत (अन्य शीर्षों के अन्तर्गत व्ययाधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न के अधीन हुई :-

'kh"KZ	dy vupku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$
			cpr &
		¼ yk[k ₹ ea ½	

4401- Ql y df"K&del ij i wthxr

ifj0; ; &

103- बीज-

01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-

मूल	20,43.66	}	10,25.00	10,25.00	..
पुनर्वि०	-10,18.66				

₹ 10,18.66 लाख का अभ्यर्पण भारत सरकार द्वारा कम धनराशि अनुमोदित किए जाने के कारण हुआ।

' kh"kz	diy vupku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$
		¼ yk[k ₹ ea ½	cpr &
04- आधारिक बीज भंडार—			
मूल 3,89,89.57	2,64,39.07	2,64,16.26	-22.81
पुनर्वि० -1,25,50.50			
₹ 1,25,50.50 लाख का अभ्यर्पण बीजों की अनुपलब्धता के कारण हुआ।			
107- वनस्पति संरक्षण—			
04- विभिन्न परिस्थितिकी संसाधनों द्वारा कीट/रोग नियंत्रण—			
मूल 1,45.00	1,21.69	1,21.69	..
पुनर्वि० -23.31			
₹ 23.31 लाख का अभ्यर्पण कार्य योजना न होने के कारण हुआ।			
190- सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में निवेश—			
03- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना—			
मूल 10,00.00	7,00.00	7,00.00	..
पुनर्वि० -3,00.00			
₹ 3,00.00 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किए गए हैं।			
800- अन्य व्यय—			
03- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना—			
मूल 40,00.00	5,87.24	5,87.23	-0.01
पुनर्वि० -34,12.76			
₹ 34,12.76 लाख का अभ्यर्पण एस० एल० एस० सी० द्वारा अनुमोदित होने तथा भारत सरकार द्वारा अवमुक्त धनराशि के अनुसार हुआ।			
4415- d'k vuq akku rFkk f'k{kk ij			
i wthxr ifj0; ; &			
05- मछली पालन—			
277- शिक्षा—			
03- मत्स्य महाविद्यालय इटावा—			
मूल 1,00.00	71.32	71.32	..
पुनर्वि० -28.68			
₹ 28.68 लाख का अभ्यर्पण बजट प्रावधान अधिक होने के कारण हुआ।			

'kh"KZ	dy vupku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$
		¼ yk[k ₹ ea ½	cpr &

80- सामान्य—

277- शिक्षा—

07- उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय फैजाबाद
के अन्तर्गत डा0 राममनोहर लोहिया प्लान्ट बायोडाइवर्सिटी
एण्ड बायोटैक्नालाजी महाविद्यालय का निर्माण—

मूल	1,00.00] 76.22] 76.22] ..
पुनर्वि०	-23.78			

₹ 23.78 लाख का अभ्यर्पण बजट प्रावधान अधिक होने के कारण हुआ।

09- कृषि विश्वविद्यालय फैजाबाद के
अन्तर्गत मत्स्य महाविद्यालय की
स्थापना—

मूल	6.89] ..] ..] ..
पुनर्वि०	-6.89			

₹ 6.89 लाख का अभ्यर्पण प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुआ।

20- कृषि विश्वविद्यालय, फैजाबाद में
आवासीय भवनों का सुदृढीकरण—

मूल	5,00.00] 2,00.06] 2,00.06] ..
पुनर्वि०	-2,99.94			

प्रावधान में ₹ 2,99.94 लाख की कमी मांग कम होने के कारण हुई।

(x) व्ययाधिक्य निम्न के अधीन हुआ :-

4415- df"K vuq akku rFkk f'k{kk ij
i wthxr ifj0; ; &

80- सामान्य—

277- शिक्षा—

27- कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय,
मोदीपुरम् मेरठ—

मूल	15,73.72] 17,89.43] 17,89.43] ..
पुनर्वि०	2,15.71			

प्रावधान में ₹ 2,15.71 लाख की शुद्ध वृद्धि में से, ₹ 3,03.71 लाख की वृद्धि अपर्याप्त बजट प्रावधान एवं कार्य की अतिआवश्यकता के कारण हुई तथा ₹ 88.00 लाख का अभ्यर्पण कार्य पूर्ण न होने के कारण हुआ।

वृत्तिका 12 (क) के अंतर्गत रकम (ए) को ध्यान में रखते हुए
 निम्नलिखित विवरण, आर.टी.डी. के अनुसार

ए.टी.डी. के अनुसार वृत्तिका के अंतर्गत रकम (ए) को ध्यान में रखते हुए
 निम्नलिखित विवरण, आर.टी.डी. के अनुसार

ज.टी.डी.

2501- ए.टी.डी. के अंतर्गत रकम (ए) को ध्यान में रखते हुए
 निम्नलिखित विवरण, आर.टी.डी. के अनुसार

2515- वृत्तिका के अंतर्गत रकम (ए) को ध्यान में रखते हुए

2705- देय रकम (ए) को ध्यान में रखते हुए

न.टी.डी.

मूल 3,06,00,01

पूरक ..

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2013)

3,06,00,01

2,17,45,70

-88,54,31

88,52,88

वृत्तिका के अंतर्गत रकम (ए) को ध्यान में रखते हुए

ज.टी.डी.

न.टी.डी.

(i) ₹ 88,54.31 लाख की अन्तिम बचत के विरुद्ध, ₹ 88,52.88 लाख की धनराशि ही अभ्यर्पित की गयी।

(ii) बचत (एक अन्य शीर्ष के अन्तर्गत व्याधिक्रय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न के अधीन हुई :-

ए.टी.डी.

वृत्तिका के अंतर्गत रकम (ए) को ध्यान में रखते हुए

न.टी.डी.

वृत्तिका के अंतर्गत रकम (ए) को ध्यान में रखते हुए

न.टी.डी.

वृत्तिका के अंतर्गत रकम (ए) को ध्यान में रखते हुए

2501- ए.टी.डी. के अंतर्गत रकम (ए) को ध्यान में रखते हुए

न.टी.डी.

05- बंजर भूमि विकास-

101- राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास

कार्यक्रम-

01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र

द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-

मूल 25,00.00

पुनर्वि० -10,62.90

14,37.10

14,37.10

..

₹ 10,62.90 लाख के कुल प्रत्याशित बचत में से, ₹ 76.49 लाख की पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी तथा ₹ 9,86.41 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

'kh"kl

dy vupku

okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; \$

cpr &

¼ yk[k ₹ ea ½

2515- vll; xke fodkl dk; Øe&

800- अन्य व्यय-

03- मण्डलीय विकास निगम,
लखनऊ के छटनीशुदा
कर्मचारियों के वेतन का
भुगतान-

मूल

1,00.00

5.52

5.52

..

पुनर्वि०

-94.48

₹ 94.48 लाख की अभ्यर्षण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

2705- deku {k= fodkl &

800- अन्य व्यय-

01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र
द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-

मूल

2,80,00.00

2,02,28.01

2,02,26.58

-1.43

पुनर्वि०

-77,71.99

₹ 77,71.99 लाख की बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2013)।

(iii) व्ययाधिक्य निम्न के अधीन हुआ:-

**2501- xke fodkl ds fy, fo' ksk
dk; Øe&**

02- सूखाग्रस्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम-

800- अन्य व्यय-

01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र
द्वारा पुरोनिधानित योजनाय-

मूल

0.01

76.50

76.50

..

पुनर्वि०

76.49

प्रावधान में ₹ 76.49 लाख की वृद्धि केन्द्रांश के सापेक्ष राज्यांश के लिए धन की आवश्यकता के कारण की गई।

vupku l [; k 13&df'k rFkk vU; l Ec) foHkkx (xkE; fodkl ½

e[; 'kh"kl	dy vupku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$
	; k		cpr &
	fofu; ksx		

¼ gtkj ' ea ½

jktLo&

2013- ef= i fj "kn}

2501- xkEk fodkl ds fy; s fo'kSk dk; Øe]

2505- xke jkst xkj]

2515- vU; xke fodkl dk; Øe]

2702- y?kq fl pkbZ rFkk

3054- l MEd rFkk l r;q

nRrer&

मूल 14,20,93,11]

14,28,23,11 13,24,43,84 -1,03,79,27

पूरक 7,30,00]

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2013)

1,11,92,23

i Hkkfjr&

मूल 15,50]

15,50 9,72 -5,78

पूरक ..]

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि

..

i wthxr&

4215- tyki w-z rFkk l QkbZ ij i wthxr ifj0; ;]

4216- vkokl ij i wthxr ifj0; ;]

4515- vU; xke fodkl dk; Øeka ij

i wthxr ifj0; ;]

4702- y?kq fl pkbZ ij i wthxr ifj0; ; rFkk

5054- l MEdka rFkk l r;qka ij i wthxr ifj0; ;

nRrer&

मूल 21,98,78,00]

25,85,71,28 23,82,49,12 -2,03,22,16

पूरक 3,86,93,28]

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2013)

1,38,82,94

fVli f.k; ka , oa VhdK; &

jktLo&

nRrer&

- (i) ₹ 13,24,43.84 लाख के वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02, 2002-03, 2003-04, 2004-05, 2005-06, 2006-07, 2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-11 तथा 2011-12 के उचन्त लेखे के समाशोधन के ₹ 4,39.36 लाख की धनराशि सम्मिलित है।

- (ii) ₹ 1,08,18.63 लाख (₹ 1,03,79.27 लाख + ₹ 4,39.36 लाख) की अन्तिम बचत को देखते हुए ₹ 1,11,92.23 लाख का अभ्यर्पण न्यायसंगत नहीं था तथा व्यय के त्रुटिपूर्ण अनुमान का द्योतक था।
- (iii) ₹ 1,08,18.63 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए, नवम्बर 2012 में प्राप्त किया गया ₹ 7,30.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (iv) बचत (अन्य शीर्षों के अन्तर्गत व्ययाधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न के अधीन हुई :-

'kh"KZ	dy vupku okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$
		cpr &
		¼ yk[k ₹ ea ½

2501- xkE; fodkl ds fy; s fo' k'sk dk; Øe&

01- समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम-

800- अन्य व्यय-

01- केन्द्रीय आयोजनागत / केन्द्र

द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-

मूल	1,38,50.00	69,87.63	69,06.59	-81.04
पुनर्वि०	-68,62.37			

₹ 2,74.44 लाख का अभ्यर्पण केन्द्रांश विलम्ब से प्राप्त होने के कारण हुआ। ₹ 65,87.93 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

2515- vl; xke fodkl dk; Øe&

001- निदेशन तथा प्रशासन-

03- विकास आयुक्त (मुख्यालय)-

मूल	8,88.88	8,01.25	8,07.63	+6.38
पुनर्वि०	-87.63			

वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02, के उच्चत लेखे के समाशोधन के ₹ 6.40 लाख की धनराशि सम्मिलित है। ₹ 87.63 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

04- विकास आयुक्त के क्षेत्रीय कार्यालय-

मूल	7,91.66	7,47.04	7,49.33	+2.29
पुनर्वि०	-44.62			

₹ 44.62 लाख का अभ्यर्पण अवशेष धनराशि के कारण हुआ।

003- प्रशिक्षण-

03- कर्मचारियों का प्रशिक्षण (क्षेत्रीय /

जिला ग्राम विकास)-

मूल	29,57.51	28,17.24	28,39.76	+22.52
पुनर्वि०	-1,40.27			

₹ 28,39.76 लाख के वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02, 2002-03, 2003-04, 2004-05, 2005-06, 2006-07, 2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-11 तथा 2011-12 के उच्चत लेखे के समाशोधन के ₹ 25.13 लाख की धनराशि सम्मिलित है।

₹ 1,40.27 लाख का अभ्यर्पण मुख्यतः पदों के रिक्त रहने, वास्तविक व्यय के आधार पर तथा मांग न होने कारण हुआ।

'kh"KZ	dy vupku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$
			cpr &
		½ yk[k ₹ ea ½	

102- सामुदायिक विकास-

01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र

द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-

मूल	1,98.00	}
पुनर्वि०	-1,32.00	

66.00 71.44 +5.44

वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02, के उचन्त लेखे के समाशोधन के ₹ 7.36 लाख की धनराशि सम्मिलित है।
₹ 1,32.00 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किए गए हैं।

08- अम्बेडकर रोजगार योजना-

मूल	6,00.00	}
पुनर्वि०	-89.12	

5,10.88 5,03.06 -7.82

₹ 89.12 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किए गए हैं।

800- अन्य व्यय-

03- ग्रामीण अभियंत्रण सेवाएं-

मूल	2,43,82.13	}
पूरक	5,00.00	
पुनर्वि०	-2,15.20	

2,46,66.93 2,47,41.02 +74.09

₹ 2,15.20 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किए गए हैं।

04- प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना-

मूल	2,50.00	}
पुनर्वि०	-37.50	

2,12.50 2,10.59 -1.91

₹ 37.50 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किए गए हैं।

2702- y?kq fl pkb&

02- भू-जल-

005- अन्वेषण-

03- भू-गर्भ जल सर्वेक्षण का विकास, आकलन एवं सुदृढीकरण-

मूल	46,90.45	}
पुनर्वि०	-1,48.75	

45,41.70 45,77.06 +35.36

वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02, 2002-03, 2003-04, 2006-07, 2008-09, 2009-10, तथा 2010-11 के उचन्त लेखे के समाशोधन के ₹ 36.96 लाख की धनराशि सम्मिलित है।

प्रावधान मे ₹ 1,89.38 लाख की वृद्धि कर्मचारियों को ए०सी०पी० अवशेष के आंशिक भुगतान के कारण हुआ। ₹ 3,38.13 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किए गए हैं।

'kh"KZ	dy vupku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$	cpr &
		¼ yk/k ₹ ea ½		
04- भूजल स्रोतों का मानचित्रीकरण एवं गहरे भूजल स्रोतों पर पैरामीटर टेस्ट—				
मूल	60.00	8.89	8.89	..
पुनर्वि०	-51.11			
₹ 51.11 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किए गए हैं।				
05- जी०आई०एस० आधारित मानचित्र—				
मूल	70.00	15.57	15.38	-0.19
पुनर्वि०	-54.43			
₹ 54.43 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किए गए हैं।				
06- रेन वाटर हार्वेस्टिंग/रिचार्जिंग—				
मूल	70.00	49.98	49.83	-0.15
पुनर्वि०	-20.02			
प्रावधान में ₹ 38.77 लाख की वृद्धि सेवा कर के भुगतान के कारण हुआ। ₹ 58.79 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किए गये हैं।				
80- सामान्य—				
800- अन्य व्यय—				
01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें—				
मूल	1,48.45	20.48	20.47	-0.01
पुनर्वि०	-1,27.97			
₹ 1,27.97 लाख का अभ्यर्पण धनराशि के उपयोग न होने के कारण हुआ।				
03- लघु सिंचाई योजना—				
मूल	1,26,34.39	1,26,98.87	1,27,34.16	+35.29
पूरक	2,00.00			
पुनर्वि०	-1,35.52			
प्रावधान में ₹ 1,35.52 लाख की कुल कमी में से ₹ 38.77 लाख की कमी सम्भावित बचत हाने के कारण हुई। ₹ 30.69 लाख का अभ्यर्पण धनराशि अवमुक्त न होने तथा अप्रयुक्त रहने के कारण हुआ, ₹ 19.40 लाख का अभ्यर्पण अवशेष धनराशि होने तथा ₹ 46.66 लाख का अभ्यर्पण अधिक बजट प्रावधान होने के कारण हुआ।				
उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत/व्ययाधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2013)।				

(v) व्ययाधिक्य निम्न के अधीन हुआ:-

'kh"KZ

dy vupku okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; \$

cpr &

¼ yk[k ₹ ea ½

2505- xke jkst xkj &

01- राष्ट्रीय कार्यक्रम-

702- जवाहर ग्राम समृद्धि योजना-

01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र

द्वारा पुरोनिधानित योजनायें

..

60.74

+60.74

वास्तविक व्यय वर्ष 2001-02 तथा 2003-04 के उच्चत लेखे के समाशोधन से सम्बन्धित है।

2515- vl; xke fodkl dk; Øe&

102- सामुदायिक विकास-

06- संग्रहीत जिला कार्यालय-

मूल 95,05.57

98,15.29

97,19.00

-96.29

पुनर्वि० 3,09.72

वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02, 2003-04, 2006-07, 2007-08, 2008-09, 2010-11 तथा 2011-12 के उच्चत लेखे के समाशोधन के ₹ 18.21 लाख की धनराशि सम्मिलित है।

प्रावधान में ₹ 6,28.78 लाख की वृद्धि तथा ₹ 3,19.06 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गए हैं।

14- सेक्टर रिफार्म पायलट प्रोजेक्ट

(जल निधि परियोजना स्वजल धारा कार्यक्रम)

के कार्यान्वयन हेतु प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट यूनिट,

स्वजल प्रोजेक्ट को अनुदान-

मूल 1,65.00

1,95.00

2,13.30

+18.30

पुनर्वि० 30.00

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत/व्ययाधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2013)।

2702- y?kq fl pkb&

80- सामान्य-

799- उच्चत-

03- भण्डार उच्चत

..

4,89.44

+4,89.44

बिना बजट आवंटन के इस शीर्ष के अन्तर्गत लेन-देन किया जाना अनियमित है।

टिप्पणी संख्या (vi) में उच्चत लेन-देन के व्यौरे को जोड़ा गया है।

04- विविध कार्य अग्रिम

..

3,94.52

+3,94.52

बिना बजट आवंटन के इस शीर्ष के अन्तर्गत लेन-देन किया जाना अनियमित है।

टिप्पणी संख्या (vi) में उच्चत लेन-देन के व्यौरे को जोड़ा गया है।

(vi) *mpllr yu&nu %&*

अनुदान के व्यय में उचन्त के अधीन दर्ज किये गये ₹ 8.84 करोड़ सम्मिलित हैं। उचन्त लेन-देन का स्वरूप और उनकी लेखा प्रणाली की व्याख्या अनुदान संख्या 94- सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) के अधीन दी गई है।

वर्ष 2012-2013 के दौरान किये गये लेन-देन का विश्लेषण तथा आदि और अन्त शेषों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :-

*mpllr 'kh"kl **2702&y?kq fl pkbZ* ds vllrxlr o"kl 2012-2013 ds nkj ku fd; s x; s yu&nu dk foofj .k*

<i>' kh"kl</i>	<i>1 vi fy 2012 dks vkfn ' ksk (ukes + tek &)</i>	<i>ukea</i>	<i>tek</i>	<i>fuoy</i>	<i>31 ekpl 2013 dk vllr ' ksk (ukes + tek &)</i>
<i>½ yk[k ₹ ea ½</i>					
उचन्त स्टाक	+6,20.97	4,89.44	4,77.28	+12.16	+6,33.13
विविध निर्माण कार्य पेशगियां	-1,34.95	3,94.52	3,37.04	+57.48	-77.47
<i>; kx</i>	+4,86.02	8,83.96	8,14.32	+69.64	+5,55.66

i wthxr&

nRrer&

(vii) ₹ 2,03,22.16 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए, मात्र ₹ 1,38,82.94 लाख अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित की जा सकी।

(viii) ₹ 2,03,22.16 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए, नवम्बर 2012 में प्राप्त किया गया ₹ 3,86,93.28 लाख का अनुपूरक अनुदान अधिक सिद्ध हुआ।

(ix) बचत (अन्य शीर्षों के अन्तर्गत व्ययाधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न के अधीन हुई :-

'kh"KZ dty vupku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; \$
cpr &

¼ yk[k ₹ ea ½

4216- vkokl ij iwthxr ifj0; ; &

03- ग्रामीण आवास-

800- अन्य व्यय-

01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र

द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-

मूल 2,00,00.00

पुनर्वि० -63,17.87

1,36,82.13

1,28,10.73

-8,71.40

प्रावधान में ₹ 29,55.00 लाख की कमी बजट प्रावधान आवश्यकता से अधिक होने तथा सम्पूर्ण धनराशि के अप्रयुक्त रहने के कारण हुई। ₹ 31,25.43 लाख तथा ₹ 2,37.44 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किए गये हैं।

4415- vl; xke fodkl dk; Øeka ij

iwthxr ifj0; ; &

102- सामुदायिक विकास-

01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र

द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-

मूल 5,00,00.00

पुनर्वि० -2,56,45.00

2,43,55.00

1,43,54.84

-1,00,00.16

प्रावधान में ₹ 2,56,45.00 लाख की कमी धनराशि के अप्रयुक्त रहने के कारण हुई।

4702- y?kqfl pkbz ij iwthxr ifj0; ; &

800- अन्य व्यय-

03- सामुदायिक ब्लास्ट वेल का

निर्माण (नाबार्ड पोषित)-

मूल 89,00.00

पुनर्वि० -33,05.43

55,94.57

55,94.05

-0.52

₹ 33,05.43 लाख का अभ्यर्पण धनराशि के उपयोग न होने के कारण हुआ।

05- लघु सिंचाई के अन्तर्गत

ग्राउन्ड वाटर चार्जिंग चेक

डेमों का निर्माण (जिला योजना)-

मूल 30,00.00

पुनर्वि० -2,59.78

27,40.22

27,38.77

-1.45

₹ 2,59.78 लाख का अभ्यर्पण धनराशि के उपयोग न होने के कारण हुआ।

' kh" kZ

dy vupku okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; \$
cpr &

¼ yk[k ₹ ea ½

09- तेरहवें वित्त आयोग की
संस्तुतियों का कार्यान्वयन—

मूल	50,00.00	}	47,56.28	47,38.86	-17.42
पूरक	34,93.38				
पुनर्वि०	-37,37.00				

₹ 37,37.00 लाख का अभ्यर्पण धनराशि के उपयोग न होने के कारण हुआ।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2013)।

(x) व्याधिक्य निम्न के अधीन हुआ—

4216- vkokl ij iwthxr ifj0; ; &

03- ग्रामीण आवास—

800- अन्य व्यय—

03- लोहिया ग्रामीण आवास—

मूल	20,00.00	}	4,07,99.35	4,07,99.35	..
पूरक	1,25,00.00				
पुनर्वि०	2,62,99.35				

प्रावधान में ₹ 2,83,00.00 लाख की वृद्धि आवश्यकता से कम बजट प्रवधान होने के कारण हुई।

₹ 20,00.65 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किए गए हैं।

4515- vl; xke fodkl dk; Øeka ij

iwthxr ifj0; ; &

102- सामुदायिक विकास—

03- जिला विकास कार्यालय भवनों का निर्माण

तथा सामुदायिक विकास खण्ड कार्यालयों/

केन्द्रों आदि के भवनों का निर्माण (जिला योजना)—

मूल	50.00	}	3,50.00	3,50.00	..
पुनर्वि०	3,00.00				

प्रावधान में ₹ 3,00.00 लाख की वृद्धि आवश्यकता से कम बजट प्रावधान होने के कारण हुआ।

800- अन्य व्यय—

03- विधायक निधि—

मूल	6,30,00.00	}	7,55,75.00	7,56,00.00	+25.00
पूरक	1,26,00.00				
पुनर्वि०	-25.00				

₹ 25.00 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किए गए हैं।

' kh" kZ

dy vupku okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; \$
cpr &

¼ yk[k ₹ ea ½

4702- y?kq fl pkbz ij iwthxr ifj0; ; &

102- भू-जल-

05- डा0 राम मनोहर लोहिया

सामूहिक नलकूप योजना-

मूल

2,14.00

1,84.62

2,18.32

+33.70

पुनर्वि0

-29.38

₹ 29.38 लाख का अभ्यर्पण धनराशि के उपयोग न होने के कारण हुआ।

799- उचन्त-

03- भण्डार उचन्त

..

38,16.58

+38,16.58

बिना बजट आवंटन के इस शीर्ष के अन्तर्गत लेन-देन किया जाना अनियमित है।

टिप्पणी संख्या (xi) में उचन्त लेन-देन के व्यौरे को जोड़ा गया है।

04- विविध कार्य अग्रिम

..

5,71.97

+5,71.97

बिना बजट आवंटन के इस शीर्ष के अन्तर्गत लेन-देन किया जाना अनियमित है।

टिप्पणी संख्या (xi) में उचन्त लेन-देन के व्यौरे को जोड़ा गया है।

800- अन्य व्यय-

04- लघु सिंचाई कार्यक्रम के

अन्तर्गत बोरिंग गोदामों का

निर्माण (जिला योजना)

48.00

52.52

+4.52

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम व्ययाधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2013)।

(xi) mplr yu&nu %&

अनुदान के व्यय में उचन्त के अधीन दर्ज किये गये ₹ 43.89 करोड़ सम्मिलित हैं।

उचन्त लेन-देन का स्वरूप और उनकी लेखा प्रणाली की व्याख्या अनुदान संख्या 94-सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) के अधीन दी गई है।

वर्ष 2012-2013 के दौरान किये गये लेन-देन का विश्लेषण तथा आदि और अन्त शेषों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :-

mpUr 'kh"kl **4702&y?kq fl pkbz ij i rthxr ifj0; ; ** ds vUrxr o"kl 2012-2013
ds nkj ku fd; s x; s yu&nu dk fooj.k %&

'kh"kl	1 vi dy 2012 dks vkfn 'k\$ (ukes + tek &)	ukea	tek	fuoy	31 ekpl 2013 dk vUr 'k\$ (ukes + tek &)
<i>¼ yk[k ₹ ea ½</i>					
उचन्त स्टाक	+12,90.93	38,16.58	42,45.87	+4,29.29	+8,61.64
विविध निर्माण कार्य पेशगियां	+14,96.24	5,71.97	6,52.55	-80.58	+14,15.66
; ksx	+27,87.17	43,88.55	48.98.42	-5,09.87	+22,77.30

वृत्तिका 15 (अंश 1) के अनुसार (अंश 1/2)

वृत्तिका 15 (अंश 1) के अनुसार (अंश 1/2)

वृत्तिका

2013-14 के लिए

2013-14 के लिए

वृत्तिका

मूल 5,01,22,66
पूरक 5,83,00

5,07,05,66

4,83,99,22

-23,06,44

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2013)

22,28,42

वृत्तिका

मूल 13,79
पूरक ..

13,79

13,79

..

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि

..

वृत्तिका

2013-14 के लिए

वृत्तिका

मूल 17,15,60
पूरक 25,00

17,40,60

7,05,53

-10,35,07

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2013)

10,27,93

वृत्तिका 15 (अंश 1) के अनुसार (अंश 1/2)

वृत्तिका

वृत्तिका

(i) ₹ 23,06.44 लाख की अन्तिम बचत में से, मात्र ₹ 22,28.42 लाख की धनराशि अभ्यर्पण के लिए प्रत्याशित की जा सकी।

(ii) ₹ 23,06.44 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए, नवम्बर 2012 में प्राप्त किया गया ₹ 5,83.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(iii) बचत (अन्य शीर्षों के अन्तर्गत व्ययाधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न के अधीन हुई :-

'kh"z	dly vuqku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$
			cpr &
		¼ yk[k ₹ ea ½	

2403- i 'kq i kyue

101- पशु चिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य-

01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-

मूल	31,24.08] 21,13.27	21,11.33	-1.94
पुनर्वि०	-10,10.81			

₹ 10,10.81 लाख का अभ्यर्पण मुख्यतः केन्द्रांश प्राप्त न होने तथा वैक्सीन की अनुपलब्धता के कारण हुआ।

06- पशु स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार (जिला योजना)-

मूल	10,00.00] 7,98.38	7,63.23	-35.15
पुनर्वि०	-2,01.62			

प्रावधान में ₹ 1,02.26 लाख की कमी पशुचिकित्सकों एवं फर्मासिस्टों की नियुक्ति न होने तथा स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण हुई। ₹ 99.36 लाख का अभ्यर्पण कम वित्तीय स्वीकृति के कारण हुआ।

103- कुक्कुट विकास-

01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-

मूल	2,00.00] 2,26.00	2,00.95	-25.05
पूरक	5,00.00			
पुनर्वि०	-4,74.00			

₹ 4,74.00 लाख का अभ्यर्पण भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त न होने के कारण हुआ।

107- चारा और चारागाह विकास-

01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-

मूल	2,50.00]
पुनर्वि०	-2,50.00			

₹ 45.00 लाख का अभ्यर्पण भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त न होने के कारण हुआ। प्रावधान में ₹ 2,05.00 लाख की कमी भारत सरकार द्वारा धनराशि की सीमा कम किए जाने के कारण हुई।

(iv) व्ययाधिक्य मुख्यतः निम्न के अधीन हुआ:-

'kh"KZ	dly vuqku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$
			cpr &
		¼ yk[k ₹ ea ½	

2403- i 'kq i kyue

001- निदेशन तथा प्रशासन-

03- निदेशालय-

मूल	3,91,25.66	}	3,91,63.31	3,91,57.13	-6.18
पुनर्वि०	37.65				

प्रावधान में ₹ 1,02.26 लाख की वृद्धि कर्मचारियों को माह फरवरी 2013 के वेतन भुगतान के कारण तथा ₹ 9.59 लाख की वृद्धि अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता के कारण हुई। ₹ 74.20 लाख का अभ्यर्पण मानक मदों के ग्रुपिंग के कारण हुआ।

104- भेड़ तथा ऊन विकास-

01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-

पुनर्वि०	25.00	25.00	50.00	+25.00
----------	-------	-------	-------	--------

प्रावधान में ₹ 25.00 लाख की वृद्धि मुजफ्फरनगरीय भेड़ों के संवर्धन तथा संरक्षण हेतु धनराशि की आवश्यकता के कारण हुई।

उपरोक्त शीषों के अन्तर्गत अन्तिम बचत/व्ययाधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2013)।

113- प्रशासनिक अन्वेषण तथा सांख्यिकी-

01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-

मूल	3,88.95	}	4,80.46	4,80.48	+0.02
पूरक	83.00				
पुनर्वि०	8.51				

वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 के उच्चत लेखे के समाशोधन के ₹ 0.81 लाख की धनराशि सम्मिलित है। प्रावधान में ₹ 8.51 लाख के शुद्ध वृद्धि में से, ₹ 1,80.00 लाख की वृद्धि वेटरिनरी पर्यवेक्षकों तथा अन्य कर्मचारियों को प्रशिक्षण हेतु धनराशि की आवश्यकता के कारण हुई। ₹ 1,71.49 लाख का अभ्यर्पण पर्यवेक्षकों से बीजक प्राप्त न होने के कारण हुआ।

i thxr&

nRrer&

(v) ₹ 10,35.07 लाख की अन्तिम बचत में से, मात्र ₹ 10,27.93 लाख की धनराशि अभ्यर्पण के लिए प्रत्याशित की जा सकी।

(vi) ₹ 10,35.07 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए, नवम्बर 2012 में प्राप्त किया गया ₹ 25.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(vii) बचत (अन्य शीषों के अन्तर्गत व्ययाधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न के अधीन हुई :-

4403- i'kq ikyu ij iñthxr ifj0; ; &

101- पशु चिकित्सा सेवायें तथा

पशु स्वास्थ्य—

01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र

द्वारा पुरोनिधानित योजनायें—

मूल 6,38.00

3,23.00

3,23.00

..

पूरक -3,15.00

₹ 3,15.00 लाख का अभ्यर्पण भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त न होने के कारण हुआ।

106- अन्य पशुधन विकास—

04- राज्य पशुधन एवं कृषि संबंधी प्रक्षेत्र—

मूल 23.50

10.82

10.82

..

पूरक -12.68

₹ 12.68 लाख का अभ्यर्पण प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण हुआ।

107- चारा और चारागाह विकास—

01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र

द्वारा पुरोनिधानित योजनायें—

मूल 7,50.00

35.70

35.70

..

पुनर्वि0 -7,14.30

प्रावधान में ₹ 15.00 लाख की कमी भारत सरकार द्वारा धनराशि की सीमा कम किए जाने के कारण हुई। ₹ 6,99.30 लाख का अभ्यर्पण भारत सरकार से केन्द्रांश कम प्राप्त होने के कारण हुआ।

(viii) व्याधिक्य मुख्यतः निम्न के अधीन हुआ—

4403- i'kq ikyu ij iñthxr ifj0; ; &

101- पशु चिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य—

07- पशु सेवा केन्द्र/"द" श्रेणी पशु औषधालय

(जिला योजना)—

पुनर्वि0 6.16

6.16

6.16

..

प्रावधान में ₹ 6.16 लाख की वृद्धि काकुआ पशु चिकित्सालय के पुनर्निर्माण होने के कारण हुआ।

104- भेड़ तथा ऊन विकास—

01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र

द्वारा पुरोनिधानित योजनायें

पुनर्वि0 15.00

15.00

15.00

..

प्रावधान में ₹ 15.00 लाख की वृद्धि मुजफ्फरनगरीय भेड़ों के संवर्धन तथा संरक्षण हेतु धनराशि की आवश्यकता के कारण हुई।

**वृत्तिका 16: केंद्रिक वित्त वृत्तिका (ए) फंडिंग
के लिए/के लिए वित्त**

वर्ष: ' 2013	वृत्तिका ; क वित्त	वित्त ; ; ; ; ; ;	वित्त ; ; \$; ; ; ;
		<i>₹</i>	
2013- वित्त			
वित्त			
मूल	56,40,43	84,50,43	72,11,05
पूरक	28,10,00		
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2013)			-12,39,38
वित्त			
मूल	10	10	..
पूरक	..		
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2013)			12,35,92
2014- वित्त			
वित्त			
मूल	20,00,00	20,00,00	..
पूरक	..		
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2013)			-20,00,00
			20,00,00

(i) ₹ 12,39.38 लाख की अन्तिम बचत में से, मात्र ₹ 12,35.92 लाख की धनराशि अभ्यर्पण के लिए प्रत्याशित की जा सकी।

(ii) बचत (एक अन्य शीर्ष के अन्तर्गत व्ययाधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न के अधीन हुई :-

' kh"KZ	dy vupku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$
			cpr &
		¼ yk[k ₹ ea ½	

2404- Mj h fodkl &

001- निदेशन तथा प्रशासन-

03- सहकारी दुग्ध सप्लाई योजनायें-

मूल	20,24.43	}	17,95.12	17,95.12	..
पुनर्वि०	-2,29.31				

कुल ₹ 2,29.31 लाख का अभ्यर्पण आवश्यकता न होने के कारण हुआ।

102- डेरी विकास परियोजनायें-

01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-

मूल	4,66.00	}	2,69.95	2,69.95	..
पुनर्वि०	-1,96.05				

₹ 1,96.05 लाख का अभ्यर्पण भारत सरकार से वित्तीय स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण हुआ।

191- सहकारी समितियां तथा अन्य निकायों को सहायता-

01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-

मूल	10,00.00	}	1,90.24	1,90.24	..
पुनर्वि०	-8,09.76				

₹ 8,09.76 लाख का अभ्यर्पण भारत सरकार से वित्तीय स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण हुआ।

'kh"z

dy vupku

okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; \$

cpr &

¼ yk[k ₹ ea ½

04- जनपद आजमगढ़ के बूढ़नपुर क्षेत्र में

दुग्धशाला की स्थापना—

पूरक 75.00

पुनर्वि० -75.00

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 75.00 लाख की कमी दुग्धशाला की स्थापना हेतु भूमि की अनुपलब्धता के कारण हुई।

(iii) व्ययाधिक्य निम्न के अधीन हुआ :-

2404- Mjh fodkl &191- सहकारी समितियों तथा अन्य
निकायों को सहायता—

05- जनपद कन्नौज में

दुग्धशाला की स्थापना—

पूरक 75.00

पुनर्वि० 75.00

1,50.00

1,50.00

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 75.00 लाख की वृद्धि मा० मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अनुसार दुग्धशाला की स्थापना हेतु धनराशि की आवश्यकता के कारण हुई।

i wthxr&

nRrer&

(vii) बचत निम्न के अधीन हुई:-

6404- Mjh fodkl ds fy, dt&

102- डेरी विकास परियोजनायें—

05- मिल्क प्लान्ट की स्थापना हेतु

प्रादेशिक को-आपरेटिव डेरी

फेडरेशन को ऋण—

पूरक 20,00.00

पुनर्वि० -20,00.00

₹ 20,00.00 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

वृत्तिका 17 के अंतर्गत व्यय (एच) फॉर्म 1/4 एल; 1/2

एच; 'क'क
 व्यय वृत्तिका
 अंतर 0; ;
 व्यय/क 0; ; \$
 cpr &
 1/4 गतक एच

जतल

2405- एनयि क्यु

नरर

मूल 80,11,07
 पूरक ..

80,11,07 46,93,66 -33,17,41

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2013)

17,92,34

विवरण; का, वा वदक; &

जतल

नरर

(i) ₹ 33,17.41 लाख की अन्तिम बचत में से, मात्र ₹ 17,92.34 लाख की धनराशि अभ्यर्पित की गई।

(ii) बचत (व्याधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न के अधीन हुई :-

'क'क
 व्यय वृत्तिका
 अंतर 0; ;
 व्यय/क 0; ; \$
 cpr &
 1/4 गतक ₹ एच

2405- एनयि क्यु &

001- निदेशन तथा प्रशासन-

03- स्थापना-

मूल 7,69.59
 पुनर्वि 0 -98.95

6,70.64 6,65.78 -4.86

₹ 98.95 लाख का अभ्यर्पण मुख्यतः पदों के रिक्त रहने, वास्तविक आधार पर भुगतान, वाहनों के क्रय हेतु आंशिक स्वीकृति तथा मितव्ययिता के कारण हुआ।

109- विस्तार तथा प्रशिक्षण-

01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-

मूल 28.00
 पुनर्वि 0 -28.00

..

₹ 28.00 लाख का अभ्यर्पण भारत सरकार से धनराशि प्राप्त न होने के कारण हुआ।

'kh"z dgy vupku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; \$
cpr &
¼ yk[k ₹ ea ½

190- सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य
उपक्रमों को सहायता—

01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र
द्वारा पुरोनिधानित योजनायें—

मूल	27,92.02	14,77.42	6,80.64	-7,96.78
पुनर्वि०	-13,14.60			

₹ 13,14.60 लाख की कुल बचत में से, ₹ 8,82.12 लाख का अभ्यर्पण केन्द्रीय सहायता अवमुक्त न होने तथा भारत सरकार द्वारा विलम्ब से वित्तीय स्वीकृति अनुमोदित होने के कारण हुआ। ₹ 4,28.97 लाख का अभ्यर्पण कर्मचारियों को पांचवें/छठवें वेतन आयोग के तत्काल प्रभाव से लागू किये जाने के कारण अवशेषों के भुगतान न होने तथा मितव्ययिता के कारण हुआ। प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 3.51 लाख की कमी केन्द्रांश प्राप्त न होने कारण हुआ।

800- अन्य व्यय—

01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र
द्वारा पुरोनिधानित योजनायें—

मूल	8,33.85	7,89.11	62.24	-7,26.87
पुनर्वि०	-44.74			

₹ 44.74 लाख का अभ्यर्पण वित्तीय वर्ष के अंतर्गत समय कम होने के कारण व्यय की सम्भावना न हाने के कारण हुआ।

03- अनुसंधान—सामान्य—

मूल	32,23.97	29,24.84	29,27.88	+3.04
पुनर्वि०	-2,99.13			

₹ 2,99.13 लाख का अभ्यर्पण मुख्यतः पदों के रिक्त रहने तथा मितव्ययिता के कारण हुआ।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत/व्ययाधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2013)।

वृत्तिका संख्या 18 के अंतर्गत वृत्तिका (I) के फल (I) के अंतर्गत 1/2

वृत्तिका संख्या	वृत्तिका	वृत्तिका	वृत्तिका	वृत्तिका
2013-14	7,43,56,48	11,53,56,48	11,32,51,71	-21,04,77
2049-50	4,10,00,00			
2425-26				
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2013)				21,01,67
2013-14	5,17,28	5,24,24	5,23,68	-56
2049-50	6,96			
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2013)				56
2425-26				
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2013)				
2013-14	22,52,58	22,52,58	6,94,58	-15,58,00
2049-50	..			
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि				..
2425-26	10,32,82	10,32,82	9,66,57	-66,25
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2013)				66,24

वृत्तिका संख्या, वृत्तिका संख्या

वृत्तिका संख्या

वृत्तिका संख्या

- (i) ₹ 21,04.77 लाख की अन्तिम बचत में से, ₹ 21,01.67 लाख की धनराशि अभ्यर्पण के लिए प्रत्याशित की जा सकती।

- (ii) ₹ 21,04.77 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए, नवम्बर 2012 में प्राप्त किया गया ₹ 4,10,00.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।
- (iii) बचत (एक अन्य शीर्ष के अन्तर्गत लघु व्ययाधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न के अधीन हुई :-

'kh"lz	dy vupku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$
			cpr &
		¼ yk[k ₹ ea ½	

2425- I gdkfj rk&

800- अन्य व्यय-

04- एकीकृत विकास परियोजना
(एन0सी0डी0सी0 पोषित)-

मूल	8,12.64		2,66.64	2,66.64	..
पुनर्वि0	-5,46.00				

₹ 5,46.00 लाख का अभ्यर्पण राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम द्वारा बांदा, मुरादाबाद, बरेली, एटा तथा कांशीरामनगर जिले की परियोजनाओं को अनुमोदित न किए जाने के कारण हुआ।

05- रासायनिक उर्वरकों का अग्रिम

भण्डारण योजना-

मूल	1,00,00.00		86,40.44	86,40.44	..
पुनर्वि0	-13,59.56				

₹ 13,59.56 लाख का अभ्यर्पण उर्वरकों की लक्ष्य से कम बिक्री होने के कारण पविहन/भाड़े की मदों में बचत के कारण हुआ।

i wthxr&

nRrer&

- (iv) बचत मुख्यतः निम्न के अधीन हुई :-

4425- I gdkfjrk ij i wthxr ifj0; ; &

200- अन्य निवेश-

05- एकीकृत सहकारी विकास योजना के
अन्तर्गत सहकारी संस्थाओं में अंशपूजी
विनियोजन (एन0सी0डी0सी0 पोषित)-

मूल	12,71.36		3,31.36	3,31.36	..
पुनर्वि0	-9,40.00				

₹ 9,40.00 लाख का अभ्यर्पण राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम द्वारा बांदा, मुरादाबाद, कांशीरामनगर सहारनपुर, एटा, तथा बरेली जिले की परियोजनाओं को अनुमोदित न किए जाने के कारण हुआ।

'kh"KZ

dy vupku

okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; \$
cpr &

¼ yk[k ₹ ea ½

6425- l gdkfjrk ds fy, dt&

800- अन्य कर्ज-

04- एकीकृत सहकारी विकास योजना के
अर्न्तगत ऋण (एन0सी0डी0सी0 पोषित)-

मूल	9,81.22	}	3,63.22	3,63.22	..
पुनर्वि0	-6,18.00				

₹ 6,18.00 लाख का अभ्यर्पण आई0 सी0 डी0 पी0 द्वारा बांदा, मुरादाबाद, एटा, कांशीरामनगर सहारनपुर, तथा बरेली जिले की परियोजनाओं को अनुमोदित न किए जाने के कारण हुआ।

वृत्तिका 1 अ; क 19 अंकित फोहकx ¼ f'k{k.k rFkk vU; 0; ; ½

अ; 'kh"z द्य वृत्तिका अलरफद 0; ; vf/kd 0; ; +
cpr &

¼ g tkj ₹ ea ½

जक्तल &

2070- vU; iz kkl fud l ok; &

nRrer &

मूल	8,85,13
पूरक	..

8,85,13 4,65,04 -4,20,09

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2013)

4,20,09

i w thxr &

4070- vU; iz kkl fud l okvka ij i w thxr

i fj 0; ;

nRrer &

मूल	9,00,00
पूरक	..

9,00,00 .. -9,00,00

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2013)

9,00,00

fVli f.k; ka , oa VhdK; &

जक्तल &

nRrer &

(i) बचत मुख्यतः निम्न के अधीन हुई:-

'kh"z द्य वृत्तिका अलरफद 0; ; vf/kd 0; ; +
cpr &

¼ yk[k ₹ ea ½

2070- vU; iz kkl fud l ok; &

003- अन्य व्यय-

07- प्रशिक्षण समन्वय कोषक का गठन-

मूल	49.68
पुनर्वि०	-17.38

32.30 32.30 ..

₹ 17.38 लाख का अभ्यर्पण मुख्यतः पदों के रिक्त रहने, लघु बचत तथा मितव्ययिता के कारण हुआ।

vunqu l a[; k 2&vkokl foHkkx

ed[; 'kh"kl

dyv vunqu
; k
fofu; ksx

okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; \$
cpr&

(g tkj ₹ e)

jktLo&

2029- Hk&jktLo]

2070- vU; i z kkl fud l ok; j

2205- dyk , oa l dfr]

2217- 'kgjh fodkl rFkk

3475- vU; l keU; vkfFkd l ok; n

nRrer&

मूल 1,38,49,04

पूरक ..

1,38,49,04

1,14,98,21

-23,50,83

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2013)

23,63,91

i Hkkfjr&

मूल 3,65,88

पूरक ..

3,65,88

3,65,88

..

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि

..

i wthxr&

4059- ykd fuekZk dk; l ij i wthxr ifj0; ;]

4202- f'k{kk}[ksydin]dyk rFkk l dfr ij

i wthxr ifj0; ;]

4217- 'kgjh fodkl ij i wthxr ifj0; ;]

6003- jkT; l jdkj dk vkUrfjd __.k]

6216- vkokl ds fy; s __.k vkj

6217- 'kgjh fodkl ds fy; s dtl

nRrer&

मूल 4,78,76,24

पूरक ..

4,78,76,24

4,76,33,38

-2,42,86

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2013)

78,64

i Hkkfjr&

मूल 7,08,69

पूरक ..

7,08,69

7,08,69

..

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि

..

fVli f. k; ka , oa Vhdk; &
jktLo&
nRrer&

- (i) वास्तविक व्यय ₹ 1,14,98.21 लाख में वर्ष 2001-02 और 2003-04 के उच्चतम लेखों के समाशोधन के ₹ 7.04 लाख की धनराशि सम्मिलित है।
(ii) ₹ 23,50.83 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए ₹ 23,63.91 लाख का अभ्यर्पण न्याय संगत नहीं था तथा व्यय के त्रुटिपूर्ण अनुमान का द्योतक था।
(iii) बचत (अन्य शीर्षों के अन्तर्गत व्ययाधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न के अधीन हुई:-

'kh"kl	dy vupku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$
			cpr&
		(yk[k ₹ e)	

2070- vU; i' kkl fud l ok; &

800- अन्य व्यय-

03- विहित अधिकारियों का अधिष्ठान-

मूल	6,02.91	}	5,52.74	5,31.74	-21.00
पुनर्वि०	-50.17				

₹ 5,31.74 लाख के वास्तविक व्यय में 0.23 लाख वर्ष 2003-04 की उच्चतम लेखों के समाशोधन की धनराशि सम्मिलित है।

₹ 50.17 लाख का अभ्यर्पण पदों की रिक्तता व मितव्ययिता के कारण हुआ।

2205- dyk , oa l dfr&

800- अन्य व्यय-

06- अन्तरराष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान, उत्तर प्रदेश-

मूल	2,09.40	}	1,46.55	1,46.55	..
पुनर्वि०	-62.85				

प्रावधान में ₹ 62.85 लाख की शुद्ध बचत में से, पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 2.15 लाख की वृद्धि कम बजट आवंटन के कारण हुई तथा ₹ 65.00 लाख का अभ्यर्पण आवश्यकतानुसार व्यय होने के कारण हुआ।

2217- 'kgjh fodkl &

01- राज्य की राजधानी का विकास-

800- अन्य व्यय-

05- स्मारकों, संग्रहालयों, संस्थाओं, पार्कों व उपवनों आदि के प्रबन्धन, सुरक्षा एवं अनुरक्षण समिति के कार्मिकों के वेतन- भत्ते आदि-

मूल	95,00.00	}	74,86.91	74,86.91	..
पुनर्वि०	-20,13.09				

वास्तविक आवश्यकता के अनुसार व्यय के उपरान्त ₹ 20,13.09 लाख की प्रत्याशित बचत हुई।

'kh"kl
 diy vupku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; \$
 cpr&
 (yk[k ₹ e)

06- स्मारकों ,संग्रहालयों ,संस्थाओं ,पार्कों व उपवनों आदि
 का रख रखाव एवं सफाई—

मूल	1,00.00
पुनर्वि०	-1,00.00

..

स्मारकों, संग्रहालयों ,संस्थाओं, पार्कों व उपवनों के रख-रखाव हेतु निर्मित कोष से अर्जित ब्याज से रख-रखाव कार्य कर लिये जाने के कारण ₹ 1,00.00 लाख का अभ्यर्पण किया गया।

03- छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास—

001- निदेशन तथा प्रशासन—

06- नगर एवं ग्राम्य नियोजन अधिष्ठान —

मूल	21,16.54
पुनर्वि०	-70.45

20,46.09 20,44.41 -1.68

₹ 70.45 लाख का अभ्यर्पण,प्रशिक्षण हेतु स्टाफ नियुक्त न होने के कारण, व्यय की मदों की ग्रुपिंग शासन से स्वीकृति प्राप्त होने तथा मितव्ययिता के कारण हुआ।

(iv) व्ययाधिक्य निम्न के अधीन हुआ:—

2029- Hk&jktLo]

001- निदेशन एवं प्रशासन—

03- कलेक्टरों के कार्यालय (नजूल)—

मूल	74.90
पुनर्वि०	-2.15

72.75 1,07.53 +34.78

वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 के उचन्त लेखे के समाशोधन के ₹ 5.78 लाख की धनराशि सम्मिलित है।

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 2.15 लाख की कमी व्यय हेतु मांग न होने के कारण हुई।

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत व्ययाधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2013)।

lkut hxr&

nRrer&

(v) ₹ 2,42.86 लाख की अन्तिम बचत में से ,मात्र ₹ 78.64 लाख की धनराशि अभ्यर्पण के लिए प्रत्याशित की जा सकी।

(vi) बचत (अन्य शीर्षों के अन्तर्गत व्ययाधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न के अधीन हुई—

'kh"kl	dy vupku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$
			cpr&
		(yk[k ₹ e)	

4217- 'kgjh fodkl ij iwthxr ifj0; ; &

01- राज्य की राजधानी का विकास—

051- निर्माण—

05- गोमती नदी के दायें तटबंध से लामार्टीनियर तक भूमि का अधिग्रहण एवं विकास—

मूल	5,00.00	}			
पुनर्वि०	-5,00.00		

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 5,00.00 लाख की कमी व्यय में कमी के कारण हुई ।

07- अन्तराष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान उत्तर प्रदेश का भवन निर्माण—

मूल	2,50.00	}			
पुनर्वि०	-78.64			1,71.36	1,71.36

आवश्यकतानुसार व्यय होने के कारण ₹ 78.64 लाख का अम्यर्पण किया गया ।

(vii) बचत मुख्यतः निम्न के अधीन हुई—

4217- 'kgjh fodkl ij iwthxr ifj0; ; &

01- राज्य की राजधानी का विकास—

051- निर्माण—

03- लखनऊ नगर का समग्र विकास—

मूल	1,00,00.00	}			
पुनर्वि०	5,00.00			1,05,00.00	1,05,00.00

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 5,00.00 लाख की वृद्धि वास्तविक व्यय की तुलना में कम बजट आवंटन के कारण हुई ।

वृत्तिका I अ; क 20 & दफ्तर फोर्क 1/4 यक I षक व; क 1/2

वृत्तिका 'क'क	वृत्तिका ; क फोर्क; क	दफ्तर 0; ; % गतक ₹ १/२	वृत्तिका 0; ; + कप्र &
<p>जक्तल & 2051- यक I षक व; क नरर &</p>			
मूल	1,88,47	1,88,47	1,88,18
पूरक	..		-29
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2013)			29
<p>इक्कज र & मूल</p>			
	30,88,00	30,88,00	30,87,99
पूरक	..		-1
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2013)			16
<p>इत्तर & 4059- यक फेकक क; लीज इत्तर इज 0; ;</p>			
<p>इक्कज र &</p>			
मूल	5,00	5,00	5,00
पूरक
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि			..

व्यय का विवरण 2011-12 का अंतिम विवरण

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2013)

व्यय का विवरण
; क
व्यय का विवरण

अनुमानित व्यय ;

अनुमानित व्यय ; +
अनुमानित व्यय &

₹ लाखों में

व्यय का विवरण

2075- व्यय का विवरण ;

3456- व्यय का विवरण ;

3475- व्यय का विवरण ;

व्यय का विवरण

मूल	72,58,34	}
पूरक	..	

72,58,34	61,50,53	-11,07,81
----------	----------	-----------

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2013)

11,11,12

व्यय का विवरण

4059- व्यय का विवरण ;

4408- व्यय का विवरण ;

व्यय का विवरण ;

6003- व्यय का विवरण ;

व्यय का विवरण

मूल	87,96,20,94	}
पूरक	8,47,91,63	

96,44,12,57	86,04,63,45	-10,39,49,12
-------------	-------------	--------------

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2013)

9,91,45,21

व्यय का विवरण

मूल	8,77,65,36	}
पूरक	40,03,24	

9,17,68,60	9,16,07,77	-1,60,83
------------	------------	----------

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2013)

1,65,14

व्यय का विवरण ;

व्यय का विवरण

व्यय का विवरण

- (i) वास्तविक व्यय में उच्चतम लेख के समाशोधन के वर्ष 2001-02, 2003-04, तथा 2004-05, के ₹ 2.65 लाख सम्मिलित हैं। ₹ 11,10.46 लाख (₹ 11,07.81 लाख + ₹ 2.65 लाख) की अन्तिम बचत में से, ₹ 11,11.12 लाख का अभ्यर्पण न्याय संगत नहीं था तथा व्यय के त्रुटिपूर्ण अनुमान का द्योतक था।

(ii) व्ययाधिक्य (एक शीर्ष के अन्तर्गत लघु बचत द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) निम्न के अधीन हुआ:-

'kh"KZ	dy vupku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; +	
			cpr &	
				¼ yk/k ₹ ea ½

3456- fl foy i fr&

001- निदेशन तथा प्रशासन-

06- उपभोक्ता संरक्षण के अन्तर्गत स्थापित राज्य
आयोग तथा जिला फोरमों का अधिष्ठान-

मूल	39,38.99	}	28,12.10	28,12.45	+0.35
पुनर्वि०	-11,26.89				

वास्तविक व्यय में ₹ 2.65 लाख उचन्त लेखे के समाशोधन के वर्ष 2001-02, 2003-04, तथा 2004-05 के सम्मिलित हैं।

प्रावधान में ₹ 11,26.89 लाख की कुल कमी में से, ₹ 1,28.09 लाख का अभ्यर्पण पदों के रिक्त रहने तथा स्थापना के बाद दो अतिरिक्त न्यायालय के कार्य न करने के कारण हुआ। ₹ 9,11.57 लाख का अभ्यर्पण तथा प्रावधान में ₹ 87.23 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

(iii) व्ययाधिक्य निम्न के अधीन हुआ:-

2075- fofo/k l kekl; l ok; &

800- अन्य व्यय-

03- उत्तर प्रदेश राज्य कर्माचारी कल्याण निगम
को अनुदान-

मूल	39.60	}	44.57	44.57	..
पुनर्वि०	4.97				

प्रावधान में ₹ 4.97 लाख की शुद्ध वृद्धि में से, प्रावधान में ₹ 5.00 लाख की वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं तथा ₹ 0.03 लाख का अभ्यर्पण पदों के रिक्त रहने के कारण हुआ।

04- उत्तर प्रदेश सचिवालय खान-पान
निगम-

मूल	8,65.52	}	8,76.30	8,76.30	..
पुनर्वि०	10.78				

प्रावधान में ₹ 10.78 लाख की वृद्धि के कोई कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

3475- vl; l kekl; vkfFkd l ok; &

106- भार और माप का विनियमन-

03- अधिष्ठान व्यय-

मूल	24,14.23	}	24,14.25	24,17.22	+2.97
पुनर्वि०	0.02				

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम व्ययाधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2013)।

in the
of

- (iv) वास्तविक व्यय में ₹ 5,97.02 लाख उच्च लेखों के समाशोधन के वर्ष 2001-02, 2002-03, 2003-04, 2004-05, 2005-06, 2006-07, 2007-08, 2008-09, 2009-10 तथा 2010-11 के सम्मिलित हैं।
₹ 10,45,46.14 लाख (₹ 10,39,49.12 लाख + ₹ 5,97.02 लाख) की अन्तिम बचत को देखते हुए, मात्र ₹ 9,91,45.21 लाख की धनराशि समर्पण के लिये प्रत्याशित की जा सकी।
- (v) ₹ 10,45,46.14 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए, नवम्बर 2012 में प्राप्त किया गया ₹ 8,47,91.63 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (vi) बचत (अन्य शीर्षों के अन्तर्गत व्याधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न के अधीन हुई:-

'k'k

dy vuk

okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; +
cpr &

½ yk/k ₹ ea ½

4059- ykd fuekZk dk; Z ij in the ifj0; ; &

60- अन्य भवन-

051- निर्माण-

04- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-

मूल	5,93.00	}	1,00.10	1,00.10	..
पुनर्वि०	-4,92.90				

प्रावधान में ₹ 4,92.90 लाख की कमी निःशुल्क भूमि विलम्ब से उपलब्ध होने तथा कय की गई भूमि के विलेख हस्तान्तरित न होने के कारण हुई।

4408- [kk | Hk. Mkj .k rFkk Hkk. Mkxkj

ij in the ifj0; ; &

01- खाद्य-

001- निदेशन तथा प्रशासन-

03- अधिष्ठान व्यय-

मूल	1,64,24.73	}	1,35,06.05	1,60,45.95	+25,39.90
पुनर्वि०	-29,18.68				

वास्तविक व्यय में ₹ 1,46.98 लाख उच्च लेखों के समाशोधन के वर्ष 2001-02, 2002-03, 2003-04, 2004-05, 2005-06, 2006-07, 2007-08 तथा 2008-09 के सम्मिलित हैं।

₹ 29,18.68 लाख का अभ्यर्पण पदों के रिक्त रहने, निधि का उपयोग न होने तथा मितव्ययिता के कारण हुआ।

' kh"KZ

dy vupku

okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; +
cpr &

¼ yk[k ₹ ea ½

101- अधिप्राप्ति तथा पूर्ति—

03- अन्न पूर्ति योजना—

मूल	81,62,28.70	}	81,43,84.56	80,98,69.66	-45,14.90
पूरक	8,47,91.63				
पुनर्वि०	-8,66,35.77				

वास्तविक व्यय में ₹ 4,50.04 लाख उचन्त लेखे के समाशोधन के वर्ष 2001-02, 2002-03, 2003-04, 2005-06, 2009-10, तथा 2010-11 के सम्मिलित हैं।

₹ 8,66,35.77 लाख का अभ्यर्पण रबी उत्पाद 2013-14 के लिए बोरों की व्यवस्था हेतु अग्रिम धनराशि का भुगतान न होने के कारण हुआ।

800- अन्य व्यय—

03- खाण्डसारी शक्कर योजना—

मूल	4,60,00.00	}	3,65,37.35	3,37,08.44	-28,28.91
पुनर्वि०	-94,62.65				

प्रावधान में ₹ 94,62.65 लाख की कुल कमी में से, ₹ 90,97.57 लाख का अभ्यर्पण चीनी मिलों द्वारा कम मात्रा में चीनी उपलब्ध कराने तथा प्रावधान में ₹ 3,65.08 लाख की कमी मितव्ययिता के कारण हुई। उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम व्ययाधिक्य/बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2013)।

(vii) व्ययाधिक्य निम्न के अधीन हुआ:—

4059- ykd fuekLk dk; Lij iwtHxr ifj0; ; &

60- अन्य भवन—

051- निर्माण—

05- जनपद कुशीनगर में खाद्य विभाग के लिए गोदाम का निर्माण

69.61 4,34.69 +3,65.08

06- चन्दौली, मिर्जापुर तथा सोनभद्र के नक्सल प्रभावित जिलों में गोदामों का निर्माण—

पुनर्वि० 3,65.08 3,65.08 .. -3,65.08

प्रावधान में ₹ 3,65.08 लाख की वृद्धि के कोई कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम व्ययाधिक्य/बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2013)।

विशेष विवरण

- (viii) ₹ 1,60.83 लाख की अन्तिम बचत में से, ₹ 1,65.14 लाख का अभ्यर्पण न्याय संगत नहीं था तथा व्यय के त्रुटिपूर्ण अनुमान का द्योतक था।
- (ix) ₹ 1,60.83 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए, नवम्बर 2012 में प्राप्त किया गया ₹ 40,03.24 लाख का अनुपूरक अनुदान अधिक सिद्ध हुआ।
- (x) बचत निम्न के अधीन हुई:-

'क'क	द्वि फो; क	कलरफो 0; ;	व/क 0; ; +
			cpr &
			1/2 य/क ₹ 1/2

4408- [क | क.क.क रक क.क.क ij i w t h x r i f j 0 ; ; &

01- खाद्य-

800- अन्य व्यय-

05- भारतीय स्टेट बैंक तथा अन्य बैंकों से खाद्यान्नों के क्रय हेतु लिये गये ऋणों पर ब्याज-

मूल	1,27,61.36				
पूरक	40,03.24		1,66,03.22	1,66,07.77	+4.55
पुनर्वि०	-1,61.38				

₹ 1,61.38 लाख का अभ्यर्पण भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ब्याज दर में कमी किये जाने तथा ससमय ब्याज का भुगतान करने के कारण हुआ।

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम व्याधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2013)।

वृत्तिका 1 अंक 22 & [क्या फोहक]

एक; 'क'क

द्वय वृत्तिका

अल्प 0; ;

वर्ष/क 0; ; +
cpr &

॥ गतक ₹ ६॥

जक्तल

2013- एक = इज "कन

2059- यकद फुकक रक

2204- [क्यदन रक ; क ल क;]

नरर

मूल	48,64,91	}
पूरक	..	

48,64,91 45,75,14 -2,89,77

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2013)

2,94,73

इत्तर

4059- यकद फुकक क; ल इज इत्तर

इज 0; ; रक

4202- फ'क [क्यदन] द्यक रक ल द्र

इज इत्तर इज 0; ;

नरर

मूल	56,45,45	}
पूरक	33,44,64	

89,90,09 89,90,06 -3

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2013)

3

वर्षीय क, का, वा वक; &

जक्तल

नरर

(i) वास्तविक व्यय में उचन्त लेखे के समाशोधन के वर्ष 2001-02, 2002-03, 2003-04, 2004-05, 2005-06, 2007-08, 2010-11 तथा 2011-12 के ₹ 7.89 लाख सम्मिलित हैं।

₹ 2,97.66 लाख (₹ 2,89.77 लाख + ₹ 7.89 लाख) की अन्तिम बचत में से, मात्र ₹ 2,94.73 लाख समर्पण किये जा सके।

- (ii) बचत (अन्य शीर्षों के अन्तर्गत व्ययाधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न के अधीन हुईः
' kh"lZ dgy vupku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; + cpr &

¼ yk[k ₹ ea ½

2204- [ksydin rFkk ; pk l ok; &

001- निदेशन एवं प्रशासन—

03- खेलकूद निदेशालय—

मूल	21,23.70]	20,63.36	20,67.88	+4.52
पुनर्वि०	-60.34				

वास्तविक व्यय में ₹ 5.79 लाख उचन्त लेखे के समाशोधन के वर्ष 2001-02, 2003-04, 2004-05, 2007-08 तथा 2010-11 के सम्मिलित हैं।

₹ 60.34 लाख का समर्पण मुख्यतः वास्तविक आवश्यकता के आधार पर हुआ।

104- खेलकूद—

04- क्रीड़ा छात्रावास के आवासीय

खिलाड़ियों पर व्यय (बालिकाओं हेतु)—

मूल	56.80]	41.28	41.28	..
पुनर्वि०	-15.52				

₹ 15.52 लाख का समर्पण विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में कन्या विद्यार्थियों के भाग लेने के कारण हुआ।

05- भूतपूर्व प्रसिद्ध खिलाड़ियों तथा पहलवानों को वित्तीय सहायता—

मूल	30.00]	22.56	22.41	-0.15
पुनर्वि०	-7.44				

₹ 7.44 लाख का समर्पण मानक की तुलना में आय सीमा ज्यादा होने तथा खिलाड़ियों की मृत्यु के कारण हुआ।

06- क्रीड़ा छात्रावास के आवासीय

खिलाड़ियों पर व्यय (बालकों हेतु)—

मूल	3,28.95]	2,74.26	2,75.97	+1.71
पुनर्वि०	-54.69				

वास्तविक व्यय में ₹ 1.78 लाख उचन्त लेखे के समाशोधन के वर्ष 2001-02, 2002-03, 2005-06 तथा 2011-12 के सम्मिलित हैं।

₹ 54.69 लाख का समर्पण विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में विद्यार्थियों के भाग लेने के कारण हुआ।

10- विशिष्ट खिलाड़ियों को प्रदेशीय पुरस्कार—

मूल	6.00]
पुनर्वि०	-6.00				

प्रावधान में ₹ 6.00 लाख की कमी लक्ष्मण तथा रानी लक्ष्मी बाई पुरस्कार न देने के कारण हुई।

' kh"KZ dly vupku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; +
cpr &
¼ yk[k ₹ ea ½

11- क्रीड़ा/खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन (राज्य सेक्टर)–

मूल	2,70.00] 2,37.26	2,37.45	+0.19
पुनर्वि०	-32.74			

₹ 32.74 लाख का समर्पण मुख्यतः वास्तविक आवश्यकता के आधार पर हुआ।

12- खेलकूद उपकरण सामग्री की सम्पूर्ति–

मूल	90.00] 79.85	79.84	-0.01
पुनर्वि०	-10.15			

प्रावधान में ₹ 10.15 लाख की कुल कमी में से, प्रावधान में ₹ 10.00 लाख की कमी तथा ₹ 0.15 लाख का समर्पण वास्तविक आवश्यकता के आधार पर हुआ।

18- प्रशिक्षण (राज्य सेक्टर)–

मूल	3,50.00] 3,19.92	3,19.40	-0.52
पुनर्वि०	-30.08			

प्रावधान में ₹ 30.08 लाख की कमी के कोई विशेष कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

23- स्पोर्ट्स कालेज को अनुदान–

मूल	7,97.90] 7,20.21	7,20.21	..
पुनर्वि०	-77.69			

₹ 77.69 लाख का समर्पण वास्तविक भुगतान के आधार पर हुआ।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत/व्ययाधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2013)।

(iii) व्ययाधिक्य मुख्यतः निम्न के अधीन हुआ:–

2204- [ksydin rFkk ; pk l ok; &

104- खेलकूद–

35- सैयद मोदी मेमोरियल आल इण्डिया प्राइजमनी बैडमिन्टन कम्पटीशन हेतु सहायता–

मूल	5.00] 25.00	25.00	..
पुनर्वि०	20.00			

प्रावधान में ₹ 20.00 लाख की वृद्धि सैयद मोदी मेमोरियल आल इण्डिया प्राइजमनी बैडमिन्टन कम्पटीशन की पुरस्कार धनराशि में वृद्धि के कारण हुई।

i thxr &
nRrer &

- (iv) बचत (अन्य शीर्षों के अन्तर्गत व्ययाधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न के अधीन हुईः
' kh" kZ dgy vupku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; + cpr &

kyk[k ₹ est

4202- f' k{kk} [ksydw] dyk rFkk l dfr
ij i thxr ifj0; ; &

03- खेलकूद तथा युवा सेवा—

800- अन्य व्यय—

48- जनपद कन्नौज क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण—

पूरक	1,00.00	}
पुनर्वि०	-1,00.00	

प्रावधान में ₹ 1,00.00 लाख की कमी व्यय न होने के कारण हुई।

53- जनपद देवरिया में भाटपार मल्हना—मल्हनी में स्टेडियम का निर्माण—

पूरक	50.00	}
पुनर्वि०	-50.00	

प्रावधान में ₹ 50.00 लाख की कमी व्यय न होने के कारण हुई।

77- रामपुर में एस्ट्रोर्टर्फ हाकी मैदान की पुनर्स्थापना—

मूल	2,16.00	}
पुनर्वि०	-2,16.00	

प्रावधान में ₹ 2,16.00 लाख की कमी प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुई।

83- जनपद चन्दौली में स्पोर्ट्स स्टेडियम का निर्माण—

मूल	15.00	}
पुनर्वि०	-15.00	

प्रावधान में ₹ 15.00 लाख की कमी व्यय न होने के कारण हुई।

84- जनपद औरैया में स्पोर्ट्स स्टेडियम का निर्माण—

मूल	15.00	}
पुनर्वि०	-15.00	

प्रावधान में ₹ 15.00 लाख की कमी व्यय न होने के कारण हुई।

85- जनपद ज्योतिबाफूले नगर में स्पोर्ट्स स्टेडियम का निर्माण—

मूल	13.00	}
पुनर्वि०	-13.00	

प्रावधान में ₹ 13.00 लाख की कमी व्यय न होने के कारण हुई।

(v) व्याधिव्य मुख्यतः निम्न के अधीन हुआ:-

'kh"KZ

dy vupku

okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; +

cpr &

kyk[k ₹ est

4202- f' k{kk} [ksydin] dyk rFkk l dfr

ij iathxr ifj0; ; &

03- खेलकूद तथा युवा सेवा-

800- अन्य व्यय-

26- जनपद फैजाबाद में अन्तर्राष्ट्रीय क्रीड़ा संकुल का निर्माण-

मूल	2,50.00			
पूरक	2,00.00	5,00.00	5,00.00	..
पुनर्वि०	50.00			

प्रावधान में ₹ 50.00 लाख की वृद्धि कार्य पूरा करने के लिये निधि की अतिरिक्त आवश्यकता के कारण हुई।

49- जनपद रामपुर में स्पोर्ट्स काम्पलेक्स का निर्माण-

मूल	1,00.00			
पुनर्वि०	2,16.00	3,16.00	3,16.00	..

प्रावधान में ₹ 2,16.00 लाख की वृद्धि कार्य पूरा करने के लिये निधि की अतिरिक्त आवश्यकता के कारण हुई।

86- सैफर्ड में स्टेडियमों का निर्माण-

मूल	10,00.00			
पूरक	25,00.00	36,56.34	36,56.34	..
पुनर्वि०	1,56.34			

प्रावधान में ₹ 1,56.34 लाख की वृद्धि व्यय समिति द्वारा लागत में संशोधन होने के कारण हुई।

vupku l a[; k 23& xlluk fodkl foHkkx ¼ xlluk ½

ed[; 'kh"l	dy vupku ; k fofu; kx	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; + cpr -
jktLo&		¼ g tkj ₹ ea ½	
2401- Ql y d f" k del			
nRrer&			
मूल	1,41,34,50	1,41,34,50	1,16,80,57
पूरक	..		
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2013)			-24,53,93
i Hkkfjr&			
मूल	1,50	1,50	46
पूरक	..		
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2013)			-1,04
i wthxr&			
5054- l Mdka rFkk l r qka ij i wthxr ifj0; ; rFkk			
6425- l g d k f j r k d s f y , d t l			
nRrer&			
मूल	40,00,00	56,00,90	56,00,90
पूरक	16,00,90		
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2013)			..
fVli f. k; ka , oa Vhdk; &			
jktLo&			
nRrer&			

(i) ₹ 24,53.93 लाख की अन्तिम बचत में से, मात्र ₹ 22,72.44 लाख की धनराशि समर्पण के लिये प्रत्याशित की जा सकी।

(ii) बचत (व्ययाधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न के अधीन हुई—

'kh"l	dy vupku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; + cpr &
-------	----------	--------------	-----------------------

¼ yk[k ₹ ea ½

2401- Ql y d f" k de&

001- निदेशन एवं प्रशासन—

03- गन्ना आयुक्त का अधिष्ठान—

मूल	8,40.68	6,85.50	6,85.87	+0.37
पुनर्वि०	-1,55.18			

₹ 1,55.18 लाख का समर्पण मुख्यतः सेवानिवृत्ति, पदों के रिक्त रहने, देयकों तथा दावों के न प्राप्त होने तथा मितव्ययिता के कारण हुआ।

' kh"kl dy vupku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; +
cpr &
% yk[k ₹ ea½

04- क्षेत्रीय कार्यालय-				
मूल	30.25] 22.78	22.33	-0.45
पुनर्वि०	-7.47			

₹ 7.47 लाख का समर्पण मुख्यतः आवश्यकता न होने तथा मितव्ययिता के कारण हुआ।

108- वाणिज्यिक फसलें-

03- गन्ना आयुक्त (पर्यवेक्षक कर्मचारी वर्ग)-				
मूल	63,75.25] 55,20.51	54,61.06	-59.45
पुनर्वि०	-8,54.74			

₹ 8,54.74 लाख का समर्पण मुख्यतः सेवानिवृत्ति, मांग न होने तथा आवश्यकता न होने के कारण हुआ।

04- गन्ने की खेती का विकास तथा उसका
प्रगाढ़ीकरण-

मूल	63,13.48] 50,68.90	49,46.81	-1,22.09
पुनर्वि०	-12,44.58			

₹ 12,44.58 लाख का समर्पण मुख्यतः सेवानिवृत्ति, मांग न होने तथा आवश्यकता न होने के कारण हुआ।
उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत/व्ययाधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2013)।

i wthxr&

(iii) बचत (व्ययाधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित)निम्न के अधीन हुई:-

5054- l Melka rFkk l rpkaij i wthxr ifj0; ; &

04- जिला तथा अन्य सड़कें-

337- सड़क निर्माण कार्य-

03- कृषि विपणन सुविधाओं के लिए अन्तर्ग्रामीण
सड़कों का निर्माण (जिला योजना)-

मूल	40,00.00] 39,65.06	40,00.00	+34.94
पुनर्वि०	-34.94			

₹ 34.94 लाख का समर्पण सड़क का निर्माण न होने के कारण हुआ।

6425- l gdkfjrk ds fy, dt&

108- अन्य सहकारी समितियों को कर्ज-

03- गन्ना समितियों को कर्ज-

पूरक	16,00.90] 15,56.44	16,00.90	+44.46
पुनर्वि०	-44.46			

₹ 44.46 लाख का समर्पण व्यय न होने के कारण हुआ।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम व्ययाधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2013)।

व्यय की विवरण 24 & अनुसूची में प्रस्तुत व्यय का विवरण

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2013)

मूल	49,02,34	49,02,34	45,12,33	-3,90,01
पूरक	..			
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2013)				3,91,68

2401- विद्युत

2852- म | क

न

मूल

49,02,34

49,02,34

45,12,33

-3,90,01

पूरक

..

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2013)

3,91,68

6860- मि

न

मूल

4,20,00,00

4,20,00,00

4,20,00,00

..

पूरक

..

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि

..

2852- म | क

न

मूल

12,02,34

9,51.74

9,53.70

+1.96

पुनर्वि

-2,50.60

वास्तविक व्यय में उचन्त लेखे के समाशोधन के वर्ष 2001-02 तथा 2006-07 के ₹ 0.31 लाख सम्मिलित हैं।

(i) वास्तविक व्यय में उचन्त लेखे के समाशोधन के वर्ष 2001-02 तथा 2006-07 के ₹ 0.31 लाख सम्मिलित हैं।

₹ 3,90.32 लाख (₹ 3,90.01 लाख+₹ 0.31 लाख) की अन्तिम बचत के विरुद्ध, ₹ 3,91.68 लाख का अभ्यर्पण न्याय संगत नहीं था तथा व्यय के त्रुटिपूर्ण अनुमान का द्योतक था।

(ii) बचत (लघु व्ययाधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न के अधीन हुई:-

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि

मूल

9,51.74

9,53.70

+1.96

2852- म | क

08- उपभोक्ता उद्योग-

001- निदेशन तथा प्रशासन-

03- चीनी आयुक्त का अधिष्ठान-

मूल

12,02,34

9,51.74

9,53.70

+1.96

पुनर्वि

-2,50.60

वास्तविक व्यय में उचन्त लेखे के समाशोधन के वर्ष 2001-02 तथा 2006-07 के ₹ 0.31 लाख सम्मिलित हैं।

' kh"KZ

dy vupku

okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; +

cpr -

¼ yk[k ₹ ea ½

₹ 2,50.60 लाख का अभ्यर्पण मुख्यतः पदों के रिक्त रहने, आवश्यकता न होने तथा मितव्ययिता के कारण हुआ।

201- चीनी-

03- उ0प्र0 के शक्कर फैक्टरियों की पुनः स्थापना

आधुनिकीकरण तथा स्थापना निधि के

अनुरक्षण तथा प्रवर्तन के लिये उ0प्र0

शक्कर विशेष समिति को भुगतान-

मूल 8,88.00

8,74.67

8,74.68

+0.01

पुनर्वि0 -13.33

₹ 13.33 लाख का अभ्यर्पण गन्ना शोध परिषद शाहजहापुर में शताब्दी समारोह न होने कारण हुआ।

04- उ0प्र0 के अभाव ग्रस्त शक्कर फैक्टरियों को

गन्ने के मूल्य का भुगतान करने हेतु ऋण

सहायता निधि के अनुरक्षण तथा प्रवर्तन के

लिए उ0प्र0 शक्कर विशेष निधि समिति को

भुगतान-

मूल 11,10.00

10,34.42

10,32.58

-1.84

पुनर्वि0 -75.58

₹ 75.58 लाख का अभ्यर्पण मुख्यतः सेवानिवृत्त कार्मिकों को सेवानिवृत्ति लाभ के भुगतान न होने, आडिटोरियम की वीडियो कान्फ्रेंसिंग इकाइयों को बदलने का प्रस्ताव निरस्त करने तथा मितव्ययिता के कारण हुआ।

05- उ0प्र0 कल्याण निधि के अनुरक्षण

तथा प्रवर्तन के लिए विशेष शक्कर

समिति उ0प्र0को भुगतान-

मूल 3,70.00

3,17.83

3,19.36

+1.53

पुनर्वि0 -52.17

₹ 52.17 लाख का अभ्यर्पण मुख्यतः सेवानिवृत्त स्टाफ को नकदीकरण और ग्रेच्युटी का भुगतान न होने, आवश्यकता न होने, मितव्ययिता तथा यथोचित मांग के अभाव में धनराशि अवमुक्त न होने के कारण हुआ।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम व्ययाधिक्य/बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2013)।

वृत्तिका I अ; क 25 & खग फोहकख ¼ दकजकख ½

ए; 'क"क

दय वृत्तिका
; क
फो; कख

कलरफद 0; ;

व/कद 0; ; +
cpr &

¼ गतक ₹ ए ½

कतल&

2056- तय

नरर&

मूल 3,85,96,00

पूरक ..

3,85,96,00

3,85,81,02

-14,98

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि

..

ककफर&

मूल 10,00

पूरक ..

10,00

11

-9,89

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि

..

कथर&

4059- यकद फुकक क कथर क; ;]

4070- व; ककल फुद ककक क कथर

क; ; रक

4216- ककल क कथर क; ;

नरर&

मूल 1,30,10,31

पूरक ..

1,30,10,31

1,29,10,59

-99,72

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि

..

ककक; क, क वक; &

कतल&

नरर&

(i) वास्तविक व्यय में ₹ 2.82 लाख उचन्त लेखे के समाशोधन के वर्ष 2002-03, 2005-06 तथा 2009-10 के सम्मिलित हैं।

₹ 17.80 लाख (₹ 14.98 लाख+ ₹ 2.82 लाख) की अन्तिम बचत के विरुद्ध, कोई भी धनराशि समर्पण के लिये प्रत्याशित नहीं की जा सकी।

(ii) बचत (अन्य शीर्षों के अन्तर्गत व्ययाधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न के अधीन हुई:-

	द्वारा व्यय	अनुमानित 0; ;	वर्ष 0; ; +	
'क'क	द्वारा व्यय	अनुमानित 0; ;	वर्ष 0; ; +	cpr &
				₹ e

2056- त्र

001- निदेशन तथा प्रशासन-

03- मुख्य-

मूल	9,57.41				
पुनर्वि०	-1,10.56		8,46.85	8,38.23	-8.62

वास्तविक व्यय में ₹ 1.17 लाख उचन्त लेखे के समाशोधन के वर्ष 2005-06 के सम्मिलित हैं।

₹ 1,10.56 लाख की कुल प्रत्याशित बचत में से, प्रावधान में ₹ 1,27.66 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं तथा प्रावधान में ₹ 17.10 लाख की वृद्धि अतिरिक्त आवश्यकता होने के कारण हुई।

800- अन्य व्यय-

03- कारागार प्रशिक्षण विद्यालय-

मूल	1,79.67				
पुनर्वि०	-21.81		1,57.86	1,59.23	+1.37

प्रावधान में ₹ 21.81 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत बचत/अन्तिम व्ययाधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2013)।

(iii) व्ययाधिक्य मुख्यतः निम्न के अधीन हुआ:-

2056- त्र

101- जेलें-

03- समस्त कारागार-

मूल	3,69,25.56				
पुनर्वि०	1,29.47		3,70,55.03	3,70,51.08	-3.95

वास्तविक व्यय में ₹ 1.64 लाख उचन्त लेखे के समाशोधन के वर्ष 2002-03 तथा 2003-04 के सम्मिलित हैं।

प्रावधान में ₹ 1,29.47 लाख की शुद्ध वृद्धि में से, ₹ 14.10 लाख की कमी के कोई कारण सूचित नहीं किये गये हैं तथा प्रावधान में ₹ 1,43.57 लाख की वृद्धि अतिरिक्त आवश्यकता होने के कारण हुई।

800- अन्य व्यय-

03- जनोपयोगी योजनाओं द्वारा बन्दियों का पुनर्वासन-

मूल	86.83				
पुनर्वि०	2.90		89.73	89.60	-0.13

प्रावधान में ₹ 2.90 लाख की वृद्धि अतिरिक्त आवश्यकता होने के कारण हुई।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2013)।

i Hkkfjr&

- (iv) ₹ 9.89 लाख की अन्तिम बचत में से, कोई भी धनराशि समर्पण के लिए प्रत्याशित नहीं की जा सकी।
 (v) बचत निम्न के अधीन हुई:-

'kh"kl	dly fofu; ksx	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; + cpr &
			¼ yk[k ₹ ea ½

2056- tsy&

001- निदेशन तथा प्रशासन-

03- मुख्य	10.00	0.11	-9.89
-----------	-------	------	-------

उपरोक्त शीर्ष के अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2013)।

i thxr&

nRrer&

- (vi) ₹ 99.72 लाख की अन्तिम बचत में से, कोई भी धनराशि समर्पण के लिए प्रत्याशित नहीं की जा सकी।
 (vii) बचत (अन्य शीर्षों के अन्तर्गत व्ययाधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न के अधीन हुई:-

'kh"kl	dly vupku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; + cpr &
			¼ yk[k ₹ ea ½

4059- ykd fuekZk ij i thxr ifj0; ; &

80- सामान्य-

051- निर्माण-

04- कारागारों में जलपूर्ति एव स्वच्छता
में सुधार

8,00.00	7,60.86	-39.14
---------	---------	--------

4070- vl; izkkl fud l okvka ij i thxr ifj0; ; &

800- अन्य व्यय-

08- कारागारों का निर्माण-

मूल	1,00,00.00	58,78.36	58,77.92	-0.44
पुनर्वि०	-41,21.64			

प्रावधान में ₹ 41,21.64 लाख की कमी प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुई।

4216- vkokl ij i thxr ifj0; ; &

01- सरकारी रिहायशी भवन-

700- अन्य आवास-

03- कारागार स्टाफ के लिए आवासों का
निर्माण

10,00.00	9,41.78	-58.22
----------	---------	--------

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2013)।

(viii) व्ययाधिक्य निम्न के अधीन हुआ:-

'kh"KZ

dqy vupku

okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; +
cpr &

¼ yk[k ₹ ea ½

4059- ykd fuekZk ij iathxr ifj0; ; &

80- सामान्य-

051- निर्माण-

03- कारागारों का उच्चीकरण, नवीनीकरण एवं
जीर्णोद्धार-

मूल	10,00.00	}	50,17.28	50,17.28	..
पुनर्वि०	40,17.28				

प्रावधान में ₹ 40,17.28 लाख की वृद्धि 21 जेलों की वाउन्ड्री वाल की ऊँचाई बढ़ाने का कार्य पूर्ण करने हेतु धन की आवश्यकता तथा 12 जेलों में वीडियो कांफ्रेसिंग इकाई की स्थापना के कारण हुई।

4070- vl; izkkl fud l okvka ij iathxr
ifj0; ; &

800- अन्य व्यय-

09- नवसृजित जनपदों में कारागार के निर्माण
हेतु भूमि क्रय के लिये एकमुश्त व्यवस्था-

मूल	2,00.00	}	2,71.98	2,71.98	..
पुनर्वि०	71.98				

प्रावधान में ₹ 40,17.28 लाख की वृद्धि संतकबीर नगर जिला जेल के लिए अधिग्रहीत भूमि के मुआवजे के भुगतान के लिए अपर्याप्त बजट होने के कारण हुई।

12- कारागार विभाग के विभिन्न निर्माण

कार्यों हेतु व्यवस्था-

मूल	0.01	}	32.39	32.39	..
पुनर्वि०	32.38				

प्रावधान में ₹ 32.38 लाख की वृद्धि गाजियाबाद जिला जेल में स्वतन्त्र बिजली फीडर की स्थापना के कारण हुई।

वृत्तिका I अ; क 26 & xg foHkkx ¼ i fyi ½

ed; 'kh"z

dy vupku

okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; +

; k

cpr &

fofu; kx

¼ gtlj ₹ ea ½

jktLo&

2013- ef= ifj"kn}

2055- ifyi]

2070- vU; iz kkl fud l ok; j

2235- l kekftd l j {kk rFkk dY; k.k rFkk

2251- l fpoky; &l kekftd l ok; a

nRrer&

मूल 96,63,33,09

96,91,40,09 88,97,99,73 -7,93,40,36

पूरक 28,07,00

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि

..

iHkkfjr&

मूल 75,00

75,00 54,69 -20,31

पूरक ..

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि

..

iWthxr&

4055- ifyi ij iWthxr ifj0; ;]

4070- vU; iz kkl fud l ok; a ij iWthxr ifj0; ; rFkk

5053- ukxj foekuu ij iWthxr ifj0; ;

nRrer&

मूल 7,14,11,75

7,14,11,75 3,50,87,44 -3,63,24,31

पूरक ..

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि

..

अनुदान के राजस्व प्रभाग के अन्तर्गत व्यय में आकस्मिता निधि में स्वीकृत अग्रिम में से व्यय किये गये किन्तु वर्ष के समाप्ति तक निधि में वापस न किये गये ₹ 13,44 हजार सम्मिलित नहीं हैं।

fVli f.k; ka , oa Vhdk; &

jktLo&

nRrer&

- (i) वास्तविक व्यय में ₹ 19,63.40 लाख उचन्त लेखे के समाशोधन के वर्ष 2001-02, 2002-03, 2003-04, 2004-05, 2005-06, 2006-07, 2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-11 तथा 2011-12 के सम्मिलित हैं।

₹ 8,13,03.76 लाख (₹ 7,93,40.36 लाख+₹ 19,63.40 लाख) की अन्तिम बचत में से, कोई भी धनराशि अभ्यर्पण के लिए प्रत्याशित नहीं की जा सकी।

- (ii) ₹ 8,13,03.76 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए, नवम्बर 2012 में प्राप्त किया गया ₹ 28,07.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (iii) बचत (अन्य शीर्षों के अन्तर्गत व्ययाधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न के अधीन हुई:-

' kh" kZ dy vupku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; + cpr &

¼ yk[k ₹ ea ½

2055- i fyi &

001- निदेशन तथा प्रशासन-

03- मुख्य-

मूल	19,00.47	}	19,11.76	18,30.93	-80.83
पुनर्वि०	11.29				

वास्तविक व्यय में ₹ 5.59 लाख उचन्त लेखे के समाशोधन के वर्ष 2007-08, 2008-09, 2010-11 तथा 20011-12 के सम्मिलित हैं।

प्रावधान में ₹ 11.29 लाख की कमी किये जाने के कोई विशेष कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

003- शिक्षा तथा प्रशिक्षण-

04- शिक्षा और प्रशिक्षण (मुख्य)-

मूल	1,62,49.10	}	1,46,43.45	88,27.29	-58,16.16
पुनर्वि०	-16,05.65				

वास्तविक व्यय में ₹ 2.70 लाख उचन्त लेखे के समाशोधन के वर्ष 2002-03, 2003-04, 2009-10, 2010-11 तथा 20011-12 के सम्मिलित हैं।

₹ 16,05.65 लाख की कुल प्रत्याशित बचत में से प्रावधान में ₹ 16,40.00 लाख की कमी कम मांग होने तथा प्रावधान में ₹ 34.35 लाख की वृद्धि किये जाने के कोई विशेष कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

101- आपराधिक अन्वेषण और सतर्कता-

03- अभिसूचना अनुभाग-(मुख्य)-

मूल	1,73,18.33	}	1,73,52.53	1,51,20.45	-22,32.08
पुनर्वि०	34.20				

वास्तविक व्यय में ₹ 6.52 लाख उचन्त लेखे के समाशोधन के वर्ष 2001-02, 2010-11 तथा 2011-12 के सम्मिलित हैं।

प्रावधान में ₹ 34.20 लाख की वृद्धि किये जाने के कोई विशेष कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

04- अनुसंधान अनुभाग-

मूल	1,51,25.38	}	1,55,29.71	1,34,93.84	-20,35.87
पुनर्वि०	4,04.33				

प्रावधान में ₹ 4,04.33 लाख की वृद्धि किये जाने के कोई विशेष कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

' kh"Kz

dy vupku

okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; +
cpr &

¼ yk[k ₹ ea ½

104- विशेष पुलिस—

03- राज्य शस्त्र कान्सटेबुलरी—मुख्य—

मूल	13,58,85.76	13,34,79.84	12,81,42.02	-53,37.82
पुनर्वि०	-24,05.92			

वास्तविक व्यय में ₹ 5,53.73 लाख उचन्त लेखे के समाशोधन के वर्ष 2001-02, 2002-03, 2003-04, 2005-06, 2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-11 तथा 2011-12 के सम्मिलित हैं।

₹ 24,05.92 लाख की कुल प्रत्याशित बचत में से, प्रावधान में ₹ 38,26.31 लाख की कमी कम मांग होने तथा प्रावधान में ₹ 14,20.39 लाख की वृद्धि किये जाने के कोई विशेष कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

06- इण्डिया रिजर्व वाहिनी का गठन—

मूल	34,13.80	35,03.50	30,76.79	-4,26.71
पुनर्वि०	89.70			

प्रावधान में ₹ 89.70 लाख की वृद्धि किये जाने के कोई विशेष कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

07- उत्तर प्रदेश विशेष परिक्षेत्र सुरक्षा

वाहिनी	26,90.90	20,72.45	-6,18.45
--------	----------	----------	----------

108- राज्य मुख्यालय पुलिस—

03- राज्य पुलिस मुख्यालय—

मूल	28,29.73	28,44.90	25,45.93	-2,98.97
पुनर्वि०	15.17			

वास्तविक व्यय में ₹ 4.82 लाख उचन्त लेखे के समाशोधन के वर्ष 2008-09 के सम्मिलित हैं।

प्रावधान में ₹ 15.17 लाख की वृद्धि किये जाने के कोई विशेष कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

109- जिला पुलिस—

03- जिला पुलिस (मुख्य)—

मूल	60,80,94.01	60,73,77.92	56,88,10.94	-3,85,66.98
पुनर्वि०	-7,16.09			

वास्तविक व्यय में ₹ 11,32.66 लाख उचन्त लेखे के समाशोधन के वर्ष 2001-02, 2002-03, 2003-04, 2004-05, 2005-06, 2006-07, 2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-11 तथा 2011-12 के सम्मिलित हैं।

₹ 7,16.09 लाख की कुल प्रत्याशित बचत में से, प्रावधान में ₹ 39,96.75 लाख की कमी कम मांग होने के कारण हुई। प्रावधान में ₹ 16,00.00 लाख की वृद्धि लम्बित देयकों का भुगतान किये जाने तथा प्रावधान में ₹ 16,80.66 लाख की वृद्धि किये जाने के कोई विशेष कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

' kh"kz	dy vupku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; +	
	¼ yk[k ₹ ea½			
	cpr &			
05- मोटर परिवहन अनुभाग-मुख्य- मूल	2,50,58.65	2,63,16.12	2,49,44.40	-13,71.72
पुनर्वि०	12,57.47			
वास्तविक व्यय में ₹ 8.81 लाख उचन्त लेखे के समाशोधन के वर्ष 2007-08 के सम्मिलित हैं। प्रावधान में ₹ 12,57.47 लाख की वृद्धि किये जाने के कोई विशेष कारण सूचित नहीं किये गये हैं।				
06- वाराणसी में नदी पुलिस से सम्बन्धित भारत सरकार द्वारा वहन किया जाने वाला व्यय		1,75.28	78.02	-97.26
110- ग्राम पुलिस-				
03- ग्राम पुलिस अधिष्ठान- मूल	80,26.80	95,26.80	84,04.72	-11,22.08
पूरक	15,00.00			
वास्तविक व्यय में ₹ 33.26 लाख उचन्त लेखे के समाशोधन के वर्ष 2001-02 , 2009-10 तथा 2011-12 के सम्मिलित हैं।				
111- रेलवे पुलिस-				
03- मुख्य- मूल	2,08,58.77	2,09,91.91	2,03,09.71	-6,82.20
पुनर्वि०	1,33.14			
वास्तविक व्यय में ₹ 0.04 लाख उचन्त लेखे के समाशोधन के वर्ष 2001-02 के सम्मिलित हैं। प्रावधान में ₹ 1,33.14 लाख की वृद्धि किये जाने के कोई विशेष कारण सूचित नहीं किये गये हैं।				
113- पुलिस कार्मिकों का कल्याण-				
04- चिकित्सालय व्यय		27,64.72	24,76.52	-2,82.20
वास्तविक व्यय में ₹ 1.97 लाख उचन्त लेखे के समाशोधन के वर्ष 2003-04 तथा 2011-12 के सम्मिलित हैं।				
114- बेतार और कम्प्यूटर-				
03- पुलिस कम्प्यूटर केन्द्र- मूल	9,14.69	9,16.69	6,89.77	-2,26.92
पुनर्वि०	2.00			
प्रावधान में ₹ 2.00 लाख की वृद्धि किये जाने के कोई विशेष कारण सूचित नहीं किये गये हैं।				
115- पुलिस बल का आधुनिकीकरण-				
03- राज्य सरकार द्वारा वहन किये जाने वाला व्यय		47,66.67	41,00.45	-6,66.22
वास्तविक व्यय में ₹ 0.22 लाख उचन्त लेखे के समाशोधन के वर्ष 2003-04 तथा 2011-12 के सम्मिलित हैं।				

' kh" kZ

dy vupku

okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; +
cpr &

¼ yk[k ₹ ea ½

116- न्यायालयिक विज्ञान—

03- विधि विज्ञान प्रयोगशालायें—

मूल	15,14.37	}	15,55.24	11,70.67	-3,84.57
पुनर्वि०	40.87				

प्रावधान में ₹ 40.87 लाख की वृद्धि किये जाने के कोई विशेष कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

800- अन्य व्यय—

03- भारत सरकार की ओर से रखा गया पुलिस बल (आपराधिक जांच और सतर्कता)—

मूल	19,00.06	}	19,01.19	15,43.18	-3,58.01
पुनर्वि०	1.13				

वास्तविक व्यय में ₹ 1.58 लाख उचन्त लेखे के समाशोधन के वर्ष 2003-04 तथा 2011-12 के सम्मिलित हैं।

प्रावधान में ₹ 1.13 लाख की वृद्धि किये जाने के कोई विशेष कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

06- विधान सभा निर्वाचन

2,71,65.64

2,46,66.00

-24,99.64

वास्तविक व्यय में ₹ 0.39 लाख उचन्त लेखे के समाशोधन के वर्ष 2007-08 तथा 2011-12 के सम्मिलित हैं।

07- पुलिस सुधार आयोग

59.74

8.83

-50.91

10- नक्सल प्रभावित जनपदों में सुरक्षा कार्यों पर व्यय (भारत सरकार की एस० आर० ई० स्कीम)

10,49.28

9,68.90

-80.38

14- उत्तर प्रदेश पुलिस यातायात प्रबन्धन निधि से व्यय

25,00.00

..

-25,00.00

2070- vU; iZ kkl fud l ok; &

105- विशेष जांच आयोग—

03- राज्य आयोग और समितियाँ

1,79.38

50,58

-1,28.80

108- अग्नि से बचाव तथा नियन्त्रण—

01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें—

मूल	2,50.00	}	15,57.00	6,74.25	-8,82.75
पूरक	13,07.00				

' kh"kz	dy vupku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; + cpr &
	% yk[k ₹ ea %		

04- लावारिस शवों के अंतिम
संस्कार हेतु व्यवस्था

40.00 33.71 -6.29

2251- l fpoky; &l kekftd l ok; &

090- सचिवालय—

03- नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम
के कार्यान्वयन हेतु मशीनरी का
सुदृढीकरण—

मूल	6,45.41	}	6,45.44	4,56.76	-1,88.68
पुनर्वि०	0.03				

वास्तविक व्यय में ₹ 2.15 लाख उचन्त लेखे के समाशोधन के वर्ष 2005-06 तथा 2011-12 के सम्मिलित हैं।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत/सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2013)।

(iv) व्यायाधिक्य मुख्यतः निम्न के अधीन हुआ:—

2055- i fyi &

109- जिला पुलिस—

04- राज्य रेडियो अनुभाग—मुख्य—

मूल	2,03,27.53	}	2,15,24.16	2,13,74.01	-1,50.15
पुनर्वि०	11,96.63				

वास्तविक व्यय में ₹ 11.12 लाख उचन्त लेखे के समाशोधन के वर्ष 2001-02, 2002-03, 2004-05 2007-08, 2008-09, 2009-10 तथा 2011-12 के सम्मिलित हैं।

प्रावधान में ₹ 11,96.63 लाख की वृद्धि किये जाने के कोई विशेष कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

07- जिला पुलिस (थाना)—

मूल	36,79.41	}	38,74.83	37,47.44	-1,27.39
पुनर्वि०	1,95.42				

वास्तविक व्यय में ₹ 1.92 लाख उचन्त लेखे के समाशोधन के वर्ष 2010-11 के सम्मिलित हैं।

प्रावधान में ₹ 1,95.42 लाख की वृद्धि किये जाने के कोई विशेष कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

800- अन्य व्यय—

04- भारत सरकार की ओर से रखा गया
पुलिस दल (जिला पुलिस)

1,05.68 1,66.51 +60.83

' kh"kz dly vupku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; +
cpr &

¼ yk[k ₹ ea ½

08- कुम्भ मेला-2013-				
मूल	25,00.00	}	36,00.00	29,75.85
पुनर्वि०	11,00.00			

प्रावधान में ₹ 11,00.00 लाख की वृद्धि किये जाने के कोई विशेष कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

2235- I kekftd I j {kk rFkk dY; k.k&

60- अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण
कार्यक म-

200- अन्य कार्यक्रम-

03- कर्तव्य पालन के दौरान मारे गये/
घायल हुये पुलिस/अग्नि शमन
सेवा के कर्मचारियों के परिवारों को
अनुग्रह भुगतान-

मूल	5,00.00	}	7,20.00	7,43.11	+23.11
पुनर्वि०	2,20.00				

वास्तविक व्यय में ₹ 3.11 लाख उचन्त लेखे के समाशोधन के वर्ष 2001-02 तथा 2002-03 के सम्मिलित हैं।

प्रावधान में ₹ 2,20.00 लाख की वृद्धि किये जाने के कोई विशेष कारण सूचित नहीं किये गये हैं।
उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत/व्ययाधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं
(जून 2013)।

i Hkkfjr&

(v) ₹ 20.31 लाख की अन्तिम बचत में से, कोई भी धनराशि अभ्यर्पण के लिए प्रत्याशित नहीं की जा सकी।

(vi) बचत मुख्यतः निम्न के अधीन हुई:-

' kh"kz dly fofu; kx okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; +
cpr &

¼ yk[k ₹ ea ½

2055- i fyi &

109- जिला पुलिस-

03- जिला पुलिस (मुख्य)	70.00	50.43	-19.57
------------------------	-------	-------	--------

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2013)।

i wthxr&

nRrer&

(vii) वास्तविक व्यय में ₹ 6.67 लाख उचन्त लेखे के समाशोधन के वर्ष 2008-09, 2009-10 2010-11 तथा 2011-12 के सम्मिलित हैं।

₹ 3,63,30.98 लाख (₹ 3,63,24.31 लाख+₹ 6.67 लाख) की अन्तिम बचत में से, कोई भी धनराशि अभ्यर्पण के लिए प्रत्याशित नहीं की जा सकी।

(viii) बचत (अन्य शीर्षों के अन्तर्गत व्ययाधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न के अधीन हुई:-

' kh"KZ	dy vupku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; + cpr &
	½ yk[k ₹ ea½		
4055- ifyl ij i wthxr ifj0; ; &			
207- राज्य पुलिस-			
01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें	1,43,00.03	66,95.83	-76,04.20
03- गृह (पुलिस) विभाग की विभिन्न इकाइयों के निर्माण कार्य हेतु व्यवस्था	4,00.00	3,85.01	-14.99
04- पुलिस विभाग का आधुनिकीकरण-			
मूल 91,55.00	1,00,55.00	41,36.81	-59,18.19
पुनर्वि० 9,00.00			
प्रावधान में ₹ 9,00.00 लाख की वृद्धि अतिरिक्त आवश्यकता के कारण हुई।			
05- पुलिस बल की आधुनिकीकरण योजना के अन्तर्गत अनावासीय भवनों का निर्माण	60,00.00	13,59.48	-46,40.52
07- पुलिस विभाग के भवनों का निर्माण	47,50.00	..	-47,50.00
08- एस टी एफ के कमाण्डों सेन्टर का निर्माण /विस्तार-			
मूल 70,00.00	61,00.00	20,00.00	-41,00.00
पुनर्वि० -9,00.00			
प्रावधान में ₹ 9,00.00 लाख की कमी कोई प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुई।			
09- एस टी एफ मुख्यालय के अनावासीय भवनों का निर्माण	20,00.00	8,00.00	-12,00.00
10- उत्तर प्रदेश पुलिस यातायात प्रबंधन निधि से व्यय	13,65.65	3,50.87	-10,14.78
12- जनपदों के यातायात प्रबंधन हेतु सी०सी०टी०वी० एवं सहवर्ती उपकरणों का क्रय	10,00.00	..	-10,00.00

(ix) व्ययधिक्य निम्न के अधीन हुआ:-

' kh"kZ	dy vupku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; + cpr &
¼ yk[k ₹ ea½			
4055- ifyl ij iathxr ifj0; ; &			
207- राज्य पुलिस-			
06- पुलिस विभाग के अनावासीय भवनों का निर्माण-			
मूल	15,25.00	35,27.70	35,27.70
पूरक	20,02.70		
07- केन्द्रीय पुलिस बल (आर0ए0एफ0/ सी0आर0पी0एफ0)/राज्य पुलिस बल के भवनों के लिए भूमि क्य आदि	40,00.00	63,66.03	+23,66.03
उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम व्ययधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2013)।			

वृत्तिका I अ; क 27 & खगोष्ठिका ¼ उखजद I ग {क ½

द; 'क"क दय वृत्तिका ओलरुद 0; ; व/कद 0; ; +
cpr &

कतलु&

¼ गतक ₹ ए ½

2070- वल; इकल फुद I ङक; अरुक

2235- I केकुतद I ग {क रुक दय; क.क

नरुेर&

मूल 4,76,51,68

4,76,51,68 4,06,08,78 -70,42,90

रुुक ..

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि

..

इथर&

4059- यकद फुकक क; लीज इथर इजु; ; रुक

4070- वल; इकल फुद I ङकवा इज इथर इजु; ;

नरुेर&

मूल 13,37,46

13,37,46 5,46,65 -7,90,81

रुुक ..

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि

..

वलिफ.क; का, ओवहक; &

कतलु&

नरुेर&

(i) वास्तविक व्यय में ₹ 1,96.01 लाख उचन्त लेखे के समाशोधन के वर्ष 2001-02, 2002-03, 2003-04, 2004-05, 2005-06, 2006-07, 2008-09, 2009-10, 2010-11 तथा 2011-12 के सम्मिलित हैं।

₹ 72,38.91 लाख (₹ 70,42.90 लाख + ₹ 1,96.01 लाख) की अन्तिम बचत को देखते हुए, कोई भी धनराशि समर्पण के लिये प्रत्याशित नहीं की जा सकी।

(ii) बचत (अन्य शीर्षों के अन्तर्गत व्ययाधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न के अधीन हुई:-

'क"क दय वृत्तिका ओलरुद 0; ; व/कद 0; ; +
cpr &

¼ यकक ₹ ए ½

2070- वल; इकल फुद I ङक; &

106- सिविल रक्षा-

01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा

पुरोनिधानित योजनायें

3,24.23 68.76 -2,55.47

वास्तविक व्यय में ₹ 0.28 लाख उचन्त लेखे के समाशोधन के वर्ष 2003-04 के सम्मिलित हैं।

'kh"kl dly vupku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; +
cpr &

¼ yk[k ₹ ea ½

03- राज्य मुख्यालय स्थापना—

मूल	1,59.36	}	1,64.34	1,49.74	-14.60
पुनर्वि०	4.98				

वास्तविक व्यय में ₹ 0.22 लाख उचन्त लेखे के समाशोधन के वर्ष 2006-07 के सम्मिलित हैं।
प्रावधान में ₹ 4.98 लाख की वृद्धि लंबित देनदारियों के कारण हुई।

05- प्रभागीय तथा जिला मुख्यालय
(25% भा०स०द्वारा प्रतिपूर्ति)—

मूल	10,02.96	}	9,97.98	8,71.63	-1,26.35
पुनर्वि०	-4.98				

वास्तविक व्यय में ₹ 2.78 लाख उचन्त लेखे के समाशोधन के वर्ष 2001-02 के सम्मिलित हैं।
प्रावधान में ₹ 4.98 लाख की कमी पदों के रिक्त रहने के कारण हुई।

107- होमगार्ड्स—

03- सामान्य अधिष्ठान—

मूल	3,39,79.76	}	3,40,08.67	2,90,43.69	-49,64.98
पुनर्वि०	28.91				

वास्तविक व्यय में ₹ 1,07.93 लाख उचन्त लेखे के समाशोधन के वर्ष 2001-02,2005-06,2010-11
तथा 2011-12 के सम्मिलित हैं।

प्रावधान में ₹ 28.91 लाख की कुल वृद्धि होमगार्ड के स्वर्ण जयंती वर्ष समारोह को मनाने के लिए
अतिरिक्त निधि की आवश्यकता होने तथा जिलों द्वारा अतिरिक्त मांग होने के कारण हुई।

04- भारत सरकार द्वारा आंशिक प्रतिपूर्ति किये
जाने वाला व्यय (25%)—

मूल	84,88.61	}	85,13.46	83,00.58	-2,12.88
पुनर्वि०	24.85				

वास्तविक व्यय में ₹ 56.12 लाख उचन्त लेखे के समाशोधन के वर्ष 2001-02,2002-03,2003-04,
2004-05, 2008-09, 2009-10, 2010-11 तथा 2011-12 के सम्मिलित हैं।

प्रावधान में ₹ 24.85 लाख की कुल वृद्धि दो स्टाफ कारों को बदलने तथा जिलों द्वारा अतिरिक्त
मांग करने के कारण हुई।

'kh"KZ	dij vupku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; +	cpr &
		¼ yk[k ₹ ea ½		

06- विधान सभा चुनाव-

मूल	6,16.86			
पुनर्वि०	-2,31.18	3,85.68	2,63.71	-1,21.97

वास्तविक व्यय में ₹ 4.60 लाख उचन्त लेखे के समाशोधन के वर्ष 2011-12 के सम्मिलित हैं। प्रावधान में ₹ 2,31.18 लाख की कुल कमी विभिन्न चरणों में होमगार्डों की तैनाती के लिए वास्तविक व्यय के कारण हुई।

08- नागर निकाय चुनाव-

मूल	21,69.36			
पुनर्वि०	-67.30	21,02.06	8,91.71	-12,10.35

वास्तविक व्यय में ₹ 14.92 लाख उचन्त लेखे के समाशोधन के वर्ष 2011-12 के सम्मिलित हैं। प्रावधान में ₹ 67.30 लाख की कुल वृद्धि महाकुंभ/अर्धकुंभ में तैनात स्वयंसेवकों के भोजन भत्ते के लिए निधि की अतिरिक्त आवश्यकता के कारण हुई। उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2013)।

(iii) व्ययाधिक्य मुख्यतः निम्न के अधीन हुआ:-

2070- vll; i l kkl fud l dk; &

107- होमगार्ड्स-

07- पंचायत चुनाव	0.04	9.08	+9.04
------------------	------	------	-------

09- महाकुंभ मेला-

मूल	8,20.50			
पुनर्वि०	2,34.57	10,55.07	8,78.82	-1,76.25

वास्तविक व्यय में ₹ 9.12 लाख उचन्त लेखे के समाशोधन के वर्ष 2001-02, 2003-04 तथा 2010-11 के सम्मिलित हैं।

प्रावधान में ₹ 2,34.57 लाख की वृद्धि महाकुंभ/अर्धकुंभ में तैनात स्वयंसेवकों के भोजन भत्ते के लिए निधि की अतिरिक्त आवश्यकता के कारण हुई।

800- अन्य व्यय-

03- अवशेषों का भुगतान-

मूल	0.01			
पुनर्वि०	3.31	3.32	34.55	+31.23

प्रावधान में ₹ 3.31 लाख की वृद्धि जिलों द्वारा अतिरिक्त मांग करने के कारण हुई।

' kh"kl

dy vupku

okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; +

cpr &

¼ yk[k ₹ ea ½

2235- I kekftd I j {kk rFkk dY; k. k&60- अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा
कल्याण कार्यक्रम-

200- अन्य कार्यक्रम-

03- ड्यूटीरत होमगार्ड स्वयं सेवकों के
बीमा हेतु बीमा कम्पनी को प्रीमियम
की अदायगी-

मूल 89.90

पुनर्वि० 6.72

96.62

96.37

-0.25

प्रावधान में ₹ 6.72 लाख की वृद्धि अवैतनिक अधिकारियों तथा 8000 होमगार्डों की दुर्घटना बीमा प्रीमियम के भुगतान के कारण हुई।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम व्ययाधिक्य/बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं
(जून 2013)।

i wthxr&

nRrer&

(iv) ₹ 7,90.81 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए, कोई भी धनराशि समर्पण के लिये प्रत्याशित नहीं की जा सकी।

(v) बचत (एक अन्य शीर्ष के अन्तर्गत व्ययाधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) निम्न के अधीन हुई:-

4059- ykd fuekzk ij i wthxr ifj0; ; &

01- कार्यालय भवन-

051- निर्माण-

01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा

पुरोनिधानित योजनायें

1,00.00

16.80

-83.20

4070- vl; iz kkl fud l okvka ij i wthxr ifj0; ; &

800- अन्य व्यय-

05- होमगार्ड विभाग की आधुनिकीकरण
योजना के अन्तर्गत अनावासीय भवनों
का निर्माण (केन्द्रांश75/राज्य25,के0+रा0)-

मूल 7,48.77

पुनर्वि० -1,57.47

5,91.30

0.69

-5,90.61

प्रावधान में ₹ 1,57.47 लाख की कुल कमी आधुनिकीकरण योजना के अन्तर्गत स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण हुई।

' kh"KZ dny vupku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; +
cpr &
¼ yk[k ₹ ea ½

06- होमगार्ड्स विभाग की आधुनिकीकरण योजना(केन्द्रांश 75/ राज्य 25, के+रा)-

मूल	2,13.03	}			
पुनर्वि०	0.47			2,13.50	1,06.57

प्रावधान में ₹ 0.47 लाख की वृद्धि मोटर साइकिल क्रय करने के कारण हुई।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2013)।

(vi) व्ययाधिक्य निम्न के अधीन हुआ:-

4059- ykd fuekZk ij iathxr ifj0; ; &

01- कार्यालय भवन-

051- निर्माण-

03- शहीद धनसिंह कोतवाल जिला प्रशिक्षण केन्द्र, होमगार्ड्स, मेरठ-

पूरक	1,00.00	}			
पुनर्वि०	1,57.00			2,57.00	2,57.00

प्रावधान में ₹ 1,57.00 लाख की वृद्धि प्रथम दो किशतों में कुल लागत का 60% भुगतान की बाध्यता के कारण हुई।

वृत्तिका 1 अंक 288 खगोलिक 1/4 जलसंधारण 1/4 कु रफक वल; 0; ; 1/2

एक; 'क'क द्य वृत्तिका कलरफद 0; ; वल/कद 0; ; +
cpr &

जललक

1/2 गकक ₹ ए 1/2

2014- व; क; 1/2 ककल उ]

2052- 1 फक; & 1 ककल; 1 क; 1/2

2235- 1 ककलद 1 ग {क रफक दय; क. क}

2251- 1 फक; & 1 ककलद 1 क; 1/2 रफक

3055- 1 मद 1 फक

नररक

मूल 1,24,92,14

1,41,32,14

1,13,41,52

-27,90,62

पूरक 16,40,00

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2013)

15,90,30

1/2 थरक

4250- वल; 1 कक 1 ककक 1/2 1/2 थरक 1/2 फक; ;

नररक

मूल 30,00

30,00

..

-30,00

पूरक ..

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2013)

30,00

1/2 1/2 क; क, क 1/2 थरक; 1/2

जललक

नररक

(i) वास्तविक व्यय में ₹ 98.32 लाख उचन्त लेखे के समाशोधन के वर्ष 2001-02, 2005-06, 2006-07, 2007-08, 2008-09, 2009-10 तथा 2010-11 के सम्मिलित हैं।

₹ 28,88.94 लाख (₹ 27,90.62 लाख + ₹ 98.32 लाख) की अन्तिम बचत में से, मात्र

₹ 15,90.30 लाख की धनराशि समर्पण के लिये प्रत्याशित की जा सकी।

(ii) ₹ 28,88.94 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए, नवम्बर 2012 में प्राप्त किया गया

₹ 16,40.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(iii) बचत (अन्य शीर्षों के अन्तर्गत व्याधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न के

अधीन हुई:-

'क'क

द्य वृत्तिका

कलरफद 0; ;

वल/कद 0; ; +

cpr &

1/2 यकक ₹ ए 1/2

2014- व; क; 1/2 ककल उ&

114- विधि सलाहकार और परामर्शदाता (काउन्सिल)-

03- उत्तर प्रदेश अभियोजन निदेशालय

65,54.71

59,99.07

-5,55.64

'kh"KZ dly vupku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; +
cpr &
¼ yk[k ₹ ea ½

2052- I fpoky; & I kekl; I ok; &

091- संलग्न कार्यालय—

03- अवशेषों का भुगतान 1,49.18 96.83 -52.35

04- जिला पासपोर्ट प्रकोष्ठों के लिये
अनुषांगिक व्यय

24.54 15.16 -9.38

2235- I kekftd I j {kk rFkk dY; k.k&

60- अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण
कार्यक्रम—

107- स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना—

03- स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों तथा उनके
आश्रितों को पेंशन—

मूल 45,00.00

36,91.89

31,67.54

-5,24.35

पुनर्वि० -8,08.11

वास्तविक व्यय में ₹ 76.87 लाख उचन्त लेखे के समाशोधन के वर्ष 2005-06, 2006-07, 2007-08, 2008-09, 2009-10 तथा 2010-11 के सम्मिलित हैं।

₹ 8,08.11 लाख कुल बचत में से, ₹ 7,72.03 लाख का अभ्यर्पण तथा प्रावधान में ₹ 36.08 लाख की कमी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की संख्या में कमी के कारण हुई।

800- अन्य व्यय—

03- आपातकालीन अवधि में मीसा एवं

डी आई आर में बन्द प्रदेश के

राजनैतिक बन्दियों को सम्मान राशि

का भुगतान—

मूल 7,00.00

19,44.45

18,87.24

-57.21

पूरक 16,40.00

पुनर्वि० -3,95.55

वास्तविक व्यय में ₹ 17.91 लाख उचन्त लेखे के समाशोधन के वर्ष 2009-10 के सम्मिलित हैं।

2251- I fpoky; & I kekftd I ok; &

092- अन्य कार्यक्रम—

03- उत्तर प्रदेश स्वतंत्रता संग्राम सेनानी

कल्याण परिषद् से सम्बन्धित अधिष्ठान

मुख्यालय—

मूल 70.31

50.95

51.03

+0.08

पुनर्वि० -19.36

प्रावधान में ₹ 19.36 लाख की कमी पदों के रिक्त रहने, प्रस्ताव प्राप्त न होने तथा मितव्ययिता के कारण हुई।

'kh"KZ

dly vupku

okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; +

cpr &

¼ yk[k ₹ ea ½

200- अन्य योजनाएं—

03- स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सेवा सदन—

मूल 56.53

44.30

44.20

-0.10

पुनर्वि० -12.23

प्रावधान में ₹ 12.23 लाख की कमी पदों के रिक्त रहने तथा मितव्ययिता के कारण हुई।

04- उत्तर प्रदेश स्वतंत्रता संग्राम सेनानी

सहायता संस्थान—

मूल 23.62

16.67

16.67

..

पुनर्वि० -6.95

₹ 6.95 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

3055- I M d i f j o g u &

190- सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों

को सहायता—

04- आपात कालीन अवधि में मीसा एवं

डी० आई० आर० में बन्द प्रदेश के

राजनैतिक बन्दियों को उत्तर प्रदेश

सड़क परिवहन निगम की बसों से निःशुल्क

यात्रा सुविधा के लिए निगम को भुगतान—

मूल 4,00.00

16.38

16.65

+0.27

पुनर्वि० -3,83.62

₹ 3,83.62 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत/व्ययाधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2013)।

(iv) व्ययाधिक्य निम्न के अधीन हुआ:—

3055- I M d i f j o g u &

190- सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों

को सहायता—

03- स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को उ०प्र० राज्य

सड़क परिवहन निगम की बसों से निःशुल्क

यात्रा की सुविधा के लिए निगम को भुगतान—

मूल 5.25

41.33

41.05

-0.28

पुनर्वि० 36.08

प्रावधान में ₹ 36.08 लाख की वृद्धि लम्बित देयकों के कारण हुई।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2013)।

in the
number

(v) बचत निम्न के अधीन हुई:-

'क'क दिय वृण्कु कर्क 0 ; ; vf/kd 0 ; ; +
% yk/k ₹ ea % cpr &

4250- वृ ; कर्क कर्क कर्क कर्क कर्क कर्क ; ; &

800- अन्य व्यय-

03- स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संस्थान द्वारा
स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों के स्मारकों/
स्तम्भों के निर्माण तथा जन्म शताब्दी
आदि के लिए सहायक अनुदान-

मूल 30.00

पुनर्वि० -30.00

..

प्रावधान में ₹ 30.00 लाख की कमी पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुई।

vunpku l a[; k 29& xks u foHkkx ¼ jkT; i ky l fpoky; ½

ef[; 'kh"KZ dy fofu; ks okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; +
cpr &
¼ g tkj ₹ ea ½

jkTLo&

2012- jk"Vª fr] mi jk"Vª fr@jkT; i ky]

l 2k jkT; {ks=ka ds iz kkl d

i Hkkfjr&

मूल	8,89,76]	9,89,76	9,20,08	-69.68
पूरक	..				

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2013)

69,63

fVli f.k; ka , oa Vhdk; &

jkTLo&

i Hkkfjr&

(i) बचत (अन्य शीर्षों के अन्तर्गत व्ययाधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न के अधीन हुई—

'kh"KZ dy fofu; ks okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; +
cpr &
¼ yk[k ₹ ea ½

2012- jk"Vª fr] mi jk"Vª fr@jkT; i ky]

l 2k jkT; {ks=ka ds iz kkl d&

03- राज्यपाल/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक—

090- सचिवालय—

03- अधिष्ठान व्यय—

मूल	6,98.91]	6,73.16	6,73.15	-0.01
पुनर्वि०	-25.75				

₹ 25.75 लाख की कुल बचत में से, ₹ 24.66 लाख का अभ्यर्पण आवश्यकता न होने तथा मितव्ययिता के कारण हुआ। विनियोग में ₹ 1.09 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

103- पारिवारिक स्थापना—

03- कर्मचारीवर्ग—

मूल	1,01.75]	88.74	84.30	-4.44
पुनर्वि०	-13.01				

₹ 13.01 लाख की शुद्ध बचत में से, ₹ 13.21 लाख का अभ्यर्पण आवश्यकता न होने के कारण हुआ। विनियोग में ₹ 0.20 लाख की वृद्धि निधि की अतिरिक्त आवश्यकता के कारण हुई।

' kh" kZ

dy fofu; ks

okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; +
cpr &

¼ yk[k ₹ ea½

105- चिकित्सा सुविधायें—

03- चिकित्सा सम्बन्धी व्यय—

मूल	54.02	}	48.29	48.29	..
पुनर्वि०	-5.73				

₹ 5.73 लाख की शुद्ध बचत में से, ₹ 6.62 लाख का अभ्यर्पण आवश्यकता न होने के कारण हुआ।
विनियोग में ₹ 0.89 लाख की वृद्धि निधि की अतिरिक्त आवश्यकता के कारण हुई।

800- अन्य व्यय—

04- राजभवन में स्वच्छता—

मूल	57.26	}	36.52	36.51	-0.01
पुनर्वि०	-20.74				

₹ 20.74 लाख का अभ्यर्पण आवश्यकता न होने के कारण हुआ।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2013)।

(ii) व्ययाधिक्य मुख्यतः निम्न के अधीन हुआ:—

2012- jk"V" fr] mi jk"V" fr@jkT; i ky]

l 2k jkT; {ks=ka ds iz kkl d&

03- राज्यपाल/संघ राज्य क्षेत्रों के

प्रशासक—

108- दौरा खर्च—

03- दौरा खर्च 15.00 20.05 +5.05

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम व्ययाधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2013)।

वृत्तिका I अ; क 3&म | क्ख फोहक (य?क म | क्ख , oa fu; क्ख i क्ख kgu)

ए; 'क"क
 द्य वृत्तिका okLrfod 0; ;
 ; क
 fofu; क्ख
 vf/kd 0; ; \$
 cpr&

(gtkj ₹ ea)

jkLlo&

2851- xke vkj y?kq m | क्ख]

2852- m | क्ख vkj

3453- fons'k 0; ki kj rFkk fu; क्ख I ढ/ku
 nRrer&

मूल 1,18,72,21]
 पूरक 1,17,07]

1,19,89,28 1,10,08,83 -9,80,45

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2013)

9,90,75

i Hkkfjr&

मूल 6,00]
 पूरक ..]

6,00 .. -6,00

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2013)

5,60

i wthxr&

4059- ykd fuekZk dk; Z ij i wthxr

i fj0; ; vkj

4851- xke , oa y?kq m | क्खka ij

i wthxr i fj0; ;

nRrer&

मूल 2,20,01]
 पूरक 1,29,14]

3,49,15 3,35,35 -13,80

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2013)

13,66

fVli f.k; ka , oa VhdK; &

jkLlo&

nRrer&

(i) ₹ 1,10,08.83 लाख के वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02,2002-03,2003-04,2004-05,2005-06 2009-10 और 2010-11के उचन्त लेखे के समाशोधन के ₹ 12.82 लाख की धनराशि सम्मिलित है।

(ii) ₹ 9,93.27 लाख की अन्तिम बचत (₹ 9,80.45 लाख + ₹ 12.82 लाख) में से मात्र ₹ 9,90.75 लाख की धनराशि अभ्यर्पित की गयी ।

- (iii) ₹ 9,93.27 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुये, नवम्बर 2012 में प्राप्त ₹ 1,17.07 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (iv) बचत (अन्य शीर्षों के अन्तर्गत लघु व्ययाधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न के अधीन हुई:-

'kh"kl	dy vupku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$
			cpr&
		(yk[k ₹ e)	

2851- xke , oa y?kq m | ksx&

102- लघु उद्योग-

01- केन्द्रीय आयोजनागत/ केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-

मूल	4,83.78			
पूरक	95.04	1,19.43	1,25.16	5.73
पुनर्वि०	-4,59.39			

वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02,2003-04 और 2005-06 के उचन्त लेखे के समाशोधन के ₹ 6.62 लाख की धनराशि सम्मिलित है।

₹ 4,59.39 लाख की कुल प्रत्याशित बचत में से, ₹ 2,80.00 लाख की प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा कमी वास्तविक आधार पर भुगतान होने के कारण की गई। ₹ 1,70.00 लाख नए क्लस्टर का अनुमोदन न होने के कारण व ₹ 9.39 लाख वास्तविक आधार पर भुगतान होने के कारण अभ्यर्पित किए गये।

05- विशिष्ट हस्तशिल्पियों को प्रादेशिक पुरस्कार-

मूल	4.00			
पूरक	22.00	15.60	15.60	..
पुनर्वि०	-10.40			

₹ 10.40 लाख का अभ्यर्पण वास्तविक आधार पर भुगतान के कारण हुआ।

06- जिला उद्योग केन्द्र-

मूल	68,53.40			
पुनर्वि०	-6,24.32	62,29.08	62,33.18	+4.10

वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02,2002-03,2004-05,2005-06 और 2010-11 के उचन्त लेखे के समाशोधन के ₹ 4.68 लाख की धनराशि सम्मिलित है।

₹ 6,24.32 लाख का अभ्यर्पण वास्तविक आधार पर भुगतान के कारण हुआ।

i Hkkfj r&

- (vi) ₹ 6.00 लाख की अन्तिम बचत में से मात्र ₹ 5.60 लाख की धनराशि अभ्यर्पित की गयी ।
 (vii) बचत (अन्य शीर्षों के अन्तर्गत लघु व्ययाधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न के अधीन हुई:-

'kh"kl	dy fofu; ksx	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$
			cpr&
	(yk[k ₹ e)		

2851- xke , oa y?kq m | ksx&

102- लघु उद्योग-

06- जिला उद्योग केन्द्र-

मूल	4.00	}	0.40	..	-0.40
पुनर्वि०	-3.60				

₹ 3.60 लाख का अभ्यर्पण वास्तविक आधार पर भुगतान के कारण हुआ ।
 उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2013)।

i wthxr&

nRrer&

- (viii) ₹ 13.80 लाख की अन्तिम बचत में से, मात्र ₹ 13.66 लाख की धनराशि अभ्यर्पण के लिए प्रत्याशित की जा सकी ।
 (ix) ₹ 13.80 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए नवम्बर 2012 में प्राप्त किया गया ₹ 1,29.14 लाख का अनूपूरक अनुदान अधिक सिद्ध हुआ ।
 (x) बचत मुख्यतः निम्न के अधीन हुई:-

'kh"kl	dy vupku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$
			cpr&

(yk[k ₹ e)

4059- ykd fuekZk dk; l ij i wthxr

ifj0; ; &

01- कार्यलय भवन-

051- निर्माण-

03- जिला उद्योग केन्द्र का भवन निर्माण-

मूल	1,20.00	}	1,06.36	1,06.36	..
पुनर्वि०	-13.64				

₹ 13.64 लाख का अभ्यर्पण आवंटित धनराशि की आवश्यकता न होने के कारण हुआ ।

वृत्तिका 1 अ; क 30 & खासि उ फोहकख ¼ जक्तलो फोफ' क"V वफहकल षपुक
फुनस' क्य; रफक वल; 0; ; ½

ए; 'क"क

दिय वृत्तिका

ओलरफोद 0; ;

वफ/कद 0; ; +
cpr &

¼ गतक ₹ ए ½

जक्तलो&

2052- 1 फपक्य; & 1 केकल; 1 षक; ष

2053- फत्यक 1/2 ककल उ रफक

2070- वल; 1/2 ककल फुद 1 षक; ष

नररर&

मूल

3,60,14

पूरक

..

3,60,14

3,56,63

-3,51

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि

..

vunku I a[; k 31&fpfdRI k foHkkx (fpfdRI k] f' k{kk , oa i f' k{k.k)

ed[; 'kh"klz dy vunku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; \$
cpr&
(gtlj ₹ ee)

jktLo&

2013- ef= ifj"kn~vkj

2210- fpfdRI k rFkk ykd LokLF;

nRrer&

मूल	11,68,48,87]	11,69,98,87	10,83,90,11	-86,08,76
पूरक	1,50,00				

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि

..

iwthxr&

4210- fpfdRI k rFkk ykd LokLF; ij iwthxr ifj0; ;

6075- fofok I kekl; I okvka ds fy; a dtl

nRrer&

मूल	6,75,95,58]	7,11,45,58	6,90,96,18	-20,49,40
पूरक	35,50,00				

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि

..

fVli f.k; ka , oa VhdK; &

jktLo&

nRrer&

(i) ₹ 86,08.76 लाख की अन्तिम बचत में से, कोई भी धनराशि अभ्यर्पित नहीं की जा सकी।

(ii) ₹ 86,08.76 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए, नवम्बर 2012 में प्राप्त किया गया ₹ 1,50.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(iii) बचत (अन्य शीर्षों के अन्तर्गत व्ययव्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न के अधीन हुई:-

'kh"klz dy vunku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; \$
(yk[k ₹ ee) cpr&

2210- fpfdRI k rFkk ykd LokLF; &

01- शहरी स्वास्थ्य सेवायें-एलोपैथी-

110- अस्पताल तथा औषधालय-

15- मेडिकल कालेज/सम्बद्ध अस्पताल-

मूल	1,25,43.70]	1,31,73.25	1,24,23.34	-7,49.91
पुनर्वि0	6,29.55				

पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में ₹ 4,75.00 लाख की वृद्धि पैथालाजी विभाग में 24 घन्टे पैथालाजी चलाने हेतु क्लोज सर्किट, रीजेन्ट/किट्स व अन्य रसायनों की आवश्यकता व ₹ 1,54.55 लाख की वृद्धि प्रधानाचार्य मेडिकल कालेज द्वारा मांग के कारण हुई।

'kh"kl	dy vupku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$
	(yk[k ₹ ee)		
			cpr&
05- चिकित्सा शिक्षा- प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-			
001- निदेशन तथा प्रशासन-			
03- निदेशन	3,04.78	2,69.26	-35.52
105- एलोपैथी-			
03- शिक्षा-			
मूल	10,30,30.52		
पूरक	1,50.00	10,24,90.97	9,47,33.64
पुनर्वि०	-6,89.55		-77,57.33
पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में ₹ 6,89.55 लाख की कमी किये जाने के कोई विशेष कारण सूचित नहीं किये गये हैं।			
04- प्रशिक्षण	3,40.47	3,14.81	-25.66
उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2013)।			
(iv) व्ययाधिक्य निम्न के अधीन हुआ:-			
2210- fpdfRI k rFkk ykd LokLF; &			
05- चिकित्सा शिक्षा-प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-			
105- एलोपैथी-			
05- अनुसंधान-			
मूल	4,47.40		
पुनर्वि०	60.00	5,07.40	4,69.18
पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में ₹ 60.00 लाख की वृद्धि पैथालाजी विभाग में 24 घन्टे पैथालाजी चलाने हेतु क्लोज सर्किट/रीजेन्ट किट्स व रसायनों की मांग के कारण हुई।			
उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2013) ।			
iwthxr&			
nRrer&			
(v) ₹ 20,49.40 लाख की अन्तिम बचत में से, कोई भी धनराशि अभ्यर्पित नहीं की जा सकी।			
(vi) ₹ 20,49.40 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए, नवम्बर 2012 में प्राप्त किया गया ₹ 35,50.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अधिक सिद्ध हुआ।			

(vii) बचत (अन्य शीर्षों के अन्तर्गत व्ययाधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न के अधीन हुई—

' kh"kl dly vupku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; \$ cpr&

(yk[k ₹ ea)

4210- fpfdRI k rFkk ykd LokLF; ij
i wthxr ifj0; ; &

03- चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान—

105- एलोपैथी—

04- डा.राममनोहर लोहिया इन्स्टीट्यूट आफ मेडिकल
साइंसेज गोमती नगर लखनऊ—

मूल	83,27.50	30,18.52	23,55.03	-6,63.49
पुनर्वि०	-53,08.98			

पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में ₹ 53,08.98 लाख की कमी किये जाने के कोई कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

05- रुरल इन्स्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज,
सैफई, इटावा में मेडिकल कालेज की
स्थापना

60,00.00 48,54.74 -11,45.26

22- जे०के०इन्स्टीट्यूट आफ रेडियोलाजी
एण्ड कैंसर रिसर्च कानपुर

6,66.73 6,25.15 -41.58

38- मेडिकल कालेज आगरा—

मूल	10,92.17	14,92.17	14,15.39	-76.78
पुनर्वि०	4,00.00			

40- मेडिकल कालेज इलाहाबाद

6,36.65 5,93.33 -43.32

41- मेडिकल कालेज मेरठ

10,25.09 10,19.33 -5.76

42- मेडिकल कालेज झांसी—

मूल	6,75.17	6,75.17	5,99.76	-75.41
पूरक	4,00.00			
पुनर्वि०	-4,00.00			

पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में ₹ 4,00.00 लाख की कमी कोई भी ई०एफ०सी० प्रस्ताव न प्राप्त होने के कारण हुई।

47- मेडिकल कालेज जौनपुर—

पूरक 1,00.00 1,00.00 .. -1,00.00

' kh" kZ dly vupku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; \$
cpr&
(yk[k ₹ es)

51- राजकीय मेडिकल कालेज आजमगढ़—				
मूल	55,00.00] 57,20.12	55,95.83	-1,24.29
पूरक	1,00.00			
पुनर्वि०	1,20.12			
प्रावधान में ₹ 1,20.12 लाख की कमी किये जाने के कोई कारण सूचित नहीं किये गये हैं।				
56- राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज कन्नौज		50,00.00	49,83.88	-16.12
57- पैरा मेडिकल कालेज झांसी		1,00.01	42.77	-57.24
59- कैंसर संस्थान, लखनऊ—				
मूल	20,00.00] 7,79.88	..	-7,79.88
पुनर्वि०	-12,20.12			
पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में ₹ 12,20.12 लाख की कमी किये जाने के कोई कारण सूचित नहीं किये गये हैं।				
60- पैरा मेडिकल कालेज कन्नौज—				
पूरक	50.00	50.00	..	-50.00
6075- fofok l kell; l okvks ds fy; dt&				
800- अन्य कर्ज—				
03- एस०जी०पी०जी०आई० में राज्य कर्मचारियों की चिकित्सा के लिए रिवाल्विंग फण्ड		5,00.00	..	-5,00.00
उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत/सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2013)।				
(viii) व्ययाधिक्य निम्न के अधीन हुआ:—				
4210- fpdfRI k rFkk ykd LokLF; ij i wthxr ifj0; ; &				
03- चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान—				
105- एलोपैथी—				
08- रुरल इन्स्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, एण्ड रिसर्च सैफइ इटावा मे पैरा मेडिकल इन्स्टीट्यूट की स्थापना		20,00.00	37,33.66	+17,33.66
21- राजकीय मेडिकल कालेज बांदा				
मूल	10,00.02] 35,00.02	35,00.00	-0.02
पूरक	11,00.00			
पुनर्वि०	14,00.00			
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 14.00.00 लाख की वृद्धि गवर्नमेन्ट मेडिकल कालेज बांदा में निर्माण कार्य के लिए अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता के कारण हुई।				

'kh"kl	dy vupku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$
	(yk[k ₹ ee)		cpr&
43- मेडिकल कालेज गोरखपुर—			
मूल	6,14.30		
पुनर्वि०	1,00.00		
48- राजकीय मेडिकल कालेज, बदायूँ—			
पूरक	1,00.00		
पुनर्वि०	1,00.00		
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 1,00.00 लाख की वृद्धि गवर्नमेन्ट मेडिकल कालेज बदायूँ में निर्माण के लिए भूमि के अधिग्रहण के कारण हुआ ।			
53- राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज,सहारनपुर—			
मूल	10,45.00		
पूरक	11,00.00	74,53.98	73,53.86
पुनर्वि०	53,08.98		-1,00.12

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 23,08.98 लाख की वृद्धि गवर्नमेन्ट एलोपैथिक मेडिकल कालेज सहारनपुर में ओ० पी० डी० की सेवा शुरू कराने तथा प्रावधान में ₹ 30,00.00 लाख की वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं ।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत व्ययाधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2013)।

वृत्तिका I अंक 32 & फंडों के फल (, यकी फल)

एक; 'क'क
 दी वृत्तिका कलरफद 0; ;
 ; क
 फु; क

व/क 0; ; \$
 cpr&

(गतक ₹ ए)

कतल&

2013- ए= इज "क"

2210- फंडों के फल लोकल; फल

2230- जे फल कस्तक

नरर&

मूल 32,07,14,24

32,12,19,24 28,08,40,11 -4,03,79,13

पूरक 5,05,00

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि

..

इककजर&

मूल 20,00

20,00 .. -20,00

पूरक ..

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि

..

इथर&

4210- फंडों के फल लोकल; इ

इथर इज; ; क

4216- ककल इ इथर इज; ;

नरर&

मूल 5,83,68,94

5,83,68,94 3,53,00,82 -2,30,68,12

पूरक ..

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि

..

वली.क; क, ओ वक; &

कतल&

नरर&

(i) ₹ 4,03,79.13 लाख की अंतिम बचत में से कोई भी धनराशि अभ्यर्पित नहीं की जा सकी।

(ii) ₹ 4,03,79.13 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, नवम्बर 2012 में प्राप्त किया गया

₹ 5,05.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(iii) बचत (अन्य शीर्षों के अन्तर्गत व्ययाधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न के अधीन हुई:-

' kh" kZ dly vupku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; \$ cpr&

(yk[k ₹ e)

2210- fpfdRI k rFkk ykd LokLF; &

01- शहरी स्वास्थ्य सेवायें-एलोपैथी-

110- अस्पताल तथा औषधालय-

03- निदेशन 29,38.42 25,61.45 -3,76.97

04- एलोपैथी एकीकृत चिकित्सालय
और औषधालय

13,03,09.60 11,27,68.47 -1,75,41.13

97- बाह्य सहायतित परियोजनायें

31,35.14 2,71.58 -28,63.56

200- अस्पताल तथा औषधालय-

01- केन्द्रीय आयोजनागत/ केन्द्र द्वारा
पुरोनिधानित योजनायें

7,90.00 1,24.46 -6,65.54

800- अन्य व्यय-

03- चिकित्सालयों और औषधालयों
को अनुदान

18,48.50 13,05.73 -5,72.77

03- ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें-पश्चात्य
चिकित्सा पद्धति-

110- अस्पताल तथा औषधालय-

10- एलोपैथी चिकित्सालय और औषधालय-
मूल 17,41,90.57

17,41,95.57 16,10,19.54 -1,31,76.03

पुनर्वि० 5.00

80- सामान्य-

800- अन्य व्यय-

06- आरोग्य निधि की
स्थापना

5,00.00 1,00.00 -4,00.00

07- जे० ई०/ए०ई० एस० से मृत
व्यक्तियों के परिवार तथा विकलांग
व्यक्तियों को सहायता

5,00.00 2,83.50 -2,16.50

' kh"kZ

dly vupku okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; \$

cpr&

(yk[k ₹ e)

2230- Je rFkk jkst xkj &

01- श्रम-

103- सामान्य श्रम कल्याण-

01- केन्द्रीय आयोजनागत/ केन्द्र द्वारा

पुरोनिधानित योजनायें

70,00.00

23,97.71

-46,02.29

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2013)।

(iv) व्ययाधिक्य मुख्यतः निम्न के अधीन हुआ:-

2210- fpdfRI k rFkk ykd LokLF; &

01- शहरी स्वास्थ्य सेवायें-एलोपैथी-

110- अस्पताल तथा औषधालय-

10- जिला/संयुक्त चिकित्सालयों में

विशिष्ट चिकित्सा सुविधायें

..

7.67

+7.67

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम व्ययाधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2013)।

i Hkkfjr&

(v) ₹ 20.00 लाख की अन्तिम बचत में से कोई भी धनराशि अभ्यर्पित नहीं की जा सकी।

(vi) बचत निम्न के अधीन हुई:-

' kh"kZ

dly fofu; ks okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; \$

cpr&

(yk[k ₹ e)

2210- fpdfRI k rFkk ykd LokLF; &

01- शहरी स्वास्थ्य सेवायें-एलोपैथी-

001- निदेशन तथा प्रशासन-

03- निदेशन-

20.00

..

-20.00

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2013)।

i wthxr&

nRrer&

(vii) ₹ 2,30,68.12 लाख की अन्तिम बचत में से, कोई भी धनराशि अभ्यर्पित नहीं की जा सकी।

' kh" kZ	diy vupku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$	cpr&
	(yk[k ₹ ee)			
17- मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं अधीनस्थ कार्यालय / अपर निदेशक कार्यालय भवन का निर्माण—				
मूल	30,00.00			
पुनर्वि०	-1,38.61			
		28,61.39	18,31.71	-10,29.69
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 1,38,.61 लाख की कमी निर्माण कार्य के लिए पहली किस्त 40 प्रतिशत अवमुक्त होने के कारण हुई।				
19- प्लास्टिक सर्जरी एवं बर्न यूनिट का भवन निर्माण (जिला योजना)—				
मूल	10,00.00			
पुनर्वि०	-3,00.00			
		7,00.00	4,29.38	-2,70.62
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 3,00.00 लाख की कमी निर्माण कार्य के लिए पहली किस्त 40 प्रतिशत अवमुक्त होने के कारण हुई।				
20- यू. एच.एम. चिकित्सालय, कानपुर नगर का उच्चीकरण		1,13.44	46.20	-67.24
23- अम्बेडकर नगर में एक 300 शैय्यायुक्त संयुक्त जिला चिकित्सालय भवन का निर्माण—				
मूल	86.76			
पुनर्वि०	-6.31			
		80.45	80.45	..
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 6.31 लाख की कमी निर्माण कार्य के लिए पहली किस्त 40 प्रतिशत अवमुक्त होने के कारण हुई।				
32- कन्नौज में 100 शैय्यायुक्त संयुक्त चिकित्सालय भवन का निर्माण—				
मूल	30.00			
पुनर्वि०	-12.74			
		17.26	..	-17.26
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 12.74 लाख की कमी निर्माण कार्य के लिए पहली किस्त 40 प्रतिशत अवमुक्त होने के कारण हुई।				

'kh"KZ	dy vupku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$
			cpr&
(yk[k ₹ ee)			
42- जिला पुरुष/महिला चिकित्सालय में सुधार, विस्तार एवं नवीनीकरण	50,00.00	18,38.22	-31,61.78
46- डा0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल चिकित्सालय, लखनऊ में अति आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं की स्थापना	5,00.00	..	-5,00.00
55- जनपद लखनऊ में कानपुर रोड पर 100 शैय्यायुक्त संयुक्त चिकित्सालय भवन का निर्माण	2,00.00	57.75	-1,42.25
56- शहरी क्षेत्रों के चिकित्सालय एवं औषधालय में लघु निर्माण कार्य	8,00.00	7,57.16	-42.84
64- जिला/संयुक्त चिकित्सालयों में विशिष्ट चिकित्सा सुविधायें—			
मूल 80,00.00	1,34,76.36	47,85.70	-86,90.66
पुनर्वि0 54,76.36			
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 54,76.86 लाख की वृद्धि मरीजों को आधुनिक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए आधुनिक उपकरणों की व्यवस्था करने के कारण हुई ।			
72- 100 शैय्यायुक्त चिकित्सालयों की स्थापना—			
मूल 60,00.00	25,64.94	21,59.66	-4,05.28
पुनर्वि0 -34,35.06			
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 4,65.00 लाख और ₹ 29,04.80 लाख की कमी निर्माण कार्य के लिए पहली किस्त 40 प्रतिशत अवमुक्त होने तथा प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 65.26 लाख की कमी नए जिलों में भूमि की अनुपलब्धता के कारण हुई ।			
77- 100 जिला/ संयुक्त चिकित्सालयों के लिए उपकरणों का क्रय	12,00.00	..	-12,00.00
800- अन्य व्यय—			
03- मानसिक स्वास्थ्य संस्थान एवं चिकित्सालय, आगरा	15,77.73	8,00.00	-7,77.73
02- ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें—			
103- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र—			
04- नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवनों का निर्माण (चालू अंश) (जिला योजना)—	35,00.00	28,98.03	-6,01.97

' kh" kZ

diy vupku okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; \$
cpr&

(yk[k ₹ ee)

06- नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवनों का निर्माण—				
मूल	25,00.00] 11,05.37	11,03.18	-2.19
पुनर्वि०	-13,94.63			
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 8,18.63 लाख की कमी निर्माण कार्य के लिए पहली किस्त 40 प्रतिशत अवमुक्त होने तथा प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 5,76.00 लाख की कमी नए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु भूमि की अनुपलब्धता के कारण हुई।				
104- सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र—				
03- सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का भवन निर्माण (चालू अंश) (जिला योजना)—		45,00.00	36,64.40	-10,35.60
05- नये सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन निर्माण —				
मूल	50,00.00] 35,87.24	18,84.96	-17,02.28
पुनर्वि०	-14,12.76			
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 85.79 लाख और ₹ 1,71.56 लाख की कमी निर्माण कार्य के लिए पहली किस्त 40 प्रतिशत अवमुक्त होने तथा प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 11,55.41 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये।				
10- सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए उपकरणों का क्रय—				
मूल	14,25.75] 20,01.75	7,32.23	-12,69.52
पुनर्वि०	-5,76.00			
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 5,76.00 लाख की कमी नए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु भूमि अनुपलब्धता के कारण हुई।				
110- अस्पताल तथा औषधालय—				
09- तरवां जनपद आजमगढ़ में 100 शैय्या चिकित्सालय भवन का निर्माण		50.00	..	-50.00
800- अन्य व्यय—				
97- बाह्य सहायतित परियोजनायें		5,00.00	..	-5,00.00
उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2013)।				

(ix) व्याधिक्य मुख्यतः निम्न के अधीन हुआ:-

' kh" kZ

dy vupku okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; \$
cpr&

(yk[k ₹ e)

4210- fpfdRI k rFkk ykxd LokLF;

ij i thxr ifj0; ; &

01- शहरी स्वास्थ्य सेवायें-

110- अस्पताल तथा औषधालय-

67- जनपद कौशाम्बी में 100 शैय्यायुक्त
संयुक्त चिकित्सालय का भवन निर्माण-

मूल 1,00.00

1,65.26

1,65.26

..

पुनर्वि० 65.26

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 65.26 लाख की वृद्धि कौशाम्बी जिले में शैय्यायुक्त अस्पताल भवन के निर्माण के प्रस्ताव के कारण हुई ।

78- जिला/संयुक्त चिकित्सालयों में स्वतंत्र विद्युत
फीडर का निर्माण-

मूल 67,00.00

78,55.41

78,54.50

-0.91

पुनर्वि० 11,55.41

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 11,55.41 लाख की वृद्धि अस्पताल में स्वतंत्र विद्युत फीडर की स्थापना के कारण हुई ।

02- ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें-

110- अस्पताल तथा औषधालय-

15- 100 शैय्यायुक्त चिकित्सालयों की स्थापना-

मूल 5,00.00

14,61.40

14,61.40

..

पुनर्वि० 9,61.40

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 5,24.82 लाख की वृद्धि अतरौलिया, आजमगढ़ में 100 शैय्यायुक्त अस्पताल के निर्माण व ₹ 4,36.00 लाख की वृद्धि छिबरामऊ कन्नौज में मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार 100 शैय्यायुक्त अस्पताल के निर्माण के कारण हुआ ।

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2013) ।

वृत्तिका 1 अ; क 33 & फर्दरि क फोहकx (vk; पंd , oa ; wkuh)

ए; 'kh"kl dy vupku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; \$
cpr&
(gtlj ₹ ee)

jktLo&

2210- फर्दरि क रFkk ykd LokLF;

nRrer&

मूल	4,82,92,27	}
पूरक	..	

4,82,92,27

4,33,76,68

-49,15,59

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि

..

iwthxr&

4210- फर्दरि क रFkk ykd LokLF; ij iwthxr ifj0; ;

nRrer&

मूल	35,38,71	}
पूरक	..	

35,38,71

28,08,33

-7,30,38

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि

..

fVlif.k; ka , oa VhdK; &

jktLo&

nRrer&

(i) ₹ 49,15.59 लाख की अन्तिम बचत में से, कोई भी धनराशि अभ्यर्पण के लिए प्रत्याशित नहीं की जा सकी।

(ii) बचत (अन्य शीर्षों के अन्तर्गत व्ययाधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न के अधीन हुई:-

'kh"kl dy vupku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; \$
cpr&

(yk[k ₹ ee)

2210- फर्दरि क रFkk ykd LokLF; &

02- शहरी स्वास्थ्य सेवायें-अन्य

चिकित्सा पद्धतियां-

101- आयुर्वेद-

03- निदेशन तथा प्रशासन

20,85.48

15,42.77

-5,42.71

04- विभागीय औषधि विनिर्माण-

6,12.04

5,75.89

-36.15

05- अस्पताल तथा रुजालय

81,26.52

67,71.01

-13,55.51

'kh"kl	dlv vupku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$ cpr&
(yk[k ₹ e)			
103- यूनानी—			
05- अस्पताल तथा रूजालय	4,56.66	4,12.29	-44.37
04- ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें—अन्य चिकित्सा पद्धति—			
101- आयुर्वेद—			
04- अस्पताल तथा रूजालय	2,67,02.64	2,49,50.88	-17,51.76
103- यूनानी—			
03- अस्पताल तथा रूजालय—			
मूल	34,87.76		
पुनर्वि०	-77.61		
	34,10.15	25,59.63	-8,50.52
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 77.61 लाख की कमी वास्तविक मांग के कारण हुई।			
05- चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान—			
101- आयुर्वेद—			
03- शिक्षा	16,64.14	16,11.89	-52.25
06- अन्य व्यय	37,25.04	35,36.32	-1,88.72
07- राजकीय आयुर्वेदिक मेडिकल कालेजों में योगा एवं नेचुरोपैथी यूनिट्स की स्थापना	34.50	..	-34.50
उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2013)			

(iii) व्ययाधिक्य निम्न के अधीन हुआ:—

2210- fpfdRI k rFkk ykd LokLF; &

02- शहरी स्वास्थ्य सेवायें—अन्य
चिकित्सा पद्धतियां—

103- यूनानी—

03- निदेशन तथा प्रशासन

मूल	1,53.71		
पुनर्वि०	22.69		
		1,76.40	1,50.87
			-25.53

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 22.69 लाख की वृद्धि पदों के पूरे भरे जाने के कारण हुई ।

'kh"lz dly vupku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; \$ cpr&

(yk[k ₹ e)

05- चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण
तथा अनुसंधान-

103- यूनानी-

03- यूनानी कालेज तथा सम्बद्ध अस्पताल-

मूल	11,47.68]	12,02.60	11,72.62	-29.98
पुनर्वि०	54.92				

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 54.92 लाख की वृद्धि पदों के पूरे भरे जाने के कारण हुआ ।
उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (जून 2013)।

- (i) ₹ 7,30.38 लाख की अन्तिम बचत में से, कोई भी धनराशि अभ्यर्पण के लिए प्रत्याशित नहीं की जा सकी।
(v) बचत मुख्यतः निम्न के अधीन हुई:-

nRrer&

i wthxr&

4210- fpfdRI k rFkk ykd LokLF; ij i wthxr ifj@ ;

01- शहरी स्वास्थ्य सेवायें-

800- अन्य व्यय-

06- यूनानी कालेज तथा सम्बद्ध
अस्पताल

11,88.71 11,20.47 -68.24

02- ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें-

110- अस्पताल तथा औषधालय

03- राजकीय आयुर्वेदिक तथा
यूनानी चिकित्सालय

3,50.00 1,92.70 -1,57.30

800- अन्य व्यय-

04- राजकीय आयुर्वेदिक/यूनानी कालेजों के भवनों/
छात्रावासों का निर्माण(चालू कार्य)

10,00.00 4,95.16 -5,04.84

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये (जून 2013)।

वृत्तिका 1 अ; क 34 & फर्दरी क फोहक (गक; कि फक फर्दरी क)

अ; 'क'क द्य वृत्तिका अलरफद 0; ; व/कद 0; ; \$
cpr&

(गक/क ₹ अ)

ककल&

2210- फर्दरी क रफक यकद लोकलफ;

नरर&

मूल 2,12,75,53]

2,12,75,53 2,07,73,17 -5,02,36

पूरक ..]

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि

..

ककल&

4210- फर्दरी क रफक यकद लोकलफ; क

ककल ककल; ;

नरर&

मूल 30,31,74]

30,31,74 29,39,78 -91,96

पूरक ..]

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि

..

ककल ककल; ककल, ककल ककल; &

ककल&

नरर&

(i) ₹ 5,02.36 लाख की अंतिम बचत में से, कोई भी धनराशि अभ्यर्पित नहीं की जा सकी।

(ii) बचत निम्न के अधीन हुई:-

'क'क द्य वृत्तिका अलरफद 0; ; व/कद 0; ; \$
cpr&

(कक/क ₹ अ)

2210- फर्दरी क रफक यकद लोकलफ; &

02- शहरी स्वास्थ्य सेवायें-

अन्य चिकित्सा पद्धतियां-

102- हौम्योपेथी-

03- निदेशन और प्रशासन

1,66.00

1,54.60

-11.40

04- अस्पताल और औषधालय

26,55.74

24,49.91

-2,05.83

' kh"KZ

dgy vupku

okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; \$
cpr&

(yk[k ₹ ee)

04- ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें-अन्य चिकित्सा पद्धति-

102- हौम्योपेथी-

03- निदेशन और प्रशासन

1,66,54.02

1,64,05.50

-2,48.52

05- चिकित्सा शिक्षा-प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-

102- हौम्योपेथी-

03- शिक्षा

17,97.75

17,62.17

-35.58

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2013)।

i wthxr&

nRrer&

(iii) ₹ 91.96 लाख की अंतिम बचत में से, कोई भी धनराशि अभ्यर्पित नहीं की जा सकी।

(iv) बचत (अन्य शीर्षों के अन्तर्गत व्ययाधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न के अधीन हुई:-

4210- fpfdRI k rFkk ykcd LokLF; ij

i wthxr ifj0; ; &

01- शहरी स्वास्थ्य सेवायें-

800- अन्य व्यय-

03- राजकीय नेशनल होम्योपेथी मेडिकल कालेज,

लखनऊ, राजकीय पं० जवाहर लाल नेहरु

होम्योपेथी मेडिकल कालेज, कानपुर तथा राजकीय

लाल बहादुर शास्त्री होम्योपेथी मेडिकल कालेज,

इलाहाबाद के भवनों का निर्माण

1,00.00

..

-1,00.00

02- ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें-अन्य चिकित्सा पद्धति-

800- अन्य व्यय-

03- होम्योपेथिक चिकित्सालय भवनों का

निर्माण (जिला योजना)

1,46.19

..

-1,46.19

03- चिकित्सा , शिक्षा, प्राशिक्षण तथा अनुसंधान

102- हौम्योपेथी-

03- राजकीय होम्योपेथिक मेडिकल कालेज

और अस्पताल

89.33

..

-89.33

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के प्रयोग न किए जाने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2013)।

(v) व्ययाधिक्य निम्न के अधीन हुआ:-

' kh" kZ

dg vupku

okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; \$
cpr&

(yk[k ₹ ee)

4210- fpfdRI k rFkk ykd LokLF; ij

i wthxr ifj0; ; &

01- शहरी स्वास्थ्य सेवायें-

800- अन्य व्यय-

09- राजकीय होम्योपैथी मेडिकल

कालेज और अस्पताल

26,04.81

28,51.00

+2,46.19

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत व्ययाधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2013)।

वृत्तिका I अ; क 35&fपfdRI क foHkkx (i fjojk dY; k.k)

वृत्तिका ; 'kh"kl	वृत्तिका ; क fofu; ksx	वृत्तिका 0; ; (gtlj ₹ ea)	वृत्तिका 0; ; \$ cpr&
jktLo&			
2211- i fjojk dY; k.k			
nRrer&			
मूल	24,76,88,98	25,56,88,98	23,35,64,22
पूरक	80,00,00		
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2013)			-2,21,24,76
i Hkkfjr&			
मूल	16,00	16,00	1,24
पूरक	..		
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2013)			2,05,04,60
			-14,76
			14,76

fVli f.k; ka , oa Vhdk; &

jktLo&
nRrer&

- ₹ 2,21,24.76 लाख की अंतिम बचत में से मात्र ₹ 2,05,04.60 लाख की धनराशि अभ्यर्पण के लिए प्रत्याशित की जा सकी ।
- ₹ 2,21,24.76 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए, नवम्बर 2012 में प्राप्त किया गया ₹ 80,00.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ ।
- बचत(अन्य शीर्षों के अन्तर्गत व्ययाधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न के अधीन हुई:-

वृत्तिका ; 'kh"kl	वृत्तिका ; क fofu; ksx	वृत्तिका 0; ; (yk[k ₹ ea)	वृत्तिका 0; ; \$ cpr&
-------------------	------------------------------	-------------------------------	--------------------------

2211- i fjojk dY; k.k&

001- निदेशन तथा प्रशासन-

01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा
पुरोनिधानित योजनायें-

मूल	47,12.05	41,27.91	40,12.94
पुनर्वि०	-5,84.14		

₹ 5,84.14 लाख का समर्पण आवश्यकतानुसार व्यय और पद रिक्तता के कारण हुआ ।

' kh" kZ	dly vuqku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$	cpr&
				(yk[k ₹ ee)
003- प्रशिक्षण—				
01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा				
पुरोनिधानित योजनायें—				
मूल	24,26.78	16,88.41	14,80.77	-2,07.64
पुनर्वि०	-7,38.37			
₹ 7,38.37 लाख का समर्पण आवश्यकतानुसार व्यय और पद रिक्तता के कारण हुआ।				
101- ग्रामीण परिवार कल्याण सेवायें—				
01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा				
पुरोनिधानित योजनायें—				
मूल	15,14,73.01	13,76,24.99	13,70,81.48	-5,43.51
पुनर्वि०	-1,38,48.02			
₹ 1,38,48.02 लाख की कुल प्रत्याशित बचत में से, प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 12,00.00 लाख, ₹ 14,67.98 लाख व ₹ 1.23 लाख की कमी आवश्यकतानुसार व्यय तथा ₹ 1,06,38.81 लाख एवं ₹ 5,40.00 लाख का समर्पण पदों की रिक्तता के कारण हुआ।				
103- मातृ तथा बाल स्वास्थ्य(कमशः)—				
01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा				
पुरोनिधानित योजनायें—				
मूल	4,28,71.20	3,64,98.38	3,63,22.61	-1,75.77
पुनर्वि०	-63,72.82			
₹ 63,72.82 लाख की कुल प्रत्याशित बचत में से, प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 6,00.00 लाख की कमी आवश्यकतानुसार व्यय होने तथा ₹ 27,62.82 लाख एवं ₹ 30,10.00 लाख का समर्पण पदों की रिक्तता के कारण हुआ।				
104- परिवहन—				
03- राज्य,मण्डल जिला एवं स्वास्थ्य				
केन्द्र स्तर के कार्यात्मक वाहन				
		3,75.00	3,42.62	-32.38

'kh"z dly vupku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; \$
cpr&
(yk[k ₹ ee)

200- अन्य सेवायें तथा पूर्तियां—

01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा
पुरोनिधानित योजनायें—

मूल	57,60.93	}	51,98.52	50,72.49	-1,26.03
पुनर्वि०	-5,62.41				

₹ 5,62.41 लाख की प्रत्याशित बचत में से, प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 6,00.00 लाख वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये। ₹ 11,62.41 लाख का समर्पण पदों की रिक्तता के कारण हुआ।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2013)।

(iv) व्ययाधिक्य निम्न के अधीन हुआ:—

2211- i f j o k j d Y ; k . k &

102- शहरी परिवार कल्याण सेवायें—

01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा
पुरोनिधानित योजनायें—

मूल	45,70.00	}	47,01.95	46,04.41	-97.54
पुनर्वि०	1,31.95				

₹ 1,31.95 लाख की प्रत्याशित बचत में से, प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 12,00.00 लाख वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये। ₹ 10,68.05 लाख का समर्पण पदों की रिक्तता व आवश्यकता के अनुसार व्यय के कारण हुआ।

200- अन्य सेवायें तथा पूर्तियां—

04- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर स्थित
ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्र—

.. 6.29 +6.29

800- अन्य व्यय—

01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा
पुरोनिधानित योजनायें—

मूल	3,55,00.01	}	4,49,69.22	4,46,40.61	-3,28.61
पूरक	80,00.00				
पुनर्वि०	14,69.21				

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 14,69.21 लाख की वृद्धि के कारण सूचित नहीं किए गए हैं।

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम बचत/व्ययाधिक्य/प्रावधान के बिना व्यय के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2013)।

i Hkkfj r&

(v) बचत निम्न के अधीन हुई:-
' kh"z

dly
fofu; ksx

okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; \$
cpr&

(yk[k ₹ e)

2211- i fjokj dY; k.k&

001- निदेशन तथा प्रशासन-

01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा
पुरोनिधानित योजनायें-

मूल	10.00	}			
पुनर्वि०	-10.00		

₹ 10.00 लाख का समर्पण आवश्यकता के अनुसार व्यय और पद रिक्तता के कारण हुआ ।

वृत्तिका I अ; क 36 & फर्दरि क फोहकx (यकद लोकLF;)

ए; 'क"क

दय वृत्तिका
; क
फोफु; कx

ओलरफोद 0; ;

वफ/कद 0; ; \$
cpr&

(गतक र ए)

जक्तल&

2210- फर्दरि क रफक यकद लोकLF;

नरर&

मूल 4,39,69,47

4,39,69,47

3,94,21,00

-45,48,47

पूरक ..

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि

..

िहकफ्र&

मूल 2,00

2,00

17

-1,83

पूरक ..

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि

..

िथर&

4210- फर्दरि क रफक यकद लोकLF; िज िथर िफ0; ;

मूल 26,53,00

26,53,00

..

-26,53,00

पूरक ..

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि

..

वलि.क; का, ओ व्हक; &

जक्तल&

नरर&

(i) ₹ 45,48.47 लाख की अंतिम बचत के सापेक्ष कोई भी धनराशि अभ्यर्पित नहीं की जा सकी ।

(ii) बचत मुख्यतः निम्न के अधीन हुई:-

'क"क

दय वृत्तिका

ओलरफोद 0; ;

वफ/कद 0; ; \$
cpr&

(यक/क र ए)

2210- फर्दरि क रफक यकद लोकLF; &

06- लोक स्वास्थ्य-

001- निदेशन तथा प्रशासन-

03- अधिष्ठान व्यय

7,86.91

6,20.43

-1,66.48

'kh"kl	dy vupku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$ cpr&
(yk[k ₹ ea)			
04- खाद्य एवं औषधि प्रशासन निदेशालय की स्थापना	39,73.83	35,00.58	-4,73.25
003- प्रशिक्षण—			
04- सम्भागीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र	5,86.95	4,55.12	-1,31.83
101- रोगों का निवारण तथा नियंत्रण—			
03- स्वास्थ्य तथा खाद्य एवं औषधि नियन्त्रण	3,82,51.70	3,45,33.43	-37,18.27
80- सामान्य—			
800- अन्य व्यय—			
03- न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	3,70.02	3,11.44	-58.58

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2013)।

i Hkkfjr&

(iii) ₹ 1.83 लाख की अंतिम बचत के सापेक्ष कोई भी धनराशि अभ्यर्पित नहीं की जा सकी ।

i thxr&

(iv) ₹ 26,53.00 लाख की अंतिम बचत के सापेक्ष कोई भी धनराशि अभ्यर्पित नहीं की जा सकी ।

(v) बचत मुख्यतः निम्न के अधीन हुई:—

4210- fpfdRI k rFkk ykd LokLF; ij i thxr ifj0; ; &

04- लोक स्वास्थ्य—			
107- लोक स्वास्थ्य प्रयोगशालाएं			
03- राजकीय जन विश्लेषक प्रयोगशालाओं का उच्चीकरण	26,53.00	..	-26,53.00

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं
(जून 2013)।

वृत्तिका 1 अंक 37 अक्षरों में फोडकी फोडकी

एक; 'क'क

द्वि वृत्तिका

अक्षरों 0; ;

वर्ष/कद 0; ; \$
cpr &

1/2 गतक ₹ 1/2

जक्तल

2015- फोडकी

2052- 1 फोडकी; & 1 कक; 1 अक्षर; 1

2053- फोडकी 1/2 कक 1/2

2070- वल; 1/2 कक 1/2 फुद 1 अक्षर; 1

2215- त्रिभुज रफक 1 कक

2217- 'क'क फोडकी रफक

2230- 1/2 रफक 1/2 कक

नरर

मूल 11,26,50,81

11,50,50,81

9,11,99,73

-2,38,51,08

पूरक 24,00,00

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2013)

2,35,58,69

इत्तर

4070- वल; 1/2 कक 1/2 फुद 1 अक्षर 1/2

इत्तर 1/2; ;]

4215- त्रिभुज रफक 1 कक 1/2

इत्तर 1/2; ;]

4216- वकल 1/2 इत्तर 1/2; ;]

4217- 'क'क फोडकी 1/2 इत्तर 1/2; ;]

4250- वल; 1/2 कक 1/2 अक्षर 1/2

इत्तर 1/2; ; रफक

6215- त्रिभुज रफक 1 कक 1/2 दस फु, दस

नरर

मूल 33,88,11,39

33,88,11,39

26,50,11,98

-7,37,99,41

पूरक ..

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2013)

6,27,13,32

वर्ष 1/2; ; , 1/2 अक्षर; &

जक्तल

नरर

- (i) ₹ 9,11,99.73 लाख के वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02, 2002-03, 2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-11 तथा 2011-12 के उच्चत लेखे के समाशोधन के ₹ 9.06 लाख की धनराशि सम्मिलित है।
- (ii) ₹ 2,38,60.14 लाख (₹ 2,38,51.08 लाख + ₹ 9.06 लाख) की अन्तिम बचत में से, मात्र ₹ 2,35,58.69 लाख की धनराशि अभ्यर्पण के लिए प्रत्याशित की जा सकी।

- (iii) ₹ 2,38,60.14 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए, नवम्बर 2012 में प्राप्त किया गया ₹ 24,00.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ। इसे यथावश्यक सांकेतिक धनराशि से सीमित किया जा सकता था।
- (iv) बचत (अन्य शीर्षों के अन्तर्गत व्ययाधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न के अधीन हुई—

द्वि वृत्त अक्षर 0 ; ; व/क 0 ; ; \$
cpr &
½ य/क ₹ ६ ½

2015- फुक्पु&

800- अन्य व्यय—

03- स्थानीय निकायों के निर्वाचन

जिला कर्मचारी वर्ग—

मूल	13,92.06]	11,41.56	10,40.03	-1,01.53
पुनर्वि०	-2,50.50				

वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02, 2002-03, 2007-08, 2010-11 तथा 2011-12 के उच्च लेखे के समाशोधन के ₹ 7.89 लाख सम्मिलित है।

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 2,50.50 लाख की कमी वेतन तथा भत्ते में बचत के कारण हुई।

2052- l fpoky; &l kekl; l ok; &

092- अन्य कार्यालय—

03- स्थानीय निकाय निदेशालय—

मूल	3,24.58]	2,82.53	2,80.93	-1.60
पुनर्वि०	-42.05				

वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02, 2008-09 तथा 2009-10 के उच्च लेखे के समाशोधन के ₹ 0.90 लाख सम्मिलित है।

₹ 42.05 लाख का अभ्यर्पण आर्थिक मितव्ययिता तथा वास्तविक व्यय के आधार पर हुआ।

2053- ftyk i/ kkl u&

094- अन्य स्थापनाएं—

03- माघ मेला अधिष्ठान—

मूल	5,26.57]	45.33	43.82	-1.51
पुनर्वि०	-4,81.24				

₹ 4,81.24 लाख की कुल बचत में से, प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 1,18.47 लाख की कमी माघ मेला अधिष्ठान में बचत के कारण हुई तथा ₹ 3,62.77 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

' kh" kZ

dy vupku

okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; \$

cpr &

¼ yk[k ₹ e½

04- कुम्भ मेला, इलाहाबाद-

मूल	15,20.69
पुनर्वि०	-12,58.99

2,61.70

2,57.78

-3.92

₹ 12,58.99 लाख की शुद्ध बचत में से, ₹ 13,77.46 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं। ₹ 1,18.47 लाख की वृद्धि कुम्भ मेला अधिकारियों/कार्मिकों को वेतन तथा भत्ते के भुगतान हेतु धनराशि की व्यवस्था के कारण हुई।

2070- vl; i t kkl fud l ok, &

800- अन्य व्यय-

04- उत्तर प्रदेश नगर पालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड-

मूल	4,00.00
पुनर्वि०	-3,79.72

20.28

30.05

+9.77

₹ 3,79.72 लाख का अभ्यर्पण बोर्ड में सदस्यों/कार्मिकों की नियुक्ति न होने के कारण हुआ।

2217- 'kgjh fodkl &

04- मलिन बस्तियों का सुधार-

800- अन्य व्यय-

01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-

मूल	5.00
पुनर्वि०	-5.00

..

..

..

₹ 5.00 लाख का अभ्यर्पण भारत सरकार की योजना के अन्तर्गत केन्द्रांश की धनराशि प्राप्त न होने के कारण हुआ।

05- अन्य शहरी विकास योजनायें-

800- अन्य व्यय-

07- नगरीय परिवहन निदेशालय

1,00.00

50.00

-50.00

08- राजीव आवास योजना (आर० ए० वाई०)-

मूल	7,33.00
पुनर्वि०	-6,77.51

55.49

55.49

..

₹ 6,77.51 लाख का अभ्यर्पण भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त न होने के कारण हुआ।

' kh"kl

dy vupku okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; \$
cpr &

¼ yk[k ₹ e½

80- सामान्य-

191- नगर निगमों को सहायता-

03- तेरहवें वित्त आयोग द्वारा

संस्तुत अनुदान-

मूल 3,62,47.20]

3,06,34.34

3,06,34.34

..

पुनर्वि० -56,12.86]

₹ 56,12.86 लाख का अभ्यर्पण भारत सरकार से धनराशि प्राप्त न होने के कारण हुआ।

192- नगर पालिकाओं/नगर पालिका

परिषदों को सहायता-

03- तेरहवें वित्त आयोग द्वारा

संस्तुत अनुदान-

मूल 3,62,47.20]

3,06,34.34

3,06,34.34

..

पुनर्वि० -56,12.86]

₹ 56,12.86 लाख का अभ्यर्पण भारत सरकार से धनराशि प्राप्त न होने के कारण हुआ।

193- नगर पंचायतों/अधिसूचित क्षेत्र

समितियों या उनके समतुल्य

निकायों को सहायता-

03- तेरहवें वित्त आयोग द्वारा

संस्तुत अनुदान-

मूल 1,81,23.60]

1,53,17.17

1,53,17.17

..

पुनर्वि० -28,06.43]

₹ 28,06.43 लाख का अभ्यर्पण भारत सरकार से धनराशि प्राप्त न होने के कारण हुआ।

800- अन्य व्यय-

04- प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट

(के० 100/रा० 0)-

मूल 75.00]

45.16

45.16

..

पुनर्वि० -29.84]

₹ 29.84 लाख का अभ्यर्पण आर्थिक मितव्ययिता तथा समस्त पदों पर नियुक्ति न होने के कारण हुआ।

06- आई०आर०एम०ए० (इरमा)

(के० 100/रा० 0)-

मूल 27.00]

..

..

..

पुनर्वि० -27.00]

₹ 27.00 लाख का अभ्यर्पण नये आई० आर० एम० ए० में नियुक्ति न होने के कारण हुआ।

' kh" kZ

dy vupku

okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; \$

cpr &

¼ yk[k ₹ e½

07- लखनऊ विश्वविद्यालय

(रीजनल सेन्टर फार अरबन
एण्ड इनवायरमेन्टल स्टडी के
लिए सहायता)

50.00

45.00

-5.00

2230- Je rFkk jkst xkj &

02- रोजगार सेवाएं—

101- रोजगार सेवाएं—

01- केन्द्रीय आयोजनागत / केन्द्र
द्वारा पुरोनिधानित योजनायें—

मूल 77,05.76

10,33.59

10,33.59

..

पुनर्वि० -66,72.17

₹ 66,72.17 लाख की कुल बचत में से, प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 60.21 लाख की कमी स्वर्ण जयन्ती नगरीय रोजगार योजना के अन्तर्गत सूडा से सीधे केन्द्रांश प्राप्त होने के कारण बजट में बचत के कारण हुई। ₹ 66,11.96 लाख का अभ्यर्षण भारत सरकार से दूसरी किश्त प्राप्त न होने के कारण हुआ।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत / व्ययाधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2013)।

(v) व्ययाधिक्य मुख्यतः निम्न के अधीन हुआ:—

2015- fuokpu &

800- अन्य व्यय—

04- स्थानीय निकायों के चुनाव हेतु—

मूल 25,00.00

पूरक 14,00.00

पुनर्वि० 2,50.50

41,50.50

39,58.17

-1,92.33

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 2,50.50 लाख की वृद्धि नगरीय स्थानीय निकाय 2012 के लम्बित उत्तरदायित्वों के निस्तारण के कारण हुई।

2217- 'kgjh fodkl &

05- अन्य शहरी विकास योजनायें—

800- अन्य व्यय—

01- केन्द्रीय आयोजनागत / केन्द्र
द्वारा पुरोनिधानित योजनायें—

मूल 47.01

1,07.22

1,07.21

-0.01

पुनर्वि० 60.21

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 60.21 लाख की वृद्धि यू0 एस0 एच0 ए0 योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा केन्द्रांश की अवमुक्त धनराशि प्रस्तावित पुनर्विनियोग के कारण हुई।

' kh"kl

dy vupku okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; \$
cpr &

¼ yk[k ₹ ea ½

80- सामान्य-

800- अन्य व्यय-

05- प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन यूनिट

(के० 100/रा० 0)-

मूल	50.00	}	49.93	1,13.40	+63.47
पुनर्वि०	-0.07				

₹ 0.07 लाख का अभ्यर्पण आर्थिक मितव्ययिता के कारण हुआ।

i wthxr&

nRrer&

(vi) ₹ 7,37,99.41 लाख की अन्तिम बचत में से, मात्र ₹ 6,27,13.32 लाख की धनराशि अभ्यर्पण के लिए प्रत्याशित की जा सकी।

(vii) बचत (अन्य शीर्षों के अन्तर्गत व्ययाधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न के अधीन हुई:-

4215- tyi wrl rFkk l Qkbl ij

i wthxr ifj0; ; &

01- जलपूर्ति-

101- शहरी जल पूर्ति-

03- नगरीय पेयजल कार्यक्रमों के

निर्माण कार्य हेतु अनुदान

10,00.00

7,85.75

-2,14.25

97- वार्ड सहायतित योजनायें-

मूल	2,90,00.00	}	1,00,00.00	1,01,65.12	+1,65.12
पुनर्वि०	-1,90,00.00				

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 1,90,00.00 लाख की कमी आगरा जल पूर्ति (पलरा) की प्रावधानित धनराशि में बचत के कारण हुई।

192- नगर पालिकाओं/नगर पालिका
परिषदों को सहायता-

04- उत्तर प्रदेश व्यापार विकास

निधि से व्यय-

मूल	24,00.00	}	21,65.57	21,00.04	-65.53
पुनर्वि०	-2,34.43				

₹ 2,34.43 लाख का अभ्यर्पण परिपक्व प्रस्ताव प्राप्त न होने तथा धनराशि किश्त में अवमुक्त होने के कारण हुआ।

' kh" kZ

dy vupku

okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; \$

cpr &

¼ yk[k ₹ ea ½

193- नगर पंचायतों/अधिसूचित क्षेत्र
समितियों या उनके समतुल्य
निकायों को सहायता—

04- उत्तर प्रदेश व्यापार विकास
निधि से व्यय—

मूल	25,00.00] 16,24.96	16,90.49	+65.53
पुनर्वि०	-8,75.04			

₹ 8,75.04 लाख का अभ्यर्पण परिपक्व प्रस्ताव प्राप्त न होने तथा धनराशि किश्त में अवमुक्त होने के कारण हुआ।

02- मल—जल तथा सफाई—

191- नगर निगमों को सहायता—

03- उत्तर प्रदेश व्यापार विकास
निधि से व्यय—

मूल	19,00.00] 33,33.64	32,26.96	-1,06.68
पुनर्वि०	14,33.64			

₹ 14,33.64 लाख की शुद्ध वृद्धि में से, ₹ 6,93.36 लाख का अभ्यर्पण परिपक्व प्रस्ताव प्राप्त न होने तथा धनराशि किश्त में अवमुक्त होने के कारण हुआ। प्रावधान में ₹ 21,27.00 लाख की वृद्धि नगर पालिका क्षेत्र में सीवर कार्य हेतु अधिक धनराशि की आवश्यकता के कारण हुई।

192- नगर पालिकाओं/नगर पालिका
परिषदों को सहायता—

03- उत्तर प्रदेश व्यापार विकास
निधि से व्यय—

मूल	51,00.00] 45,48.00	45,05.46	-42.54
पुनर्वि०	-5,52.00			

₹ 5,52.00 लाख की शुद्ध बचत में से, ₹ 40.17 लाख का अभ्यर्पण परिपक्व प्रस्ताव प्राप्त न होने तथा धनराशि किश्त में अवमुक्त होने के कारण हुआ। प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 13,15.17 लाख की वृद्धि नगर पालिका क्षेत्र में सीवर कार्य हेतु अधिक धनराशि की आवश्यकता तथा प्रावधान में ₹ 18,27.00 लाख की कमी नगर पालिका परिषदों में आंशिक सीवर के कारण हुई।

' kh" kZ

dy vupku

okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; \$

cpr &

¼ yk[k ₹ ea ½

193- नगर पंचायतों/अधिसूचित क्षेत्र
समितियों या उनके समतुल्य
निकायों को सहायता—

03- उत्तर प्रदेश व्यापार विकास
निधि से व्यय—

मूल	30,00.00]	11,99.96	9,19.66	-2,80.30
पुनर्वि०	-18,00.04				

₹ 18,00.04 लाख की कुल बचत में से, ₹ 1,74.87 लाख का अभ्यर्पण परिपक्व प्रस्ताव प्राप्त न होने तथा धनराशि किश्त में अवमुक्त होने के कारण हुआ। प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 16,25.17 लाख की कमी नगर पंचायत में सीवर कम होने के कारण हुई।

4217- 'kgjh fodkl ij iwthxr ifj0; ; &

03- छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों
का समेकित विकास—

191- नगर निगमों को सहायता—

03- अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट
स्कीम फार स्माल एण्ड मीडियम
टाउन्स (केन्द्र 80/राज्य 10)—

मूल	1,00,00.00]	76,13.67	25,35.65	-50,78.02
पुनर्वि०	-23,86.33				

₹ 23,86.33 लाख की कुल बचत में से, ₹ 21,31.81 लाख का अभ्यर्पण भारत सरकार से केन्द्रीय सहायता प्राप्त न होने के कारण हुआ। प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 2,54.52 लाख की कमी भारत सरकार से धनराशि प्राप्त न होने के कारण हुई।

193- नगर पंचायतों/अधिसूचित क्षेत्र
समितियों या उनके समतुल्य
निकायों को सहायता—

04- उत्तर प्रदेश व्यापार विकास
निधि से व्यय—

मूल	69,00.00]	60,47.50	60,47.50	..
पुनर्वि०	-8,52.50				

₹ 8,52.50 लाख की कुल बचत में से, ₹ 3.50 लाख का अभ्यर्पण आहरण कम होने के कारण हुआ तथा प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 8,49 लाख की कमी नगर पंचायत से प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुई।

' kh" kZ

dy vupku

okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; \$

cpr &

¼ yk[k ₹ ea ½

800- अन्य व्यय—

01- केन्द्रीय आयोजनागत / केन्द्र
द्वारा पुरोनिधानित योजनायें—

मूल	11,00.00			
पुनर्वि०	-11,00.00			

₹ 11,00.00 लाख का अभ्यर्पण संयुक्त वित्त विकास निधि का गठन न होने के कारण हुआ।

60- अन्य शहरी विकास योजनायें—

051- निर्माण—

03- इन्टीग्रेटेड हाउसिंग एण्ड
स्लम डेवलपमेन्ट प्रोग्राम
(केन्द्र 80 / राज्य 20)—

मूल	1,76,14.00			
पुनर्वि०	-11,47.22			

1,64,66.78

61,41.76

-1,03,25.02

₹ 11,47.22 लाख का अभ्यर्पण भारत सरकार की योजना के अन्तर्गत ए०सी०ए० की किश्त प्राप्त न होने के कारण हुआ।

04- जे०एन०एन०यू०आर०एम० के

उपघटक, बेसिक सर्विसेज
फार अरबन पुअर
(केन्द्र 50 / राज्य 50)—

मूल	2,64,20.00			
पुनर्वि०	-2,32,96.93			

31,23.07

31,23.07

..

₹ 2,32,96.93 लाख का अभ्यर्पण भारत सरकार की योजना के अन्तर्गत ए०सी०ए० की किश्त प्राप्त न होने के कारण हुआ।

191- नगर निगमों को सहायता—

03- जे०एन०एन०यू०आर०एम० की
योजनाओं को सहायता
(केन्द्र 50 / राज्य 20)—

मूल	14,00,00.00			
पुनर्वि०	-2,77,76.14			

11,22,23.86

11,22,23.86

..

₹ 2,77,76.14 लाख का अभ्यर्पण भारत सरकार से केन्द्रीय सहायता प्राप्त न होने के कारण हुआ।

' kh" kZ

dy vupku

okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; \$

cpr &

¼ yk[k ₹ e½

04- तेरहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों
का कार्यान्वयन—

मूल	31,25.00	}	30,80.72	30,06.43	-74.29
पुनर्वि०	-44.28				

₹ 44.28 लाख का अभ्यर्पण परिपक्व प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुआ।

192- नगर पालिकाओं/नगर पालिका
परिषदों को सहायता—

03- जे०एन०एन०यू०आर०एम० योजनाओं
को सहायता (केन्द्र 50/राज्य 20) —

मूल	50,00.00	}	26,06.91	26,06.91	..
पुनर्वि०	-23,93.09				

₹ 23,93.09 लाख का अभ्यर्पण भारत सरकार से केन्द्रीय सहायता प्राप्त न होने के कारण हुआ।

800- अन्य व्यय—

01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र
द्वारा पुरोनिधानित योजनायें—

मूल	5,25.00	}
पुनर्वि०	-5,25.00				

₹ 5,25.00 लाख का अभ्यर्पण भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त न होने के कारण हुआ।

6215- ty i¶rl rFkk l Qkbl ds fy, dt&

02- मल—जल तथा सफाई—

193- नगर पंचायतों/अधिसूचित क्षेत्र
समितियों या उनके समतुल्य
निकायों को सहायता—

04- नया सवेरा नगर

विकास योजना	15,00.00	14,35.27	-64.73
-------------	----------	----------	--------

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत/व्ययाधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2013)।

(viii) व्ययाधिक्य मुख्यतः निम्न के अधीन हुआ:-

'kh"kl	dy vupku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$
			cpr &
	¼ yk[k ₹ ea½		

4070- vl; i l kkl fud l okvka
ij i wthxr ifj0; ; &

800- अन्य व्यय-

03- कुम्भ मेला इलाहाबाद-

मूल	2,00,00.00			
		3,67,22.53	3,65,99.13	-1,23.40
पुनर्वि०	1,67,22.53			

₹ 1,67,22.53 लाख की शुद्ध वृद्धि में से, प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 1,90,00.00 लाख की वृद्धि कुम्भ मेला 2013 हेतु स्वीकृत परियोजना में बजट प्रावधान कम होने के कारण हुई। ₹ 22,77.47 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

4215- tyi f r l r f k k l Q k b l i j
i w t h x r i f j 0 ; ; &

01- जलपूर्ति-

191- नगर निगमों को सहायता-

04- उत्तर प्रदेश व्यापार विकास
निधि से व्यय-

मूल	11,00.00			
		11,10.00	11,10.00	..
पुनर्वि०	10.00			

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 10.00 लाख की वृद्धि नगर निगम क्षेत्र में सीवर कार्य हेतु अधिक धनराशि आवश्यकता होने के कारण हुई।

4217- 'k g j h f o d k l i j i w t h x r i f j 0 ; ; &

03- छोटे तथा मध्यम श्रेणी के
नगरों का समेकित विकास-

192- नगर पालिकाओं/नगर पालिका
परिषदों को सहायता-

03- अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट
स्कीम फार स्माल एण्ड मीडियम
टाउन्स (केन्द्र 80/राज्य 10)-

मूल	50,00.00			
		52,54.52	1,03,32.54	+50,78.02
पुनर्वि०	2,54.52			

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 2,54.52 लाख की वृद्धि भारत सरकार की योजना के अन्तर्गत केन्द्रांश की धनराशि प्राप्त होने के कारण हुई।

' kh"kl

dy vupku okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; \$
cpr &

¼ yk[k ₹ e½

04- उत्तर प्रदेश व्यापार विकास

निधि से व्यय—

मूल	7,00.00	}	15,49.00	15,49.00	..
पुनर्वि०	8,49.00				

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 8,49.00 लाख की वृद्धि नगर पालिका परिषद् से प्रस्ताव प्राप्त होने से अधिक धनराशि की आवश्यकता होने के कारण हुई।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम व्ययाधिक्य/बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2013)।

वृत्तिका I अ; क 38 & ukxfjd mMM; u foHkkx

वृत्तिका	वृत्तिका	अनुसूची 0 ; ;	वृत्तिका 0 ; ; \$
			क्र. &
			₹ एवं
ज.क.ल.			
2070- वृत्तिका; इ.क.ल. फुड I अ; क; इ			
2203- र.दु.ह.ह. फ'क'क. र.फ.क.			
3053- उ.क.ज. फो.क.उ.			
न.र.र.र. &			
मूल	32,67,86		
पूरक	..		
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2013)		32,67,86	26,90,41
			-5,77,45
इ.वृ.क.ल.			
5053- उ.क.ज. फो.क.उ. इ.ज. इ.वृ.क.ल. इ.फ.ज.0 ; ;			
न.र.र.र. &			
मूल	55,00,00		
पूरक	..		
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2013)		55,00,00	23,97,82
			-31,02,18
			35,00,00

वृत्तिका; क, अ, वा. वृ.क.ल. &

ज.क.ल.

न.र.र.र. &

(i) बचत मुख्यतः निम्न के अधीन हुई:-

वृत्तिका	वृत्तिका	अनुसूची 0 ; ;	वृत्तिका 0 ; ; \$
			क्र. &
			₹ एवं
2070- वृत्तिका; इ.क.ल. फुड I अ; क; इ			
114- वाहन का क्रय तथा रख रखाव-			
03- नागरिक उड्डयन निदेशालय-			
मूल	30,93.52		
पुनर्वि०	-5,58.47		
		25,35.05	25,35.06
			+0.01
₹ 5,58.47 लाख आवश्यकता न होने के कारण अभ्यर्पित किये गये।			

' kh"z

dy vupku

okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; \$
cpr &

¼ yk[k ₹ ea ½

2203- rduhdh f' k{kk&

105- बहुशिल्प विद्यालय-

03- एयरक्राफ्ट मेन्टीनेन्स ट्रेनिंग संस्था
का सुदृढीकरण-

मूल	1,44.34	}
पुनर्वि०	-18.98	

1,25.36

1,25.36

..

₹ 18.98 लाख का अभ्यर्पण लेक्चरर तथा अन्य कार्मिकों की नियुक्ति न होने, कार्मिकों के स्थान्तरण न होने तथा कार्मिकों को वेतन अवशेष का भुगतान किये जाने के पश्चात बचत के कारण हुई।

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम व्ययाधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2013)।

i wthxr &

nrer &

(ii) ₹ 23,97.82 लाख के वास्तविक व्यय में वर्ष 2004-05 के उचन्त लेखे के समाशोधन के ₹ 3,97.82 लाख की धनराशि सम्मिलित है। ₹ 35,00.00 लाख (₹ 31,02.18 लाख + ₹ 3,97.82 लाख) की अन्तिम बचत को देखते हुए; ₹ 35,00.00 लाख अभ्यर्पित किये गये।

(iii) बचत (एक अन्य शीर्ष के अन्तर्गत व्ययाधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) निम्न के अधीन हुई:-

5053- ukxj foekuu ij i wthxr ifj0; ; &

80- सामान्य-

800- अन्य व्यय-

03- हेलीकाप्टर/वायुयान का क्रय-

मूल	35,00.00	}
पुनर्वि०	-35,00.00	

..

..

..

₹ 35,00.00 लाख का अभ्यर्पण पुराने वायुयान का विक्रय न होने से नये वायुयान का क्रय न होने के कारण हुआ।

(iv) व्ययाधिक्य निम्न के अधीन हुआ:-

5053- ukxj foekuu ij i wthxr ifj0; ; &

02- विमान पत्तन-

800- अन्य व्यय-

20- हवाई पट्टियों के निर्माण, विस्तार

एवं सुदृढीकरण तथा भूमि अर्जन

20,00.00

23,97.82

+3,97.82

वास्तविक व्यय में वर्ष 2004-05 के उचन्त लेखे के समाशोधन के ₹ 3,97.82 लाख की धनराशि सम्मिलित है।

vupku l a[; k 39&Hkk"kk foHkkx

eq[; 'kh"kl

dy vupku okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; \$

cpr &

¼ gtlj ₹ ea½

jktLo&

2058- ys[ku&l kexh rFkk epz.k]

2070- vl; i' kkl fud l dk; a rFkk

2202- l kekl; f' k{k

nRrer&

मूल 11,21,72

11,21,72

10,81,54

-40,18

पूरक ..

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2013)

40,18

fVli f.k; ka , oa Vhd; &

jktLo&

nRrer&

- (i) बचत (एक अन्य शीर्ष के अन्तर्गत व्ययाधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न के अधीन हुई:-

'kh"kl

dy vupku

okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; \$

cpr &

¼ yk[k ₹ ea½

2058- ys[ku l kexh rFkk epz.k&

105- सरकारी प्रकाशन-

03- विभागीय मैनुअलों एवं नियमावलियों

आदि का संकलन तथा प्रकाशन-

मूल 20.73

12.21

12.21

..

पुनर्वि०

-8.52

₹ 8.52 लाख का अभ्यर्पण मुख्यतः आर्थिक मितव्ययिता, चालक सहित पदों के रिक्त रहने तथा राजकीय मुद्रणालय से बिल प्राप्त न होने के कारण हुआ।

2202- l kekl; f' k{k&

03- विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा-

104- अराजकीय कालेजों और संस्थानों

को सहायता-

06- उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान को अनुदान-

मूल 1,08.04

92.21

92.21

..

पुनर्वि०

-15.83

₹ 15.83 लाख की कुल बचत में से, ₹ 6.62 लाख का अभ्यर्पण अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा पूर्णकालिक निदेशक के पद रिक्त न होने के कारण हुआ। प्रावधान में ₹ 9.21 लाख की कमी उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान को वेतन शीर्ष में प्रावधानित धनराशि अवमुक्त न किये जाने के कारण हुई।

' kh" kZ

dy vupku

okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; \$

cpr &

¼ yk[k ₹ ea ½

07- उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान को संस्कृत पंडितों को पुरस्कृत करने हेतु अनुदान—

मूल	16.00	}
पुनर्वि०	-16.00				

₹ 16.00 लाख का अभ्यर्पण पुरस्कार हेतु चयन प्रक्रिया समय से पूर्ण न होने के कारण हुआ।

05- भाषा विकास—

102- आधुनिक भारतीय भाषाओं तथा साहित्य का संवर्धन—

05- उत्तर प्रदेश सिन्धी अकादमी को अनुदान—

मूल	36.20	}	30.09	30.09	..
पुनर्वि०	-6.11				

₹ 6.11 लाख की कुल बचत में से, ₹ 1.23 लाख का अभ्यर्पण मानदेय हेतु धनराशि की आवश्यकता न होने के कारण हुआ। प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 4.88 लाख की कमी उत्तर प्रदेश सिन्धी अकादमी द्वारा वेतन शीर्ष में मांग न होने के कारण हुई।

(ii) व्याधिक्य मुख्यतः निम्न के अधीन हुआ:—

2202- I kekl; f' k{k&

03- विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा—

104- अराजकीय कालेजों और संस्थानों को सहायता—

03- हिन्दुस्तानी अकादमी, उ० प्र० को अनुदान—

मूल	29.06	}	38.27	38.27	..
पुनर्वि०	9.21				

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 9.21 लाख की वृद्धि मंहगाई भत्ते में वृद्धि के कारण हुई।

05- भाषा विकास—

800- अन्य व्यय—

03- उत्तर प्रदेश हिन्दी उर्दू साहित्य

अवार्ड कमेटी लखनऊ को इन्टरनेशनल लिट्रेसी फेस्टिवल एवं सेमिनार के आयोजन के लिये आवर्तक अनुमान—

मूल	13.00	}	17.88	17.88	..
पुनर्वि०	4.88				

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 4.88 लाख की वृद्धि सेमिनार आयोजन हेतु अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होने के कारण हुई।

व्यय का विवरण (अन्तिम वर्ष)

वर्ष : 2012-13 व्यय का विवरण (अन्तिम वर्ष)
 (अन्तिम वर्ष)

विवरण

2853- व्यय (अन्तिम वर्ष)
 /वर्ष के अन्तिम वर्ष

विवरण

मूल

22,87,69

22,87,69

19,33,32

-3,54,37

पूरक

..

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2013)

3,54,66

विवरण

4853- व्यय (अन्तिम वर्ष)
 /वर्ष के अन्तिम वर्ष

विवरण

मूल

7,00,00

7,00,00

5,36,16

-1,63,84

पूरक

..

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2013)

1,63,84

विवरण

विवरण

विवरण

(i) ₹ 19,33.32 लाख के वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02,2005-06 तथा 2009-10 के उच्चतम लेख के समाशोधन के ₹ 0.28 लाख की धनराशि सम्मिलित है ।

(ii) ₹ 3,54.65 लाख की अन्तिम बचत (₹ 3,54.37 लाख + ₹ 0.28 लाख) के विरुद्ध ₹ 3,54.66 लाख का अभ्यर्पण न्यायसंगत नहीं था तथा व्यय के त्रुटिपूर्ण अनुमान का द्योतक था ।

(iii) बचत मुख्यतः निम्न के अधीन हुई:-

'kh"kl

dlj vupku okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; \$
cpr&

(yk[k ₹ e)

2853- vykq [kuu rFkk

/kkrq deL m | kx&

02- खानों का विनियमन तथा विकास-

001- निदेशन एवं प्रशासन-

03- खनन प्रशासन की योजना-

मूल 8,90.08]

7,70.80

7,71.88

+1.08

पुनर्वि० -1,19.28]

वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 और 2009-10 के उच्चत लेखे के समाशोधन के ₹ 0.22 लाख की धनराशि सम्मिलित है ।

₹ 1,19.28 लाख का अभ्यर्पण व्यय की मदों की ग्रुपिंग व मितव्ययिता के कारण हुआ ।

004- अनुसंधान तथा विकास-

03- खनिज अन्वेषण-

मूल 12,97.61]

10,91.06

10,90.27

-0.79

पुनर्वि० -2,06.55]

वास्तविक व्यय में वर्ष 2005-06 के उच्चत लेखे के समाशोधन के ₹ 0.06 लाख की धनराशि सम्मिलित है

₹ 2,06.55 लाख का अभ्यर्पण व्यय की मदों की ग्रुपिंग व मितव्ययिता के कारण हुआ ।

06- खनिज विकास की योजनायें-

मूल 1,00.00]

71.17

71.17

..

पुनर्वि० -28.83]

₹ 28.83 लाख का अभ्यर्पण मितव्ययिता को ध्यान में रखते हुए सही मैटेरियल के क्रय के कारण हुआ ।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत/व्याधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं

(जून 2013) ।

ijwtxr&

nRrer&

(vi) बचत मुख्यतः निम्न के अधीन हुई:-

'kh"kl	dy vunku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$
			cpr&

(yk[k ₹ e)

4853- vykq [kuu rFkk /kkrpdezm |ksx ij
ij ijwtxr ifj0; ; &

01- खनिज अन्वेषण तथा विकास-

800- अन्य व्यय-

04- खनिज विकास की योजनायें-

मूल	7,00.00]	5,36.16	5,36.16	..
पुनर्वि०	-1,63.84				

₹ 1,63.84 लाख का अभ्यर्पण तकनीकी स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण तथा निर्माण कार्य हेतु धन निर्गत न होने के कारण हुआ ।

vupku I a[; k 40&fu; kstu foHkkx

eq[; 'kh"kl

dy vupku

okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; \$

cpr &

¼ g tkj ₹ ea ½

jktLo&

2235- I kekftd I j {kk rFkk dY; k. k]

2402- enk rFkk ty I j {k. k]

2515- vl; xke fodkl dk; [dæ]

2575- vl; fo' ksk {k= dk; [dæ]

2810- vi kjä fj d Å tkz I kr]

3451- I fpoky; & vkfFKd I ok; a rFkk

3454- tux.kuk] I o[k.k rFkk I kf[; dh

nRrer&

मूल 1,78,49,97

1,78,95,99

1,12,51,78

-66,44,21

पूरक 46,02

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2013)

43,19,46

i wthxr&

4059- ykd fuekZk dk; l ij i wthxr ifj0; ;]

4202- f'k{kk] [ksydwn] dyk rFkk I l dfr ij

i wthxr ifj0; ;]

4210- fpfdRI k rFkk ykd LokLF; ij

i wthxr ifj0; ;]

4215- tyi frl rFkk I Okbz ij

i wthxr ifj0; ;]

4217- 'kgjh fodkl ij i wthxr ifj0; ;]

4406- okfudh rFkk ol; tho ij i wthxr ifj0; ;]

4515- vl; xke fodkl dk; [Deka

ij i wthxr ifj0; ;]

4575- vl; fo' ksk {k= ds dk; [Deka

ij i wthxr ifj0; ;]

4702- y?kq fl pkbz ij i wthxr ifj0; ;]

4801- fctyh ifj; kstukvka ij i wthxr ifj0; ;] rFkk

5054- I Melka rFkk I sqvka ij i wthxr ifj0; ;]

nRrer&

मूल 15,49,49,99

19,59,49,99

14,99,79,88

-4,59,70,11

पूरक 4,10,00,00

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2013)

35,00,00

fVli f.k; ka , oa VhdK; &
jktLo&
nRrer&

- (i) ₹ 1,12,51.78 लाख के वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02, 2002-03, 2003-04, 2005-06, 2006-07, 2007-08 तथा 2011-12 के उच्चत लेखे के समाशोधन के ₹ 1,35.53 लाख की धनराशि सम्मिलित है।
- (ii) ₹ 67,79.74 लाख (₹ 66,44.21 लाख + ₹ 1,35.53 लाख) की अन्तिम बचत में से, मात्र ₹ 43,19.46 लाख की धनराशि अभ्यर्पण के लिए प्रत्याशित की जा सकी।
- (iii) ₹ 67,79.74 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए, नवम्बर 2012 में प्राप्त किया गया ₹ 46.02 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ। इसे यथावश्यक सांकेतिक धनराशि से सीमित किया जा सकता था।
- (iv) बचत (अन्य शीर्षों के अन्तर्गत व्ययाधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न के अधीन हुई:-

' kh" kZ	dy vupku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$
			cpr &
			¼ yk[k ₹ ea ½

2402- enk rFkk ty l j {k.k&

103- भूमि सुधार तथा विकास-

04- राज्य भूमि उपयोग परिषद्-

मूल	1,84.43	1,37.74	1,37.73	-0.01
पुनर्वि०	-46.69			

₹ 46.69 लाख का अभ्यर्पण पदों के रिक्त रहने, आर्थिक मितव्ययिता, प्रशिक्षण का आयोजन न होने आदि के कारण हुआ।

2515- vl; xke fodkl dk; lde&

102- सामुदायिक विकास-

05- अग्रगामी विकास प्रयोजना, इटावा-

मूल	1,44.14	1,36.53	1,36.53	..
पुनर्वि०	-7.61			

₹ 7.61 लाख का अभ्यर्पण पदों के रिक्त रहने, आर्थिक मितव्ययिता, मांग न होने, कोषागार द्वारा देयक का समाशोधन न किये जाने के कारण हुआ।

2575- vl; fo' k'k {k= dk; lde&

02- पिछड़े क्षेत्र-

800- अन्य व्यय-

03- बुन्देलखण्ड की विशेष योजनायें-

मूल	13,64.30	12,62.30	1,21.79	-11,40.51
पुनर्वि०	-1,02.00			

वास्तविक व्यय में वर्ष 2010-11 के उच्चत लेखे के समाशोधन के ₹ 1,21.79 लाख सम्मिलित है।

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 1,02.00 लाख की कमी बुन्देलखण्ड पैकेज के विभिन्न कार्यों हेतु स्वीकृति जारी न होने के कारण हुई।

'kh"z dly vupku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; \$
cpr &
¼ yk[k ₹ ea ½

04- बुन्देलखण्ड की विशेष योजनायें—				
मूल	21,68.32	22,70.32	10,74.84	-11,95.48
पुनर्वि०	1,02.00			
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 1,02.00 लाख की वृद्धि कार्य पूर्ण करने हेतु धनराशि की आवश्यकता के कारण हुई।				

06- बार्डर एरिया डेवलपमेंट कार्यक्रम—

101- सौर ताप ऊर्जा कार्यक्रम—

03- सोलर लाइट/सोलर पम्प/
सोलर पावर फेन्सिंग के लिए
एकमुश्त व्यवस्था—

मूल	2,00.00	2,34.12	2,32.72	-1.40
पूरक	46.02			
पुनर्वि०	-11.90			

₹ 11.90 लाख का अभ्यर्पण जनपदों द्वारा अभ्यर्पित बचत के कारण हुआ।

102- डेरी विकास परियोजनायें—

03- समितियों का गठन/उपकरण मशीन/
साज-सज्जा के लिए एकमुश्त व्यवस्था—

मूल	50.00	36.55	36.55	..
पुनर्वि०	-13.45			

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 13.45 लाख की कमी धनराशि अप्रयुक्त रहने के कारण हुई।

800- अन्य व्यय—

04- समीक्षा, प्रशिक्षण एवं मूल्यांकन
हेतु एकमुश्त व्यवस्था—

मूल	40.00
पुनर्वि०	-40.00			

₹ 40.00 लाख की कुल बचत में से, प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 39.55 लाख की कमी धनराशि अप्रयुक्त रहने तथा ₹ 0.45 लाख का अभ्यर्पण मूल्यांकन कार्य पूर्ण न होने के कारण हुआ।

3451- I fpoky; &vkfKkd I ok; &

092- अन्य कार्यालय—

03- राज्य नियोजन संस्थान (नवीन प्रभाग)—

मूल	12,24.45	9,84.74	9,84.73	-0.01
पुनर्वि०	-2,39.71			

₹ 2,39.71 लाख का अभ्यर्पण पदों के रिक्त रहने, आवश्यकतानुसार व्यय तथा स्थानान्तरण न होने के कारण हुआ।

'kh"klz dly vupku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; \$
cpr &
¼ yk[k ₹ ea ½

05- राज्य नियोजन संस्थान (मूल्यांकन प्रभाग)—				
मूल	4,02.55	3,53.49	3,53.48	-0.01
पुनर्वि०	-49.06			
₹ 49.06 लाख का अभ्यर्पण पदों के रिक्त रहने, आर्थिक मितव्ययिता के कारण हुआ।				
06- राज्य नियोजन संस्थान (प्रशिक्षण प्रभाग)—				
मूल	2,43.09	2,21.85	2,21.83	-0.02
पुनर्वि०	-21.24			
₹ 21.24 लाख का अभ्यर्पण आर्थिक मितव्ययिता के कारण हुआ।				
07- राज्य नियोजन संस्थान (मूल्यांकन प्रभाग) द्वारा विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के मूल्यांकन की प्रक्रिया में विशेषज्ञों की सेवाओं के उपयोग हेतु व्यवस्था—				
मूल	50.00	10.24	10.24	..
पुनर्वि०	-39.76			
₹ 39.76 लाख का अभ्यर्पण वास्तविक व्यय के अनुसार बचत के कारण हुआ।				
101- योजना आयोग/योजना बोर्ड—				
03- राज्य योजना आयोग—				
मूल	6,64.10	5,17.30	5,17.06	-0.24
पुनर्वि०	-1,46.80			
₹ 1,46.80 लाख का अभ्यर्पण प्रथम/द्वितीय श्रेणी के कुछ पदों के रिक्त रहने, आर्थिक मितव्ययिता तथा दावे कम होने के कारण हुआ।				
04- मण्डल/जिला स्तर पर नियोजन प्रक्रिया का विकेन्द्रीकरण—				
मूल	10,54.40	9,16.78	9,18.99	+2.21
पुनर्वि०	-1,37.62			
वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02, 2004-05, 2005-06, 2006-07 तथा 2011-12 के उच्चतम लेखे के समाशोधन के ₹ 2.07 लाख सम्मिलित है।				
₹ 1,37.62 लाख का अभ्यर्पण पदों के रिक्त रहने, देयक प्राप्त न होने, आर्थिक मितव्ययिता, तीन नव-सृजित जनपदों में पदों का सृजन न होने के कारण हुआ।				

3454- tux.kuk] l o[k.k rFkk l kf[; dh&

02- सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी-

001- निदेशन तथा प्रशासन-

03- अर्थ एवं संख्या निदेशालय-

मूल 86,84.49

57,66.41

57,73.49

+7.08

पुनर्वि० -29,18.08

वास्तविक व्यय में वर्ष 2003-04, 2004-05, 2005-06, 2007-08 तथा 2011-12 के उच्चत लेखे के समाशोधन के ₹ 7.20 लाख सम्मिलित है।

₹ 29,18.08 लाख का अभ्यर्पण मुख्यतः पदों के रिक्त रहने, ए०सी०पी० की स्वीकृति जारी न होने, देयकों के प्राप्त न होने, आर्थिक मितव्ययिता, चिकित्सा दावे कम प्राप्त होने तथा सी०एम०आई०ई० संस्थान द्वारा शासन की आपत्तियों का निवारण न होने के कारण हुआ।

04- स्टेट स्ट्रेटेजिक स्टेटिस्टिकल प्लान-

मूल 4,90.00

..

..

..

पुनर्वि० -4,90.00

₹ 4,90.00 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

06- जिला योजना की संरचना

(जिला योजना समिति)-

मूल 18.00

8.83

8.83

..

पुनर्वि० -9.17

₹ 9.17 लाख का अभ्यर्पण जनपद में सलाहकारों की सेवाएं उपलब्ध न होने तथा आर्थिक मितव्ययिता के कारण हुआ।

800- अन्य व्यय-

01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा

पुरोनिधानित योजनाएं-

मूल 2,03.25

38.54

38.54

..

पुनर्वि० -1,64.71

₹ 1,64.71 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

03- जिला स्तर पर स्थापित

एन०आई०सी० का रख-रखाव-

मूल 1,50.00

1,30.39

1,33.74

+3.35

पुनर्वि० -19.61

वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02, 2002-03 तथा 2004-05 के उच्चत लेखे के समाशोधन के ₹ 3.44 लाख सम्मिलित है।

₹ 19.61 लाख का अभ्यर्पण आर्थिक मितव्ययिता, दावे प्राप्त न होने आदि के कारण हुआ।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत/व्ययाधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2013)।

(v) व्ययाधिक्य मुख्यतः निम्न के अधीन हुआ:-

'kh"kl	dly vupku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$
			cpr &
		¼ yk[k ₹ ea ½	

2575- vl; fo' ksk {k= dk; lde&

06- बार्डर एरिया डेवलपमेंट कार्यक्रम-

105- खादी ग्रामोद्योग-

03- व्यवहारिक ज्ञान, प्रचार-प्रसार

एवं गोष्ठी आदि हेतु-

मूल	5.00	}	46.00	51.00	+5.00
पुनर्वि०	41.00				

₹ 41.00 लाख की शुद्ध वृद्धि में से, प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 5.00 लाख की कमी धनराशि अप्रयुक्त रहने तथा ₹ 58.00 लाख की वृद्धि बजट उपलब्ध न होने के कारण हुई। ₹ 12.00 लाख का अभ्यर्पण जनपदों द्वारा अभ्यर्पित बचत के कारण हुआ।

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम व्ययाधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2013)।

i wthxr&

nRrer&

(vi) ₹ 14,99,79.88 लाख के वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02, 2002-03, 2004-05, 2010-11 तथा 2011-12 के उच्चत लेखे के समाशोधन के ₹ 5,53.51 लाख की धनराशि सम्मिलित है।

(vii) ₹ 4,65,23.62 लाख (₹ 4,59,70.11 लाख + ₹ 5,53.11 लाख) की अन्तिम बचत में से, मात्र ₹ 35,00.00 लाख की धनराशि अभ्यर्पण के लिए प्रत्याशित की जा सकी।

(viii) ₹ 4,65,23.62 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए, नवम्बर 2012 में प्राप्त किया गया ₹ 4,10,00.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ। इसे यथावश्यक सांकेतिक प्रावधान से सीमित किया जा सकता था।

(ix) बचत (अन्य शीर्षों के अन्तर्गत व्ययाधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न के अधीन हुई:-

4059- ykd fuekzk dk; l i j

i wthxr ifj0; ; &

01- कार्यालय भवन-

051- निर्माण-

05- पुराना हैदराबाद लखनऊ में

कालाकांकर हाउस के समीप

कार्यालय भवनों का निर्माण-

मूल	5,00.00	}
पुनर्वि०	-5,00.00				

₹ 5,00.00 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

' kh" kZ

dly vupku

okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; \$

cpr &

¼ yk[k ₹ ea ½

4215- tyi¶rl rFkk I Qkbl ij

ij i¶thxr ifj0; ; &

01- जलपूर्ति-

101- शहरी जलपूर्ति-

03- त्वरित आर्थिक विकास योजना-

मूल 75,00.00

81,37.29

59,32.54

-22,04.75

पुनर्वि० 6,37.29

₹ 6,37.29 लाख की शुद्ध वृद्धि में से, प्रावधान में ₹ 13,62.71 लाख की कमी शहरी क्षेत्र में सड़को के सुधार हेतु विभिन्न कार्य हेतु स्वीकृति अवमुक्त न होने तथा प्रावधान में ₹ 20,00.00 लाख की वृद्धि कार्य पूर्ण करने हेतु धनराशि की आवश्यकता होने के कारण हुई।

102- ग्रामीण जलपूर्ति-

03- त्वरित आर्थिक विकास योजना-

मूल 45,00.00

85,00.00

57,96.67

-27,03.33

पूरक 40,00.00

4406- okfudh rFkk ol; tho

ij i¶thxr ifj0; ; &

01- वानिकी-

102- समाज तथा फार्म वानिकी-

03- त्वरित आर्थिक विकास योजना-

मूल 0.02

0.02

..

-0.02

पूरक 10,00.00

पुनर्वि० -10,00.00

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 10,00.00 लाख की कमी भारत सरकार से आवश्यक सहायता प्राप्त न होने के कारण हुई।

4575- vl; fo' k'k {k= ds dk; Øeka

ij i¶thxr ifj0; ; &

02- पिछड़े क्षेत्र-

800- अन्य व्यय-

03- बुन्देलखण्ड की विशेष योजनाएं-

मूल 1,94,84.19

4,65.41

..

-4,65.41

पुनर्वि० -1,90,18.78

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 1,90,18.78 लाख की कमी मुख्यतः भारत सरकार से आवश्यक सहायता प्राप्त न होने, बुन्देलखण्ड पैकेज के विभिन्न कार्यों हेतु स्वीकृति अवमुक्त न किये जाने के कारण हुई।

' kh" kZ dly vupku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; \$
cpr &
½ yk[k ₹ ea ½

04- बुन्देलखण्ड की विशेष योजनाएं—				
मूल	6,70,15.80	4,60,30.28	1,20,00.97	-3,40,29.31
पुनर्वि०	-2,09,85.52			

₹ 2,09,85.52 लाख की शुद्ध बचत में से, प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 2,85,00.00 लाख की कमी भारत सरकार से आवश्यक सहायता प्राप्त न होने तथा प्रावधान में ₹ 75,14.48 लाख की वृद्धि कार्य पूर्ण करने हेतु धनराशि की आवश्यकता के कारण हुई।

06- जनपद चन्दौली एवं मिर्जापुर के लिए एकीकृत कार्य योजना—				
मूल	60,00.00	40,00.00	20,00.00	-20,00.00
पुनर्वि०	-20,00.00			

₹ 20,00.00 लाख का अभ्यर्पण भारत सरकार से धनराशि अवमुक्त न होने के कारण हुआ।

06- बार्डर एरिया डेवलपमेंट कार्यक्रम—

101- पशु चिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य—

03- पशु चिकित्सालय/पशु सेवा केन्द्रों का निर्माण/विस्तार के लिए एकमुश्त व्यवस्था—				
मूल	50.00
पुनर्वि०	-50.00			

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 50.00 लाख की कमी धनराशि अप्रयुक्त रहने के कारण हुई।

201- बेसिक शिक्षा—

03- विद्यालय का भवन/विस्तार/ बाउन्ड्रीवाल के निर्माण के लिए एकमुश्त व्यवस्था—				
मूल	50.00	..	40.00	+40.00
पुनर्वि०	-50.00			

वास्तविक व्यय में वर्ष 2010-11 के उच्चतम लेखे के समाशोधन के ₹ 40.00 लाख सम्मिलित है।

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 50.00 लाख की कमी इस वित्तीय वर्ष में धनराशि अप्रयुक्त रहने के कारण हुई।

' kh"kl

dly vupku

okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; \$

cpr &

¼ yk[k ₹ ea ½

207- राज्य पुलिस-

03- भारत नेपाल सीमा पर स्थित
जनपदों में बैरक, सीमा चौकी
आदि के निर्माण हेतु एकमुश्त व्यवस्था-

मूल	60.00	}
पुनर्वि०	-60.00	

..

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 60.00 लाख की कमी इस वित्तीय वर्ष में धनराशि अप्रयुक्त रहने के कारण हुई।

800- अन्य व्यय-

03- सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों
एवं उप केन्द्रों के भवन निर्माण/
विस्तार के लिये एकमुश्त व्यवस्था-

मूल	80.00	}
पुनर्वि०	-71.68	

8.32 8.32 ..

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 71.68 लाख की कमी इस वित्तीय वर्ष में धनराशि अप्रयुक्त रहने के कारण हुई।

07- सामुदायिक भवनों का निर्माण-

मूल	2,00.00	}
पुनर्वि०	-1,24.80	

75.20 75.20 ..

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 1,24.80 लाख की कमी इस वित्तीय वर्ष में धनराशि अप्रयुक्त रहने के कारण हुई।

11- मिनी स्टेडियम निर्माण

हेतु एकमुश्त व्यवस्था-

पुनर्वि० 62.48

62.48 .. -62.48

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 62.48 लाख की वृद्धि इस शीर्ष में बजट प्रावधान न होने के कारण हुई।

4801- fctyh ifj; kstukvka ij

i wthxr ifj0; ; &

05- संचरण तथा वितरण-

800- अन्य व्यय-

03- त्वरित आर्थिक विकास योजना-

मूल	12,50.00	}
पुनर्वि०	-12,50.00	

..

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 12,50.00 लाख की कमी भारत सरकार से सहायता प्राप्त न होने के कारण हुई।

' kh"kl

dly vupku

okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; \$

cpr &

¼ yk[k ₹ ea ½

80- सामान्य—

800- अन्य व्यय—

03- त्वरित आर्थिक विकास योजना—

मूल 12,50.00

पुनर्वि० -12,50.00

..

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 12,50.00 लाख की कमी भारत सरकार से सहायता प्राप्त न होने के कारण हुई।

5054- l Medka rFkk l srqka ij

i wthxr ifj0; ; &

04- जिला तथा अन्य सड़कें—

101- पुल—

03- त्वरित आर्थिक विकास योजना—

मूल 1,25,00.00

पुनर्वि० 5,00.00

1,30,00.00

98,35.95

-31,64.05

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 5,00.00 लाख की वृद्धि कार्य पूर्ण करने हेतु धनराशि की आवश्यकता के कारण हुई।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत/व्ययाधिक्य/सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2013)।

(x) व्ययाधिक्य निम्न के अधीन हुआ:—

4215- tyi frl rFkk l Qkbl ij

i wthxr ifj0; ; &

02- मल—जल तथा सफाई—

101- शहरी सफाई सेवाएं—

03- त्वरित आर्थिक विकास योजना—

मूल 4,99.90

पुनर्वि० 5,00.00

9,99.90

9,99.90

..

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 5,00.00 लाख की वृद्धि कार्य पूर्ण करने हेतु धनराशि की आवश्यकता के कारण हुई।

106- मल—जल सेवाएं—

03- त्वरित आर्थिक विकास योजना—

मूल 0.01

पुनर्वि० 20,00.00

20,00.01

20,00.00

-0.01

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 20,00.00 लाख की वृद्धि कार्य पूर्ण करने हेतु धनराशि की आवश्यकता के कारण हुई।

' kh" kZ

dy vupku

okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; \$

cpr &

¼ yk[k ₹ ea ½

4515- vL; xke fodkl dk; Øeka

ij iwthxr ifj0; ; &

800- अन्य व्यय—

05- पूंजीगत विकास कार्यों

के लिए व्यवस्था

30,00.00

33,39.88

+3,39.88

4575- vL; fo'kšk {ks= ds dk; Øeka

ij iwthxr ifj0; ; &

02- पिछड़े क्षेत्र—

800- अन्य व्यय—

05- जनपद सोनभद्र के लिए

एकीकृत कार्य योजना—

मूल 30,00.00

पूरक 10,00.00

पुनर्वि० -10,00.00

30,00.00

50,00.00

+20,00.00

₹ 10,00.00 लाख का अभ्यर्पण भारत सरकार द्वारा धनराशि अवमुक्त न होने के कारण हुआ।

06- बार्डर एरिया डेवलपमेंट कार्यक्रम—

102- ग्रामीण जलपूर्ति—

03- जलापूर्ति कार्यक्रमों हेतु

एकमुश्त व्यवस्था—

मूल 3,50.00

पुनर्वि० 23.55

3,73.55

3,73.55

..

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 23.55 लाख की वृद्धि इस शीर्ष में बजट प्रावधान उपलब्ध न होने के कारण हुई।

106- ग्रामीण विद्युतीकरण—

03- ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु

एकमुश्त व्यवस्था—

मूल 50.00

पुनर्वि० 28.18

78.18

78.18

..

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 28.18 लाख की वृद्धि इस शीर्ष में बजट प्रावधान उपलब्ध न होने के कारण हुई।

'kh"KZ	dy vupku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$
			cpr &
		¼ yk[k ₹ ea ½	

337- सड़क निर्माण कार्य-

03- सड़कों के लिए एकमुश्त

व्यवस्था-

मूल	35,80.00				
पुनर्वि०	1,17.54				
		36,97.54	37,26.22		+28.68

वास्तविक व्यय में वर्ष 2011-12 के उचन्त लेखे के समाशोधन के ₹ 28.68 लाख सम्मिलित है।

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 1,17.54 लाख की वृद्धि इस शीर्ष में बजट प्रावधान उपलब्ध न होने के कारण हुई।

800- अन्य व्यय-

05- वन रक्षक चौकी एवं

वन दरोगा आवास हेतु

एकमुश्त व्यवस्था-

मूल	50.00				
पुनर्वि०	73.17				
		1,23.17	1,23.17		..

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 73.17 लाख की वृद्धि इस शीर्ष में बजट प्रावधान उपलब्ध न होने के कारण हुई।

08- आयुर्वेदिक औषधालयों का

भवन निर्माण-

मूल	50.00				
पुनर्वि०	-1.35				
		48.65	70.35		+21.70

वास्तविक व्यय में वर्ष 2011-12 के उचन्त लेखे के समाशोधन के ₹ 21.70 लाख सम्मिलित है।

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 1.35 लाख की कमी इस वित्तीय वर्ष में धनराशि अप्रयुक्त होने के कारण हुई।

09- सी०सी०रोड एवं के०सी० ड्रेन

निर्माण हेतु एकमुश्त व्यवस्था-

मूल	5,00.00				
पुनर्वि०	47.81				
		5,47.81	5,98.06		+50.25

वास्तविक व्यय में वर्ष 2011-12 के उचन्त लेखे के समाशोधन के ₹ 50.25 लाख सम्मिलित है।

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 47.81 लाख की वृद्धि इस शीर्ष में बजट प्रावधान उपलब्ध न होने के कारण हुई।

'kh"z	dy vupku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$
			cpr &
			¼ yk[k ₹ ea ½
10- बाढ़ शरणालय के निर्माण हेतु एकमुश्त व्यवस्था-			
मूल 80.00			
पुनर्वि० 11.52	91.52	1,54.00	+62.48
₹ 11.52 लाख की शुद्ध वृद्धि में से, प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 23.55 लाख की कमी धनराशि अप्रयुक्त रहने तथा ₹ 35.07 लाख की वृद्धि इस शीर्ष में बजट उपलब्ध न होने के कारण हुई।			
4702- y?kq fl pkbz ij			
i wthxr ifj0; ; &			
800- अन्य व्यय-			
03- त्वरित आर्थिक विकास योजना-			
मूल 0.01			
पुनर्वि० 1,00.00	1,00.01	95.15	-4.86
₹ 1,00.00 लाख की वृद्धि कार्य पूर्ण करने हेतु धनराशि की आवश्यकता के कारण हुई।			
4801- fctyh ifj; kstukvka ij			
i wthxr ifj0; ; &			
06- ग्रामीण विद्युतीकरण-			
800- अन्य व्यय-			
03- त्वरित आर्थिक विकास योजना-			
मूल 0.01			
पुनर्वि० 6,00.00	6,00.01	5,29.69	-70.32
₹ 6,00.00 लाख की वृद्धि कार्य पूर्ण करने हेतु धनराशि की आवश्यकता के कारण हुई।			
5054- l MdkarFkk l srqka ij			
i wthxr ifj0; ; &			
04- जिला तथा अन्य सड़कें-			
337- सड़क निर्माण कार्य-			
03- त्वरित आर्थिक विकास योजना-			
मूल 2,25,00.00			
पूरक 3,50,00.00	9,66,62.71	9,63,70.25	-2,92.46
पुनर्वि० 3,91,62.71			
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 3,91,62.71 लाख की वृद्धि कार्य पूर्ण करने हेतु धनराशि की आवश्यकता के कारण हुई।			

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत/व्ययाधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2013)।

वृत्तव्युत्पत्ति; क 41 वृत्तव्युत्पत्ति

वृत्तव्युत्पत्ति; 'क'क
 वृत्तव्युत्पत्ति वृत्तव्युत्पत्ति वृत्तव्युत्पत्ति; ; \$
 वृत्तव्युत्पत्ति; ; \$
 वृत्तव्युत्पत्ति &
 वृत्तव्युत्पत्ति ₹ वृत्तव्युत्पत्ति

वृत्तव्युत्पत्ति

2015- वृत्तव्युत्पत्ति

वृत्तव्युत्पत्ति

मूल	2,18,58,76	}	2,36,93,04	2,00,15,44	-36,77,60
पूरक	18,34,28				
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2013)					
					28,23,54

वृत्तव्युत्पत्ति; क, वृत्तव्युत्पत्ति; &

वृत्तव्युत्पत्ति

वृत्तव्युत्पत्ति

- (i) ₹ 2,00,15.44 लाख के वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02, 2002-03 तथा 2011-12 में उच्चतम लेखे के समाशोधन के ₹ 14.82 लाख की धनराशि सम्मिलित है।
 ₹ 36,92.42 लाख (₹ 36,77.60 लाख + ₹ 14.82 लाख) की अन्तिम बचत में से, मात्र ₹ 28,23.54 लाख की धनराशि अभ्यर्पित की गयी।
- (ii) ₹ 36,92.42 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए, नवम्बर 2012 में प्राप्त किया गया ₹ 18,34.28 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ। इसे यथावश्यक सांकेतिक धनराशि से सीमित किया जा सकता था।
- (iii) बचत (अन्य शीर्षों के अन्तर्गत व्ययाधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न के अधीन हुई:-

'क'क
 वृत्तव्युत्पत्ति वृत्तव्युत्पत्ति वृत्तव्युत्पत्ति; ; \$
 वृत्तव्युत्पत्ति; ; \$
 वृत्तव्युत्पत्ति &
 वृत्तव्युत्पत्ति ₹ वृत्तव्युत्पत्ति

2015- वृत्तव्युत्पत्ति

103- निर्वाचक नामावली तैयार करना और मुद्रण-

03- विधान सभा एवं संसद-

मूल	55,88.37	}	69,89.84	69,91.69	+1.85
पूरक	18,09.28				
पुनर्वि०	-4,07.81				

वास्तविक व्यय में ₹ 13.54 लाख उच्चतम लेखे समाशोधन के वर्ष 2001-02 के सम्मिलित है।

₹ 4,07.81 लाख का अभ्यर्पण जनपदों द्वारा मांग का प्रस्ताव प्राप्त न होने, आर्थिक मितव्ययिता तथा आवश्यकता के आधार पर व्यय के कारण हुआ।

'kh"z dly vupku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; \$
cpr &
% yk[k ₹ ea %

05- निर्वाचन अधिष्ठान व्यय-

मूल	29,59.92	}	25,75.05	25,75.35	+0.30
पूरक	25.00				
पुनर्वि०	-4,09.87				

वास्तविक व्यय में ₹ 1.29 लाख उचन्त लेखे के वर्ष 2011-12 के सम्मिलित है।

₹ 4,09.87 लाख की शुद्ध बचत में से, ₹ 4,33.33 लाख का अभ्यर्पण मुख्यतः पदों के रिक्त रहने, मांग कम होने, आर्थिक मितव्ययिता, जनपदों में डाटा इन्ट्री आपरेटर की नियुक्ति कम होने से हुई बचत के कारण हुआ। प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 23.46 लाख की वृद्धि मुख्यतः जिला निर्वाचन कार्यालयों में टोनर, कार्ट्रिज, डेवलपर के बिल के भुगतान, फोटो कापी मशीन के मरम्मत तथा मुख्य निर्वाचन कार्यालय के अधिकारियों/कार्मिकों को मानदेय के भुगतान के कारण हुई।

06- फोटो पहचान पत्र-

मूल	18,70.00	}	12,51.35	12,41.53	-9.82
पुनर्वि०	-6,18.65				

₹ 6,18.65 लाख की कुल बचत में से, ₹ 6,06.45 लाख का अभ्यर्पण मुख्यतः समय पर बिलों के दावों का निस्तारण न होने, मांग के प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुआ। प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 12.20 लाख की कमी जनपदों द्वारा फोटो परिचय-पत्र सम्बन्धी मांग कम प्राप्त होने के कारण हुई।

105- संसद के चुनाव कराने के लिए प्रभार-

04- उप निर्वाचन-

मूल	1,62.00	}	22.15	22.15	..
पुनर्वि०	-1,39.85				

₹ 1,39.85 लाख की कुल बचत में से, प्रावधान में ₹ 23.46 लाख की कमी जनपदों द्वारा फोटो-परिचय-पत्र सम्बन्धी मांग कम प्राप्त होने के कारण हुई तथा ₹ 1,16.39 लाख का अभ्यर्पण उप-निर्वाचन न होने के कारण हुआ।

106- राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के

विधानमण्डल के चुनाव
कराने के लिये प्रभार-

03- सामान्य निर्वाचन-

राज्य विधान सभा-

मूल	1,07,44.16	}	96,23.49	87,67.53	-8,55.96
पुनर्वि०	-11,20.67				

₹ 11,20.67 लाख की कुल बचत में से, प्रावधान में ₹ 38.08 लाख की कमी राज्य विधान सभा सामान्य निर्वाचन हेतु निर्वहन धनराशि के मामले न प्राप्त होने के कारण हुई। ₹ 10,82.59 लाख का अभ्यर्पण कुछ जनपदों द्वारा बिलों के दावे का निस्तारण समय से न होने तथा मांग के प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुआ।

' kh" kZ

dy vupku

okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; \$

cpr &

¼ yk[k #i ; ka ea ½

05- उप निर्वाचन-

राज्य विधान सभा-

मूल 2,10.50

97.55

89.78

-7.77

पुनर्वि० -1,12.95

₹ 1,12.95 लाख का अभ्यर्पण मुख्यतः अनुमान से कम संख्या में उप निर्वाचन कराये जाने, आर्थिक मितव्ययिता आदि के कारण हुआ।

10- जम्मू एवं कश्मीर राज्य के

विधान सभा सामान्य निर्वाचन-

2008 संचालन हेतु भेजे गये

राज्य कर्मियों पर व्यय-

मूल 91.02

52.58

52.58

..

पुनर्वि० -38.44

₹ 38.44 लाख का अभ्यर्पण वास्तविक मांग के आधार पर आवंटन के पश्चात बचत के कारण हुआ।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत/व्ययाधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2013)।

(iv) व्ययाधिक्य निम्न के अधीन हुआ:-

2015- fuokpu&

105- संसद के चुनाव कराने

के लिए प्रभार-

03- सामान्य निर्वाचन-

मूल 1,95.03

2,05.56

2,05.55

-0.01

पुनर्वि० 10.53

₹ 10.53 लाख की शुद्ध वृद्धि में से, ₹ 21.96 लाख का अभ्यर्पण जनपदों द्वारा वास्तविक मांग के प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुआ। प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 32.49 लाख की वृद्धि लोक सभा सामान्य निर्वाचन 2009 के मामले में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अन्तर्गत निर्वहन धनराशि के भुगतान हेतु आवश्यकता के कारण हुई।

'kh"KZ

dy vupku

okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; \$

cpr &

¼ yk[k #i ; ka ea ½

106- राज्य /संघ राज्य क्षेत्र के
विधानमण्डल के चुनाव
कराने के लिये प्रभार—

04- सामान्य निर्वाचन—

राज्य विधान परिषद्—

मूल 1.04

9.91

9.87

-0.04

पुनर्वि० 8.87

₹ 8.87 लाख की शुद्ध वृद्धि में से, प्रावधान में ₹ 8.99 लाख की वृद्धि सम्बन्धित जिला निर्वाचन अधिकारियों के लम्बित बिलों के भुगतान हेतु बजट अवमुक्त किये जाने हेतु धनराशि की आवश्यकता होने के कारण हुई। ₹ 0.12 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

06- उप-निर्वाचन—

राज्य विधान परिषद्—

मूल 0.04

4.74

22.36

+17.62

पुनर्वि० 4.70

₹ 4.70 लाख की शुद्ध वृद्धि में से, ₹ 1.48 लाख का अभ्यर्पण प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुआ। प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 6.18 लाख की वृद्धि जिला निर्वाचन अधिकारी, बहराइच को बजट अवमुक्त किये जाने हेतु धनराशि की आवश्यकता के कारण हुई।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत/व्ययाधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2013)।

वृत्त वार्षिक 2013-14 का विवरण

वर्ष	वृत्त	वृत्त	वृत्त	वृत्त
वर्ष	वृत्त	वृत्त	वृत्त	वृत्त
2014-15	11,46,36,19	11,62,79,07	9,84,26,72	-1,78,52,35
2052-13	16,42,88			
2071-13				
2235-13				
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि				..
2014-15	1,96,06,47	2,07,64,49	1,76,32,52	-31,31,97
2052-13	11,58,02			
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि				..
4059-13	3,56,72,30	4,14,22,30	3,92,99,18	-21,23,12
4070-13	57,50,00			
4216-13				
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि				..
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि				..
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि				..

अनुदान के राजस्व तथा पूंजीगत प्रभाग के अन्तर्गत आकस्मिकता निधि से क्रमशः मार्च 2013 तथा फरवरी 2013 में स्वीकृत अग्रिमों में से व्यय किये गये किन्तु वर्ष की समाप्ति तक निधि में वापस न किये गये ₹ 4,84,99 हजार तथा ₹ 4,91,44 हजार सम्मिलित नहीं हैं।

fVli f.k; ka , oa Vhdk; &
jktLo&
nRrer&

- (i) ₹ 9,84,26.72 लाख के वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02, 2002-03, 2003-04, 2004-05, 2005-06, 2006-07, 2007-08, 2008-09, 2009-10 तथा 2011-12 के उचन्त लेखे के समाशोधन के ₹ 23.20 लाख की धनराशि सम्मिलित है।
- (ii) ₹ 1,78,75.55 लाख (₹ 1,78,52.35 लाख + ₹ 23.20 लाख) की अन्तिम बचत में से, कोई भी धनराशि अभ्यर्पण के लिए प्रत्याशित नहीं की जा सकी।
- (iii) ₹ 1,78,75.55 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए, नवम्बर 2012 में प्राप्त किया गया ₹ 16,42.88 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (iv) बचत मुख्यतः निम्न के अधीन हुई:-

' kh" kZ	dy vupku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$
			cpr &
		¼ yk[k ₹ ea ½	

2014- U; k; i t kkl u&

105- सिविल और सेशन न्यायालय-

01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र

द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-

मूल 5,00.02

पुनर्वि० -4,65.00

35.02

..

-35.02

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 4,65.00 लाख की कमी भ्रष्टाचार सम्बन्धी सुनवाई हेतु न्यायालय की स्थापना न होने के कारण हुई।

03- जिला तथा सेशन न्यायाधीश-

मूल 6,27,52.14

पुनर्वि० 2,15.00

6,29,67.14

6,08,93.36

-20,73.78

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 2,15.00 लाख की वृद्धि अपर्याप्त बजट प्रावधान के कारण हुई।

09- पारिवारिक न्यायालय-

मूल 9,68.97

पूरक 0.03

9,69.00

7,36.55

-2,32.45

वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 के उचन्त लेखे के समाशोधन के ₹ 0.25 लाख सम्मिलित हैं।

10- तेरहवें वित्त आयोग की

संस्तुतियों का क्रियान्वयन-

मूल 86,38.00

पूरक 6,21.50

92,59.50

14,37.08

-78,22.42

' kh"KZ	dy vupku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$ cpr &
		¼ yk[k ₹ ea ½	
106- लघुवाद न्यायालय—			
03- अधिष्ठान	16,22.96	11,96.59	-4,26.37
108- दण्ड न्यायालय—			
04- रेलवे मजिस्ट्रेटों का अधिष्ठान	5,89.86	4,55.00	-1,34.86
114- विधि सलाहकार और परामर्शदाता (काउन्सिल)—			
03- महाधिवक्ता—			
मूल	2,16.73		
पुनर्वि०	35.00		
	2,51.73	1,99.62	-52.11
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 35.00 लाख की वृद्धि अपर्याप्त बजट प्रावधान के कारण हुई।			
04- विधि परामर्शी तथा सरकारी अधिवक्ता—			
मूल	1,40,77.81		
पूरक	1.35		
पुनर्वि०	-5,50.00		
	1,35,29.16	1,18,14.23	-17,14.93
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 5,50.00 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकता के आधार पर हुई।			
800- अन्य व्यय—			
05- विभागीय भवनों के अनुरक्षण हेतु प्रावधान	6,00.00	5,15.37	-84.63
06- विभागीय आवासीय भवनों के अनुरक्षण हेतु प्रावधान	5,00.00	4,70.44	-29.56
07- राज्य विधि आयोग—			
मूल	2,16.96		
पुनर्वि०	-97.36		
	1,19.60	72.41	-47.19
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 97.36 लाख की कमी राज्य विधिक आयोग के उन्मूलन के कारण हुई।			
09- लोक सेवा अधिकरण	9,91.34	8,68.22	-1,23.12
10- तेरहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों का क्रियान्वयन—			
मूल	29,32.31		
पुनर्वि०	95.00		
	30,27.31	5,98.53	-24,28.78
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 95.00 लाख की वृद्धि अतिरिक्त पदों के सृजन के कारण हुई।			
2052- I fpoky; &I kekl; I ok; &			
091- संलग्न कार्यालय—			
03- विधि कोषक उत्तर प्रदेश भवन, नई दिल्ली	1,60.99	1,32.55	-28.44

' kh" kZ

dY; vUqku

okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; \$

cpr &

¼ yk[k ₹ ea ½

2235- I kekftd I gj{kk rFkk dY; k. k&

60- अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा

कल्याण कार्यक्रम-

200- अन्य कार्यक्रम-

04- राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण

मूल 9,18.61

पुनर्वि० 2.72

9,21.33

5,92.72

-3,28.61

वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02, 2003-04, 2004-05, 2006-07, 2009-10 तथा 2010-11 के उच्चत लेखे के समाशोधन के ₹ 2.43 लाख सम्मिलित है।

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 2.72 लाख की वृद्धि पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था न होने के कारण हुई।

05- लोक अदालत

4,80.22

4,28.29

-51.93

वास्तविक व्यय में वर्ष 2011-12 के उच्चत लेखे के समाशोधन के ₹ 0.81 लाख सम्मिलित हैं।

06- अधिवक्ता कल्याण निधि से

सम्बन्धित कल्याणकारी स्टाम्पों

की बिक्री की शुद्ध प्राप्ति का

अधिवक्ता कल्याण निधि हेतु

न्यासी समिति को अन्तरण

6,00.00

4,37.41

-1,62.59

वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02, 2002-03, 2003-04, 2004-05, 2005-06, 2006-07, 2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-11 तथा 2011-12 के उच्चत लेखे के समाशोधन के ₹ 19.71 लाख सम्मिलित है।

10- तेरहवें वित्त आयोग की

संस्तुतियों का क्रियान्वयन-

मूल 8,18.00

पुनर्वि० -95.00

7,23.00

89.98

-6,33.02

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 95.00 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकता के आधार पर बचत के कारण हुई।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2013)।

(v) व्ययाधिक्य मुख्यतः निम्न के अधीन हुआ:-

2014- U; k; i z kkl u&

110- महाप्रशासक और शासकीय न्यासी-

03- अधिष्ठान-

मूल 39.89

पुनर्वि० 20.00

59.89

44.00

-15.89

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 20.00 लाख की वृद्धि ए०सी०पी० के अवशेषों के भुगतान के कारण हुई।

'kh"KZ dgy vupku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; \$
cpr &
¼ yk[k ₹ ea ½

800- अन्य व्यय—

03- न्यायिक प्रशिक्षण एवं

अनुसंधान संस्थान—

मूल	5,36.45	6,11.09	5,89.70	-21.39
पुनर्वि०	74.64			

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 74.64 लाख की वृद्धि बजट में पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था न होने के कारण हुई।

12- अवशेषों का भुगतान—

मूल	1,00.01	7,15.00	1,95.53	-5,19.48
पुनर्वि०	6,15.00			

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 6,15.00 लाख की वृद्धि पर्याप्त बजट की व्यवस्था न होने के कारण हुई।

2071- idku rFkk vU; l ok

fuofRr fgr ykHk&

01- सिविल—

800- अन्य व्यय—

03- उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा /

उच्चतर न्यायिक सेवा के सेवानिवृत्त

सदस्यों को घरेलू सेवक भत्ता—

मूल	0.01	1,50.01	64.65	-85.36
पुनर्वि०	1,50.00			

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 1,50.00 लाख की वृद्धि पर्याप्त बजट की व्यवस्था न होने के कारण हुई।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2013)।

i Hkkfj r&

(vi) ₹ 31,31.97 लाख की अन्तिम बचत में से, कोई भी धनराशि अभ्यर्पण के लिए प्रत्याशित नहीं की जा सकी।

(vii) ₹ 31,31.97 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए, नवम्बर 2012 में प्राप्त किया गया ₹ 11,58.02 लाख का अनुपूरक विनियोग अनावश्यक सिद्ध हुआ। इसे यथावश्यक सांकेतिक प्रावधान से सीमित किया जा सकता था।

(viii) बचत मुख्यतः निम्न के अधीन हुई:-

'kh"kl	dy fofu; kx	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$
		¼ yk[k ₹ ea ½	cpr &
2014- U; k; i t kkl u&			
102- उच्च न्यायालय-			
03- उच्च न्यायालय-			
मूल	1,95,55.40	2,07,13.42	1,75,98.07
पूरक	11,58.02		
04- तेरहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों का क्रियान्वयन	31.04	19.44	-31,15.35
800- अन्य व्यय-			
06- विभागीय आवासीय भवनों के अनुरक्षण हेतु प्रावधान	5.00	..	-5.00

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत/सम्पूर्ण विनियोग के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2013)।

i w t h x r &

n R r e r &

- (ix) ₹ 21,23.12 लाख की अन्तिम बचत में से, कोई भी धनराशि अभ्यर्पण के लिए प्रत्याशित नहीं की जा सकी।
- (x) ₹ 21,23.12 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए, नवम्बर 2012 में प्राप्त किया गया ₹ 57,50.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अधिक सिद्ध हुआ।

(xi) बचत (अन्य शीर्षों के अन्तर्गत व्ययाधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न के अधीन हुई:-

'kh"kl	dy vupku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$
			cpr &
		¼ yk[k ₹ ea ½	

4059- ykd fuekzk dk; l ij
i wthxr ifj0; ; &

01- कार्यालय भवन-

051- निर्माण-

01- केन्द्रीय आयोजनागत / केन्द्र

द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-

मूल	2,55,00.01	2,97,37.14	2,95,70.34	-1,66.80
पूरक	50,00.00			
पुनर्वि०	-7,62.87			

₹ 7,62.87 लाख की शुद्ध बचत में से, प्रावधान में ₹ 24,62.87 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकता के आधार पर, भ्रष्टाचार न्यायालय की स्थापना न होने के कारण हुई। प्रावधान में ₹ 17,00.00 लाख की वृद्धि कार्य की प्रगति हेतु अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता के कारण हुई।

04- माननीय उच्च न्यायालय

में निर्माण	12,50.00	4,47.88	-8,02.12
-------------	----------	---------	----------

60- अन्य भवन-

051- निर्माण-

10- तेरहवें वित्त आयोग की

संस्तुतियों का क्रियान्वयन-

मूल	16,98.34	18,98.34	11,05.15	-7,93.19
पूरक	2,00.00			

4216- vkokl ij i wthxr ifj0; ; &

01- सरकारी रिहायशी भवन-

700- अन्य आवास-

01- केन्द्रीय आयोजनागत / केन्द्र

द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-

मूल	50,00.00	43,00.00	43,00.00	..
पुनर्वि०	-7,00.00			

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 7,00.00 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकता के आधार पर हुई।

' kh"kl dy vupku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; \$
 cpr &
 ¼ yk[k ₹ ea ½

07- माननीय उच्च न्यायालय के
 न्यायमूर्ति के लिए आवासीय
 भवनों का निर्माण—

मूल	10,50.00]	9,00.00	5,50.00	-3,50.00
पुनर्वि०	-1,50.00				

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 1,50.00 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकता के आधार पर हुई।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2013)।

(xii) व्ययाधिक्य मुख्यतः निम्न के अधीन हुआ:—

4059- ykd fuekl k dk; l ij
 i wthxr ifj0; ; &

01- कार्यालय भवन—

051- निर्माण—

05- अनावासीय भवनों का निर्माण—

मूल	1,00.01]	2,50.01	2,49.99	-0.02
पुनर्वि०	1,50.00				

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 1,50.00 लाख की वृद्धि पर्याप्त बजट की व्यवस्था न होने के कारण हुई।

4070- vl; i' kkl fud l okvka
 ij i wthxr ifj0; ; &

800- अन्य व्यय—

03- न्यायालय भवनों के निर्माण

हेतु अधिग्रहीत भूमि का

प्रतिकर भुगतान—

मूल	10,00.00]	28,62.87	28,62.87	..
पूरक	5,00.00				
पुनर्वि०	13,62.87				

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 13,62.87 लाख की वृद्धि पर्याप्त बजट की व्यवस्था न होने के कारण हुई।

' kh" kZ

dy vupku

okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; \$

cpr &

¼ yk[k ₹ ea ½

4216- vkokl ij i thxr ifj0; ; &

01- सरकारी रिहायशी भवन—

700- अन्य आवास—

03- निर्माण—न्याय प्रशासन आवास—

मूल 50.02

पुनर्वि० 1,00.00

1,50.02

1,39.04

-10.98

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 1,00.00 लाख की वृद्धि पर्याप्त बजट की व्यवस्था न होने के कारण हुई।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये है (जून 2013) ।

वृत्तिका 1 अंक 43 विज्ञान फलक

एक; 'क'क

द्वय वृत्तिका

कल्पित 0; ;

वर्ष/क 0; ; \$

cpr &

गति ₹ ए

जक्त

2041- ककु द

2059- ककु ककु ककु ;

2235- ककु ककु ककु ककु ; क.क ककु

3055- ककु विज्ञान

नरर

मूल 1,15,70,34

पूरक ..

1,15,70,34

97,12,93

-18,57,41

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2013)

18,73,23

इत्तर

4047- वृत्तिका; ककु ककु ; ककु

इत्तर विज्ञान ;

4059- ककु ककु ककु ; इत्तर

इत्तर विज्ञान ; ककु

5055- ककु विज्ञान इत्तर

विज्ञान ;

नरर

मूल 6,91,74

पूरक 6,00,00

12,91,74

11,47,85

-1,43,89

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2013)

37,70

वृत्तिका, ककु, ककु ;

जक्त

नरर

(i) ₹ 97,12.93 लाख के वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02, 2002-03, 2003-04, 2004-05, 2005-06, 2006-07, 2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-11 तथा 2011-12 के उच्चत लेखे के समाशोधन के ₹ 21.89 लाख की धनराशि सम्मिलित है।

(ii) ₹ 18,79.30 लाख (₹ 18,57.41 लाख + ₹ 21.89 लाख) की अन्तिम बचत में से, ₹ 18,73.23 लाख की धनराशि अभ्यर्पित की गयी।

(iii) बचत (अन्य शीर्षों के अन्तर्गत व्ययाधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न के अधीन हुई:-

'kh"kl	dy vupku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$
			cpr &
		¼ yk[k ₹ ea½	

2041- okgu dj&

800- अन्य व्यय-

03- स्टेट ट्रान्सपोर्ट अपीलेट

अधिष्ठान-

मूल	69.25	}	60.24	60.25	+0.01
पुनर्वि०	-9.01				

₹ 9.01 लाख का अभ्यर्पण आर्थिक मितव्ययिता तथा पदों के रिक्त रहने के कारण हुआ।

3055- l Md i fjogu&

001- निदेशन तथा प्रशासन-

03- अधिष्ठान व्यय-

मूल	1,14,22.08	}	95,78.85	95,95.51	+16.66
पुनर्वि०	-18,43.23				

वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02, 2002-03, 2003-04, 2004-05, 2005-06, 2006-07, 2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-11 तथा 2011-12 के उच्चत लेखे के समाशोधन के ₹ 21.89 लाख की धनराशि सम्मिलित है।

₹ 18,43.23 लाख का अभ्यर्पण आर्थिक मितव्ययिता, अधिकारियों/कार्मिकों को मंहगाई भत्ते के अवशेष का भुगतान न किये जाने, शासन द्वारा स्वीकृति अवमुक्त न किये जाने आदि के कारण हुआ।

190- सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य

उपक्रमों को सहायता-

03- राज्य सड़क परिवहन निगम

की बसों में संसद सदस्यों की

निःशुल्क यात्रा की सुविधा के

लिए निगम को प्रतिकर का भुगतान-

मूल	29.00	}	10.04	10.04	..
पुनर्वि०	-18.96				

₹ 18.96 लाख का अभ्यर्पण आवश्यकता न होने के कारण हुआ।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम व्ययाधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2013)।

withhr&
nRrer&

- (iv) ₹ 1,43.89 लाख की अन्तिम बचत में से, मात्र ₹ 37.70 लाख की धनराशि अभ्यर्पण के लिए प्रत्याशित की सकी।
- (v) ₹ 1,43.89 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए, नवम्बर, 2012 में प्राप्त किया गया ₹ 6,00.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अधिक सिद्ध हुआ।
- (vi) बचत निम्न के अधीन हुई:-

'kh"lz	dy vupku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$
			cpr &
		½ yk[k ₹ ea ½	

4047- vU; jkt dks'kh; l okvka
ij withhr ifj0; ; &

800- अन्य व्यय-

04- वे-इन-मोशन पायलट प्रोजेक्ट-

मूल 1,00.00

पुनर्वि० -1,00.00

₹ 1,00.00 लाख की कुल बचत में से, ₹ 37.68 लाख का अभ्यर्पण भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त न होने तथा प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 62.32 लाख की कमी परिवहन विभाग में वर्ष 2012-13 में धनराशि की आवश्यकता न होने के कारण हुई।

4059- ykd fuekzk dk; l ij
withhr ifj0; ; &

01- कार्यालय भवन-

051- निर्माण-

03- सम्भागीय/उप सम्भागीय परिवहन
कार्यालय का निर्माण-

मूल 5,91.72

पुनर्वि० 62.32

6,54.04

5,47.85

-1,06.19

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 62.32 लाख की वृद्धि उप सम्भागीय परिवहन कार्यालय के भवन के निर्माण के कारण हुई।

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2013)।

वृत्तिका I अ; क 44 & lk; Mu foHkkx

दृ; 'kh"kl

द्वय वृत्तिका okLrfod 0; ;

वर्ष/कद 0; ; \$
cpr &

¼ g tkj ₹ ea ½

jktLo&

3452- lk; Mu

nRrer&

मूल 22,26,56

23,76,56

18,23,73

-5,52,83

पूरक 1,50,00

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2013)

5,57,11

i w thxr &

5452- i; Mu ij i w thxr ifj 0; ;

nRrer&

मूल 98,13,12

99,13,12

71,24,21

-27,88,91

पूरक 1,00,00

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2013)

27,88,91

fVli f. k; ka , oa Vhdk; &

jktLo&

nRrer&

(i) ₹ 18,23.73 लाख के वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02, 2009-10, 2010-11 तथा 2011-12 में उच्चत लेखे के समाशोधन के ₹ 1.31 लाख की धनराशि सम्मिलित है।

(ii) ₹ 5,54.14 लाख (₹ 5,52.83 लाख + ₹ 1.31 लाख) की अन्तिम बचत में से, ₹ 5,57.11 लाख का अभ्यर्पण न्यायसंगत नहीं था तथा व्यय के त्रुटिपूर्ण अनुमान का द्योतक था।

(iii) ₹ 5,54.14 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए, नवम्बर 2012 में प्राप्त किया गया ₹ 1,50.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ। इसे यथावश्यक सांकेतिक धनराशि से सीमित किया जा सकता था।

(iv) बचत मुख्यतः निम्न के अधीन हुई:-

'kh"kl

द्वय वृत्तिका okLrfod 0; ;

वर्ष/कद 0; ; \$
cpr &

¼ yk[k ₹ ea ½

3452- lk; Mu&

80- सामान्य-

001- निदेशन तथा प्रशासन-

03- अधिष्ठान-पर्यटन निदेशालय-

मूल 5,37.18

3,77.19

3,81.77

+4.58

पुनर्वि० -1,59.99

₹ 1,59.99 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

' kh" kZ

diy vupku

okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; \$

cpr &

¼ yk[k ₹ ea ½

104- संवर्धन तथा प्रचार—

01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र

द्वारा पुरोनिधानित योजनायें—

मूल 30.00]

पुनर्वि० -30.00]

₹ 30.00 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

03- अधिष्ठान—

मूल 8,90.50]

पुनर्वि० -1,68.25]

वास्तविक व्यय में ₹ 1.31 लाख उचन्त लेखे के वर्ष 2001-02, 2009-10, 2010-11 तथा 2011-12 के सम्मिलित है।

₹ 1,68.25 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

08- पर्यटन पुलिस बल का गठन—

मूल 1,51.75]

पुनर्वि० -39.48]

₹ 39.48 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

09- शिल्पग्राम आगरा का

वर्ष पर्यन्त संचालन—

मूल 1,50.00]

पुनर्वि० -1,50.00]

₹ 1,50.00 लाख की कुल बचत में से, प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 80.00 लाख की कमी स्वीकृति जारी न किये जाने के कारण हुई तथा ₹ 70.00 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

800- अन्य व्यय—

03- पर्यटन सूचना तथा प्रचार—

मूल 2,92.00]

पुनर्वि० -9.71]

₹ 9.71 लाख की शुद्ध बचत में से, प्रावधान में ₹ 80.00 लाख की वृद्धि आगरा में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के कार्यशाला के गठन तथा लखनऊ में रुमी फाउन्डेशन द्वारा अन्य कार्यक्रम हेतु अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता के कारण हुई। प्रावधान में ₹ 57.32 लाख की कमी धनराशि की स्वीकृति कम जारी होने तथा ₹ 32.39 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

' kh"kl

diy vupku okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; \$
cpr &

¼ yk[k #i ; ka ea ½

07- " डिस्कवर योर रूटस " योजना—

मूल	7.00
पुनर्वि०	-7.00

..

₹ 7.00 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

97- वाह्य सहायतित योजनायें—

मूल	50.00
पुनर्वि०	-50.00

..

₹ 50.00 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत/व्ययाधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2013)।

(v) व्ययाधिक्य निम्न के अधीन हुआ—

3452- lk; Mu&

80- सामान्य—

800- अन्य व्यय—

01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र
द्वारा पुरोनिधानित योजनायें—

पुनर्वि०	55.00	55.00	57.32	+2.32
----------	-------	-------	-------	-------

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 55.00 लाख की वृद्धि केन्द्रांश स्वीकृति हेतु अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता के कारण हुई।

16- वाणिज्यिक तथा विशेष

सेवाओं हेतु भुगतान—

पुनर्वि०	2.32	2.32	..	+2.32
----------	------	------	----	-------

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 2.32 लाख की वृद्धि केन्द्रांश स्वीकृति हेतु अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता के कारण हुई।

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम व्ययाधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2013)।

i wthxr&

nrer&

(vi) ₹ 27,88.91 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए, नवम्बर 2012 में प्राप्त किया गया ₹ 1,00.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ। इसे यथावश्यक सांकेतिक धनराशि से सीमित किया जा सकता था।

(vii) बचत (अन्य शीर्षों के अन्तर्गत आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न के अधीन हुई:-

'kh"kl dy vupku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; \$
cpr &
% yk[k #i ; ka ea %

5452- lk; Mu ij iwthxr ifj0; ; &

01- पर्यटक अवसंरचना-

800- अन्य व्यय-

04- पर्यटन विकास हेतु जनपद

कुशीनगर में सार्वजनिक
सहभागिता से अन्तर्राष्ट्रीय
हवाई अड्डे की स्थापना-

मूल 5,00.00]

1,16.00

..

-1,16.00

पुनर्वि० -3,84.00]

₹ 3,84.00 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

80- सामान्य-

104- संवर्धन तथा प्रचार-

01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र
द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-

मूल 49,77.64]

35,14.51

35,14.51

..

पुनर्वि० -14,63.13]

₹ 14,63.13 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

03- पर्यटक आवास गृहों के

लिए भूमि की अध्याप्ति-

मूल 10,00.00]

8,65.00

8,65.00

..

पुनर्वि० -1,35.00]

₹ 1,35.00 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

08- पर्यटन स्थलों का विकास-

मूल 9,35.48]

6,74.74

6,74.74

..

पुनर्वि० -2,60.74]

₹ 2,60.74 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

' kh" kZ

dy vupku okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; \$
cpr &

¼ yk[k #i ; ka ea ½

- 14- ऐतिहासिक/पौराणिक स्थलों
पर पर्यटन अवस्थापना सुविधाओं
का विकास—

मूल	11,75.00]	9,29.28	10,45.28	+1,16.00
पुनर्वि०	-2,45.72				

₹ 2,45.72 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

- 16- सैफर्ड—इटावा में पर्यटन
काम्प्लेक्स का निर्माण—

मूल	3,25.00]	1,24.68	1,24.68	..
पुनर्वि०	-2,00.32				

₹ 2,00.32 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

- 17- जनपद सिद्धार्थ नगर में
बौद्ध संग्रहालय का निर्माण—

पूरक	50.00]
पुनर्वि०	-50.00				

₹ 50.00 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

- 18- आगरा में ताजगंज तथा ताजगंज
वार्ड की मुख्य सड़क का पुनर्निर्माण/
उच्चीकरण—

पूरक	50.00]
पुनर्वि०	-50.00				

₹ 50.00 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत/व्ययाधिक्य/सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2013)।

वृत्तिका 1 अ; क 45 & lk; कbj .k foHkkx

दृ; 'kh"z

दृय वृत्तिका

okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; \$
cpr &

¼ g tkj ₹ ea ½

jktLo&

3435- i fj fLFkfr foKku rFkk lk; कbj .k

nRrer&

मूल	3,96,50	}	3,96,50	3,36,64	-59,86
पूरक	..				
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2013)					61,41

fVli f.k; ka , oa Vhd;k; &

jktLo&

nRrer&

(i) ₹ 3,36.64 लाख के वास्तविक व्यय में वर्ष 2007-08 में उच्चत लेखे के समाशोधन के ₹ 1.57 लाख की धनराशि सम्मिलित है।

₹ 61.43 लाख (₹ 59.86 लाख + ₹ 1.57 लाख) की अन्तिम बचत में से, ₹ 61.41 लाख की धनराशि समर्पित की गयी।

(ii) बचत मुख्यतः निम्न के अधीन हुई:—

'kh"z

दृय वृत्तिका

okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; \$
cpr &

¼ yk[k ₹ ea ½

3435- i fj fLFkfr foKku rFkk

lk; कbj .k&

03- पर्यावरणीय अनुसंधान तथा

पारिस्थितिक पुनरुद्भवन—

003- पर्यावरणीय शिक्षा / प्रशिक्षण /

विस्तार—

04- पर्यावरणीय शोध एवं क्रियान्वयन

कार्यक्रम—

मूल	5.00	}
पुनर्वि०	-5.00				

₹ 5.00 लाख का अभ्यर्पण वास्तविक व्यय के पश्चात् बचत के कारण हुआ।

' kh"kl

dgy vuqku okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; \$
cpr &

¼ yk[k ₹ ea ½

04- प्रदूषण का निवारण

तथा नियंत्रण-

001- निदेशन तथा प्रशासन-

03- पर्यावरण एवं परिस्थितिकी

विज्ञान निदेशालय-

मूल	1,85.78	}	1,65.08	1,65.09	+0.01
पुनर्वि०	-20.70				

₹ 20.70 लाख का अभ्यर्पण पूर्व निदेशक के वेतन एवं अवशेष के भुगतान हेतु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उत्तर प्रदेश से परिपक्व प्रस्ताव प्राप्त न होने तथा वास्तविक व्यय के पश्चात् बचत के कारण हुआ।

04- क्षेत्रीय कार्यालय-

मूल	75.17	}	68.14	68.14	..
पुनर्वि०	-7.03				

₹ 7.03 लाख का अभ्यर्पण वास्तविक व्यय के पश्चात् बचत के कारण हुआ।

05- पर्यावरण निदेशालय में

प्रयोगशाला की स्थापना-

मूल	5.55	}
पुनर्वि०	-5.55				

₹ 5.55 लाख का अभ्यर्पण प्रयोगशाला हेतु सृजित पद की स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण हुआ।

103- वायु तथा जल प्रदूषण

का निवारण-

01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र

द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-

मूल	40.00	}	20.00	20.00	..
पुनर्वि०	-20.00				

₹ 20.00 लाख का अभ्यर्पण केन्द्रीय वित्त योजना के अन्तर्गत केन्द्रांश प्राप्त न होने के कारण हुआ।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम व्ययाधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2013)।

वृत्तिका 1 अंक 46 अंक की कुल फुल वृत्तिका फोहक

एक; 'क'क

द्वय वृत्तिका अंकलफुद 0; ;

वृ/कद 0; ; \$
cpr &

॥ गतक ₹ ए॥

जक्तल

2052- वृत्तिका; अंकल; वृत्तिका; अंकल

2070- वृत्तिका; अंकल कुल फुल वृत्तिका; अंकल

2202- वृत्तिका; अंकल

नरर

मूल 9,82,14

पूरक ..

9,82,14

6,68,57

-3,13,57

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2013)

3,23,54

वृत्तिका; अंकल, अंकल; अंकल

जक्तल

नरर

(i) ₹ 6,68.57 लाख के वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 में उचन्त लेखे के समाशोधन के ₹ 10.38 लाख की धनराशि सम्मिलित है।

(ii) ₹ 3,23.95 लाख (₹ 3,13.57 लाख + ₹ 10.38 लाख) की अन्तिम बचत में से, मात्र ₹ 3,23.54 लाख की धनराशि अभ्यर्पित की गयी।

(iii) बचत (एक अन्य शीर्ष के अन्तर्गत व्ययाधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न के अधीन हुई:-

'क'क

द्वय वृत्तिका अंकलफुद 0; ;

वृ/कद 0; ; \$
cpr &

॥ यक/क ₹ ए॥

2052- वृत्तिका; अंकल; वृत्तिका; अंकल

091- संलग्न कार्यालय-

03- कार्यालय निरीक्षणालय-

मूल 2,53.58

पुनर्वि० -7.82

2,45.76

2,45.39

-0.37

वास्तविक व्यय में ₹ 0.01 लाख उचन्त लेखे समाशोधन के वर्ष 2001-02 के सम्मिलित है।

₹ 7.82 लाख का अभ्यर्पण पदों के रिक्त रहने तथा कार्यालय नियमावली के प्रकाशन न होने के कारण हुआ।

' kh" kZ

dgy vuqku okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; \$

cpr &

¼ yk[k ₹ ea ½

04- प्रशासनिक सुधार निदेशालय—

मूल	80.77
पुनर्वि०	-11.89

68.88

79.24

+10.36

वास्तविक व्यय में ₹ 10.36 लाख उचन्त लेखे समाशोधन के वर्ष 2001-02 के सम्मिलित है।

₹ 11.89 लाख का अभ्यर्पण पदों के रिक्त रहने, आर्थिक मितव्ययिता, कार्मिकों द्वारा अवकाश यात्रा सुविधा का उपभोग न किये जाने तथा अधिकारियों/कार्मिकों द्वारा चिकित्सा प्रतिपूर्ति के दावे न किये जाने के कारण हुआ।

2070- vU; i' kkl fud l dk; &

800- अन्य व्यय—

03- उत्तर प्रदेश सूचना आयोग
का गठन—

मूल	6,43.29
पुनर्वि०	-3,03.78

3,39.51

3,39.50

-0.01

₹ 3,03.78 लाख का अभ्यर्पण पदों के रिक्त रहने, कोई व्यय न होने के कारण हुआ।

2202- l kekl; f' k{kk&

80- सामान्य—

004- अनुसंधान—

03- इन्डियन इन्स्टीट्यूट आफ पब्लिक
एडमिनिस्ट्रेशन, नई दिल्ली की उत्तर
प्रदेश की रीजनल शाखा लखनऊ को
अनुदान—

मूल	4.50
पुनर्वि०	-0.05

4.45

4.45

..

₹ 0.05 लाख का अभ्यर्पण प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुआ।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत/व्ययाधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं
(जून 2013)।

वृत्तिका 1 अ; क 47 & i k f o f / k d f ' k { k k f o H k k x

वर्ष; ' k h ' k z	वृत्तिका ; k f o f u ; k x	वृत्तिका 0 ; ;	वृत्तिका 0 ; ; \$ c p r &
<i>॥ g t k j ₹ e ॥</i>			
j k t L o &			
2203- r d u h d h f ' k { k k			
n R r e r &			
मूल	2,36,19,21		
पूरक	..		
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2013)		2,36,19,21	1,70,10,71
			-66,08,50
			59,01,72
i H k k f j r &			
मूल	1,02		
पूरक	..		
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2013)		1,02	..
			-1,02
			1,02
i w t h x r &			
4202- f ' k { k k [k s y d h n] d y k r F k k I L d f r			
i j i w t h x r i f j 0 ; ;			
n R r e r &			
मूल	2,38,23,88		
पूरक	28,72,00		
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2013)		2,66,95,88	1,34,65,34
			-1,32,30,54
			1,30,89,35

f v l i f . k ; k a , o a V h d k ; &

j k t L o &

n R r e r &

- (i) ₹ 1,70,10.71 लाख के वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02, 2003-04, 2004,05, 2008-09, 2009-10 तथा 2010-11 के उच्चत लेखे के समाशोधन के ₹ 44.15 लाख की धनराशि सम्मिलित है।
- (ii) ₹ 66,52.65 लाख (₹ 66,08.50 लाख + ₹ 44.15 लाख) की अन्तिम बचत में से, मात्र ₹ 59,01.72 लाख की धनराशि अभ्यर्पण के लिए प्रत्याशित की जा सकी।

(iii) बचत (अन्य शीर्षों के अन्तर्गत व्ययाधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न के अधीन हुई:-

'kh"kl	dlg vuqku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$
			cpr &
		¼ yk[k ₹ ea ½	

2203- rduhdh f' k{kk&

001- निदेशन तथा प्रशासन-

03- तकनीकी शिक्षा तथा निदेशालय-

मूल	6,01.70	5,03.87	5,03.87	..
पुनर्वि०	-97.83			

₹ 97.83 लाख की शुद्ध बचत में से, ₹ 99.83 लाख का अभ्यर्पण पदों के रिक्त रहने, देयकों के प्राप्त न होने तथा आवश्यकता न होने के कारण हुआ। प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 2.00 लाख की वृद्धि अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था के कारण हुई।

04- क्षेत्रीय कार्यालय-

मूल	1,91.89	1,59.92	1,59.31	-0.61
पुनर्वि०	-31.97			

वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 तथा 2004-05 के उच्च लेखे के समाशोधन के ₹ 0.26 लाख सम्मिलित है।

₹ 31.97 लाख का अभ्यर्पण पदों के रिक्त रहने, बिजली का बिल प्राप्त न होने तथा क्रय न होने के कारण हुआ।

103- तकनीकी विद्यालय-

01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-

मूल	16,62.00	2,97.07	2,97.08	+0.01
पुनर्वि०	-13,64.93			

₹ 13,64.93 लाख का अभ्यर्पण भारत सरकार से वित्तीय स्वीकृति निर्गत न होने के कारण हुआ।

104- अराजकीय तकनीकी कालेजों तथा संस्थानों को सहायता-

01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-

मूल	4,87.00	1,28.02	1,28.02	..
पुनर्वि०	-3,58.98			

₹ 3,58.98 लाख का अभ्यर्पण भारत सरकार से वित्तीय स्वीकृति निर्गत न होने के कारण हुआ।

' kh" kZ	dy vupku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$	cpr &
		¼ yk[k ₹ ea ½		
03- प्रेम महाविद्यालय बहुधन्धी संस्था, मथुरा—				
मूल	1,28.47			
पुनर्वि०	-84.07	44.40	44.40	..
₹ 84.07 लाख का अभ्यर्पण पदों के रिक्त रहने के कारण हुआ।				
04- मुरलीधर गजानन्द बहुधन्धी संस्था, हाथरस—				
मूल	1,42.15			
पुनर्वि०	-93.27	48.88	48.88	..
₹ 93.27 लाख का अभ्यर्पण पदों के रिक्त रहने के कारण हुआ।				
05- हंडिया बहुधन्धी संस्था, हंडिया—				
मूल	1,06.06			
पुनर्वि०	-76.38	29.68	29.68	..
₹ 76.38 लाख का अभ्यर्पण पदों के रिक्त रहने के कारण हुआ।				
06- चन्दौली बहुधन्धी संस्था, चन्दौली—				
मूल	97.42			
पुनर्वि०	-63.86	33.56	33.56	..
₹ 63.86 लाख का अभ्यर्पण पदों के रिक्त रहने के कारण हुआ।				
07- एम० पी० पालीटेक्निक, गोरखपुर—				
मूल	1,27.92			
पुनर्वि०	-83.92	44.00	44.00	..
₹ 83.92 लाख का अभ्यर्पण पदों के रिक्त रहने के कारण हुआ।				
09- डी०जी० पालीटेक्निक, बड़ौत—				
मूल	1,01.13			
पुनर्वि०	-10.79	90.34	90.34	..
₹ 10.79 लाख का अभ्यर्पण पदों के रिक्त रहने के कारण हुआ।				
10- गांधी पालीटेक्निक, मुजफ्फर नगर—				
मूल	99.66			
पुनर्वि०	-41.19	58.47	69.02	+10.55
वास्तविक व्यय में वर्ष 2003-04 के उच्चत लेखे के समाशोधन के ₹ 10.55 लाख सम्मिलित है।				
₹ 41.19 लाख का अभ्यर्पण पदों के रिक्त रहने के कारण हुआ।				

'kh"KZ dgy vuqku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; \$
cpr &
¼ yk[k ₹ ea ½

14- लखनऊ पालीटेक्निक, लखनऊ—

मूल 1,36.63

1,19.50

1,19.50

..

पुनर्वि० -17.13

₹ 17.13 लाख का अभ्यर्पण पदों के रिक्त रहने के कारण हुआ।

105- बहुशिल्प विद्यालय—

03- सामान्य पालीटेक्निक—

मूल 1,19,78.58

1,02,72.85

1,02,73.73

+0.88

पुनर्वि० -17,05.73

वास्तविक व्यय में वर्ष 2003-04, 2004-05, 2008-09 तथा 2009-10 के उच्चत लेखे के समाशोधन के ₹ 15.14 लाख सम्मिलित है।

₹ 17,05.73 लाख की कुल बचत में से, ₹ 15,47.33 लाख का अभ्यर्पण मुख्यतः पदों के रिक्त रहने, देयकों के प्राप्त न होने, वास्तविक व्यय के आधार पर बचत आदि के कारण हुआ। प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 1,58.40 लाख की कमी मुख्यतः पदों के रिक्त रहने आदि के कारण हुई।

04- राजकीय पालीटेक्निकों में

द्वितीय पाली में प्रशिक्षण—

मूल 8,24.27

3,46.05

3,45.85

-0.20

पुनर्वि० -4,78.22

₹ 4,78.22 लाख का अभ्यर्पण वास्तविक व्यय के पश्चात् बचत के कारण हुआ।

06- राजकीय पालीटेक्निक, मऊ—

मूल 92.13

78.31

78.31

..

पुनर्वि० -13.82

₹ 13.82 लाख का अभ्यर्पण पदों के रिक्त रहने के कारण हुआ।

11- राजकीय महिला पालीटेक्निक कुम्हार

खेड़ा सहारनपुर की स्थापना—

मूल 14.10

..

2.00

+2.00

पुनर्वि० -14.10

वास्तविक व्यय में वर्ष 2003-04 के उच्चत लेखे के समाशोधन के ₹ 1.99 लाख सम्मिलित है।

₹ 14.10 लाख की कुल बचत में से, ₹ 10.11 लाख का अभ्यर्पण आवश्यकता न होने के कारण हुआ तथा प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 3.99 लाख की कमी के कोई विशेष कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

' kh"kl

dly vupku

okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; \$

cpr &

¼ yk[k ₹ ea ½

12- कु0 मायावती राजकीय महिला पालीटेक्निक,
बादलपुर (गौतमबुद्ध नगर)—

मूल	22.32	}
पुनर्वि०	-9.19	

13.13

13.12

-0.01

₹ 9.19 लाख का अभ्यर्पण मुख्यतः आवश्यकता न होने के कारण हुआ।

112- इंजीनियरी/तकनीकी कालेज
तथा संस्थान—

16- उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी
संस्थान, कानपुर

1,73.30

1,46.50

-26.80

17- प्रदेश में संचालित निजी क्षेत्र में
चिकित्सीय, अभियंत्रण संस्थाओं
में परास्नातक, स्नातक व डिप्लोमा
पाठ्यक्रम तथा शिक्षा विभाग द्वारा
संचालित व्यवसायिक पाठ्यक्रमों
में निष्पक्ष एवं पारदर्शी प्रवेश तथा
फीस निर्धारण हेतु—

मूल	35.95	}
पुनर्वि०	-26.90	

9.05

6.46

-2.59

₹ 26.90 लाख का अभ्यर्पण वास्तविक आवश्यकता के आधार पर बचत के कारण हुआ।

19- वर्चुअल क्लासरूम की स्थापना—

मूल	1,00.00	}
पुनर्वि०	-1,00.00	

..

..

..

₹ 1,00.00 लाख का अभ्यर्पण भारत सरकार की योजना के अन्तर्गत वर्चुअल क्लास रूम की स्थापना हेतु कोई कार्यवाही न होने के कारण हुआ।

20- अपीलीय प्राधिकरण—

मूल	32.61	}
पुनर्वि०	-21.07	

11.54

11.52

-0.02

₹ 21.07 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

21- इंजीनियरिंग कालेजों की स्थापना—

मूल	1,30.01	}
पुनर्वि०	-1,30.01	

..

..

..

₹ 1,30.01 लाख का अभ्यर्पण सांकेतिक धनराशि तथा पदों के रिक्त रहने के कारण हुआ।

' kh" kZ	dy vupku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$
		¼ yk/[k ₹ ea ½	cpr &
97- विश्व बैंक सहायतित तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम— मूल 20,00.01	8,62.33	8,62.33	..
पुनर्वि० -11,37.68			
₹ 11,37.68 लाख का अभ्यर्पण मुख्यतः भारत सरकार से दूसरी किश्त प्राप्त न होने, वास्तविक व्यय के पश्चात् बचत आदि के कारण हुआ।			
800- अन्य व्यय—			
06- कन्या विद्या धन योजना	5,00.00	..	-5,00.00
07- बी०पी०एल० परिवारों की कक्षा 10 पास बालिकाओं को आगे की शिक्षा हेतु	2,00.00	..	-2,00.00
उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत/व्ययाधिक्य/सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2013)।			
(iv) व्ययाधिक्य मुख्यतः निम्न के अधीन हुआ:—			
2203- rduhdh f' k{kk&			
105- बहुशिल्प विद्यालय—			
18- बुन्देलखण्ड क्षेत्र में नवीन पालीटेक्निकों (पुरुष/महिला) की स्थापना— मूल 12.81	57.45	54.11	-3.34
पुनर्वि० 44.64			
प्रावधान में ₹ 44.64 लाख की शुद्ध वृद्धि में से, ₹ 75.76 लाख का अभ्यर्पण मुख्यतः पदों के रिक्त रहने के कारण हुआ तथा प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 1,20.40 लाख की वृद्धि वेतन शीर्ष में बजट प्रावधान कम होने के कारण हुई।			
19- आई०टी० पालीटेक्निक— मूल 6.48	27.62	25.77	-1.85
पुनर्वि० 21.14			
प्रावधान में ₹ 21.14 लाख की शुद्ध वृद्धि में से, ₹ 14.86 लाख का अभ्यर्पण पदों के रिक्त रहने के कारण हुआ तथा ₹ 36.00 लाख की वृद्धि वेतन शीर्ष में बजट प्रावधान कम होने के कारण हुई।			

'kh"lz dly vuqku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; \$
cpr &
% yk[k ₹ ea %

800- अन्य व्यय—

03- तकनीकी शिक्षा परिषद्—

मूल	4,39.63	}	4,38.56	4,53.12	+14.56
पुनर्वि०	-1.07				

वास्तविक व्यय में वर्ष 2010-11 के उच्चतम लेख के समाशोधन के ₹ 14.87 लाख सम्मिलित है।

₹ 1.07 लाख का अभ्यर्पण मुख्यतः शासनादेश दिनांक 21-06-2010 के तारतम्य में समायोजन, देयकों के प्राप्त न होने, पदों के रिक्त रहने आदि के कारण हुआ।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत/व्याधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2013)।

i wthxr &

nRrer &

- (v) ₹ 1,32,30.54 लाख की अन्तिम बचत में से, मात्र ₹ 1,30,89.35 लाख की धनराशि अभ्यर्पण के लिए प्रत्याशित की जा सकी।
- (vi) ₹ 1,32,30.54 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए, नवम्बर 2012 में प्राप्त किया गया ₹ 28,72.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ। इसे यथावश्यक सांकेतिक धनराशि से सीमित किया जा सकता था।
- (vii) बचत निम्न के अधीन हुई:-

4202- f' k{kk} [kydin] dyk rFkk

l dfr ij i wthxr ifj0; ; &

02- तकनीकी शिक्षा—

104- बहुशिल्प—

01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र

द्वारा पुरोनिधानित योजनायें—

मूल	1,72,55.87	}	89,60.66	88,38.46	-1,22.20
पूरक	18,72.00				
पुनर्वि०	-1,01,67.21				

₹ 1,01,67.21 लाख का अभ्यर्पण भारत सरकार से धनराशि प्राप्त न होने, भारत सरकार द्वारा अनावर्ती मदों में धनराशि का आवंटन न होने, क्रय प्रक्रिया का शासनादेश विलम्ब से निर्गत होने के कारण हुआ।

' kh" kZ

dgy vuqku

okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; \$

cpr &

¼ yk[k ₹ ea ½

12- राजकीय पालीटेक्निक (पुरुष/महिला)

का उन्नयन एवं सुदृढीकरण तथा अन्य
अवस्थापना सुविधाओं का विकास—

मूल 90.00

पुनर्वि० -15.44

74.56

59.56

-15.00

₹ 15.44 लाख का अभ्यर्पण वित्तीय स्वीकृति निर्गत न होने के कारण हुआ।

47- राजकीय पालीटेक्निक का उन्नयन

एवं सुदृढीकरण तथा अन्य अवस्थापना
सुविधाओं का विकास (जिला योजना)—

मूल 4,00.00

पुनर्वि० -4,00.00

..

..

..

₹ 4,00.00 लाख का अभ्यर्पण वित्तीय स्वीकृति निर्गत न होने के कारण हुआ।

50- राजकीय पालीटेक्निकों में विभिन्न

निर्माण कार्य (जिला योजना)—

मूल 5,00.00

पुनर्वि० -2,29.66

2,70.34

2,70.34

..

₹ 2,29.66 लाख का अभ्यर्पण वित्तीय स्वीकृति निर्गत न होने के कारण हुआ।

58- राजकीय पालीटेक्निकों की स्थापना—

मूल 13,20.00

पूरक 10,00.00

पुनर्वि० -1,19.67

22,00.33

22,00.33

..

₹ 1,19.67 लाख का अभ्यर्पण वास्तविक व्यय के पश्चात् बचत के कारण हुआ।

59- राजकीय पालीटेक्निकों के वर्चुअल

क्लास रूमस की स्थापना—

मूल 1,00.00

पुनर्वि० -1,00.00

..

..

..

₹ 1,00.00 लाख का अभ्यर्पण वित्तीय स्वीकृति निर्गत न होने के कारण हुआ।

' kh"kl

dly vuqku

okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; \$

cpr &

¼ yk[k ₹ ea ½

105- इंजीनियरिंग / तकनीकी कालेज
तथा संस्थान-

06- कमला नेहरू इन्स्टीट्यूट आफ
साइन्स एण्ड टेक्नोलोजी, सुल्तानपुर
को सहायक अनुदान (जिला योजना)-

मूल 50.00

25.96

21.97

-3.99

पुनर्वि० -24.04

₹ 24.04 लाख का अभ्यर्पण वास्तविक व्यय के पश्चात् बचत के कारण हुआ।

10- अभियन्त्रण संस्थाओं में
छात्रावास का निर्माण-

मूल 7,00.00

6,70.00

6,70.00

..

पुनर्वि० -30.00

₹ 30.00 लाख का अभ्यर्पण वास्तविक व्यय के पश्चात् बचत के कारण हुआ।

11- मण्डल स्तर पर इंजीनियरिंग
कालेजों की स्थापना-

मूल 20,00.00

..

..

..

पुनर्वि० -20,00.00

₹ 20,00.00 लाख का अभ्यर्पण भूमि का निपटारा न होने से धनराशि स्वीकृत न होने के कारण हुआ।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2013)।

fVli f.k; ka , oa Vhdk; &

jktLo&

nRrer&

- (i) ₹ 15,44,75.62 लाख के वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02, 2002-03, 2004-05, 2005-06, 2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-11 तथा 2011-12 में उचन्त लेखे के समाशोधन के ₹ 2,37.57 लाख की धनराशि सम्मिलित है।
- (ii) ₹ 1,06,63.94 लाख (₹ 1,04,26.37 लाख + ₹ 2,37.57 लाख) की अन्तिम बचत में से, मात्र ₹ 87,08.09 लाख की धनराशि अभ्यर्पण के लिए प्रत्याशित की जा सकी।
- (iii) ₹ 1,06,63.94 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए, नवम्बर 2012 में प्राप्त किया गया ₹ 2,71,00.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अधिक सिद्ध हुआ।
- (iv) बचत (अन्य शीर्षों के अन्तर्गत व्ययाधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न के अधीन हुई:-

'kh"kl	dy vupku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$
			cpr &

¼ yk[k ₹ ea ½

2070- vU; i t kkl fud l dk; &

001- निदेशन तथा प्रशासन-

04- मण्डलीय तथा जिला

कार्यालय	9,61.54	7,47.33	-2,14.21
----------	---------	---------	----------

वास्तविक व्यय में वर्ष 2004-05 तथा 2011-12 के उचन्त लेखे के समाशोधन के ₹ 1.59 लाख की धनराशि सम्मिलित है।

06- रजिस्ट्रार/निरीक्षक अरबी

फारसी मदरसा उत्तर प्रदेश,

इलाहाबाद-

मूल	33.37	29.90	22.37	-7.53
पुनर्वि०	-3.47			

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 3.47 लाख की कमी मदरसा बोर्ड का गठन न होने से मानदेय तथा किराये का भुगतान न होने के कारण हुई।

07- मुख्यालय/जिला/मण्डल

स्तरीय कार्यालयों का

कम्प्यूटरीकरण	2,50.00	2,25.00	-25.00
---------------	---------	---------	--------

'kh"kl
 dly vupku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; \$
 % yk[k ₹ ea % cpr &

**2071- idku rFkk vU; l ok
 fuofRr fgrykHk &**

01- सिविल—

109- राज्य से सहायता प्राप्त शिक्षण
 संस्थाओं के कर्मचारियों को पेंशन—

03- पेंशन आदि का भुगतान—

मूल 1,85.00

2,85.00

2,39.77

-45.23

पूरक 1,00.00

2202- l kekl; f' k{kk&

02- माध्यमिक शिक्षा—

800- अन्य व्यय—

01- केन्द्रीय आयोजनागत / केन्द्र
 द्वारा पुरोनिधानित योजनायें

18,75.00

0.72

-18,74.28

80- सामान्य—

800- अन्य व्यय—

03- मान्यता प्राप्त अरबी फारसी
 मदरसों में लघु औद्योगिक
 प्रशिक्षण संस्थानों की
 स्थापना

6,04.80

2,57.92

-3,46.88

**2225- vuq fpr tkfr; k; vuq fpr
 tutkfr; k; rFkk vU; fi NM; &
 oxk; dk dY; k. k&**

80- सामान्य—

800- अन्य व्यय—

01- केन्द्रीय आयोजनागत / केन्द्र
 द्वारा पुरोनिधानित योजनायें—

मूल 4,93,24.58

4,29,29.33

4,29,67.14

+37.81

पुनर्वि० -63,95.25

वास्तविक व्यय में वर्ष 2004-05 के उच्चत लेखे के समाशोधन के ₹ 35.00 लाख की धनराशि सम्मिलित है।

₹ 63,95.25 लाख का अभ्यर्पण भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त न होने के कारण हुआ।

'kh"z d;v vupku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; \$
cpr &
% yk[k ₹ ea %

03- अल्पसंख्यकों का कल्याण—

मूल	2,87,94.81			
पूरक	2,50,00.00	5,37,93.09	4,81,60.07	-56,33.02
पुनर्वि०	-1.72			

वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02, 2002-03, 2007-08 तथा 2011-12 के उच्चत लेखे के समाशोधन के ₹ 46.49 लाख की धनराशि सम्मिलित है।

₹ 1.72 लाख का अभ्यर्पण जनपदों द्वारा वित्तीय वर्ष के अन्तिम दिन धनराशि का अभ्यर्पण किये जाने के कारण हुआ।

2235- I kekftd I j{kk rFkk dY; k.k&

02- समाज कल्याण—

800- अन्य व्यय—

01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें—

मूल	5,00.00			
पुनर्वि०	-3,38.10	1,61.90	3.89	-1,58.01

₹ 3,38.10 लाख का अभ्यर्पण भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त न होने, सर्विस प्रोवाइडर द्वारा संविदा पर कम्प्यूटर आपरेटर की नियुक्ति न किये जाने के कारण हुआ।

2250- vl; I kekftd I ok; &

102- धार्मिक तथा पूर्त अक्षय निधि अधिनियमों का प्रशासन—

03- अधिष्ठान 6,59.09 5,91.77 -67.32

800- अन्य व्यय—

08- सर्वे कमिश्नर वक्फ कार्यालय के कर्मियों के अवशेषों का

भुगतान	46.60	34.96	-11.64
--------	-------	-------	--------

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत/व्ययाधिक्य कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2013)।

(v) व्ययाधिक्य मुख्यतः निम्न के अधीन हुआ:—

2070- vl; i'kkl fud I ok; &

001- निदेशन तथा प्रशासन—

03- अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय—

मूल	1,29.54			
पुनर्वि०	-25.00	1,04.54	1,32.07	+27.53

₹ 25.00 लाख का अभ्यर्पण सप्लायर को 10 प्रतिशत धनराशि का भुगतान न किये जाने के कारण हुआ।

(viii) बचत (एक अन्य शीर्ष के अन्तर्गत व्ययाधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न के अधीन हुई:-

'kh"kl	dy vupku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$
			cpr &
		% yk[k ₹ ea %	

4202- f'k{kk} [kydm] dyk rFkk
l dfr ij iwthxr ifj0; ; &

01- सामान्य शिक्षा-

800- अन्य व्यय-

01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र
द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-
मूल 11,00.00
पुनर्वि० -1,21.26

9,78.74 9,78.74 ..

₹ 1,21.26 लाख का अभ्यर्पण भारत सरकार द्वारा स्वीकृत धनराशि संस्थाओं द्वारा स्वीकार करने से मना करने के कारण हुआ।

4235- l kekftd l j{kk rFkk dY; k.k
ij iwthxr ifj0; ; &

02- समाज कल्याण-

800- अन्य व्यय-

01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र
द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-
मूल 4,80,44.30
पुनर्वि० -1,62,66.82

3,17,77.48 3,18,61.81 +84.33

₹ 1,62,66.82 लाख का अभ्यर्पण भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त न होने के कारण हुआ।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम व्ययाधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2013)।

(ix) व्ययाधिक्य निम्न के अधीन हुआ:-

4202- f'k{kk} [kydm] dyk rFkk
l dfr ij iwthxr ifj0; ; &

01- सामान्य शिक्षा-

800- अन्य व्यय-

04- अखिल भारतीय प्रशासनिक/
प्रादेशिक सिविल सेवाओं में
अल्पसंख्यक छात्रों के लिए
कोचिंग संस्थान

1,62.44 1,93.58 +31.14

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम व्ययाधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2013)।

वृत्तिका I अ; क 49 & एफ गीक , ओ अकी दय; क.क फोहकख

ए; 'क"क
 दय वृत्तिका
 ; क
 फो; कख

॥ गीक ₹ ए ॥

जकलो&

2235- I केफतद I ग{क रफक दय; क.क

नरर&

मूल 43,07,43,62

पूरक 69,00,00

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि

i हकफि र&

मूल 1,00

पूरक ..

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि

i थहर&

4235- I केफतद I ग{क रफक दय; क.क

ij i थहर ifj0; ;

नरर&

मूल 28,00,00

पूरक ..

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि

fVlif.k; ka , oa Vhdk; &

जकलो&

नरर&

(i) ₹ 40,03,46.44 लाख के वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02, 2002-03, 2003-04, 2004-05, 2005-06, 2006-07, 2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-11 तथा 2011-12 में उचन्त लेखे के समाशोधन के ₹ 7,17.33 लाख की धनराशि सम्मिलित है।

(ii) ₹ 3,80,14.51 लाख (₹ 3,72,97.18 लाख + ₹ 7,17.33 लाख) की अन्तिम बचत के विरुद्ध, कोई भी धनराशि अभ्यर्पण के लिए प्रत्याशित नहीं की जा सकी।

(iii) ₹ 3,80,14.51 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए, नवम्बर 2012 में प्राप्त किया गया ₹ 69,00.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ। इसे यथावश्यक सांकेतिक प्रावधान से सीमित किया जा सकता था।

(iv) बचत (अन्य शीर्षों के अन्तर्गत व्ययाधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न के अधीन हुई:-

' kh" kZ	dy v unku	okLrfod 0 ; ;	vf/kd 0 ; ; \$
			cpr &
		¼ yk[k ₹ ee ½	

2235- I kekftd I gj {kk rFkk dY; k. k&

02- समाज कल्याण-

001- निदेशन तथा प्रशासन-

03- महिला कल्याण निदेशालय 4,12.98 3,27.95 -85.03

102- बाल कल्याण-

01- केन्द्रीय आयोजनागत / केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-

मूल	19,55,63.71			
पूरक	69,00.00	20,42,63.71	17,79,57.16	-2,63,06.55
पुनर्वि०	18,00.00			

वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02, 2002-03, 2003-04, 2004-05, 2005-06, 2006-07, 2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-11 तथा 2011-12 के उचन्त लेखे के समाशोधन के ₹ 5,04.09 लाख की धनराशि सम्मिलित है।

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 18,00.00 लाख की वृद्धि बजट प्रावधान कम होने के कारण हुई।

05- किशोर न्याय निधि 25.00 .. -25.00

07- पुष्टाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत समन्वित बाल विकास परियोजनाओं पर राज्य सरकार द्वारा दिया जाने वाला पोषाहार (केन्द्र 50 / राज्य 50)-

मूल	17,02,50.00			
पुनर्वि०	-18,00.00	16,84,50.00	15,95,45.54	-89,04.46

वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 तथा 2002-03 के उचन्त लेखे के समाशोधन के ₹ 29.09 लाख की धनराशि सम्मिलित है।

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 18,00.00 लाख की कमी सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों का संचालन न होने के कारण हुई।

13- संस्थानों / गृहों का

संचालन 34,43.41 30,79.69 -3,63.72

वास्तविक व्यय में वर्ष 2002-03, 2003-04, 2004-05, 2005-06, 2006-07, 2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-11 तथा 2011-12 के उचन्त लेखे के समाशोधन के ₹ 12.12 लाख की धनराशि सम्मिलित है।

15- उत्तर प्रदेश बाल अधिकार

संरक्षण आयोग 2,11.58 .. -2,11.58

' kh" kZ	dy vupku	okLrfod 0 ; ; ¼ yk[k ₹ ea ½	vf/kd 0 ; ; \$ cpr &
103- महिला कल्याण—			
01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें	1,35.00	..	-1,35.00
05- उत्तर प्रदेश महिला निधि	50.00	0.83	-49.17
06- महिला संरक्षण एवं उत्पीड़न निवारण प्रकोष्ठ	30.00	..	-30.00
09- विधवाओं से विवाह करने पर दम्पति को पुरस्कार	45.00	23.87	-21.13
11- अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम 1956 के अधीन अतिरिक्त उद्धार संगठनों की स्थापना	1,23.45	82.79	-40.66
18- विभिन्न विभागीय संस्थाओं से मुक्त किये एवं अन्तर्वासियों के पुनर्वासन के लिय राज्य सहायता	10.00	4.42	-5.58
20- उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग को अनुदान	2,62.49	1,47.49	-1,15.00
24- स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से वृद्ध महिला आश्रमों की स्थापना	3,00.00	1,50.00	-1,50.00
107- स्वेच्छा संगठनों को सहायता—			
03- श्रमजीवी महिला आवासों के निर्माण के लिए स्वैच्छिक संगठनों/संस्थाओं को भारत सरकार द्वारा दिये गये अनुदान में राज्य सरकार का सहयोग	50.00	6.44	-43.56
800- अन्य व्यय—			
04- निराश्रित विधवाओं की पुत्रियों के विवाह हेतु अनुदान	75.00	63.01	-11.99

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत/सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2013)।

(v) व्ययाधिक्य मुख्यतः निम्न के अधीन हुआ:-

'kh"KZ	dy vuvku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$
			cpr &
		¼ yk[k ₹ ea ½	

2235- I kekftd I gj{k rFkk dY; k. k&

02- समाज कल्याण-

102- बाल कल्याण-

06- महामाया गरीब बालिका

आशीर्वाद योजना .. 54.70 +54.70

वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02, 2005-06 तथा 2010-11 में उचन्त लेखे के समाशोधन के ₹ 54.69 लाख की धनराशि सम्मिलित है।

09- बाल कल्याण कोर्ट

बोर्ड की स्थापना 96.20 1,00.59 +4.39

वास्तविक व्यय मे वर्ष 2002-03, 2006-07 तथा 2010-11 में उचन्त लेखे के समाशोधन के ₹ 0.55 लाख की धनराशि सम्मिलित है।

प्रावधान में ₹ 2.50 लाख की वृद्धि संस्थाओं के संचालन हेतु किराये का भुगतान के कारण हुई।

103- महिला कल्याण-

08- दहेज प्रथा से उत्पीड़ित महिलाओं

को कानूनी सहायता 8.00 14.08 +6.08

वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 के उचन्त लेखे के समाशोधन के ₹ 10.25 लाख की धनराशि सम्मिलित है।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम व्ययाधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2013)।

i wthxr&

nRrer&

(vi) ₹ 2,84.69 लाख की अन्तिम बचत में से, कोई भी धनराशि अभ्यर्पण के लिए प्रत्याशित नहीं की जा सकी।

(vii) बचत मुख्यतः निम्न के अधीन हुई:-

4235- I kekftd I gj{k rFkk dY; k. k

ij i wthxr ifj0; ; &

02- समाज कल्याण-

103- महिला कल्याण-

01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र

द्वारा पुरोनिधानित योजनायें- 3,00.00 15.31 -2,84.69

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2013)।

वृत्तिका I अ; क 5&m | क्ख फोहकक ([ककनह , ओा खकेस| क्ख)

एक; 'कह"कल दिय वृत्तिका ओकलरफोद 0; ; वर/कद 0; ; \$
cpr&

(गतक/रू ए)

कतलो&

2235- I केकफतद I ग {कक रफक दय; क.क वक

2851- खके , ओा य?कम | क्ख

नररर&

मूल	64,04,76	}	89,04,76	89,10,60	+5,84
पूरक	25,00,00				
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2013)					
					4,96

वलि.क; का , ओा वहक; &

कतलो&

नररर&

- वास्तविक व्यय ₹ 89,10.60 लाख में, वर्ष 2003-04 के उचन्त लेखे के समाशोधन की धनराशि ₹ 10.80 लाख सम्मिलित हैA
- ₹ 4.96 लाख (₹ 10.80 लाख-₹ 5.84 लाख) से की अन्तिम बचत को देखते हुए नवम्बर 2012 में प्राप्त किया गया ₹ 25,00.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अधिक सिद्ध हुआ ।
- बचत निम्न के अधीन हुई:-

'कह"कल दिय वृत्तिका ओकलरफोद 0; ; वर/कद 0; ; \$
cpr&

(यक/क रू ए)

2851- खके रफक य?कम | क्ख&

105- खादी ग्रामोद्योग-

21- मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार
योजना

35,62.98 35,73.78 +10.80

वास्तविक व्यय में ₹ 10.80 लाख वर्ष 2003-04 के उचन्त लेखे के समाशोधन के सम्मिलित हैं।

वृत्तवार्षिक 50% की वृद्धि के लिए 1/4 फीस की दर से 1/2

वर्ष	वृत्तवार्षिक	वृद्धि	वृद्धि	वृद्धि
2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
मूल	6,50,14,07	6,50,14,07	4,94,66,63	-1,55,47,44
पूरक
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2013)				1,54,81,36
मूल	17,00	17,00	12,64	-4,36
पूरक
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2013)				4,36
मूल	1,24,76,79	1,24,76,79	1,08,16,29	-16,60,50
पूरक
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2013)				4,61

वृद्धि के लिए, 50% की वृद्धि के लिए

वृत्तवार्षिक

वृद्धि

- (i) ₹ 1,55,47.44 लाख की अन्तिम बचत में से, मात्र ₹ 1,54,81.36 लाख की धनराशि अभ्यर्पण के लिए प्रत्याशित की जा सकी।

(ii) बचत मुख्यतः निम्न के अधीन हुई:-

'kh"lz

dy vupku okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; \$
cpr &

yk[k ₹ ea ½

2053- ftyk iz kkl u&

093- जिला स्थापनाएं-

03- कलेक्टरी स्थापना-

मूल	5,96,55.22	}	4,59,50.99	4,59,13.14	-37.85
पुनर्वि०	-1,37,04.23				

₹ 1,37,04.23 लाख की कुल बचत में से, प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 24.57 लाख की कमी मांग कम होने के कारण हुई तथा ₹ 1,36,79.66 लाख का अभ्यर्पण वास्तविक व्यय के पश्चात् बचत के कारण हुआ।

101- आयुक्त-

03- मुख्यालय-

मूल	41,68.20	}	25,18.36	25,04.83	-13.53
पुनर्वि०	-16,49.84				

₹ 16,49.84 लाख की शुद्ध बचत में से, ₹ 16,74.41 लाख का अभ्यर्पण वास्तविक व्यय के पश्चात् बचत के कारण हुआ तथा प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 24.57 लाख की वृद्धि सम्भागीय कार्यालयों द्वारा अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होने के कारण हुई।

2059- ykd fuekz k dk; &

80- सामान्य-

053- रखरखाव तथा मरम्मत-

03- मंडल/जनपद/तहसीलों
के अनावासीय भवनों के
अनुरक्षण सम्बन्धी कार्य-

मूल	4,54.60	}	4,22.00	4,12.74	-9.26
पुनर्वि०	-32.60				

₹ 32.60 लाख का अभ्यर्पण आवश्यकता न होने के कारण हुआ।

2216- vkokl &

01- सरकारी रिहायशी भवन-

700- अन्य आवास-

03- मंडल/जनपद/तहसीलों
के आवासीय भवनों के
अनुरक्षण सम्बन्धी कार्य-

मूल	5,00.00	}	4,66.21	4,59.23	-6.98
पुनर्वि०	-33.79				

₹ 33.79 लाख का अभ्यर्पण आवश्यकता न होने के कारण हुआ।

' kh"lz

dy vupku

okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; \$

cpr &

yk[k ₹ ea ½

3053- ukxj foekuu&

02- विमान पत्तन-

102- हवाई अड्डा-

03- हवाई पट्टियों के रख रखाव

तथा प्रबन्ध-

मूल 2,36.05

1,75.15

1,76.69

+1.54

पुनर्वि० -60.90

₹ 60.90 लाख का अभ्यर्पण वास्तविक व्यय के पश्चात् बचत के कारण हुआ।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत/व्ययाधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं
(जून 2013)।

i wthxr&

nRrer&

(iii) ₹ 16,60.50 लाख की अन्तिम बचत में से, मात्र ₹ 4.61 लाख की धनराशि अभ्यर्पण के लिए प्रत्याशित जा सकी।

(iv) बचत मुख्यतः निम्न के अधीन हुई:-

4059- ykd fuekzk dk; l i j

i wthxr ifj0; ; &

01- कार्यालय भवन-

051- निर्माण-

09- मण्डलायुक्त कार्यालय भवन

3,00.00

..

-3,00.00

49- तहसीलों के अनावासीय भवनों
का निर्माण/पुनर्निर्माण

24,24.27

17,90.85

-6,33.42

50- कलेक्ट्रेट के अनावासीय भवनों
का निर्माण/पुनर्निर्माण-

मूल 13,09.30

11,36.20

7,10.54

-4,25.66

पुनर्वि० -1,73.10

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 1,73.10 लाख की कमी परिपक्व प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुई।

' kh" kZ

dy vupku

okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; \$

cpr &

y k [k ₹ ea ½

800- अन्य व्यय—

22- मंडल/जनपद/तहसीलों के
अनावासीय भवनों में लघु
निर्माण सम्बन्धी कार्य—

मूल	1,50.00	}	1,45.39	1,36.23	-9.16
पुनर्वि०	-4.61				

₹ 4.61 लाख का अभ्यर्पण आवश्यकता न होने के कारण हुआ।

4216- vkokl ij i thxr ifj0; ; &

01- सरकारी रिहायशी भवन—

106- साधारण पूल आवास—

04- तहसीलों के आवासीय भवन

3,32.44

1,32.44

-2,00.00

05- कलेक्ट्रेट के आवासीय भवन

1,30.76

46.25

-84.51

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2013)।

(v) व्ययाधिक्य मुख्यतः निम्न के अधीन हुआ—

4216- vkokl ij i thxr ifj0; ; &

01- सरकारी रिहायशी भवन—

106- साधारण पूल आवास—

03- आवासीय भवन—

पुनर्वि० 1,73.10

1,73.10

1,73.10

..

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 1,73.10 लाख की वृद्धि आयुक्त कार्यालय, अलीगढ़ के निर्माण कार्य में निरन्तरता बनाये रखने के कारण हुई।

(iv) व्ययाधिक्य मुख्यतः निम्न के अधीन हुआ:-

'kh"z	dqy vupku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$
			cpr &
			¼ yk[k ₹ ea ½

2245- i kdfrd foi fRr ds dkj .k jkgr&

05- स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड-

901- घटाएं-स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड

से व्यय की गयी धनराशि-

03- स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड

से व्यय की गयी धनराशि

-6,14,58.00

..

+6,14,58.00

(v) बचत (अन्य शीर्षों के अन्तर्गत व्ययाधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न के अधीन हुई:-

2052- I fpoky; &l kekl; I ok; &

090- सचिवालय-

03- दैवी आपदा सम्बन्धी अधिष्ठान-

मूल 80.06

27.58

68.14

+40.56

पुनर्वि० -52.48

वास्तविक व्यय में वर्ष 2008-09 तथा 2009-10 में उचन्त लेखे के समाशोधन के ₹ 40.36 लाख की धनराशि सम्मिलित है।

₹ 52.48 लाख का अभ्यर्पण वास्तविक व्यय के आधार पर बचत के कारण हुआ।

2235- I kekftd I j{kk rFkk dY; k.k&

02- समाज कल्याण-

200- अन्य कार्यक्रम-

03- अन्य राज्य सरकारों को दैवी

आपदा के समय सहायता

5.00

..

-5.00

2245- i kdfrd foi fRr ds dkj .k jkgr&

05- स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड-

800- अन्य व्यय-

03- स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स

फण्ड से व्यय-

मूल 6,14,58.00

4,82,35.67

4,76,91.74

-5,43.93

पुनर्वि० -1,32,22.33

वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02, 2002-03, 2004-05, 2005-06, 2008-09 तथा 2011-12 में उचन्त लेखे के समाशोधन के ₹ 28.38 लाख की धनराशि सम्मिलित है।

₹ 1,32,22.33 लाख का अभ्यर्पण जनपदों द्वारा धनराशि का उपयोग न किये जाने के कारण हुआ।

'kh"lz dly vupku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; \$
 ¼ yk[k ₹ ea ½ cpr &

80- सामान्य-

800- अन्य व्यय-

06- उत्तर प्रदेश आपदा

प्रबन्ध प्राधिकरण-

मूल 5,50.00]

20.00

20.00

..

पुनर्वि० -5,30.00]

₹ 5,30.00 लाख का अभ्यर्पण आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण में कार्मिकों की नियुक्ति न होने, आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण का संचालन न होने के कारण हुआ।

07- जिला आपदा प्रबन्ध

प्राधिकरण-

मूल 1,50.00]

42.14

42.03

-0.11

पुनर्वि० -1,07.86]

₹ 1,07.86 लाख का अभ्यर्पण डी०डी०एम०ए० का समुचित गठन न होने के कारण हुआ।

08- डिजास्टर रिस्क रिडक्शन प्रोग्राम

(यू० एन० डी० पी० पोषित)-

मूल 1,50.00]

5.20

5.20

..

पुनर्वि० -1,44.80]

₹ 1,44.80 लाख का अभ्यर्पण वास्तविक व्यय के आधार पर बचत के कारण हुआ।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत/व्ययाधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं
(जून 2013)।

i wthxr&

nRrer&

(vi) बचत मुख्यतः निम्न के अधीन हुई:-

4250- vl; I kekftd I okvka ij

i wthxr ifj0; ; &

101- प्राकृतिक आपदाएं-

05- स्टेट डिजास्टर मिटिगेशन

फण्ड से व्यय-

मूल 5,00.00]

..

..

..

पुनर्वि० -5,00.00]

₹ 5,00.00 लाख का अभ्यर्पण जनपदों से मांग प्राप्त न होने के कारण हुआ।

' kh" kZ	clq vupku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$
		¼ yk[k ₹ ea ½	cpr &

06- डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मिटिगेशन

फण्ड से व्यय—

मूल 5,00.00]

पुनर्वि० -5,00.00]

₹ 5,00.00 लाख का अभ्यर्पण जनपदों से मांग प्राप्त न होने के कारण हुआ।

08- प्रदेश में विस्थापितों के

पुनर्वास हेतु भूमि क्रय—

मूल 10,00.00]

पुनर्वि० -9,91.60]

₹ 9,91.60 लाख का अभ्यर्पण जनपदों से मांग प्राप्त न होने के कारण हुआ।

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2013)।

vunku l a[; k 52- jktLo foHkkx ¼ jktLo ifj"kn~ rFkk vU; 0; ; ½

ed[; 'kh"z dgy vunku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; \$
; k ; k cpr &
fofu; ksx ¼ g tkj ₹ ea ½

jktLo&

2029- Hk&jktLo]

2049- C; kt vnk; fx; kq

2052- l fpoky; &l keku; l ok; q

2059- ykd fuekZ k dk; j

2075- fofo/k l keku; l ok; q

2216- vkokl]

2235- l kekfTd l gj{kk rFkk dY; k.k rFkk

3454- tux.kuk] l oq{k.k rFkk l kf[; dh

nRrer&

मूल 21,40,50,93]

21,40,50,93

17,87,49,08

-3,53,01,85

पूरक ..]

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2013)

3,53,76,86

i Hkkfj r&

मूल 18,78]

18,78

48,17

+29,39

पूरक ..]

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2013)

15,88

i wthxr&

4059- ykd fuekZ k dk; l ij

i wthxr ifj0; ; rFkk

6003- jkT; l jdkj dk vkuRfjd __.k

nRrer&

मूल 7,92,94]

7,92,94

5,24,06

-2,68,88

पूरक ..]

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2013)

2,45,84

i Hkkfj r&

मूल 10,51]

10,51

..

-10,51

पूरक ..]

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2013)

10,51

fVli f.k; ka , oa Vhdk; &
jktLo&
nRrer&

- (i) ₹ 17,87,49.08 लाख के वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02, 2002-03, 2004-05, 2005-06, 2006-07, 2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-11 तथा 2011-12 में उचन्त लेखे के समाशोधन के ₹ 4,16.24 लाख की धनराशि सम्मिलित है।
- (ii) ₹ 3,57,18.09 लाख (₹ 3,53,01.85 लाख + ₹ 4,16.24 लाख) की अन्तिम बचत में से, ₹ 3,53,76.86 लाख की धनराशि अभ्यर्पित की गयी।
- (iii) बचत (अन्य शीर्षों के अन्तर्गत व्ययाधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न के अधीन हुई:-

'kh"z	dy vupku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$
			cpr &
		½ yk[k ₹ea ½	

2029- Hk&jktLo&

001- निदेशन तथा प्रशासन-

03- भूमि अध्याप्ति-सामान्य

राजस्व व्यय-

मूल	31,93.22	}	28,43.39	31,19.07	+2,75.68
पुनर्वि०	-3,49.83				

वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 तथा 2011-12 में उचन्त लेखे के समाशोधन के ₹ 3.92. लाख की धनराशि सम्मिलित है।

₹ 3,49.83 लाख का अभ्यर्पण वास्तविक व्यय के आधार पर हुआ।

101- संग्रहण प्रभार-

03- भू-राजस्व (माल गुजारी) तकावी

नहर और अन्य प्रकीर्ण सरकारी देय

धनराशियों का संग्रहण प्रभार-

मूल	5,59,49.80	}	4,75,47.68	4,76,16.03	+68.35
पुनर्वि०	-84,02.12				

वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02, 2002-03, 2004-05, 2005-06, 2006-07, 2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-11 तथा 2011-12 में उचन्त लेखे के समाशोधन के ₹ 60.04 लाख की धनराशि सम्मिलित है।

₹ 84,02.12 लाख की कुल बचत में से, ₹ 72,79.66 लाख का अभ्यर्पण वास्तविक व्यय के पश्चात् बचत के कारण हुआ। प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 11,22.46 लाख की कमी मुख्यतः पदों के रिक्त रहने के कारण हुई।

' kh" kZ	dky vuqku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$	cpr &
		¼ yk[k ₹e½		
103- भू-अभिलेख-				
05- कृषि गणना-				
मूल	85.00	59.53	59.53	..
पुनर्वि०	-25.47			
₹ 25.47 लाख का अभ्यर्पण वास्तविक व्यय के पश्चात् बचत के कारण हुआ।				
2059- ykcd fuekZ k dk; &				
80- सामान्य-				
053- रखरखाव तथा मरम्मत-				
04- भू अभिलेख के जिला कार्यालयों के अनावासीय भवनों का अनुरक्षण-				
मूल	40.00	38.08	28.87	-9.21
पुनर्वि०	-1.92			
₹ 1.92 लाख का अभ्यर्पण वास्तविक व्यय के पश्चात् बचत के कारण हुआ।				
05- भू अभिलेख प्रशिक्षण संस्थान, हरदोई के अनावासीय भवनों का अनुरक्षण	5.00	-5.00
2216- vkokl &				
01- सरकारी रिहायशी भवन-				
700- अन्य आवास-				
06- भू अभिलेख प्रशिक्षण संस्थान, हरदोई के आवासीय भवनों का अनुरक्षण	5.00	-5.00
2235- l kekftd l j {kk rFkk dY; k. k&				
60- अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम-				
110- अन्य बीमा योजनायें-				
01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें				
मूल	40,00.00	9,89.92	9,94.00	+4.08
पुनर्वि०	-30,10.08			
वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02, 2002-03, 2003-04 तथा 2004-05 में उचन्त लेखे के समाशोधन के ₹ 4.08 लाख की धनराशि सम्मिलित है।				
₹ 30,10.08 लाख का अभ्यर्पण मांग न होने के कारण हुआ।				

'kh"z

dy vupku

okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; \$
cpr &

¼ yk[k ₹ea ½

03- प्रदेश के खातेदार/सहखातेदार
कृषकों की व्यक्तिगत दुर्घटना
बीमा योजना के प्रीमियम हेतु
भुगतान—

मूल	2,90,78.00	}	69,89.00	68,39.15	-1,49.85
पुनर्वि०	-2,20,89.00				

वास्तविक व्यय में वर्ष 2002-03, 2004-05 तथा 2009-10 में उचन्त लेखे के समाशोधन के ₹ 5.09 लाख की धनराशि सम्मिलित है।

₹ 2,20,89.00 लाख का अभ्यर्पण बीमा योजना संचालन हेतु बीमा कम्पनियों से सम्पर्क न किये जाने तथा वास्तविक व्यय के आधार पर बचत के कारण हुआ।

3454- tux.kuk] l o[k.k rFkk l kf[; dh&

02- सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी—

110- राज्य विवरणिका तथा
सांख्यिकीय संस्मरण—

03- जिला विवरणियों (गजेटियर्स)
का पुनरीक्षण—

मूल	1,13.67	}	60.89	60.89	..
पुनर्वि०	-52.78				

₹ 52.78 लाख का अभ्यर्पण मुख्यतः विभागाध्यक्ष तथा अन्य अधिकारियों/कार्मिकों के पद रिक्त रहने, धनराशि अप्रयुक्त रहने, कर्मचारियों द्वारा अवकाश यात्रा सुविधा न लेने आदि के कारण हुआ।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत/व्ययाधिक्य/बजट प्रावधान अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2013)।

(iv) व्ययाधिक्य मुख्यतः निम्न के अधीन हुआ:—

2029- Hk&jktLo&

103- भू-अभिलेख—

03- अधीक्षण—

मूल	2,03.82	}	1,70.06	2,44.92	+74.86
पुनर्वि०	-33.76				

वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 तथा 2011-12 में उचन्त लेखे के समाशोधन के ₹ 59.27 लाख की धनराशि सम्मिलित है।

₹ 33.76 लाख का अभ्यर्पण वास्तविक व्यय के पश्चात् बचत के कारण हुआ।

'kh"lz dgy vuqku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; \$
cpr &
½ yk[k ₹e½

800- अन्य व्यय—

05- अवशेषों का भुगतान—

मूल	48,00.00	}	57,38.47	52,90.08	-4,48.39
पुनर्वि०	9,38.47				

₹ 9,38.47 लाख की शुद्ध वृद्धि में से, प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 10,80.00 लाख की कमी छठवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुसार 40 प्रतिशत एरियर के भुगतान के कारण हुई। ₹ 1,41.53 लाख के अभ्यर्पण के कोई विशेष कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

2052- I fpoky; &I kekl; I dk; &

800- अन्य व्यय—

03- अवशेषों का भुगतान	..	65.27	+65.27
-----------------------	----	-------	--------

2075- fofo/k I kekl; I dk; &

800- अन्य व्यय—

06- वक्फों, न्यासी (ट्रस्ट) और धर्मस्वों को देय वार्षिक बृद्धियां (एनुस्टीज)—

मूल	12.00	}	8.05	24.15	+16.10
पुनर्वि०	-3.95				

वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02, 2002-03, 2005-06, 2008-09, 2009-10 तथा 2010-11 के उच्चत लेखे के समाशोधन के ₹ 16.66 लाख की धनराशि सम्मिलित है।

₹ 3.95 लाख का अभ्यर्पण जनपदों के द्वारा बचत अभ्यर्पित किये जाने के कारण हुआ।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत/व्ययाधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2013)।

i Hkkfj r&

- (v) ₹ 48.17 लाख के वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02, 2002-03, 2004-05, 2007-08, तथा 2008-09 में उच्चत लेखे के समाशोधन के ₹ 44.67 लाख की धनराशि सम्मिलित हैं।
- (vi) ₹ 15.28 लाख (₹ 44.67 लाख - ₹ 29.39 लाख) की अन्तिम बचत में से, ₹ 15.88 लाख का अभ्यर्पण न्यायसंगत नहीं था तथा व्यय के त्रुटिपूर्ण अनुमान का द्योतक था।

(vii) बचत मुख्यतः निम्न के अधीन हुई:-

'kh"KZ	dly fofu; ksx	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$
			cpr &
		¼ yk[k ₹ea ½	

2029- Hk&jktLo&

001- निदेशन तथा प्रशासन-

03- भूमि अध्याप्ति-सामान्य

राजस्व व्यय-

मूल	5.00	}			
पुनर्वि०	-5.00				

₹ 5.00 लाख का अभ्यर्पण वास्तविक व्यय के पश्चात् बचत के कारण हुआ।

101- संग्रहण प्रभार-

03- भू-राजस्व (माल गुजारी) तकावी
नहर और अन्य प्रकीर्ण सरकारी देय
धनराशियों का संग्रहण प्रभार-

मूल	10.50	}			
पुनर्वि०	-7.86				

2.64 2.64

₹ 7.86 लाख का अभ्यर्पण समायोजन के पश्चात् बचत के कारण हुआ।

(viii) व्ययाधिक्य मुख्यतः निम्न के अधीन हुआ:-

2049- C; kt vnk; fx; k&

01- आन्तरिक ऋण पर ब्याज-

101- बाजार कर्जों पर ब्याज-

03- प्रतिकर बन्धों तथा स्टाक

प्रमाण पत्रों पर ब्याज-

मूल	0.10	}			
पुनर्वि०	-0.10				

.. 8.27 +8.27

वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02, 2002-03, 2003-04, 2004-05 तथा 2008-09 में उचन्त लेखे के समाशोधन के ₹ 8.27 लाख की धनराशि सम्मिलित है।

₹ 0.10 लाख का अभ्यर्पण जनपदों से मांग पत्र प्राप्त न होने के कारण हुआ।

305- ऋण प्रबन्ध-

03- प्रतिकर बन्धों और पुनर्वासन

अनुदान बन्धों आदि का निर्गमन

तथा प्रबन्ध

0.01 36.41

+36.40

वास्तविक व्यय में वर्ष 2007-08 में उचन्त लेखे के समाशोधन के ₹ 36.41 लाख की धनराशि सम्मिलित है।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम व्ययाधिक्य/बिना विनियोग के व्यय के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2013)।

i wthxr&

nRrer&

(ix) ₹ 2,68.88 लाख की अन्तिम बचत में से, मात्र ₹ 2,45.84 लाख धनराशि अभ्यर्पण के लिए प्रत्याशित की जा सकी।

(x) बचत (अन्य शीर्षों के अन्तर्गत व्ययाधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न के अधीन हुई:-

'kh"kl

dly vupku okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; \$

cpr &

¼ yk[k ₹e½

4059- ykd fuekzk dk; l i j

i wthxr ifj0; ; &

01- कार्यालय भवन-

800- अन्य व्यय-

11- राजस्व परिषद् मुख्यालय में
भवनों का जीर्णोधार-

मूल 5,50.00

3,56.00

3,56.00

..

पुनर्वि० -1,94.00

₹ 1,94.00 लाख का अभ्यर्पण अपरिपक्व प्रस्ताव के कारण सम्पूर्ण धनराशि अप्रयुक्त रहने के कारण हुआ।

12- राजस्व परिषद्, लखनऊ एवं

इलाहाबाद में गेस्ट हाउस
का निर्माण-

मूल 40.00

..

..

..

पुनर्वि० -40.00

₹ 40.00 लाख का अभ्यर्पण राजस्व परिषद् द्वारा गेस्ट हाउस का निर्माण न किये जाने के कारण हुआ।

13- राजस्व परिषद् इलाहाबाद में

नलकूप की रि-बोरिंग-

मूल 12.97

3.89

3.89

..

पुनर्वि० -9.08

₹ 9.08 लाख का अभ्यर्पण राजस्व परिषद् द्वारा स्वीकृत धनराशि का समय से उपयोग न किये जाने के कारण हुआ।

60- अन्य भवन-

051- निर्माण-

01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र

द्वारा पुरोनिधानित योजनायें

1,71.52

1,45.24

-26.28

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2013)।

(xi) व्ययाधिक्य मुख्यतः निम्न के अधीन हुआ:-

'kh"kl	dy vupku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$
			cpr &
			¼ yk[k ₹e½
4059- ykd fuekZk dk; l i j i wthxr ifj0; ; &			
01- कार्यालय भवन-			
800- अन्य व्यय-			
05- भू-अभिलेखों के अभिलेखागारों के लघु निर्माण कार्य-			
मूल	10.00		
पुनर्वि०	-0.76	9.24	13.80
			+4.56
₹ 0.76 लाख का अभ्यर्पण वास्तविक व्यय के पश्चात् बचत के कारण हुआ।			

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम व्ययाधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2013)।

i Hkkfj r&

(xii) बचत निम्न के अधीन हुई:-

'kh"kl	dy fofu; ksx	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$
			cpr &
			¼ yk[k ₹e½
6003- jkT; l jdkj dk vKlrfjd __.k&			
106- प्रतिकर तथा अन्य बन्ध पत्र-			
03- ब्याज वाले बन्ध पत्र-			
मूल	5.51		
पुनर्वि०	-5.51
			..
₹ 5.51 लाख का अभ्यर्पण जनपदों से मांग पत्र प्राप्त न होने के कारण हुआ।			
04- बिना ब्याज वाले बन्ध पत्र-			
मूल	5.00		
पुनर्वि०	-5.00
			..
₹ 5.00 लाख का अभ्यर्पण जनपदों से मांग पत्र प्राप्त न होने के कारण हुआ।			

वृत्तिका I अ; क 53- जक"वह; , धहज .क फोहकx

ए; 'कह"कz द्य वृत्तिका ओलरफोद 0; ; व/कद 0; ; \$
cpr &
½ गतक #i ; क ए ½

जकलो&

2070- वल; इत कल फुद I डक; &

नररर&

मूल	1,21,90	}	1,21,90	66,33	-55,57
पूरक	..				

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2013) 54,81

इतहर&

6851- खे रफक य?कq m | कxका

दस fy, दतl

नररर&

मूल	1,00	}	1,00	..	-1,00
पूरक	..				

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2013) 1,00

वलिफ.क; का , ओा वहक; &

जकलो&

नररर&

(i) ₹ 55.57 लाख की अन्तिम बचत में से, मात्र ₹ 54.81 लाख की धनराशि अभ्यर्पित की गयी।

(ii) बचत मुख्यतः निम्न के अधीन हुई:-

'कह"कz द्य वृत्तिका ओलरफोद 0; ; व/कद 0; ; \$
cpr &
½ यक[k #i ; क ए ½

2070- वल; इत कल फुद I डक; &

800- अन्य व्यय-

01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र
द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं-

मूल	15.00	}	5.01	4.69	-0.32
पुनर्वि०	-9.99				

₹ 9.99 लाख का अभ्यर्पण आयुक्त द्वारा धनराशि का उपयोग न होने के कारण हुआ।

' kh" kZ

dgy vupku okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; \$
cpr &

¼ yk[k #i ; ka ea ½

08- महान विभूतियों के जन्मदिन पर
राष्ट्रीय एकता एवं साम्प्रदायिक
सद्भाव कार्यक्रमों का आयोजन—
मूल 26.25

पुनर्वि० -11.44

14.81

14.68

-0.13

₹ 11.44 लाख का अभ्यर्पण जनपदों में धनराशि का उपयोग न होने के कारण हुआ।

09- जिला एकीकरण समितियों
पर व्यय—

मूल 18.75

पुनर्वि० -8.17

10.58

10.57

-0.01

₹ 8.17 लाख का अभ्यर्पण जनपदों में धनराशि का उपयोग न होने के कारण हुआ।

14- राज्य एकीकरण परिषद्
के अध्यक्ष को सुविधायें—

मूल 12.95

पुनर्वि० -12.95

..

..

..

₹ 12.95 लाख का अभ्यर्पण अध्यक्ष की नियुक्ति न होने के कारण हुआ।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2013)।

वृत्तवर्ष 2013-14 के अंतर्गत व्यय (वृत्तवर्ष 2013-14)

विवरण	वृत्तवर्ष 2013-14 रुपये	वृत्तवर्ष 2013-14 रुपये	वृत्तवर्ष 2013-14 रुपये	वृत्तवर्ष 2013-14 रुपये
ज.क.ल.क. के अंतर्गत व्यय				
2013-14 के अंतर्गत व्यय				
मूल	15,07,60,23			
पूरक	..			
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2013)		15,07,60,23	8,26,15,37	-6,81,44,86
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2013)				22,90,77
व्यय				
मूल	4,00			
पूरक	..			
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2013)		4,00	2,56	-1,44
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2013)				1,44

विवरण, का, वा, अ, आ, इ, ई, ए, ऐ, औ

ज.क.ल.क. के अंतर्गत व्यय

- (i) ₹ 6,81,44.86 लाख की अन्तिम बचत में से, मात्र ₹ 22,90.77 लाख की धनराशि अभ्यर्पण के लिए प्रत्याशित की जा सकी।
- (ii) बचत (अन्य शीर्षों के अन्तर्गत व्याधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न के अधीन हुई :-

विवरण	वृत्तवर्ष 2013-14 रुपये	वृत्तवर्ष 2013-14 रुपये	वृत्तवर्ष 2013-14 रुपये	वृत्तवर्ष 2013-14 रुपये
2013-14 के अंतर्गत व्यय				
80- सामान्य-				
001- निदेशन तथा प्रशासन-				
05- कार्य प्रभारित कर्मचारियों को मजदूरी का भुगतान-				
मूल	56,15.36			
पुनर्वि०	-26,64.18			
प्रावधान में ₹ 26,64.18 लाख की कुल कमी में से, ₹ 8,51.00 लाख की कमी तथा ₹ 14,89.18 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किए गये हैं। प्रावधान में ₹ 3,24.00 लाख की कमी कार्य प्रभारित कर्मचारियों के विनियमित किये जाने के कारण हुई।		29,51.18	27,33.99	-2,17.19

97- बाह्य सहायतित योजनायें—

मूल	25.20]	16.36	16.34	-0.02
पुनर्वि०	-8.84				

₹ 8.84 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

003- प्रशिक्षण—

03- प्रशिक्षु (संशोधन) अधिनियम

1973 के अन्तर्गत लोक निर्माण

विभाग में स्नातकों तथा डिप्लोमा

प्राप्त अभ्यर्थियों की प्रशिक्षण—योजना—

मूल	50.00]	44.23	37.50	-6.73
पुनर्वि०	-5.77				

₹ 5.77 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

004- योजना तथा अनुसंधान—

03- लोक निर्माण विभाग

लोक संस्थान—

मूल	1,73.85]	1,64.74	1,31.32	-33.42
पुनर्वि०	-9.11				

₹ 9.11 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

800- अन्य व्यय—

07- अधिष्ठान व्यय का अनुपातिक

विवरण	..	-6,44,75.75	-6,44,75.75
-------	----	-------------	-------------

ऋणात्मक व्यय प्रोराटा समायोजन के कारण है।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2013)।

(iii) व्ययाधिक्य निम्न के अधीन हुआ—

2059- ykd fuekZ k dk; &

80- सामान्य—

001- निदेशन तथा प्रशासन—

04- कार्यकारी—

मूल	13,63,13.31]	13,71,95.01	13,61,99.21	-9,95.80
पुनर्वि०	8,81.70				

प्रावधान में ₹ 8,81.70 लाख की कुल वृद्धि में से, ₹ 3,00.00 लाख की वृद्धि पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि के कारण हुई। प्रावधान में ₹ 8,01.00 लाख की वृद्धि तथा ₹ 2,19.30 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किए गये हैं।

वृत्तिका 1 अ; क 55 एकद फैकक फोहकx ¼ हकौ ½

ए; 'क"क

दु वृत्तिका ओरफोद 0; ;
; क
फोफु; कx

व/कद 0; ; \$
cpr &

¼ गकज ₹ ए½

जक्तलो&

2059- एकद फैकक दक; लरफक

2216- वकक

nRrer&

मूल 58,56,93

58,56,93

60,93,24

+2,36,31

पूरक ..

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2013)

2,73,48

iHkkfjr&

मूल 2,65,34

2,65,34

2,74,78

+9,44

पूरक ..

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2013)

4

iwtHxr&

4059- एकद फैकक दक; लरिज

iwtHxr ifj0; ; rFkk

4216- वकक इज iwtHxr ifj0; ;

nRrer&

मूल 40,92,00

40,92,00

1,12,88,85

+71,96,85

पूरक ..

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2013)

8,06,33

iHkkfjr&

मूल 1,05,00

1,05,00

1,04,94

-6

पूरक ..

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि

..

fVlif.k; ka , oa VhdK; &

जक्तलो&

nRrer&

(i) ₹ 60,93.34 लाख के वास्तविक व्यय में प्रोराटा समायोजन के ₹ 5,53.93 लाख की धनराशि सम्मिलित है, जिसके लिए अनुदान संख्या 54-लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान) में मुख्य शीर्ष 2059-लोक निर्माण कार्य के अन्तर्गत प्रावधान है।

(ii) ₹ 3,17.62 लाख (₹ 5,53.93 लाख – ₹ 2,36.31 लाख ½ की अन्तिम बचत में से, ₹ 2,73.48 लाख अभ्यर्पण के लिए प्रत्याशित किये जा सके।

(iii) बचत (अन्य शीर्षों के अन्तर्गत व्ययाधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न के अधीन हुई :-

' kh" kZ	dy vupku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$
			cpr &
			¼ yk[k ₹ ea ½

2059- ykd fuekZk dk; &

60- अन्य भवन-

800- अन्य व्यय-

03- निर्माण-राज्य विधान मण्डल-

मूल	10.00	}			
पुनर्वि०	-10.00				

₹ 10.00 लाख का अभ्यर्पण कम समय तथा प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुआ।

80- सामान्य-

051- निर्माण-

03- निर्माण-लोक निर्माण	5.00	..	-5.00
-------------------------	------	----	-------

सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गये हैं (जून 2013)।

(iv) व्ययाधिक्य मुख्यतः निम्न के अधीन हुआ:-

2059- ykd fuekZk dk; &

80- सामान्य-

053- रखरखाव तथा मरम्मत-

06- सर्किट हाउस, निरीक्षण

भवन एवं कार्यालय भवनों

का अनुरक्षण, (सामान्य एवं विशेष मरम्मत)-

मूल	30,53.05	}			
पुनर्वि०	-2,59.96				

27,93.09	30,57.53	+2,64.44
----------	----------	----------

वास्तविक व्यय में प्रोराटा समायोजन के ₹ 2,77.96 लाख की धनराशि सम्मिलित है।

₹ 2,59.96 लाख का अभ्यर्पण कम समय तथा प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुआ।

2216- vkokl &

01- सरकारी रिहायशी भवन-

700- अन्य आवास-

05- सामान्य एवं विशेष मरम्मत-

मूल	27,69.88	}			
पुनर्वि०	-3.52				

27,66.36	30,17.21	+2,50.85
----------	----------	----------

वास्तविक व्यय में प्रोराटा समायोजन के ₹ 2,74.29 लाख की धनराशि सम्मिलित है।

₹ 3,52 लाख का अभ्यर्पण कम समय तथा प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुआ।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2013)।

i Hkkfj r&

- (v) व्यय प्रभारित विनियोग से ₹ 9,43,709 अधिक हुआ, अधिक व्यय का नियमानुकूलन अपेक्षित है।
- (vi) ₹ 9.44 लाख के अन्तिम व्ययाधिक्य को देखते हुए, ₹ 0.04 लाख का अभ्यर्पण न्यायसंगत नहीं था तथा व्यय के त्रुटिपूर्ण अनुमान का द्योतक था।
- (vii) व्ययाधिक्य मुख्यतः निम्न के अधीन हुआ:—

' kh"kl	dy fofu; kx	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$
			cpr &
			¼ yk[k ₹ ea ½

2216- vkokl &

01- सरकारी रिहायशी भवन—

700- अन्य आवास—

03- निर्माण—

मूल	44.82	}	44.03	53.51	+9.48
पुनर्वि०	-0.79				

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम व्ययाधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2013)।

i wthxr&

nRrer&

- (viii) ₹ 1,12,88.85 लाख के वास्तविक व्यय में प्रोराटा समायोजन के ₹ 3,43.80 लाख की धनराशि सम्मिलित है, जिसके लिए अनुदान संख्या 54-लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान) में मुख्य शीर्ष 2059-लोक निर्माण कार्य के अन्तर्गत प्रावधान है।
- (ix) व्यय दत्तमत प्रावधान से ₹ 68,53,05,410 (₹ 71,96,85,165 - ₹ 3,43,79,755) अधिक हुआ, अधिक व्यय का नियमानुकूलन अपेक्षित है।
- (x) ₹ 68,53.05 लाख के अन्तिम व्ययाधिक्य को देखते हुए, ₹ 8,06.33 लाख का अभ्यर्पण न्यायसंगत नहीं था तथा व्यय के त्रुटिपूर्ण अनुमान का द्योतक था।
- (xi) बचत (अन्य शीर्षों के अन्तर्गत व्ययाधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न के अधीन हुई:—

' kh"kl	dy vupku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$
			cpr &
			¼ yk[k ₹ ea ½

4059- ykd fueklk dk; Lij i wthxr ifj0; ; &

01- कार्यालय भवन—

051- निर्माण—

06- निर्माण-लोक निर्माण—

मूल	7,52.00	}	3,39.59	4,22.30	+82.71
पुनर्वि०	-4,12.41				

वास्तविक व्यय में प्रोराटा समायोजन के ₹ 38.39 लाख की धनराशि सम्मिलित है।

प्रावधान में ₹ 4,12.41 लाख की कुल कमी में से, ₹ 1,12.41 लाख का अभ्यर्पण कम समय तथा प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुआ। प्रावधान में ₹ 3,00.00 लाख की कमी के कोई विशेष कारण सूचित नहीं किए गये हैं।

' kh" kZ

diy vupku okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; \$
cpr &

¼ yk[k ₹ ea ½

60- अन्य भवन—

799- उचन्त—

03- भण्डार उचन्त .. 30,84.27 +30,84.27

बिना बजट आवंटन के इस शीर्ष के अन्तर्गत लेन-देन किया जाना अनियमित है।
टिप्पणी संख्या (xiii) में उचन्त लेन-देन के व्यौरे को जोड़ा गया है।

04- विविध कार्य अग्रिम .. 44,22.81 +44,22.81

बिना बजट आवंटन के इस शीर्ष के अन्तर्गत लेन-देन किया जाना अनियमित है।
टिप्पणी संख्या (xiii) में उचन्त लेन-देन के व्यौरे को जोड़ा गया है।

80- सामान्य—

051- निर्माण—

10- प्रदेश के निरीक्षण गृहों
के जीर्णोद्धार का कार्य 30.00 32.99 +2.99

वास्तविक व्यय में प्रोराटा समायोजन के ₹ 3.00 लाख की धनराशि सम्मिलित है।

21- निरीक्षण भवनों/सर्किट हाउसों का

जीर्णोद्धार/निर्माण—

मूल	12,00.00	}	13,01.94	15,59.69	+2,57.75
पुनर्वि०	1,01.94				

वास्तविक व्यय में प्रोराटा समायोजन के ₹ 1,41.79 लाख की धनराशि सम्मिलित है।

प्रावधान में ₹ 1,01.94 लाख के शुद्ध वृद्धि में से, ₹ 4,00.00 लाख की वृद्धि अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता के कारण तथा ₹ 2,98.06 लाख का अभ्यर्पण कम समय तथा प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुआ।

23- प्रदेश के विभिन्न जनपदों में

अधिकारी हास्टल/ट्रांजिट

हास्टल का निर्माण (चालू कार्य)—

मूल	3,40.00	}	4,35.01	3,28.43	-1,06.58
पुनर्वि०	95.01				

वास्तविक व्यय में प्रोराटा समायोजन के ₹ 29.86 लाख की धनराशि सम्मिलित है।

प्रावधान में ₹ 95.01 लाख के शुद्ध वृद्धि में से, ₹ 1,36.97 लाख की वृद्धि अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता के कारण तथा ₹ 41.96 लाख का अभ्यर्पण कम समय तथा प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुआ।

24- लोक सेवा आयोग परिसर, इलाहाबाद में

आवासीय/अनावासीय

भवनों का निर्माण	50.00	55.00	+5.00
------------------	-------	-------	-------

वास्तविक व्यय में प्रोराटा समायोजन के ₹ 5.00 लाख की धनराशि सम्मिलित है।

' kh" kZ

dy v unku okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; \$
cpr &

¼ yk[k ₹ ea ½

4216- vkokl ij i wthxr ifj0; ; &

01- सरकारी रिहायशी भवन-

700- अन्य आवास-

05- निर्माण-अन्य-

मूल	4,00.00	}	3,66.00	5,43.96	+1,77.96
पुनर्वि०	-34.00				

वास्तविक व्यय में प्रोराटा समायोजन के ₹ 4.95 लाख की धनराशि सम्मिलित है।

₹ 34.00 लाख का अभ्यर्पण कम समय तथा प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुआ।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत/व्ययाधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2013)।

(xii) बचत मुख्यतः निम्न के अधीन हुई:-

4059- ykd fuekZk dk; l ij

i wthxr ifj0; ; &

80- सामान्य-

051- निर्माण-

05- अम्बेडकर नगर में सर्किट हाउस

का निर्माण-

मूल	1,00.00	}
पुनर्वि०	-1,00.00				

₹ 1,00.00 लाख का अभ्यर्पण कम समय तथा प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुआ।

22- राज्य के विभिन्न जनपदों में

अधिकारी हास्टल/ट्रांजिट

हास्टल का निर्माण-

मूल	2,00.00	}	43.03	47.33	+4.30
पुनर्वि०	-1,56.97				

वास्तविक व्यय में प्रोराटा समायोजन के ₹ 4.30 लाख की धनराशि सम्मिलित है।

प्रावधान में ₹ 1,56.97 लाख की कुल कमी में से, ₹ 20.00 लाख का अभ्यर्पण कम समय तथा प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुआ। प्रावधान में ₹ 1,36.97 लाख की कमी के कोई विशेष कारण सूचित नहीं किए गये हैं।

(xii) *mpllr yu&nu %&*

अनुदान के व्यय में उचन्त के अधीन दर्ज किये गये ₹ 75.07 करोड़ सम्मिलित है।
 उचन्त लेन-देन का स्वरूप और उनकी लेखा प्रणाली की व्याख्या अनुदान संख्या 94- सिंचाई विभाग
 (निर्माण कार्य) के अधीन दी गई है।
 2012-2013 के दौरान किये गये लेन-देन का विश्लेषण तथा आदि और अन्त शेषों का ब्यौरा नीचे दिया
 गया है :-

mpllr 'kh"kl **4059&yksd fuekzk dk; L ij i wthxr ifj0; ; ** ds vllrxr
 o"kl 2012-2013 ds nkjku fd; s x; s yu&nu dk foofj.k

'kh"kl	1 vi fy 2012 dks vkfn 'k\$ (ukes + tek &)	ukes	tek	fuoy	31 ekpl 2013 dk vllr 'k\$ (ukes + tek &)
<i>¼ yk[k ₹ ea ½</i>					
उचन्त स्टाक	-1,14.08	30,84.87	29,81.92	1,02.35	-11.73
कार्यशाला उचन्त	+4,89.93	+4,89.93
विविध निर्माण कार्य पेशगियां	+64,13.41	44,22.81	42,50.58	1,72.23	+65,85.64
; ksx	+67,89.26	75,07.08	72,32.50	2,74.58	+70,63.84

vunpku l a[; k 56&ykd fuekZ k foHkkx ¼ fo'kS'k {ks= dk; De ½

eq[; 'kh"Z dgy vunpku okLrfod 0 ; ; vf/kd 0 ; ; \$
cpr &

¼ gtkj ₹ ea ½

i wthxr&

4575- vl; fo'kS'k {ks= dk; De
ij i wthxr ifj0 ; ;

nRrer&

मूल	2,70,00,00	}
पूरक	..	

2,70,00,00

2,51,39,53

-18,60,47

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2013)

5,90,74

fVlif.k; ka , oa VhdK; &

i wthxr&

nRrer&

- (i) ₹ 18,60.47 लाख की अन्तिम बचत में से, मात्र ₹ 5,90.74 लाख की धनराशि अभ्यर्पण के लिए प्रत्याशित की जा सकी।
(ii) बचत निम्न के अधीन हुई :-

'kh"Z dgy vunpku okLrfod 0 ; ; vf/kd 0 ; ; \$
cpr &

¼ yk[k #lk; ka ea ½

4575- vl; fo'kS'k {ks= dk; De
ij i wthxr ifj0 ; ; &

60- अन्य-

800- अन्य व्यय-

04- बुन्देलखण्ड की विशेष योजनाओं
पर पूंजीगत परिव्यय-

मूल	41,50.00	}
पुनर्वि०	-5,75.69	

35,74.31

33,28.86

-2,45.45

₹ 5,75.69 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किए गये हैं।

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2013)।

वृत्तिका 1 अ; क 57 & यकद फुएकक फोहकक ¼ ल षकज ल क/कु& ल रू ½

एक; 'क"कल द्य वृत्तिका ओलरुफोद 0; ; वरु/कद 0; ; \$
cpr &
¼ गतकज ' ए ½

जकलओ

3054- ल मड रफक ल रू

नररर&

मूल 16,00,00
पूरक ..

16,00,00 20,02,01 +4,02,01

वरुष की अवरुधल डें अभ्यरुषलत ररशल

ल वुथर&

5054- ल मडक रफक ल रूक/क ल ज

ल वुथर ल रू 0; ;

नररर&

मूल 11,89,09,56
पूरक ..

11,89,09,56 12,89,83,11 +1,00,73,55

वरुष की अवरुधल डें अभ्यरुषलत ररशल (डरुव 2013)

वरुल ल रू क; क, ओ वुडक; &

जकलओ

नररर&

- (i) ₹ 20,02.01 लरुख के वरुसुतवक वुय डें डुरोररुत ड डडरुओकन के ₹ 1,82.00 लरुख की धनररशल सडुडललत है, कलसके ललए अनुदरुन संखुडरु 54-लुक नलरुडरुण वलडरुग (अधलषुडरुन) डें डुखुड शीरुष 2059- लुक नलरुडरुण करुड के अनुतुगुत डुररुवधरुन है।
- (ii) वुय दतुतडत डुररुवधन से ₹ 2,20,00,855 (₹ 4,02,00,940-₹ 1,82,00,085) अधलक हुओ, अधलक वुय कल नलडडरुनुकूलन अपेकुषलत है।
- (iii) वुडरुधलकुड नलडुन के अधीन हुओ :-

'क"कल द्य वृत्तिका ओलरुफोद 0; ; वरु/कद 0; ; \$
cpr &

¼ डक/क ₹ ए ½

3054- ल मड रफक ल रू

04- कललरु तथरु अनुड सडुकें-

800- अनुड वुड-

03- नरुवुओं के डुल ओरु

नौघरुट 7,00.00 7,78.01 +78.01

वरुसुतवक वुय डें डुरोररुत ड डडरुओकन के ₹ 70.73 लरुख की धनररशल सडुडललत है।

04- डुलुओं कल अनुरकुषण ओरु

डरुडुडत 9,00.00 12,23.99 +3,23.99

वरुसुतवक वुय डें डुरोररुत ड डडरुओकन के ₹ 1,11.27 लरुख की धनररशल सडुडललत है।

उडुरुओकुत शीरुषुओं के अनुतुगुत अनुतुड वुडरुधलकुड के करुण सुकुषलत नही कलडे डडे हैं (कूल 2013)।

i wthxr &
nRrer &

- (iv) ₹ 12,89,83.11 लाख के वास्तविक व्यय में प्रोराटा समायोजन के ₹ 1,17,25.74 लाख की धनराशि सम्मिलित है, जिसके लिए अनुदान संख्या 54-लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान) में मुख्य शीर्ष 2059-लोक निर्माण कार्य के अन्तर्गत प्रावधान है।
- (v) ₹ 16,52.19 लाख (₹ 1,17,25.74 लाख-₹ 1,00,73.55 लाख ½ की अन्तिम बचत में से, मात्र ₹ 3,44.77 लाख की धनराशि अभ्यर्पण के लिए प्रत्याशित की जा सकी।
- (vi) बचत (अन्य शीर्षों के अन्तर्गत व्ययाधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) निम्न के अधीन हुई :-

' kh"kl dy vupku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; \$
cpr &
¼ yk[k ₹ ea ½

**5054- I Medka rFkk I sqyka ij
i wthxr ifj0; ; &**

04- जिला तथा अन्य सड़कें-

101- सेतु-

05- रेलवे उपरिगामी सेतु
3,45,00.00 3,73,80.75 +28,80.75
वास्तविक व्यय में प्रोराटा समायोजन के ₹ 33,98.25 लाख की धनराशि सम्मिलित है।

37- जनपद बहराईच में घाघरा नदी
पर चहलारी घाट पर सेतु निर्माण
(विश्वबैंक पोषित एस0 आर0 पी0
2 के अवशेष कार्य)
10,92.41 12,01.15 +1,01.74
वास्तविक व्यय में प्रोराटा समायोजन के ₹ 1,09.20 लाख की धनराशि सम्मिलित है।

05- अन्तर्राज्यीय या आर्थिक महत्व
की सड़कें-

101- सेतु-

01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र
द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-
मूल 8,17.15
4,72.38 5,19.62 +47.24
पुनर्वि0 -3,44.77

वास्तविक व्यय में प्रोराटा समायोजन के ₹ 47.24 लाख की धनराशि सम्मिलित है।

₹ 3,44.77 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2013)।

(vii) व्ययाधिक्य निम्न के अधीन हुई :-

'kh"lz	dyj vupku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$
	¼ yk[k ₹ ea ½		cpr &
5054- I Mdka rFkk I srqka ij			
i wthxr ifj0; ; &			
04- जिला तथा अन्य सड़कें-			
101- सेतु-			
04- सामान्य सेतु निर्माण (राज्य सेक्टर)			
(01.04.97 के बाद के कार्य)			
	5,50,00.00	5,98,79.00	+48,79.00
वास्तविक व्यय में प्रोराटा समायोजन के ₹ 14,39.63 लाख की धनराशि सम्मिलित है।			
34- नार्बाड पोषित आर0 आई0 डी0 एफ0 के			
अन्तर्गत स्वीकृत सेतुओं के चालू कार्यों			
हेतु व्यवस्था-			
मूल	1,75,00.00	2,75,00.00	2,99,00.37
पुनर्वि0	1,00,00.00		
वास्तविक व्यय में प्रोराटा समायोजन के ₹ 27,18.22 लाख की धनराशि सम्मिलित है।			
प्रावधान में ₹ 1,00,00.00 लाख की वृद्धि नार्बाड द्वारा अनुमोदित ग्रामीण सड़कों को जोड़ने के लिए			
अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता के कारण हुई।			
36- प्रदेश के विभिन्न श्रेणी के			
मार्गों पर नये सेतुओं का			
निर्माण (नार्बाड पोषित)-			
मूल	1,00,00.00	..	1,02.22
पुनर्वि0	-1,00,00.00		
वास्तविक व्यय में प्रोराटा समायोजन के ₹ 9.29 लाख की धनराशि सम्मिलित है।			
प्रावधान में ₹ 1,00,00.00 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकता न होने के कारण हुई।			
उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम व्ययाधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2013)।			

वृत्तिका I अ; क 58&युक्त फुलक क फोहकx ¼ I षक I क/कु&I मदा ½

वृत्तिका 'क'क	वृत्तिका ; क फोह; कx	कलरुद 0; ;	वृत्तिका 0; ; \$ cpr &
¼ gtlj ₹ ea ½			
राजस्व-			
3054- I Md rFkk I srq			
nRrer&			
मूल	17,98,08,00	17,98,08,00	19,64,20,31
पूरक	..		
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2013)			44,76
i Hkkfjr&			
मूल	5,00	5,00	1,19
पूरक	..		
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2013)			3,81
i wthxr&			
5054- I Mdka rFkk I srq/ka ij			
i wthxr ifj0; ;			
nRrer&			
मूल	31,34,10,01	34,44,10,01	55,96,47,49
पूरक	3,10,00,00		
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2013)			49,27,67
i Hkkfjr&			
मूल	6,55,00	6,55,00	1,85,42
पूरक	..		
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2013)			4,63,87

fVli f.k; ka , oa VhdK; &

jkTkLo&

nRrer&

- (i) ₹ 19,64,20.31लाख के वास्तविक व्यय में प्रोराटा समायोजन के ₹ 1,78,47.30 लाख की धनराशि सम्मिलित है, जिसके लिए अनुदान संख्या 54-लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान) में मुख्य शीर्ष 2059-लोक निर्माण कार्य के अन्तर्गत प्रावधान है।
- (ii) ₹ 12,34.99 लाख (₹ 1,78,47.30 लाख – ₹ 1,66,12.31 लाख) की अन्तिम बचत में से, ₹ 44.76 लाख की धनराशि अभ्यर्पण के लिए प्रत्याशित जा सकी।

(iii) व्ययाधिक्य (अन्य शीर्षों के अन्तर्गत लघु बचत द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न के अधीन हुआ :-

'kh"z	dy vupku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$
			cpr &
		¼ yk[k ₹ ea ½	

3054- I Md rFkk I r&

04- जिला तथा अन्य सड़कें-

337- सड़क निर्माण कार्य-

03- अनुरक्षण तथा मरम्मत	3,22,00.00	3,65,25.66	+43,25.66
-------------------------	------------	------------	-----------

वास्तविक व्यय में प्रोराटा समायोजन के ₹ 33,20.21 लाख की धनराशि सम्मिलित है।

04- राज्य सड़क निधि के

अन्तर्गत सड़कों का

अनुरक्षण-

मूल	8,00,00.00	7,99,55.61	8,47,25.80	+47,70.19
पुनर्वि०	-44.39			

वास्तविक व्यय में प्रोराटा समायोजन के ₹ 77,02.35 लाख की धनराशि सम्मिलित है।
₹ 44.39 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किए गये हैं।

800- अन्य व्यय-

10- तेरहवें वित्त आयोग की

संस्तुतियों का क्रियान्वयन

	6,74,00.00	7,49,52.44	+75,52.44
--	------------	------------	-----------

वास्तविक व्यय में प्रोराटा समायोजन के ₹ 68,13.86 लाख की धनराशि सम्मिलित है।

80- सामान्य-

800- अन्य व्यय-

07- अनुरक्षण तथा मरम्मत-

मूल	1,00.01	1,00.00	1,10.00	+10.00
पुनर्वि०	-0.01			

वास्तविक व्यय में प्रोराटा समायोजन के ₹ 10.00 लाख की धनराशि सम्मिलित है।

₹ 0.01 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किए गये हैं।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम व्ययाधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2013)।

(iv) उत्तर प्रदेश सड़क तथा सेतु निधि से किया गया व्यय :-

यह निधि राज्य में सड़कों और संचार साधनों के विकास पर होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए बनायी गयी थी। यह निधि मोटर गाड़ियों पर करों से होने वाली आय से बनी है जिसे "अनुदान संख्या 43- परिवहन विभाग" के नामे डाल कर इस निधि में जमा किया जाता है। सड़कों और संचार साधनों पर वास्तविक व्यय को इन अनुदानों में की गयी धन व्यवस्था के मुकाबले पहले मुख्य शीर्ष "3054-सड़क तथा सेतु" तथा "3604-स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन" "अनुदान संख्या 2- आवास विभाग" तथा "अनुदान संख्या 14-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)" के नामे डाला जाता है तथा बाद में वर्ष के लेखे बन्द होने से पहले उक्त निधि में अन्तरित कर दिया जाता है।

उच्च स्तरीय पुलों के निर्माण के लिये धन जुटाने के लिए सरकार 21 जुलाई 1956 के बाद यातायात के लिए खोले गये ऐसे स्थायी पुलों से पथ करों की वसूली करती है जो कि राज्य लोक निर्माण विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण और प्रबन्ध के अधीन है। इनकी प्राप्तियों का मुख्य शीर्ष "1054-सड़क तथा सेतु" में जमा किया जाता है और 1 अप्रैल 1959 से इसके बराबर राशि को इस अनुदान (मुख्य शीर्ष 3054- सड़क तथा सेतु) के नामे डालते हुए उपरोक्त निधि में अन्तरित किया जाता है। पुलों पर वास्तविक व्यय को जिसे इस निधि से पूरा करने का निर्णय किया जाता है, शुरू में इस अनुदान के अधीन पुस्तांकित किया जाता है और बाद में उस वर्ष के लेखे बन्द करने से पहले इस निधि में अन्तरित कर दिया जाता है।

वर्ष के दौरान निधि में कोई भी धनराशि जमा नहीं की गई और निधि से किया गया व्यय ₹ 9,96.40 करोड़ था।

31 मार्च 2013 को निधि में जमा शेष रूपये 57.45 करोड़ था।

(v) केन्द्रीय सड़क निधि से आर्थिक सहायता :-

मोटर स्पिंट पर उत्पाद एवं आयात शुल्क में वृद्धि से वसूल किया गया अतिरिक्त राजस्व भारत सरकार द्वारा बनायी गयी केन्द्रीय सड़क निधि में जमा किया जाता है, इस निधि में से राज्यों के सड़क विकास की भारत सरकार द्वारा अनुमोदित योजनाओं पर व्यय के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है। आर्थिक सहायता के रूप में प्राप्त धनराशि को भारत सरकार से प्राप्त कर अनुदानों के रूप में राज्य सरकार के लेखे में जमा किया जाता है और साथ ही साथ इसके बराबर राशि को इस अनुदान (अनुदान संख्या 58-लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सड़कें) के नामे डालते हुए निक्षेप लेखा " केन्द्रीय सड़क निधि से आर्थिक सहायता " में जमा किया जाता है।

सड़क विकास योजनाओं पर वास्तविक व्यय को शुरू में इस अनुदान के अधीन पुस्तांकित किया जाता है और बाद में इसे जमा लेखे में अन्तरित कर दिया जाता है।

31 मार्च 2013 को निधि में जमा शेष रूपये 81.08 करोड़ था।

वर्ष के दौरान जमा लेखे में लेन-देन का ब्यौरा वित्त लेखे 2012-13 के विवरण संख्या 18 में दिया गया है।

i wthxr &
nRrer &

- (vi) ₹ 55,96,47,49,204 के वास्तविक व्यय में प्रोराटा समायोजन ₹ 3,38,19,28,344 की धनराशि सम्मिलित है, जिसके लिए अनुदान संख्या 54-लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान) में मुख्य शीर्ष 2059-लोक निर्माण कार्य के अन्तर्गत प्रावधान है।
- (vii) व्यय दत्तमत प्रावधान से ₹ 18,14,18,19,860 { ₹ 21,52,37,48,204 – ₹ 3,38,19,28,344 } अधिक हुआ, अधिक व्यय का नियमानुकूलन अपेक्षित है।
- (viii) ₹ 18,14,18.20 लाख के अन्तिम व्ययाधिक्य को देखते हुए, नवम्बर 2012 में प्राप्त किया गया ₹ 3,10,00.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अपर्याप्त सिद्ध हुआ।
- (ix) व्ययाधिक्य (अन्य शीर्षों के अन्तर्गत बचत द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न के अधीन हुआ :-

'kh"z	dy vupku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$
			cpr &
		¼ yk[k ₹ ea ½	

5054- I Mdka rFkk I rpyka ij
i wthxr ifj0; ; &

03- राज्य राजमार्ग-

337- सड़क निर्माण कार्य-

03- राज्य राज मार्गों का
निर्माण कार्य-

मूल	1,85,00.00	}	2,06,00.00	2,76,03.27	+70,03.27
पुनर्वि०	21,00.00				

वास्तविक व्यय में प्रोराटा समायोजन के ₹ 25,09.39 लाख की धनराशि सम्मिलित है।
प्रावधान में ₹ 21,00.00 लाख की वृद्धि अवशेष कार्यों को पूर्ण कराए जाने के लिए की गई।

13- एक मुश्त व्यवस्था-

मूल	75,00.00	}	1,24,32.93	1,24,92.79	+59.86
पुनर्वि०	49,32.93				

वास्तविक व्यय में प्रोराटा समायोजन के ₹ 11,35.71 लाख की धनराशि सम्मिलित है।
प्रावधान में ₹ 49,32.93 लाख की वृद्धि अवशेष कार्यों को पूर्ण कराए जाने के लिए की गई।

799- उचन्त-

- 03- भण्डार उचन्त .. 9,38,58.65 +9,38,58.65
बिना बजट आवंटन के इस शीर्ष के अन्तर्गत लेन-देन किया जाना अनियमित है।
टिप्पणी संख्या (xiii) में उचन्त लेन-देन के व्यौरे को जोड़ा गया है।
- 04- विविध कार्य अग्रिम .. 9,37,36.04 +9,37,36.04
बिना बजट आवंटन के इस शीर्ष के अन्तर्गत लेन-देन किया जाना अनियमित है।
टिप्पणी संख्या (xiii) में उचन्त लेन-देन के व्यौरे को जोड़ा गया है।

800- अन्य व्यय—

03- उत्तर प्रदेश राज्य

राजमार्ग प्राधिकरण—

मूल	2,25,00.00	}	3,25,00.00	3,57,50.00	+32,50.00
पूरक	2,00,00.00				
पूरक	-1,00,00.00				

वास्तविक व्यय में प्रोराटा समायोजन के ₹ 32,50.00 लाख की धनराशि सम्मिलित है।

प्रावधान में ₹ 1,00,00.00 की कुल कमी में से ₹ 91,00.00 लाख की कमी प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुई तथा ₹ 9,00.00 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

04- जिला तथा अन्य सड़कें—

337- सड़क निर्माण कार्य—

13- एक मुश्त व्यवस्था—

मूल	6,91,00.00	}	7,47,75.10	8,92,01.61	-1,44,26.51
पूरक	1,00,00.00				
पुनर्वि०	-43,24.90				

वास्तविक व्यय में प्रोराटा समायोजन के ₹ 81,05.54 लाख की धनराशि सम्मिलित है।

प्रावधान में ₹ 43,24.90 की शुद्ध कमी में से, ₹ 23,00.00 लाख की प्रावधान में वृद्धि तथा ₹ 10,12.91 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किए गये हैं। प्रावधान में ₹ 56,11.90 लाख की कमी मुख्यतः स्वीकृति प्राप्त न होने तथा आवश्यकता न हाने के कारण हुई।

57- राज्य सड़क निधि के

अन्तर्गत सड़कों का

निर्माण/सुदृढ़ीकरण—

मूल	7,70,00.00	}	9,04,35.44	10,19,56.96	+1,15,21.52
पुनर्वि०	1,34,35.44				

वास्तविक व्यय में प्रोराटा समायोजन के ₹ 92,68.81 लाख की धनराशि सम्मिलित है।

प्रावधान में ₹ 1,34,35.44 लाख की शुद्ध वृद्धि में से, ₹ 4,37.56 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किए गये हैं। प्रावधान में ₹ 1,38,73.00 लाख की वृद्धि मुख्यतः अवशेष कार्यों को पूर्ण कराए जाने के लिए की गई।

63- नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में मार्गों तथा

लघु सेतुओं के निर्माण के चालू कार्यों

हेतु व्यवस्था

	14,00.00	15,39.53	+1,39.53
--	----------	----------	----------

वास्तविक व्यय में प्रोराटा समायोजन के ₹ 1,39.96 लाख की धनराशि सम्मिलित है।

'kh"KZ	dy vupku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$ cpr &
			¼ yk[k ₹ ea ½
64- नाबार्ड वित्त पोषित आर0 आई0 डी0 एफ0 योजना के अन्तर्गत कृषि विपणन सुविधाओं हेतु सम्पर्क मार्गों/लघु सेतुओं के चालू कार्यों हेतु एक मुश्त व्यवस्था (जिला योजना)	1,90,15.00	2,40,43.21	+50,28.21
वास्तविक व्यय में प्रोराटा समायोजन के ₹ 21,85.74 लाख की धनराशि सम्मिलित है।			
75- एक लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के बाईपास के निर्माण के चालू कार्यों हेतु व्यवस्था—			
मूल	39,10.00		
पुनर्वि0	5,00.00		
	44,10.00	48,47.07	+4,37.07
वास्तविक व्यय में प्रोराटा समायोजन के ₹ 4,40.64 लाख की धनराशि सम्मिलित है। प्रावधान में ₹ 5,00.00 लाख की वृद्धि के कारण सूचित नहीं किए गये हैं।			
79- तहसील मुख्यालय को जिला मुख्यालय से जोड़ने वाले मार्गों का चौड़ीकरण/सुदृढीकरणके चालू कार्य	10,00.00	10,14.00	+14.00
वास्तविक व्यय में प्रोराटा समायोजन के ₹ 92.18 लाख की धनराशि सम्मिलित है।			
81- सीतापुर बहराइच मार्ग पर घाघरा नदी के ऊपर चतकारी घाट सेतु का पहुंच मार्ग, गाइड बंध तथा सुरक्षात्मक कार्य (एस0 आर0 पी0—2 के अवशेष कार्य)	13,05.00	14,35.09	+1,30.09
वास्तविक व्यय में प्रोराटा समायोजन के ₹ 1,30.46 लाख की धनराशि सम्मिलित है।			
84- डा0 राममनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत चयनित ग्रामों की अनजुड़ी बसावटों तथा अन्य गैरजुड़ी बसावटों में कृषि विपणन सुविधाओं हेतु ग्रामीण सम्पर्क मार्गों/लघु सेतुओं के नये निर्माण कार्यों हेतु एकमुश्त व्यवस्था—			
पूरक	10,00.00		
पुनर्वि0	1,02,86.99		
	1,12,86.99	1,07,39.61	-5,47.38
वास्तविक व्यय में प्रोराटा समायोजन के ₹ 9,76.63 लाख की धनराशि सम्मिलित है। प्रावधान में ₹ 1,02,86.99 लाख की शुद्ध वृद्धि में से, ₹ 2,13.01 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किए गये हैं। प्रावधान में ₹ 1,05,00.00 लाख की वृद्धि मुख्यतः अपर्याप्त बजट प्रावधान होने के कारण हुई।			

' kh"Z

dgy vupku okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; \$
cpr &

¼ yk[k ₹ ea ½

800- अन्य व्यय—

04- केन्द्रीय सड़क निधि के अन्तर्गत निर्माण
कार्य—

मूल	1,91,30.00	}	2,21,30.00	2,43,20.69	+21,90.69
पुनर्वि०	30,00.00				

वास्तविक व्यय में प्रोराटा समायोजन के ₹ 22,10.97 लाख की धनराशि सम्मिलित है।
प्रावधान में ₹ 30,00.00 लाख की वृद्धि के कारण सूचित नहीं किए गये हैं।

(x) बचत निम्न के अधीन हुई :-

5054- I Medka rFkk I srq/ka ij

i wthxr ifj0; ; &

02- महत्वपूर्ण तथा सीमा सड़कें—

337- सड़क निर्माण कार्य—

03- तेरहवें वित्त आयोग द्वारा संस्तुत

राज्य विशिष्ट अनुदान	62,50.00	60,54.62	-1,95.38
----------------------	----------	----------	----------

वास्तविक व्यय में प्रोराटा समायोजन के ₹ 5,50.42 लाख की धनराशि सम्मिलित है।

03- राज्य राजमार्ग—

337- सड़क निर्माण कार्य—

84- एक लाख से अधिक आबादी के शहरों के

बाईपास का निर्माण—

मूल	10,00.00	}	2,00.00	2,20.00	+20.00
पुनर्वि०	-8,00.00				

वास्तविक व्यय में प्रोराटा समायोजन के ₹ 20.00 लाख की धनराशि सम्मिलित है।
प्रावधान में ₹ 8,00.00 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गये हैं।

04- जिला तथा अन्य सड़कें—

337- सड़क निर्माण कार्य—

01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र

द्वारा पुरोनिधानित योजनायें—

मूल	2,70,00.00	}	1,00,03.00	3.27	-99,99.73
पुनर्वि०	-1,69,97.00				

वास्तविक व्यय में प्रोराटा समायोजन के ₹ 0.30 लाख की धनराशि सम्मिलित है।
प्रावधान में ₹ 1,69,97.00 लाख की कमी प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुई।

' kh" kZ	dgy vuqku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$	cpr &
				% yk[k ₹ ea %
05- उत्तर प्रदेश व्यापार विकास निधि से व्यय—				
मूल	2,40,00.00			
पुनर्वि०	-38,10.00			
		2,01,90.00	2,12,82.48	+10,92.48
वास्तविक व्यय में प्रोराटा समायोजन के ₹ 19,34.77 लाख की धनराशि सम्मिलित है।				
₹ 38,10.00 के कुल प्रत्यक्षित बचत में से, ₹ 20,05.00 लाख के अभ्यर्पण तथा ₹ 18,05.00 लाख की प्रावधान में कमी के कारण सूचित नहीं किए गये हैं।				
06- इन्डो नेपाल बार्डर पर प्रस्तावित मार्ग के भूमि अध्याप्ति हेतु व्यवस्था—				
मूल	20,00.00			
पुनर्वि०	-20,00.00			
	
प्रावधान में ₹ 20,00.00 लाख की कमी आवश्यकता न होने के कारण हुई।।				
66- कृषि विपणन सुविधाओं हेतु ग्रामीण सम्पर्क मार्गों/लघु सेतुओं के नये निर्माण कार्यो हेतु एक मुश्त व्यवस्था (नाबार्ड पोषित) (जिला योजना)—				
मूल	1,00,00.00			
पुनर्वि०	-2,77.47			
		97,22.53	75,39.68	-21,82.85
वास्तविक व्यय में प्रोराटा समायोजन के ₹ 6,85.43 लाख की धनराशि सम्मिलित है।				
प्रावधान में ₹ 2,77.47 लाख की कुल कमी में से, प्रावधान में ₹ 1,12.10 लाख की कमी किये जाने के कोई विशेष कारण सूचित नहीं किये गये हैं। ₹ 1,65.47 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किए गये हैं।				
82- प्रदेश के रोड नेटवर्क के डाटा कनेक्शन का कार्य (एस० आर० पी०-२ के अवशेष कार्य)—				
मूल	5,00.00			
पुनर्वि०	-3,71.50			
		1,28.50	1,41.35	+12.85
वास्तविक व्यय में प्रोराटा समायोजन के ₹ 12.85 लाख की धनराशि सम्मिलित है।				
प्रावधान में ₹ 3,71.50 लाख की कुल कमी में से, प्रावधान में ₹ 2,80.00 लाख की कमी किये जाने तथा ₹ 91.50 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किए हैं।				

'kh"kl dgy vuqku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; \$
cpr &
% yk[k ₹ ea ½

05- अन्तर्राज्यीय या आर्थिक
महत्व की सड़कें –

337- सड़क निर्माण कार्य–

01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र
द्वारा पुरोनिधानित योजनायें–

मूल	13,00.00]	8,00.06	8,80.06	+80.00
पुनर्वि०	-4,99.94				

वास्तविक व्यय में प्रोराटा समायोजन के ₹ 80.01 लाख की धनराशि सम्मिलित है।

प्रावधान में ₹ 4,99.94 लाख की कमी किये जाने के कारण सूचित नहीं किए गये हैं।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम व्ययाधिक्य/बचत/सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2013)।

i Hkkfjr&

(xi) ₹ 4,69.58 लाख की अन्तिम बचत में से, ₹ 4,63.87 लाख की धनराशि ही अभ्यर्पण के लिए प्रत्याशित की जा सकी।

(xii) बचत निम्न के अधीन हुई :-

'kh"kl dgy fofu; ksx okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; \$
cpr &
% yk[k ₹ ea ½

5054- I Medka rFkk I rQ/ka ij
i wthxr ifj0; ; &

80- सामान्य–

800- अन्य व्यय–

03- अन्य व्यय–

मूल	5,50.00]	1,91.13	1,85.42	-5.71
पुनर्वि०	-3,58.87				

₹ 3,58.87 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किए हैं।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2013)।

05- सूचना प्रौद्योगिकी के प्रबन्धन

एवं नियोजन के कार्यों हेतु

एकमुश्त व्यवस्था–

मूल	1,05.00]
पुनर्वि०	-1,05.00				

₹ 1,05.00 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किए हैं।

(xiii) *mpUr yu&nu %&*

अनुदान के व्यय में उचन्त के अधीन दर्ज किये गये ₹ 18,75.95 करोड़ सम्मिलित हैं। उचन्त लेन-देन का स्वरूप और उनकी लेखा प्रणाली की व्याख्या अनुदान संख्या 94- सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) के अधीन दी गई है।

2012-2013 के दौरान किये गये लेन-देन का विश्लेषण तथा आदि और अन्त शेषों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :-

mpUr 'kh"kl **5054&l M&ka rFkk l rFqka ij i wthxr ifj0; ; ** ds vUrxr
o"kl 2012-2013 ds nkj ku fd; s x; s yu&nu dk foj .k

'kh"kl	1 vi fy 2012 dks vkfn 'k\$ (ukes + tek &)	ukes	tek	fuoy	31 ekpl 2013 dk vUr 'k\$ (ukes + tek &)
<i>% yk[k ₹ ea %</i>					
उचन्त स्टाक	+88,65.37	9,38,58.65	9,42,78.52	-4,19.87	+84,45.50
विविध निर्माण कार्य पेशगियां	+61,66.30	9,37,36.04	9,07,74.02	+29,62.02	+91,28.32
कार्यशाला उचन्त	-2,44.75*	-2,44.75*
; kx	+1,47,86.92	18,75,94.69	18,50,52.54	+25,42.15	+1,73,29.07

* ऋणात्मक राशि की राज्य सरकार के साथ जांच की जा रही है।

वृत्तिका I अ; क 59 & यकद फुकल क फोहकx 1/4 कT; I Ei fRr funs' kky; 1/2

ए; ' kh"z

दय वृत्तिका

ओलरफोद 0; ;

वफ/कद 0; ; \$
cpr &

1/4 gtlj ₹ ea 1/2

जकTLo&

2013- एफ= ifj"kn}

2052- I fpoky; & I kekl; I ok; j

2059- ykd fuekZ k dk; j

2070- vl; i' kkl fud I ok; j

2215- tyi fRr rFkk I Okbz rFkk

2216- vkokl

nRrer&

मूल

1,21,21,52

1,22,71,52

1,21,73,32

-98,20

पूरक

1,50,00

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2013)

52,17

i wthxr&

4059- ykd fuekZ k dk; Z ij

i wthxr ifj0; ; rFkk

4216- vkokl ij i wthxr ifj0; ;

nRrer&

मूल

1,00,52,52

1,01,52,52

1,01,45,61

-6,91

पूरक

1,00,00

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2013)

5,46

fVli f.k; ka , oa VhdK; &

jkTkLo&

nRrer&

(i) ₹ 98.20 लाख की अन्तिम बचत में से, ₹ 52.17 धनराशि ही अभ्यर्पण के लिए प्रत्याशित की जा सकी।

(ii) ₹ 98.20 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए, नवम्बर 2012 में प्राप्त किया गया ₹ 1,50.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अधिक सिद्ध हुआ।

(iii) बचत (अन्य शीर्षों के अन्तर्गत व्ययाधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न के अधीन हुई :-

'kh"kl	dy vupku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$
			cpr &
		¼ yk[k ₹ ea ½	

2059- ykxd fuekzk dk; &

01- कार्यालय भवन-

053- रखरखाव तथा मरम्मत-

04- विधान भवन तथा परिसर
में स्थित अन्य भवन-

मूल	9,06.16	}	8,07.66	7,23.66	-84.00
पुनर्वि०	-98.50				
प्रावधान में ₹ 98.50 लाख की कमी प्रस्ताव उपलब्ध न होने के कारण हुई।					

08- अन्य भवन (विकास भवन एवं दरबारी लाल शर्मा
मार्ग स्थित भवन)-

मूल	53.74	}	36.93	36.54	-0.39
पुनर्वि०	-16.81				
प्रावधान में ₹ 16.81 लाख की कमी प्रस्ताव उपलब्ध न होने के कारण हुई।					

2070- vl; i' kkl fud l dk; &

800- अन्य व्यय-

03- विभिन्न निगमों/उपक्रमों/
आयोग/परिषद् आदि के
अध्यक्षों/उपाध्यक्षों के
वाहनों के रख रखाव के
लिए व्यवस्था-

मूल	6,00.00	}	3,20.94	3,20.94	..
पुनर्वि०	-2,79.06				
प्रावधान में ₹ 2,79.06 लाख की कमी मुख्यतः प्रस्ताव न उपलब्ध होने के कारण हुई।					

2215- ty i'rl rFkk l Qkb&

02- मल जल तथा सफाई-

107- मल जल सेवाएं-

03- बटलर पैलेस एवं बादशाह नगर कालोनी में सीवेज
पम्पिंग स्टेशन का रख-रखाव एवं संचालन कार्य-

मूल	10.00	}
पुनर्वि०	-10.00				
प्रावधान में ₹ 10.00 लाख की कमी प्रस्ताव न उपलब्ध होने के कारण हुई।					

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2013)।

(iv) व्ययाधिक्य निम्न के अधीन हुआ:-

'kh"KZ

dy vupku

okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; \$
cpr &

¼ yk[k ₹ ea ½

2013- ef= ifj"kn&

800- अन्य व्यय-

03- मंत्रियों, राज्यमंत्रियों तथा उप
मंत्रियों के प्रकीर्ण व्यय-

मूल	13,30.60	}	13,55.16	13,40.32	-14.84
पुनर्वि०	24.56				

प्रावधान में ₹ 24.56 लाख की वृद्धि अपर्याप्त बजट प्रावधान के कारण हुई।

2052- l fpoky; &l kekl; l ok; &

090- सचिवालय-

03- राज्य सम्पत्ति विभाग-

मूल	36,45.51	}	38,34.32	38,05.67	-28.65
पुनर्वि०	1,88.81				

प्रावधान में ₹ 1,88.81 लाख की शुद्ध वृद्धि में से, ₹ 1,90.26 लाख की वृद्धि अपर्याप्त बजट प्रावधान होने तथा ₹ 1.45 लाख की कमी प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुई।

04- राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा अधिकारियों
को वाहन व्यवस्था-

मूल	1,25.00	}	1,53.00	1,51.84	-1.16
पुनर्वि०	28.00				

प्रावधान में ₹ 28.00 लाख की वृद्धि अपर्याप्त बजट प्रावधान के कारण हुई।

2059- ykd fuekZk dk; &

01- कार्यालय भवन-

053- रखरखाव तथा मरम्मत-

09- जवाहर भवन तथा इन्दिरा भवन
परिसर-

मूल	7,01.94	}	7,44.15	7,44.15	..
पुनर्वि०	42.21				

प्रावधान में ₹ 42.21 लाख की शुद्ध वृद्धि में से, ₹ 49.50 लाख की वृद्धि अपर्याप्त बजट प्रावधान होने तथा ₹ 7.29 लाख का अभ्यर्पण सरकार द्वारा विलम्ब से निर्णय लेने के कारण हुआ।

'kh"z dy vupku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; \$
cpr &
¼ yk[k ₹ ea ½

60- अन्य भवन—

053- रखरखाव तथा मरम्मत—

03- लखनऊ स्थित अतिथि गृहों
के लिए व्यवस्था—

मूल	2,79.77	}	3,48.72	3,48.72	..
पूरक	25.00				
पुनर्वि०	43.95				

प्रावधान में ₹ 43.95 लाख की शुद्ध वृद्धि में से, ₹ 55.50 लाख की वृद्धि अपर्याप्त बजट प्रावधान होने तथा ₹ 11.55 लाख का अभ्यर्पण मितव्ययिता के कारण हुआ।

80- सामान्य—

053- रखरखाव तथा मरम्मत—

07- विवरण अनुपलब्ध .. 83.99 +83.99

2070- vl; i t kkl fud l ok; &

115- अतिथि गृह, सरकारी हास्टल आदि—

03- विधायक निवासों में कैंटीन—

मूल	1,09.82	}	1,24.82	1,23.68	-1.14
पुनर्वि०	15.00				

प्रावधान में ₹ 15.00 लाख की वृद्धि अपर्याप्त बजट प्रावधान के कारण हुई।

2216- vkokl &

01- सरकारी रिहायशी भवन—

700- अन्य आवास—

09- विधायकों को आवंटित आवास—

मूल	9,53.08	}	10,51.61	10,51.60	-0.01
पूरक	75.00				
पुनर्वि०	23.53				

प्रावधान में ₹ 23.53 लाख की शुद्ध वृद्धि में से, ₹ 43.00 लाख की वृद्धि अपर्याप्त बजट प्रावधान होने तथा ₹ 19.47 लाख का अभ्यर्पण सरकार द्वारा विलम्ब से निर्णय लेने के कारण हुआ।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत/व्ययाधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2013)।

i wthxr&

nRrer&

(v) ₹ 6.91 लाख की अन्तिम बचत में से, ₹ 5.46 लाख की धनराशि अभ्यर्पण के लिए प्रत्याशित की जा सकती।

(vi) बचत (अन्य शीर्षों के अन्तर्गत व्ययाधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न के अधीन हुई :-

'kh"Kz	dy vupku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$
			cpr &
			¼ yk[k ₹ ea ½

4216- vkokl ij iwthxr ifj0; ; &

01- सरकारी रिहायशी भवन-

700- अन्य आवास-

05- निर्माण-अन्य-

मूल	49,60.52			
पूरक	1,00.00	45,82.95	45,81.51	-1.44
पुनर्वि०	-4,77.57			

प्रावधान में ₹ 4,77.57 लाख की कुल कमी में से, ₹ 4,77.42 लाख की कमी प्रस्ताव प्राप्त न होने तथा धनराशि के अप्रयुक्त रहने के कारण हुआ। ₹ 0.15 लाख का अभ्यर्पण धनराशि के अप्रयुक्त रहने के कारण हुआ।

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2013)।

(vii) व्ययाधिक्य निम्न के अधीन हुआ:-

4059- ykd fuekzk dk; l ij

iwthxr ifj0; ; &

01- कार्यालय भवन-

051- निर्माण-

04- सचिवालय भवन-

मूल	20,76.06			
पुनर्वि०	3,64.80	24,40.86	24,40.85	-0.01

प्रावधान में ₹ 3,64.80 लाख की वृद्धि बजट कम होने के कारण हुई।

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2013)।

80- सामान्य-

051- निर्माण-

04- नवी मुम्बई में राज्य अतिथि गृह का निर्माण-

मूल	7,23.94			
पुनर्वि०	62.62	7,86.56	7,86.56	..

प्रावधान में ₹ 62.62 लाख की वृद्धि बजट कम होने के कारण हुई।

07- यू०पी० भवन/यू०पी० सदन एवं अन्य अतिथि गृहों

का जीर्णोद्धार/सौन्दर्यीकरण-

मूल	3,50.00			
पुनर्वि०	50.00	4,00.00	4,00.00	..

प्रावधान में ₹ 50.00 लाख की वृद्धि अपर्याप्त बजट होने के कारण हुई।

वृत्तिका I अ; क 6&m | क्ख फोहक्ख (गफ्कज?क्क म | क्ख)

ए; 'क्क'क द्य वृत्तिका क्लरफोद 0; ; व्फ/कद 0; ; \$
cpr&

(गक्ज ₹ ए)

ज्क्लो&

2851- खे , ओ य?क्क म | क्ख

नरर&

मूल	1,04,50,20
पूरक	3,19

1,04,53,39 64,32,76 -40,20.63

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2013)

40,32,14

व्फ्लि.क; का , ओ व्हक्; &

ज्क्लो&

नरर&

- ₹ 64,32.76 लाख के वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02,2002-03,2003-04,2004-05,2008-09 और 2009-10 उच्चत लेखे के समाशोधन के ₹ 3.29 लाख की धनराशि सम्मिलित है।
- ₹ 40,23.92 लाख (₹40,20.63 लाख + ₹ 3.29 लाख) की अन्तिम बचत को देखते हुए, नवम्बर 2012 में प्राप्त किया गया ₹ 3.19 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- बचत मुख्यतः निम्न के अधीन हुई:—

'क्क'क

द्य वृत्तिका क्लरफोद 0; ;

व्फ/कद 0; ; \$
cpr&

(यक्/क ₹ ए)

2851- खे , ओ य?क्क म | क्ख&

001- निदेशन और प्रशासन—

03- अधिष्ठान व्यय—हथकरघा निदेशालय—

मूल	16,89.66
पुनर्वि०	-1,01.87

15,87.79 15,99.30 +11.51

वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02,2002-03,2003-04,2004-05,2008-09 और 2009-10 के उच्चत लेखे के समाशोधन के ₹ 3.29 लाख की धनराशि सम्मिलित है।

₹ 1,01.87 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम व्याधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2013)।

' kh"z dly vumku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; \$
cpr&
(yk/k ₹ ee)

103- हथकरघा उद्योग-

01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा
पुरोनिधानित योजनायें-

मूल	87,53.49		48,23.49	48,23.49	..
पुनर्वि०	-39,30.00				

₹ 39,30.00 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

03- हथकरघा उद्योग बुनकरों को प्रोत्साहित करने

हेतु मा. कांशीराम राज्य हथकरघा पुरस्कार-

मूल	5.50	
पुनर्वि०	-5.50				

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 5.50 लाख की कमी विभागीय आवश्यकताओं को पूरा न किये जाने के कारण हुई।

(iv) व्ययाधिक्य मुख्यतः निम्न के अधीन हुआ:-

2851- xke , oa y?kq m | ks&

103- हथकरघा उद्योग-

04- हथकरघा उद्योग बुनकरों को प्रोत्साहित करने

हेतु जनेश्वर मिश्र हथकरघा पुरस्कार-

मूल	3.19		8.69	8.69	..
पुनर्वि०	5.50				

पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में ₹ 5.50 लाख की वृद्धि पूर्व में स्वीकृत धनराशि योजना के नाम में परिवर्तन होने के कारण प्रयुक्त न होने से हुई।

vunku l a[; k 60 &ou fohkx

ed[; 'kh"kl dy vunku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; \$
; k ; k cpr&
fofu; ks %gtkj ₹ e#

jktLo&

2235- l keftd l j {kk rFkk dY; k.k]

2406- okfudh rFkk OkU; tho]

2407- ckxku]

2415- df"k vuq d'kku rFkk f'k{kk , oa

3604- LFkkuh; fudk; ka rFkk i Pkk; rh jkt

l LFkkvka dks {kfri vR rFkk l euq's ku

nRrer&

मूल	4,12,28,46]	4,19,98,91	4,18,32,54	-1,66,37
पूरक	7,70,45				
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2013)					
					1,11,50

i Hkkfjr&

मूल	13,70]	13,70	-13,70	
पूरक	..				
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2013)					
					10,32

i wthxr&

4059- ykd fueZk dk; l ij i wthxr
ifj0; ;]

4216- vkokl ij i wthxr ifj0; ;]

4406- okfudh rFkk OkU; tho ij
i wthxr ifj0; ;]

4407- ckxkuka ij i wthxr ifj0; ; , oa

4415- df"k vuq d'kku rFkk f'k{kk ij
i wthxr ifj0; ;]

nRrer&

मूल	1,45,92,97]	1,46,03,94	1,40,50,31	-5,53,63
पूरक	10,97				
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2013)					
					5,80,98

fVli f.k; ka , oa Vhdk; &
jktLo&
nRrer&

- (i) ₹ 1,66.37 लाख की अंतिम बचत में से, केवल ₹ 1,11.50 लाख ही अभ्यर्पित किये गये।
(ii) ₹ 1,66.37 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुये नवम्बर 2012 में प्राप्त किया गया ₹ 7,70.45 लाख का अनुपूरक अनुदान अधिक सिद्ध हुआ।
(iii) बचत (एक अन्य शीर्षों के अन्तर्गत व्ययाधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न के अधीन हुई:-

' kh"KZ	dy vupku okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$
		cpr&
	¼ yk[k ₹ ed	

2406- okfudh rFkk OkU; tho&

01- वानिकी-

001- निदेशन तथा प्रशासन-

04- अधिष्ठान-

मूल	3,80,09.67	}	3,86,91.49	3,86,50.58	-40.91
पूरक	7,28.00				
पुनर्वि०	-46.18				

₹ 46.18 लाख का अभ्यर्पण वास्तविक आवश्यकता के आधार पर हुआ।

101- वन संरक्षण, विकास तथा सम्पोषण-

07- तैरहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों

का क्रियान्वयन-

मूल	3,26.00	}	3,24.63	3,23.61	-1.02
पूरक	2.45				
पुनर्वि०	-3.82				

₹ 3.82 लाख के अभ्यर्पण फैंक्स मशीन और फोटो कापियर की खरीदारी की स्वीकृति स्वीकार न होने के कारण थी।

08- तैरहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों का क्रियान्वयन (सी०सी०एल) प्रणाली-

मूल	2,35.56	}	2,22.86	2,22.86	..
पुनर्वि०	-12.70				

₹ 12.70 लाख का अभ्यर्पण खर्च न होने को कारण हुआ।

'kh"KZ

dy vupku okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; \$
cpr&

¼ yk[k ₹ est

800- अन्य व्यय—

01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा

पुरोनिधानित योजनायें—

मूल	67.16	}	38.92	38.89	-0.03
पुनर्वि०	-28.24				

₹ 28.24 लाख की अन्तिम बचत में से, प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 16.52 लाख की की कमी वित्त समिति द्वारा लायन सफारी पार्क और शेर प्रजनन केन्द्र इटावा की स्थापना का अनुमोदन और ₹ 11.72 लाख का अभ्यर्पण वास्तविक आवश्यकता के आधार पर हुआ।

02- पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव—

110- वन्य जीव परिरक्षण—

12- जनपद इटावा में बब्बर शेर प्रजनन केन्द्र

व लायन सफारी पार्क का विकास—

मूल	37.74	}	16.00	..	-16.00
पुनर्वि०	-21.74				

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 21.74 लाख की की कमी वित्त समिति द्वारा लायन सफारी पार्क और शेर प्रजनन केन्द्र इटावा की स्थापना को अनुमोदित होने के कारण हुई। उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2013)।

(iv) व्ययाधिक्य मुख्यतः निम्न के अधीन हुआ:—

2406- okfudh rFkk OKU; tho&

02- पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव—

110- वन्य जीव परिरक्षण—

01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा

पुरोनिधानित योजनायें—

मूल	8,74.47	}	8,85.32	9,01.06	+15.74
पुनर्वि०	10.85				

₹ 10.85 लाख की शुद्ध वृद्धि में से, प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 38.26 लाख की वृद्धि भारत सरकार द्वारा टाइगर प्रोजेक्ट प्लान के अन्तर्गत अधिक आवंटन और और ₹ 27.41 लाख का अभ्यर्पण अनुमोदित कार्य में खर्च हाने के कारण हुआ। उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत अंतिम व्ययाधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2013)।

i Hkkfjr&

(v) ₹ 13.70 लाख की अंतिम बचत में से, केवल ₹ 10.32 लाख की ही धनराशि अभ्यर्पण के लिये प्रत्याशित की जा सकी।

(vi) बचत मुख्यतः निम्न के अधीन हुई:-

'kh"KZ	dy fofu; ks okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$
	¼ yk[k ₹ e#	cpr&

2406- okfudh rFkk OkU; tho&

01- वानिकी-

001- निदेशन तथा प्रशासन-

04- अधिष्ठान-

मूल	13.70	}	3.38	..	-3.38
पुनर्वि०	-10.32				

₹ 10.32 लाख का अभ्यर्पण व्यय की वास्तविक आवश्यकता के आधार पर हुआ। उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2013)।

i thxr&

nRrer&

(vii) ₹ 5,53.63 लाख की अंतिम बचत में से, ₹ 5,80.98 लाख का अभ्यर्पण न्यायसंगत नहीं था तथा व्यय के त्रुटिपूर्ण अनुमान का द्योतक था।

(viii) ₹ 5,53.63 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुये नवम्बर 2012 में प्राप्त किया गया ₹ 10.97 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ix) बचत (अन्य शीर्षों के अन्तर्गत व्ययाधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न के अधीन हुई:-

'kh"KZ	dy vupku okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$
	¼ yk[k ₹ e#	cpr&

4406- okfudh rFkk OkU; tho ij

i thxr ifj0; ; &

01- वानिकी-

102- समाज तथा फार्म वानिकी-

15- तेरहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों का क्रियान्वयन(सी०सी०एल०) प्रणाली-

मूल	16,32.90	}	16,12.21	16,12.21	..
पुनर्वि०	-20.69				

₹ 20.69 लाख की कुल प्रत्याशित बचत में से, प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 19.76 लाख की कमी तेरहवें वित्त आयोग संस्तुतियां के व्यय संस्तुति के कारण और ₹ 0.93 लाख का अभ्यर्पण व्यय की आवश्यकता के कारण हुआ।

'kh"KZ

dy vupku okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; \$
cpr&

¼ yk[k ₹ est

800- अन्य व्यय—

01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा
पुरोनिधानित योजनायें—

मूल	1,88.14]	1,56.81	1,56.81	..
पुनर्वि०	-31.33				

₹ 31.33 लाख का अभ्यर्पण भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय सहायता की द्वितीय किश्त की प्राप्ति देर से होने के कारण हुआ।

02- पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव—

111- चिड़िया घर—

04- चिड़िया घर की स्थापना (सी०सी०एल०)

प्रणाली—

मूल	9,42.74]	37.81	..	-37.81
पुनर्वि०	-9,04.93				

₹ 9,04.93 लाख की कुल प्रत्याशित बचत में से, प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 4,00.00 लाख की कमी की व्याख्या नहीं की गयी और ₹ 5,04.93 लाख का अभ्यर्पण वित्तीय स्वीकृति निर्गत न होने के कारण हुआ।

उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2013)।

(x) व्ययाधिक्य मुख्यतः निम्न के अधीन हुआ:—

4406- okfudh rFkk OkU; tho ij

i wthxr ifj0; ; &

01- वानिकी—

800- अन्य व्यय—

10- लाख बहोशी पक्षी विहार, कन्नौज एवं
नवाबगंज पक्षी विहार, उन्नाव में ईको
पर्यटन विकास—

मूल	1,00.00]	4,00.00	4,00.00	..
पुनर्वि०	3,00.00				

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 3,00.00 लाख की वृद्धि ईको पर्यटन विकास योजना लाख बहोशी पक्षी विहार, कन्नौज और नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव में ज्यादा धनराशि की आवश्यकता होने के कारण की गई।

' kh" kZ

dy vupku okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; \$
cpr&

¼ yk[k ₹ est

97- बाह्य सहायतित योजनायें 88,64.00 88,91.35 +27.35

02- पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव-

110- वन्य जीव -

01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा

पुरोनिधानित योजनायें-

मूल 4,40.30

4,16.39

4,54.20

+37.81

पुनर्वि० -23.91

₹ 23.91 लाख की कुल प्रत्याशित बचत में से, प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 19.76

लाख की वृद्धि भारत सरकार द्वारा प्रोजेक्ट टाइगर प्लान में ज्यादा धनराशि अनुमोदित

होने के कारण और ₹ 43.67 लाख का अभ्यर्पण भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय सहायता की

द्वितीय किश्त की प्राप्ति देर से होने के कारण हुई।

06- जनपद इटावा में बब्बर शेर प्रजनन केन्द्र

व लायन सफारी पार्क का विकास-

मूल 4,62.26

5,62.26

5,62.26

..

पुनर्वि० 1,00.00

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 1,00.00 लाख का वृद्धि जनपद इटावा में लायन

सफारी पार्क और बब्बर शेर प्रजनन केन्द्र के विकास के कारण हुई।

उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत अंतिम व्ययाधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं

(जून 2013)।

vunku l a[; k 61 &foRr foHkkx ¼_.k l ok rFkk vU; 0; ; ½

ed[; 'kh"lz

dy vunku
; k
fofu; ksx

okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; \$
cpr&

¼ g tkj ₹ ea ½

jktLo&

2040- fcdh] 0; ki kj vkfn ij dj]

2048- __.k ?kVkus ; k ml dk ifjgkj
dj us ds fy; s fofu; kst u]

2049- C; kt vnk; fx; kq

2052- l fpoky; &l kekl; l ok; q

2070- vU; i z kkl fud l ok; q

2075- fofu/k l kekl; l ok; q

2235- l kekf td l g {kk rFkk dY; k.k vkj

3604- LFkkuh; fudk; ka rFkk i Pkk; rh jkt

l .LFkkvka dks {kfri vR rFkk l eupn' ku

nRrer&

मूल 69,59,78,28
पूरक ..

69,59,78,28

68,94,33,00

-65,45,28

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि

..

i Hkkfj r&

मूल 2,65,01,79,10
पूरक ..

2,65,01,79,10

2,48,56,65,74

-16,45,13,36

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि

..

i wthxr&

4070- vU; i z kkl fud l okvka ij i wthxr ifj0; ;]

4075- fofu/k l kekl; l okvka ij i wthxr
ifj0; ;]

6003- jkT; l jdkj dk vku rfd __.k]

6004- dlnh; l jdkj l s dtl rFkk vfxe]

6075- fofu/k l kekl; l okvka ds fy, dtl , oa

7610- l jdkjh depkfj; ka dks dtl vkfn

nRrer&

मूल 3,31,40,05
पूरक ..

3,31,40,05

1,08,76,43

-2,22,63,62

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि

..

'kh"lz	dy vupku ; k fofu; ksx	okLrfod 0; ; \$	vf/kd 0; ; cpr&
% gtkj ₹ ea %			
i Hkkfjr&			
मूल	1,80,44,06,40		
पूरक	..	1,80,44,06,40	81,09,90,44
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि			-99,34,15,96
fVli f.k; ka , oa VhdK; &			..
jktLo&			
nRrer&			

(i) ₹ 68,94,33.00 लाख के वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02,2002-03,2003-04,2004-05,2005-06, 2008-09,2009-10,2010-11 और 2011-12 में उचन्त लेखे के समाशोधन ₹ 14,22.85लाख की धनराशिसम्मिलित है। ₹ 79,68.13 लाख (₹ 65,45.28 लाख + ₹ 14,22.85 लाख) की अन्तिम बचत में से,कोई भी धनराशि अभ्यर्पण के लिए प्रत्याशित नहीं की जा सकी।

(ii) बचत (अन्य शीर्षों के अन्तर्गत व्ययाधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः :
निम्न के अधीन हुई:-

'kh"lz	dy vupku ; k fofu; ksx	okLrfod 0; ; \$	vf/kd 0; ; cpr&
% yk[k ₹ ea %			

2070- vU; i' kkl fud l ok; &

105- विशेष जाँच आयोग-

06- चतुर्थ राज्य वित्त आयोग

(पंचायती राज्य एवं स्थानीय
निकाय)

1,19.10

94.07

-25.03

वास्तविक व्यय में ₹ 0.68 लाख वर्ष 2001-02 और 2005-06 के उचन्त लेखे समाशोधन के सम्मिलित हैं।

2075- fofok l kekl; l ok; &

800- अन्य व्यय-

03- कालवाधित मामलों में सरकारी प्रतिभूतियों

पर व्याज का भुगतान

9.80

2.57

-7.23

वास्तविक व्यय में ₹ 0.13 लाख वर्ष 2010-11 और 2011-12 के उचन्त लेखे समाशोधन के सम्मिलित हैं।

2235- l keftd l j {kk rFkk dY; k.k&

60- अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम-

200- अन्य कार्यक्रम-

03- मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को

सहायता

1,00.00

42.93

-57.07

वास्तविक व्यय में ₹ 1.20 लाख वर्ष 2003-04 के उचन्त लेखे समाशोधन के सम्मिलित हैं।

(v) बचत (अन्य शीर्षों के अन्तर्गत व्ययाधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः :

निम्न के अधीन हुई:-

'kh"kl	djy fofu; ksx	okLrfod 0; ; % yk[k ₹ ea ½	vf/kd 0; ; \$ cpr&
2048- __.k ?kVkus ; k ml dk i fjgkj djus ds fy, fofu; kst u& 797- आरक्षित निधियों तथा जमा लेखों को/से अन्तरण-			
03- उत्तर प्रदेश राज्य विकास ऋणों की संहत ऋण शोधन निधि को अन्तरण	1,01,76,09.08	82,61,68.64	-19,14,40.44
2049- C; kt vnk; fx; k& 01- आन्तरिक ऋण पर ब्याज-			
101-- बाजार कर्जों पर ब्याज-			
26- वित्तीय वर्ष 2003-04 में जारी बाजार ऋणों पर ब्याज	3,29,08.28	2,65,07.14	-64,01.14
27- वित्तीय वर्ष 2004-05 में जारी बाजार ऋणों पर ब्याज	2,65,55.59	2,41,56.18	-23,99.41
वास्तविक व्यय में ₹ 0.72 लाख वर्ष 2008-09 के उचन्त लेखे समाशोधन के सम्मिलित हैं।			
30- वित्तीय वर्ष 2007-08 में जारी बाजार ऋणों पर ब्याज	3,62,23.50	2,44,43.54	-1,17,89.96
वास्तविक व्यय में ₹ 0.04 लाख वर्ष 2009-10 के उचन्त लेखे समाशोधन के सम्मिलित हैं।			
33- वित्तीय वर्ष 2010-11 में जारी बाजार ऋणों पर ब्याज	10,04,63.00	6,51,65.50	-3,52,97.50
34- वित्तीय वर्ष 2011-12 में जारी बाजार ऋणों पर ब्याज	13,98,39.03	11,32,92.22	-2,65,46.81
वास्तविक व्यय में ₹ 0.14 लाख वर्ष 2001-02 के उचन्त लेखे समाशोधन के सम्मिलित हैं।			
35- वित्तीय वर्ष 2012-13 में जारी बाजार ऋणों पर ब्याज (9.75%)	4,24,30.11	..	-4,24,30.11
123- राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियों पर ब्याज-			
04- राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियों पर ब्याज	52,38,27.07	49,46,53.23	-2,91,73.84
200- अन्य आन्तरिक ऋणों पर ब्याज-			
03- रिजर्व बैंक से लिए गये अल्पकालिक ऋणों पर ब्याज	5,00.00	..	-5,00.00

'kh"kl	dy fofu; kx	okLrfod 0; ; ¼ yk[k ₹ ea ½	vf/kd 0; ; \$ cpr&
04- राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के लिये गए ऋण पर ब्याज	4,03,32.00	3,67,37.41	-35,94.59
305- ऋण प्रबन्ध-			
03- ऋण प्रबन्ध पर व्यय	20,00.00	17,49.06	-2,50.94
03- अल्प बचतों, भविष्य निधियों आदि पर ब्याज-			
104- राज्य भविष्य निधियों पर ब्याज-			
04- भारतीय सिविल सर्विस भविष्य निधि पर ब्याज	15,00.00	11,97.73	-3,02.27
04- केन्द्रीय सरकार से कर्जों तथा अग्रिमों पर ब्याज-			
103- केन्द्र द्वारा चलाई जा रही योजनागत योजनाओं के लिए कर्जों पर ब्याज-			
03- ब्याज का भुगतान उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2013)।	22,50.84	66.68	-21,84.16
(vi) व्ययाधकिय मुख्यतः निम्न के अधीन हुआ:-			
2049- 0; kt vnk; fx; k&			
01- आन्तरिक ऋण पर ब्याज-			
101-- बाजार कर्जों पर ब्याज-			
24- वित्तीय वर्ष 2002-03 में जारी बाजार ऋणों पर ब्याज	1,84,93.61	4,66,72.71	+2,81,79.10
वास्तविक व्यय में ₹ 1,50.00 लाख वर्ष 2001-02 के उच्चत लेखे समाशोधन के सम्मिलित हैं।			
28- वित्तीय वर्ष 2005-06 में जारी बाजार ऋणों पर ब्याज	2,37,47.26	3,83,44.07	+1,45,96.81
31- वित्तीय वर्ष 2008-09 में जारी बाजार ऋणों पर ब्याज	10,69,67.70	15,05,32.42	+4,35,64.72
32- वित्तीय वर्ष 2009-10 में जारी बाजार ऋणों पर ब्याज	11,37,67.04	14,34,66.52	+2,96,99.48
03- अल्प बचतों, भविष्य निधियों आदि पर ब्याज-			
104- राज्य भविष्य निधियों आदि पर ब्याज-			
03- भविष्य निधियाँ	16,00,00.00	21,47,86.91	+5,47,86.91
07- सहायता प्राप्त संस्थाओं के कर्मचारियों की भविष्य निधियों पर ब्याज	8,00,00.00	9,71,12.80	+1,71,12.80

'kh"kl	dy fofu; kx	okLrfod 0; ; ¼ yk[k ₹ ea ½	vf/kd 0; ; \$ cpr&
--------	----------------	-------------------------------	-----------------------

04- केन्द्रीय सरकार से कर्जों तथा अग्रिमों पर व्याज—

101-- राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र की योजनागत योजनाओं के लिये कर्जों पर व्याज—

05- विश्व बैंक से बैंक टू बैंक बेसिस पर उधार—

मूल	20.00	}	39.23	36.98	-2.25
पुनर्वि०	19.23				

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 19.23 लाख की वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

109- बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों की शर्तों के अनुसार समेकित राज्य आयोजना कर्जों पर व्याज—

03- 31 मार्च, 2004 तक के ऋणों की 31 मार्च, 2005

को अवशेष समेकित कर्जों

पर व्याज 9,63,29.16 9,63,38.07 +8.91

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अंतिम व्ययाधिक्य/बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2013)।

i thxr &
nRrer &

(vii) ₹ 1,08,76.43 लाख के वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02, 2002-03, 2003-04, 2004-05, 2005-06, 2006-07, 2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-11 और 2011-12 उच्चत लेखे समाशोधन के ₹ 7,54.61 लाख की धनराशि सम्मिलित है। ₹ 2,30,18.23 लाख (₹ 2,22,63.62 लाख + ₹ 7,54.61 लाख) की अन्तिम बचत में से, कोई भी धनराशि अभ्यर्पित नहीं की जा सकी।

(viii) बचत (एक अन्य शीर्ष के अन्तर्गत व्ययाधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः

निम्न के अधीन हुई:-

'kh"kl	dy vunku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$ cpr&
--------	-------------	--------------	-----------------------

¼ yk[k ₹ ea ½

4070- vU; i'kkI fud l okvka ij i thxr ifj0; ; &

800- अन्य व्यय—

03- परियोजनाओं के संबंध में किये जाने वाले

सर्वेक्षण कार्य, फीजिबिलिटी रिपोर्ट, डीपीआर

आदि पर होने वाला व्यय

10,00.00

..

-10,00.00

'kh"kl	dy vunku	okLrfod 0; ; % yk[k ₹ ea %	vf/kd 0; ; \$ cpr&
6075- fofo/k l kekl; l okvka ds fy, dt&			
800- अन्य व्यय—			
03- सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों/स्वायत्तशासी संस्थाओं के वित्तीय पुर्नगठन के लिए ऋण सहायता	2,00,00.00	2,00.00	-1,98,00.00
7610- l j dkjh depkfj; ka dks dtl vkfn&			
201- भवन निर्माण अग्रिम—			
04- भवन निर्माण या क्रय के लिए अग्रिम	70,00.00	63,64.37	-6,35.63
वास्तविक व्यय में ₹ 2,34.75 लाख वर्ष 2001-02,2002-03,2003-04 और 2005-06 के उच्चत लेखे समाशोधन के सम्मिलित हैं।			
202- मोटर वाहन का क्रय करने के लिये अग्रिम—			
03- राज्य कर्मचारियों को मोटर वाहन क्रय करने लिए अग्रिम	10,00.00	7,66.64	-2,33.36
वास्तविक व्यय में ₹ 51.52 लाख वर्ष 2001-02,2002-03,2004-05,2007-08,2008-09,2009-10, 2010-11 और 2011-12 के उच्चत लेखे समाशोधन के सम्मिलित हैं।			
204- कम्प्यूटरों का क्रय करने के लिये अग्रिम—			
03- राज्य कर्मचारियों को व्यक्तिगत कम्प्यूटर क्रय हेतु अग्रिम	80.00	38.47	-41.53
वास्तविक व्यय में ₹ 4.35 लाख वर्ष 2003-04,2007-08 और 2011-12 के उच्चत लेखे समाशोधन के सम्मिलित हैं।			
उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2013)।			
(ix) व्ययाधिक्य मुख्यतः निम्न के अधीन हुआ:—			
7610- l j dkjh depkfj; ka dks dtl vkfn&			
201- भवन निर्माण अग्रिम—			
03- अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को भवन क्रय,निर्माण/मरम्मत या विस्तार के लिये अग्रिम	60.00	7,58.78	+6,98.78
वास्तविक व्यय में ₹ 3,48.78 लाख वर्ष 2001-02,2002-03,2004-05,2006-07,2007-08,2009-10, 2010-11 और 2011-12 के उच्चत लेखे समाशोधन के सम्मिलित हैं।			
उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अंतिम व्ययाधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2013)।			

i Hkkfjr&

(x) ₹ 99,34,15.96 लाख की अन्तिम बचत में से, कोई भी धनराशि अभ्यर्पित नहीं की जा सकी।

(xi) बचत (एक अन्य शीर्ष के अन्तर्गत व्ययाधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः

निम्न के अधीन हुई:-

' kh"lz	dljy fofu; ksx	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$
			cpr&
		¼ yk[k ₹ ea ½	

6003- jkT; I jdkj dk vkllrfjd

__ .k&

101- बाजार कर्ज-

04- गैर ब्याजू बाजार कर्ज 82.00 36.33 -45.67

110- भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय

अग्रिम-

03- अर्थोपाय अग्रिम का प्रतिदान 1,00,00,00.00 .. -1,00,00,00.00

6004- dlnh; I jdkj I s dtl rFkk vfxæ&

04- केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजनागत स्कीमों के लिए कर्ज-

800- अन्य कर्ज-

04- भूमि तथा जल संरक्षण-भूमि

संरक्षण योजनायें

4,70.39 .. -4,70.39

05- ग्राम एवं लघु उद्योग

7.99 .. -7.99

06- सड़के तथा पुल-अन्तरराज्यीय महत्व

की सड़कें

20.38 .. -20.38

09- क्षेत्र विकास-शुष्क भूमि का

विकास

2,40.98 .. -2,40.98

10- सहकारिता-जमा सहकारिता

10.69 0.40 -10.29

12- फसल कृषि कर्म

6,83.67 .. -6,83.67

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अंतिम बचत/सम्पूर्ण विनियोग के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2013)।

(xii) व्ययाधिक्य मुख्यतः निम्न के अधीन हुआ:-

6004- dlnh; I jdkj I s dtl rFkk vfxæ&

04- केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजनागत स्कीमों के लिए कर्ज-

800- अन्य कर्ज-

11- आवास छोटे/मध्यम नगरों का

का विकास

7,89.54 89,24.33 +81,34.79

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अंतिम व्ययाधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2013)।

वृत्तवर्ष 2011-12 के लिए वित्तीय विवरणों का सार

वृत्तवर्ष	वृत्तवर्ष के लिए वित्तीय विवरणों का सार	वित्तीय विवरणों का सार	वित्तीय विवरणों का सार
2011-12	वृत्तवर्ष के लिए वित्तीय विवरणों का सार	वित्तीय विवरणों का सार	वित्तीय विवरणों का सार

वृत्तवर्ष

2011-12 के लिए वित्तीय विवरणों का सार

वृत्तवर्ष के लिए वित्तीय विवरणों का सार

वृत्तवर्ष के लिए वित्तीय विवरणों का सार

वृत्तवर्ष

मूल	1,33,80,47,56] 1,42,08,55,76	1,35,30,79,95	-6,77,75,81
पूरक	8,28,08,20			
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि				..

वृत्तवर्ष

मूल	16,51,39] 16,51,39	54,77,32	+38,25,93
पूरक	..			
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि				..

वृत्तवर्ष

वृत्तवर्ष के लिए वित्तीय विवरणों का सार

वृत्तवर्ष

मूल	1,50,00,00] 1,50,00,00	56,68,33	-93,31,67
पूरक	..			
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि				..

वृत्तवर्ष के लिए वित्तीय विवरणों का सार

वृत्तवर्ष

वृत्तवर्ष

- (i) ₹1,35,30,79.95 लाख के वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02,2002-03,2004-05,2005-06, 2006-07,2008-09,2009-10,2010-11 और 2011-12 में उच्चतम लेखे समाशोधन के ₹ 9,67.39 लाख धनराशि सम्मिलित है। ₹ 6,87,43.20 लाख (₹ 6,77,75.81 लाख+₹ 9,67.39 लाख) में से, कोई भी धनराशि अभ्यर्पण के लिए प्रत्याशित नहीं की जा सकी।
- (ii) ₹ 6,87,43.20 लाख के अन्तिम बचत को देखते हुये नवम्बर 2012 में प्राप्त किया गया ₹ 8,28,08.20 लाख का अनुपूरक अनुदान अधिक सिद्ध हुआ।

(iii) बचत(अन्य शीर्षों के अन्तर्गत व्ययाधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यत : निम्न के अधीन हुआ:-

'kh"kl	dlq vuqku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$ cpr&
¼ yk[k ₹ e#			
2071- idku rFkk vU; l ok fuofRr fgr ykHk&			
01- सिविल-			
101- अधिवर्षिता और सेवा निवृत्ति भत्ते-			
04- जल निगम के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की राजकीय सेवा के लिए अंशदान			
	10,00.00	..	-10,00.00
102- पेंशन का राशिकृत मूल्य-			
03- पेंशन का राशि मूल्य			
	9,90,08.40	9,12,21.50	-77,86.90
105- परिवार पेंशन-			
03- परिवार पेंशन			
	17,07,04.80	15,83,82.11	-1,23,22.69
109- राज्य से सहायता प्राप्त शिक्षा संस्थाओं के कर्मचारियों को पेंशन-			
03- सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों/ शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को सेवा नैवृत्तिक सुविधाएं			
	21,07,11.60	19,33,02.15	-1,74,09.45
04- सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों के शिक्षण/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को सेवानिवृत्तिक सुविधाएं			
	6,78,97.00	4,73,58.88	-2,05,38.12
05- राज्य विश्वविद्यालयों के शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को पेंशन			
	94,22.40	77,47.17	-16,75.23
06- अशासकीय बहुधंधी संस्थाओं के शिक्षकों/ शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को पेंशन			
	24,32.08	16,76.69	-7,55.39
07- राज्याधीन इंजीनियरिंग कालेजों के शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को सेवा नैवृत्तिक सुविधाएं			
	21,87.60	17,03.68	-4,83.92
09- पं० दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो अनुसंधान संस्थान मथुरा के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन			
	2,50.00	60.89	-1,89.11
11- भातखण्डे संगीत संस्थान (सम-विश्वविद्यालय) लखनऊ			
	10.00	..	-10.00

'kh"lz	dy vupku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$
		¼ yk[k ₹ est	cpr&
12- बेसिक शिक्षा परिषद के कार्मिकों की पेंशन—			
पूरक	8,28,08.20	8,28,08.20	5,80,21.07
			-2,47,87.13
111- विधायकों को पेंशन—			
03- विधायकों को पेंशन—राज्य विधानमण्डल के सदस्य	28,44.00	22,11.54	
			-6,32.46
115- छुट्टी नकदीकरण हितलाभ—			
03- सेवानिवृत्ति के समय अवकाश का नगदीकरण	9,26,06.80	8,69,38.04	
			-56,68.76
05- अखिल भारतीय सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारियों के अवकाश का नकदीकरण	2,45.00	..	
			-2,45.00
117- निर्धारित अंशदायी पेंशन स्कीम के लिये सरकारी अंशदान—			
03- राज्य सरकार का अंशदान	1,44,00.02	30,97.22	
			-1,13,02.80
800- अन्य व्यय—			
03- उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा/उच्चतर न्यायिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारियों को घरेलू सेवक भत्ता	3,00.00	..	
			-3,00.00
08- अशक्तता पेंशन भोगियों हेतु नियत परिचर भत्ता	10.00	..	
			-10.00
09- सेवा निवृत्ति हित लाभों के विलम्ब से अदायगी पर देय ब्याज	1,11.24	0.10	
			-1,11.14
10- उ0प्र0 राज्य पुनर्गठन अधिनियम,2000 के अन्तर्गत पेंशन दायित्वों के प्रभाजन के फलस्वरूप उत्तराखण्ड सरकार को देय राशि	13,96,71.00	10,45,98.00	
			-3,50,73.00
2235- I kekftd I j {kk rFkk dY; k.k&			
60- अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम—			
104- निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना—सरकारी भविष्य निधि—			
03- जमा सम्बद्ध बीमा योजना	15,09.00	6,78.69	
			-8,30.31
वास्तविक व्यय में ₹ 30.72 लाख वर्ष 2001-02,2002-03,2004-05,2005-06,2006-07,2008-09, 2009-10,2010-11 और 2011-12 के उचन्त लेखे समाशोधन के सम्मिलित हैं। उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत/सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2013)।			

(iv) व्ययाधिक्य मुख्यतः निम्न के अधीन हुआ:-

'kh"kl	dlq vuqku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$
			cpr&
		¼ yk[k ₹ est	

2071- idku rFkk vU; l okfuofRr fgr ykHk&

01- सिविल-

101- अधिवर्षिता और सेवानिवृति भत्ते-

03- अधिवर्षिता और सेवानिवृति

भत्ते

38,64,36.00 41,08,43.62

+2,44,07.62

103- अनुकम्पा भत्ता-

03- अनुकम्पा भत्ता

53.48 4,97.48

+4,44.00

104- उपादान-

03- उपादान

11,63,50.80 13,96,00.26

+2,32,49.46

109- राज्य से सहायता प्राप्त शिक्षा
संस्थाओं के कर्मचारियों को
पेंशन-08- राज्याधीन कृषि विश्वविद्यालयों एवं इलाहाबाद
कृषि संस्थान के शिक्षकों/शिक्षणेत्तर
कर्मचारियों को सेवा नैवृत्तिक
सुविधाएं

14,36.70 52,01.49

+37,64.79

10- सहायता प्राप्त अशासकीय जूनियर हाईस्कूलों
के सेवानिवृत्त शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों
को सेवा नैवृत्तिक सुविधाएं

1,25,93.00 1,33,86.93

+7,93.93

200- अन्य पेंशन-

03- सेवा के दौरान अन्धे या विकलांग हो जाने
वाले अस्थायी सरकारी कर्मचारियों को
एकसंग्रेशिया पेंशन

0.02 34.26

+34.24

04- उ०प्र० खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड
के कर्मचारियों को सेवा नैवृत्तिक
सुविधाएं

8,28.60 9,91.73

+1,63.13

800- अन्य व्यय-

04- राज्य सरकार के सेवा निवृत्त कर्मचारियों
एवं अधिकारियों तथा राज्य सरकार के
अधीन सेवानिवृत्ति अखिल भारतीय सेवाओं
के अधिकारियों व उनके परिवार के आश्रित
सदस्यों की विशेष चिकित्सा उपचार हेतु

सहायता 50,28.00 2,55,26.27

+2,04,98.27

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम व्ययाधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2013)।

i Hkkfj r&

- (v) वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02,2002-03,2004-05,2005-06,2008-09,2010-11 और 2011-12 उचन्त लेखे के समाशोधन के ₹ 8,80.34 लाख की धनराशि सम्मिलित है।
- (vi) व्यय प्रभारित विनियोग से ₹ 28,58,53,876; (₹ 38,25,93,196—₹ 9,67,39,320), अधिक हुआ, अधिक व्यय का नियमानुकूलन अपेक्षित है।
- (vii) व्ययाधिक्य (अन्य शीर्षों के अन्तर्गत बचत द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न के अधीन हुआ:—

' kh"kl	dy fofu; kx okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$
		cpr&
	¼ yk[k ₹ e#	

2049- C; kt vnk; fx; k&

03- अल्प बचतों, भविष्य निधियों आदि पर ब्याज—

117- निर्धारित अंशदायी पेंशन स्कीम पर ब्याज—

03- निर्धारित अंशदायी पेंशन योजना निधि में

जमा राशि पर ब्याज	15,00.02	54,03.49	+39,03.47
-------------------	----------	----------	-----------

60- अन्य दायित्वां पर ब्याज—

701- विविध—

03- मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति आनुतोषिक के देर से

अदायगी पर ब्याज	..	73.83	+73.83
-----------------	----	-------	--------

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम व्ययाधिक्य/सम्पूर्ण विनियोग के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2013)।

(viii) बचत मुख्यतः निम्न के अधीन हुई :-

2071- i dku rFkk vU; l ok fuoRr fgr ykHk&

01- सिविल—

106- उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के

संबंध में पेंशन संबंधी प्रभार—

03- पेंशन तथा उपादान के

अंशदान	1,50.00	..	-1,50.00
--------	---------	----	----------

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण विनियोग के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2013)।

i atHxr&

nRrer&

- (ix) ₹ 93,31.67 लाख की अन्तिम बचत में से, कोई भी धनराशि अभ्यर्पण के लिये प्रत्याशित नहीं की जा सकी।

(283)

(x) बचत निम्न के अधीन हुई—

'kh"z

dy vupku okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; \$

cpr&

¼ yk[k ₹ e#

6075- fofo/k I kekl; I okvka ds fy, dt&

800- अन्य ऋण—

03- रूग्ण निगमों आदि को स्वैच्छिक सेवा

निवृत्ति योजना हेतु कर्ज

1,50,00.00

56,68.33

-93,31.67

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2013)।

वृत्तिका 1 अंक 63 & फॉर फॉर
 वृत्तिका रफक यत्कित्तु

एक: 'क'क
 द्य वृत्तिका कलरफद 0; ;
 वृ/कद 0; ; \$
 कप्र&

वृत्तिका ₹ ए

कलरफद

2054- कलरफद यत्कित्तु

नररर&

मूल	2,02,62,01]	2,02,62,01	1,40,47,49	-62,14,52
पूरक	..				

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2013) 62,10,66

कलरफद

4059- कलरफद कलरफद यत्कित्तु

नररर&

मूल	16,99,34]	16,99,34	13,90,03	-3,09,31
पूरक	..				

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2013) 3,09,31

कलरफद, कलरफद &

कलरफद

नररर&

- (i) ₹1,40,47.49 लाख के वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02,2002-03,2004-05,2005-06, 2006-07,2007-08,2008-09,2009-10 और 2011-12 में उचन्त लेखे के समाशोधन ₹ 27.42 लाख की धनराशि सम्मिलित है। ₹ 62,41.94 लाख (₹ 62,14.52 लाख+ ₹ 27.42 लाख) की अन्तिम बचत में से,केवल ₹ 62,10.66 लाख की धनराशि अभ्यर्पण के लिए प्रत्याशित की जा सकी।

i thxr&
nRrer&

(iii) बचत मुख्यतः निम्न के अधीन हुई:-

'kh"kl dy vupku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; \$
cpr&

¼ yk[k ₹ e#

4059- ykd fueklk dk; Lij i thxr ifj0; ; &

01- कार्यालय भवन-

051- निर्माण-

03- प्रदेश के विभिन्न कोषागारों / उपकोषागारों में विभिन्न
निर्माण / नवीनीकरण कार्य-

मूल	11,83.53	}	9,70.00	9,70.00	..
पुनर्वि०	-2,13.53				

₹ 2,13.53 लाख का समर्पण उपकोषागारों के निर्माण के लिए भूमि की उपलब्धता न होने के कारण हुआ।

04- मण्डलीय कार्यालयों का भवन निर्माण-

मूल	1,03.33	}	53.33	53.33	..
पुनर्वि०	-50.00				

₹ 50.00 लाख का समर्पण उपनिदेशक, कोषागार और पेंशन के कार्यालय के निर्माण के लिए भूमि के उपलब्ध न होने के कारण हुआ।

60- अन्य भवन-

051- निर्माण-

04- वित्तीय प्रबंध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान
विभिन्न निर्माण/नवीनीकरण कार्य-

मूल	4,12.48	}	3,66.70	3,66.70	..
पुनर्वि०	-45.78				

₹ 45.78 लाख का समर्पण वर्तमान वित्तीय वर्ष में वित्तीय प्रबन्धन प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के नये बनाये गये हास्टल के कार्य पूरा न होने के कारण हुआ।

वृत्तिका 1 अंक 65 और फोर्क 1/2 यस्कि जहकि वयि कप्र वकन

एक: 'क'क

द्वय वृत्तिका कलरफोद 0 ; ;

वफ/कद 0 ; ; \$
कप्र&

वृत्तिका रक

जकलो

2013- एफ= इज'कन

2047- वल; जकदक'क; लक; इ

2052- लफोक; &लकेल; लक; इ

2054- [ककुक रफक यस्कि इकल उ]

2070- वल; इकल फुद लक; इ

2075- फोफ/क&लकेल; लक; इ

2425- लगकफजरक , ओ

3475- वल; लकेल; वकफकद लक; अ

नररक

मूल

1,64,95,43

1,71,07,52

1,57,74,71

-13,32,81

पूरक

6,12,09

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2013)

75,88

इत्थरक

4059- यकद फुकक क; लज इत्थर इज0 ; ;

नररक

मूल

8,00

8,00

..

-8,00

पूरक

..

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि

..

वलिफ.क; का , ओ वक; &

जकलो

नररक

- (i) ₹1,57,74.71 लाख के वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02,2002-03,2003-04,2004-05, 2005-06,2006-07,2007-08,2009-10,2010-11 और 2011-12 उचन्त लेखे समाशोधन के ₹ 17.07 लाख की धनराशि सम्मिलित है। ₹ 13,49.88 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए, (₹ 13,32.81लाख +₹ 17.07 लाख), नवम्बर 2012 में प्राप्त किया गया ₹ 6,12.09 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (ii) ₹ 13,49.88 लाख की अन्तिम बचत में से, केवल ₹ 75.88 लाख की ही धनराशि अभ्यर्पण के लिए प्रत्याशित की जा सकी।

(iii) बचत मुख्यतः निम्न के अधीन हुई:-

'kh"kl	clj vupku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$
			cpr&
		¼ yk[k ₹ e#	
2013- ef= ifj"kn&			
105- मंत्रियों द्वारा विवेकाधीन अनुदान-			
03- वित्त मंत्री द्वारा विवेकाधीन अनुदान	10.00	..	-10.00
2047- vll; jktok'kh; l ok; &			
103- अल्प बचतों की अभिवृद्धि-			
03- राज्य अल्प बचत संगठन	22,00.67	18,30.21	-3,70.46
वास्तविक व्यय में ₹ 1.80 लाख वर्ष 2003-04,2007-08,2009-10,2010-11 और 2011-12 के उचन्त लेखे समाशोधन के सम्मिलित हैं।			
2052- l fpoky; &l kekl; l ok; &			
091- संलग्न कार्यालय-			
03- वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय	1,32.46	1,10.12	-22.34
वास्तविक व्यय में ₹ 8.96 लाख वर्ष 2001-02 और 2009-10 के उचन्त लेखे समाशोधन के सम्मिलित हैं।			
04- डाइरेक्ट्रेट आफ फिस्कल प्लानिंग एण्ड रिसोर्सेज	2,02.91	1,48.29	-54.62
05- अधिष्ठान पुनरीक्षण ब्यूरो	1,22.73	1,00.70	-22.03
2054- [ktkuk rFkk ys[kk izkkl u&			
095- लेखा तथा खजाना निदेशालय-			
03- आन्तरिक लेखा परीक्षा निदेशालय-			
मूल	2,41.05		
पूरक	1,16.99		
	3,58.04	2,85.96	-72.08
वास्तविक व्यय में ₹ 0.06 लाख वर्ष 2001-02 के उचन्त लेखे समाशोधन के सम्मिलित हैं।			
098- स्थानीय निधि लेखा परीक्षा-			
03- अधिष्ठान व्यय	49,67.33	48,57.37	-1,09.96
800- अन्य व्यय-			
03- पेंशन निदेशालय-			
मूल	5,55.42		
पूरक	4,94.60		
	10,50.02	9,19.09	-1,30.93

'kh"kl dly vupku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; \$
cpr&

¼ yk[k ₹ e#

2070- vU; i'kkl fud l dk; &

105- विशेष जांच आयोग—

03- राज्य आयोग और समितियां—

मूल	1,30.52	}			
पुनर्वि०	-66.97			63.55	63.59

वास्तविक व्यय में ₹ 0.03 लाख वर्ष 2001-02 के उच्चत लेखे समाशोधन के सम्मिलित हैं।

₹ 66.97 लाख का समर्पण वेतन समिति द्वारा आर्थिक मितव्ययिता को लागू करने के कारण हुआ।

800- अन्य व्यय—

03- लाटरी निदेशालय—

मूल	1,11.58	}			
पुनर्वि०	-8.40			1,03.18	1,03.17

₹ 8.40 लाख का समर्पण भुगतान में कम मांग होने के कारण हुआ।

2425- l gdkfj rk&

101- सहकारी समितियों की लेखा परीक्षा—

03- सहकारी लेखा परीक्षा अधिष्ठान 70,49.48 66,61.59 -3,87.89

3475- vU; l kekl; vkfFkd l dk; &

200- अन्य कारोबार उपक्रमों का विनियमन—

03- भारतीय भागिता अधिनियम, सोसाइटीज रजिस्ट्रीकरण अधिनियम तथा उ०प्र० चिट फण्डस अधिनियम का कार्यान्वयन—

मूल	7,56.77	}			
पूरक	0.50			7,57.27	6,85.03

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम बचत/सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2013)।

i thxr&

(iv) ₹ 8.00 लाख की अन्तिम बचत में से, कोई भी धनराशि अभ्यर्पण के लिये प्रत्याशित नहीं की गयी।

(v) बचत निम्न के अधीन हुई:—

4059- ykd fueklk dk; l ij i thxr ifj0; ; &

01- कार्यालय भवन—

051- निर्माण—

03- राष्ट्रीय बचत निदेशालय के नियन्त्रणाधीन

भवनों में लघु निर्माण कार्य 8.00 .. -8.00

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2013)।

वृत्तिका 1 अ; क 66 & फोरर फोहकx ¼ केरिगद चेक½

ए; 'क'क	दय वृत्तिका	ओलरफोद 0; ;	वफ/कद 0; ; \$
	; क		सप्र&
	फोफु; कx		
		¼ गतक ₹ ए	

जकलो&

2049- क; कत वनक; फx; का रफक

2235- 1 केकफतद 1 ग {कक रफक दय; क.क

नररर&

मूल	22,89,19]	22,89,19	22,81,65	-7,54
पूरक	..				
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि					..

1 हकफ्र&

मूल	1,64,06,13]	1,64,06,13	1,64,06,12	-1
पूरक	..				
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि					..

fVli f. k; ka , oa Vhdk; &

जकलो&

1 हकफ्र&

(i) ₹ 7.54 लाख की अन्तिम बचत में से कोई भी धनराशि अभ्यर्पण के लिए प्रत्याशित नहीं की जा सकी ।

(ii) बचत मुख्यतः निम्न के अधीन हुई:-

'क'क	दय वृत्तिका	ओलरफोद 0; ;	वफ/कद 0; ; \$
			सप्र&
		¼ यक/क ₹ ए	

2235- 1 केकफतद 1 ग {कक रफक दय; क.क&

60- अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम-

105- सरकारी कर्मचारी बीमा योजना-

03- कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना 2,89.19 2,81.65 -7.54

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2013)।

वृत्तिका 1 अ; क 67 & फो/ककु इ फज"कन- इ फपोकु;

ए; 'क"क	दु वृत्तिका	ओलरफोड 0; ;	वफ/कड 0; ; \$
	; क		कप्र&
	फोफु; कख		
		१ गतक ₹ ए	

कतलो&

2011- इ कन@कत; @ इ क कत; {क= फो/ककु एम्य , ओ
2059- यकड फुकलक डक; ल

नररर&

मूल	29,65,32	}	29,65,32	24,72,14	-4,93,18
पूरक	..				
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि(वर्ष 2013)					4,93,17

इ ककफजर&

मूल	78,79	}	78,79	47,84	-30,95
पूरक	..				
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि(वर्ष 2013)					30,95

इ थथर&

6075- फोफोक इ ककु; इ ककुका डस फु, डत&

7610- इ ककजह डेकफज; कड डक डतल वकन

नररर&

मूल	14,00	}	14,00	10,00	-4,00
पूरक	..				
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि(वर्ष 2013)					4,00

वलि फ.क; का , ओ वडक; &

कतलो&

नररर&

(i) बचत मुख्यतः निम्न के अधीन हुई:-

'kh"kl

dy vupku okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; \$

cpr&

¼ yk[k ₹ e½

2011- l lkn@jkt; @l ½k jkt; {ks= fo/kku eMy&

02- राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मंडल-

102- विधान परिषद्-

03- विधान परिषद्-

मूल 12,86.72

10,99.62 10,99.62

..

पुनर्वि० -1,87.10

₹ 1,87.10 लाख का समर्पण वास्तविक व्यय के आधार पर हुआ।

103- विधान मण्डल सचिवालय-

03- विधान परिषद् सचिवालय-

मूल 16,25.30

13,19.30 13,19.30

..

पुनर्वि० -3,06.00

₹ 3,06.00 लाख का समर्पण पद रिक्तता के कारण हुआ।

i Hkkfj r&

(ii) बचत मुख्यतः निम्न के अधीन हुई:-

'kh"kl

dy fofu; ks okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; \$

cpr&

¼ yk[k ₹ e½

2011- l lkn@jkt; @l ½k jkt; {ks=

fo/kku eMy&

02- राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मंडल-

102- विधान परिषद्-

03- विधान परिषद्-

मूल 78.79

47.84 47.84

..

पुनर्वि० -30.95

₹ 30.95 लाख का समर्पण माननीय उप सभापति की पद रिक्तता और व्यय की कम मांग के कारण हुआ।

वृत्तवार्षिक 68 & फो/कू वृत्तवार्षिक

द्वितीय

वृत्तवार्षिक फो/कू वृत्तवार्षिक
; क
फो/कू

वृत्तवार्षिक ; \$
cpr&

₹ १०४.३९

वृत्तवार्षिक

2011-12 का वृत्तवार्षिक; @ १०४.३९ का
फो/कू

2059- का वृत्तवार्षिक; १०४.३९

2235- का वृत्तवार्षिक; १०४.३९

वृत्तवार्षिक

मूल	82,32,79	}	82,58,93	72,14,97	-10,43,96
पूरक	26,14				

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि(मार्च 2013)

13,06,22

वृत्तवार्षिक

मूल	1,08,89	}	1,08,89	72,81	-36,08
पूरक	..				

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि(मार्च 2013)

36,08

वृत्तवार्षिक

4059- का वृत्तवार्षिक; १०४.३९

6075- का वृत्तवार्षिक; १०४.३९

7610- का वृत्तवार्षिक; १०४.३९

वृत्तवार्षिक

मूल	42,00	}	76,27	63,94	-12,33
पूरक	34,27				

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि(मार्च 2013)

12,33

अनुदान के राजस्व प्रभाग के अन्तर्गत व्यय में आकस्मिता निधि से दिसम्बर 2012 में स्वीकृत अग्रिम में से व्यय किए गये किन्तु वर्ष की समाप्ति तक निधि में वापस न किए गये ₹ 2,41,39 हजार सम्मिलित नहीं हैं।

वृत्तवार्षिक; का, वा

वृत्तवार्षिक

वृत्तवार्षिक

(i) ₹ 10,43.96 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुये, नवम्बर 2012 में प्राप्त किया गया

₹ 26.14 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ ।

(ii) ₹ 10,43.96 लाख की अन्तिम बचत में से, ₹ 13,06.22 लाख का अभ्यर्पण न्यायसंगत नहीं

था एवं व्यय के त्रुटिपूर्ण अनुमान का द्योतक था।

(iii) बचत मुख्यतः निम्न के अधीन हुई:-

' kh"KZ

dy vupku okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; \$

cpr&

¼ yk[k ₹ e½

2011- l lkn@jKT; @l ½k jKT; {ks= fo/kku eMy&

02- राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मंडल-

101- विधान सभा-

03- विधान सभा-

मूल	50,18.60	}	43,43.64	46,05.90	+2,62.26
पुनर्वि०	-6,74.96				

₹ 6,74.96 लाख की कुल प्रत्याशित बचत में से, प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 46.00 लाख की कमी आर्थिक मितव्ययिता और ₹ 6,28.96 लाख का समर्पण वास्तविक खर्च के व्यय के कारण हुई।

103- विधान मंडल सचिवालय-

03- विधान सभा सचिवालय-

मूल	30,94.08	}	24,88.99	24,88.99	..
पूरक	26.14				
पुनर्वि०	-6,31.23				

₹ 6,31.23 लाख की शुद्ध प्रत्याशित बचत में से, प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 46.00 लाख की वृद्धि किताबों की खरीदारी के व्यय के लिए, सत्र के दौरान सुरक्षा गार्डों के लिए जलपान/भोजन की व्यवस्था और ₹ 6,77.23 लाख का अभ्यर्पण पद रिक्तता के कारण हुआ।

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम व्ययाधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं(जून 2013)।

i Hkkfj r&

(iv) बचत निम्न के अधीन हुई:-

' kh"KZ

dy fofu; ks okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; \$

cpr&

¼ yk[k ₹ e½

2011- l lkn@jKT; @l ½k jKT; {ks= fo/kku eMy&

02- राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मंडल-

101- विधान सभा-

03- विधान सभा-

मूल	1,08.89	}	72.81	72.81	..
पुनर्वि०	-36.08				

₹ 36.08 लाख का समर्पण आर्थिक मितव्ययिता और माननीय उपसभापति के पद रिक्त रहने के कारण हुआ।

i wthxr&

nRrer&

(v) ₹ 12.33 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए नवम्बर 2012 में प्राप्त ₹ 34.27 लाख का अनुपूरक अनुदान अधिक सिद्ध हुआ ।

(vi) बचत निम्न के अधीन हुई:-

' kh"kZ

dy vumku okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; \$

cpr&

¼ yk[k ₹ e½

7610- l jdkjh depkfj ; ka dks dtz vkfn&

201- भवन निर्माण अग्रिम-

03- राज्य विधान सभा के सदस्यों/भूतपूर्व

सदस्यों को आवास हेतु ऋण-

मूल

6.00

..

..

..

पुनर्वि०

-6.00

₹ 6.00 लाख का समर्पण माननीय सदस्यों से मांग प्राप्त न होने के कारण हुआ ।

202- मोटर वाहन का क़य करने के

लिये अग्रिम-

03- राज्य विधान सभा के सदस्यों/भूतपूर्व

सदस्यों को वाहनों की खरीद के लिए

ऋण-

मूल

6.00

..

..

..

पुनर्वि०

-6.00

₹ 6.00 लाख का समर्पण माननीय सदस्यों से मांग प्राप्त न होने के कारण हुआ ।

vunpku l a[; k&69 0; ol kf; d f' k{kk foHkkx

ed[; 'kh"KZ

djy vunpku okLrfod 0; ;
; k
fofu; ksx

vf/kd 0; ; \$
cpr&

½gtkj ₹ e#

jktLo&

2230- Je rFkk jkst xkj

nRrer&

मूल 2,36,77,13

2,36,77,13 1,98,43,08 -38,34,05

पूरक ..

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि(मार्च 2013) 38,16,89

i wthxr&

4250- vU; l ekt l okvka ij i wthxr

ifj0; ;

nRrer&

मूल 90,35,79

90,35,79 32,16,05 -58,19,74

पूरक ..

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि(मार्च 2013) 58,19,02

fVli f.k; ka , oa VhdK; &

jktLo&

nRrer&

(i) ₹ 38,34.05 लाख की अन्तिम बचत में से, केवल ₹ 38,16.89 लाख ही अभ्यर्पण के लिए प्रत्याशित किये गये।

(ii) बचत मुख्यतः निम्न के अधीन हुई:-

'kh"KZ

djy vunpku okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; \$
cpr&

½ yk[k ₹ e#

2230- Je rFkk jkst xkj &

03- प्रशिक्षण-

003- शिल्पकारों तथा पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण-

01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा

पुरानिधानित योजनायें-

मूल 1,07.80

..

पुनर्वि0 1,07.80

₹ 1,07.80 लाख का समर्पण केन्द्रांश की प्राप्ति न होने के कारण हुआ।

'kh"kl dny vupku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; \$
cpr&

¼ yk[k ₹ e#

03- दस्तकार प्रशिक्षण योजना(जिला योजना)-

मूल	1,81,71.27	}	1,61,14.97	1,61,00.35	-14.62
पुनर्वि०	-20,56.30				

₹ 20,56.30 लाख की कुल प्रत्याशित बचत में से, प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 42.70 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं और ₹ 20,13.60 लाख का समर्पण व्यय की कम आवश्यकता के कारण हुआ।

04- दस्तकार प्रशिक्षण योजना-

मूल	9,75.88	}	8,61.43	8,60.30	-1.13
पुनर्वि०	-1,14.45				

₹ 1,14.45 लाख का समर्पण कम मांग और व्यय के बाद अवशेष धनराशि के कारण हुआ।

10- औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं एवं शिशिक्षु

प्रशिक्षण योजना का आधुनिकीकरण एवं सुदृढीकरण-

मूल	9,68.59	}	7,48.85	7,49.11	+0.26
पुनर्वि०	-2,19.74				

₹ 2,19.74 लाख का समर्पण व्यय के वास्तविक आधार पर हुआ।

11- अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र के कतिपय औद्योगिक

प्रशिक्षण संस्थानों में नये व्यवसायों का खोला जाना-

मूल	28.96	}	23.92	23.92	..
पुनर्वि०	-5.04				

₹ 5.04 लाख का समर्पण व्यय के वास्तविक आधार पर होने तथा कम मांग हाने के कारण हुआ।

14- दस्तकार प्रशिक्षण योजना-

मूल	10,56.58	}	9,37.82	9,34.24	-3.58
पुनर्वि०	-1,18.76				

₹ 1,18.76 लाख की शुद्ध प्रत्याशित बचत में से, प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 42.70 लाख की वृद्धि विद्युत बकाया के भुगतान और ₹ 1,61.46 लाख का समर्पण आर्थिक मितव्ययिता के कारण हुआ।

'kh"kl

dy vupku okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; \$
cpr&

yk[k ₹ ed

101- औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान—

01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा
पुरानिधानित योजनायें—

मूल	96.32	}	29.32	29.32	..
पुनर्वि०	-67.00				

₹ 67.00 लाख का समर्पण केन्द्रांश की प्राप्ति न होने के कारण हुआ।

03- अल्पसंख्यक बाहुल्य विकास खण्डों एवं
अन्य क्षेत्रों में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण
संस्थान की स्थापना—

मूल	9,26.69	}	8,66.32	8,69.19	+2.87
पुनर्वि०	-60.37				

₹ 60.37 लाख का समर्पण आर्थिक मितव्ययिता के कारण हुआ।

04- राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में
नये व्यवसायिक प्रशिक्षण—

मूल	75.46	}	24.98	23.56	-1.42
पुनर्वि०	-50.48				

₹ 50.48 लाख का समर्पण व्यय के वास्तविक आधार पर हुआ।

05- बुन्देलखण्ड क्षेत्र में राजकीय औद्योगिक
प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना—

मूल	5,04.82	}	1,34.89	1,35.36	+0.47
पुनर्वि०	-3,69.93				

₹ 3,69.93 लाख का समर्पण व्यय के वास्तविक आधार पर हुआ।

97- बाह्य सहायतित योजनायें—

मूल	1,76.65	}
पुनर्वि०	-1,76.65				

₹ 1,76.65 लाख का समर्पण केन्द्रांश की प्राप्ति न होने के कारण हुआ।

' kh" kZ

dy vupku okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; \$
cpr&

¼ yk[k ₹ ed

102- शिक्षता प्रशिक्षण-

03- शिशिक्षु प्रशिक्षण योजना-

मूल	1,17.29	}	1,01.43	1,01.43	..
पुनर्वि०	-15.86				

₹ 15.86 लाख का समर्पण व्यय के वास्तविक आधार पर हुआ।

800- अन्य व्यय-

04- राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की
ई-कनेक्टिविटी-

मूल	1,53.40	}
पुनर्वि०	-1,53.40				

₹ 1,53.40 लाख का समर्पण पूर्व में उपयोग की गयी धनराशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र की प्राप्ति न होने के कारण हुआ।

05- कन्या विद्या धन योजना-

मूल	2,00.00	}
पुनर्वि०	-2,00.00				

₹ 2,00.00 लाख का समर्पण अनुमोदन न होने के कारण हुआ।

06- बी०पी०एल० परिवार की कक्षा 10 पास
बालिकाओं को आगे की शिक्षा हेतु-

मूल	1,00.00	}
पुनर्वि०	-1,00.00				

₹ 1,00.00 लाख का समर्पण अनुमोदन न होने के कारण हुआ।

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम बचत/व्ययाधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं(जून 2013)।

i wthxr&

nRrer&

(iii) बचत निम्न के अधीन हुई:-

' kh"KZ

dy vupku okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; \$

cpr&

¼ yk[k ₹ e½

4250- vU; l ekt l okvka ij i wthxr

ifj0; ; &

203- रोजगार-

01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा

पुरोनिधानित योजनायें-

मूल

4,35.59

2,47.99

2,47.27

-0.72

पुनर्वि०

-1,87.60

₹ 1,87.60 लाख का समर्पण केन्द्रांश की प्राप्ति न होने तथा व्यय न होने के कारण हुआ।

03- अल्पसंख्यक बाहुल्य विकास खण्डों एवं

अन्य क्षेत्रों में राजकीय औद्योगिक

प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना-

मूल

10,63.56

8,29.46

8,29.46

..

पुनर्वि०

-2,34.10

₹ 2,34.10 लाख का समर्पण प्रस्ताव के देर से प्राप्ति होने के कारण हुआ।

05- राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों

का भवन निर्माण-

मूल

34,56.00

19,86.59

19,86.59

..

पुनर्वि०

-14,69.41

₹ 14,69.41 लाख का समर्पण सार्थक प्रस्ताव की प्राप्ति न होने के कारण हुआ।

06- बुन्देलखण्ड क्षेत्र में राजकीय औद्योगिक

प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना-

मूल

4,50.00

..

..

..

पुनर्वि०

-4,50.00

₹ 4,50.00 लाख का समर्पण सार्थक प्रस्ताव की प्राप्ति न होने के कारण हुआ।

' kh" kZ

dy vupku okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; \$
cpr&

¼ yk[k ₹ e½

07- दस्तकार प्रशिक्षण योजना(जिला योजना)-

मूल	31,08.14	}	1,30.23	1,30.23	..
पुनर्वि०	-29,77.91				

₹ 29,77.91 लाख का समर्पण सार्थक प्रस्ताव की प्राप्ति न होने तथा व्यय के बाद अवशेष के कारण हुआ।

13- प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय

भवन का सुदृढीकरण एवं जीर्णोद्धार-

मूल	3,00.00	}
पुनर्वि०	-3,00.00				

₹ 3,00.00 लाख का समर्पण सार्थक प्रस्ताव की प्राप्ति न होने के कारण हुआ।

97- बाह्य सहायतित योजनायें-

मूल	2,00.00	}
पुनर्वि०	-2,00.00				

₹ 2,00.00 लाख का समर्पण सार्थक प्रस्ताव की प्राप्ति न होने के कारण हुआ।

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं(जून 2013)।

वृत्तिका I अ; क 7&m | क्ख foHkkx (Hkkjh , oa e/; e m | क्ख)

ए; 'kh"z

द्वय वृत्तिका okLrfod 0; ;

वृ/कद 0; ; \$
cpr&

(gtlj ₹ e)

jktLo&

2052- I fpoky; &l kekl; I ok; ;

2075- fofo/k I kekl; I ok; ;

2220- I upuk rFkk i pkj]

2852- m | क्ख rFkk

2885- m | क्ख rFkk [kfutka ij vU; i fj0; ;

nRrer&

मूल	69,76,25	}	69,85,34	18,05,97	-51,79,37
पूरक	9,09				

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2013)

12,00,56

i wthxr&

4859- njl pkj rFkk byDVkfud m | क्ख rFkk ij

i wthxr i fj0; ;]

4885- m | क्ख rFkk [kfutka ij vU;

i wthxr i fj0; ;]

6860- mi HkkDrk m | क्ख ds fy; s dtZ , oa

6885- m | क्ख vkj [kfut ds fy; s vU; dtZ

nRrer&

मूल	1,53,56,07	}	1,55,01,07	1,54,94,61	-6,46
पूरक	1,45,00				

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2013)

1,18

fVli f.k; ka , oa Vhdk; &

jktLo&

nRrer&

(i) ₹ 51,79.37 लाख की अन्तिम बचत में से, मात्र ₹ 12,00.56 लाख की धनराशि अभ्यर्पित की गयी।

(ii) ₹ 51,79.37 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए, नवम्बर 2012 में प्राप्त किया गया ₹ 9.09 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(iii) बचत निम्न के अधीन हुई:-

' kh" kZ	dly vupku okLrfod 0; ;		vf/kd 0; ; \$
	(yk[k ₹ ee)		cpr&
2075- fofo/k I kekl; I dk; &			
800- अन्य व्यय-			
03- समायोजन लेखा	37,77.58	..	-37,77.58
2852- m kx&			
07- दूरसंचार तथा इलेक्ट्रानिक उद्योग			
202- इलेक्ट्रानिक्स			
03- शासकीय कार्यालयों का आधुनिकीकरण	31.00	15.77	-15.23
14- सेंटर फॉर ई गवनेन्स	1,80.00	..	-1,80.00
80- सामान्य-			
800- अन्य व्यय-			
04- निजी क्षेत्र के सहयोग से एक्सप्रेस-वे परियोजनायें-			
मूल	5,00.00		
पुनर्वि०	-5,00.00
₹ 5,00.00 लाख की बचत अपर गंगा कैनल विकास परियोजना के कन्सलटेन्ट को वन एवं वन्यजीव मंत्रालय भारत सरकार से मंजूरी न मिलने से फीस भुगतान न करने के कारण हुई।			
06- न्यायालयों में वादों की पैरवी-			
मूल	50.00		
पुनर्वि०	-45.55	4.45	1.32
₹ 45.55 लाख का अभ्यर्पण कम व्यय होने के कारण हुआ।			
08- पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप परियोजनाओं तथा सार्वजनिक व सहकारी क्षेत्र की ईकाईयों का विनिवेश व निजीकरण			
मूल	6,55.00		
पुनर्वि०	-6,55.00
₹ 6.55 लाख का अभ्यर्पण परिपक्व प्रस्ताव न प्राप्त होने के कारण हुआ। उपर्युक्त शीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2013)।			

i wthxr&

nRrer&

- (iv) ₹ 6.46 लाख की अन्तिम बचत में से, मात्र ₹ 1.18 लाख की धनराशि समर्पण के लिए प्रत्याशित की जा सकी ।
- (v) ₹ 6.46 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए, नवम्बर 2012 में प्राप्त किया गया ₹ 1,45.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अधिक सिद्ध हुआ ।
- (vi) बचत (अन्य शीर्षों के अन्तर्गत व्ययाधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित)निम्न के अधीन हुई:-
- | | | | |
|---------|-----------------------|---------------|------|
| ' kh"KZ | dy vupku okLrfod 0; ; | vf/kd 0; ; \$ | |
| | | | cpr& |

(yk[k ₹ e)

6860- mi HkkDrk m | kxks ds fy; s dt&

01- वस्त्र उद्योग को कर्ज-

190- सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज-

07- आईटी0आर0 कम्पनी, बरेली के विविध

प्रकीर्ण व्यय हेतु ऋण

9.00

3.73

-5.27

6885- m | kx rFkk [kfut ds fy; s vl; dt&

01- औद्योगिक वित्तीय संस्थाओं को कर्ज-

190- सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज-

03- प्रदेशीय इण्डस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन को

व्यापार कर राशि के आस्थागन योजना के

अन्तर्गत ब्याज रहित कर्ज-

मूल 10,00.00

10,98.82

9,98.82

-1,00.00

पुनर्वि0 98.82

पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में की गई ₹ 98.82 लाख की वृद्धि के कारण सूचित नहीं किए गये हैं ।

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत अधिक बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2013) ।

(vii) व्ययाधिक्य निम्न के अधीन हुआ:-

6885- m | kx rFkk [kfut ds fy; s vl; dt&

01- औद्योगिक वित्तीय संस्थाओं को कर्ज-

190- सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज-

04- प्रदेशीय इण्डस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन को

व्यापार कर आस्थागन की सुविधा प्राप्त रुग्ण

औद्योगिक इकाइयों को आस्थागन के स्थान पर

ब्याज रहित ऋण योजना के अन्तर्गत ऋण-

मूल 1,00.00

..

1,00.00

+1,00.00

पुनर्वि0 -1,00.00

₹ 1,00.00 लाख की कुल प्रत्याशित बचत में से, प्रावधान में ₹ 98.82 लाख की पुनर्विनियोग द्वारा कमी के कारण सूचित नहीं किए गए । इकाइयों से कम मांग होने के कारण ₹ 1,18 लाख का समर्पण किया गया ।

वृत्तिका 1 अ; क 70 & फोकु , ओा इकसि कखध फोहकख

वृत्तिका 'क'क	वृत्तिका	ओलरफोड 0; ;	वृत्तिका 0; ; \$
		वृत्तिका 0; ; \$	
		वृत्तिका ₹ ओ	
वृत्तिका			
2810- उ; ह वृत्तिका उओुहदर आतक रफक			
3425- वृत्तिका ओककफुद वृत्तिका अकुकु			
नररर			
मूल	68,05,97	68,05,97	67,91,66
पूरक	..		
वृत्तिका की अवधि में अभ्यर्पित राशि (वृत्तिका 2013)			14,31
वृत्तिका			
4810- उ; स वृत्तिका उओुहदर मतक इज वृत्तिका			
इफु; ;			
नररर			
मूल	1,02,00,00	1,02,00,00	..
पूरक	..		
वृत्तिका की अवधि में अभ्यर्पित राशि (वृत्तिका 2013)			1,02,00,00
वृत्तिका . क; क , ओा वृत्तिका ;			
वृत्तिका			
नररर			
(i) बचत निम्न के अधीन हुई:—			
वृत्तिका	वृत्तिका	ओलरफोड 0; ;	वृत्तिका 0; ; \$
		वृत्तिका 0; ; \$	
		वृत्तिका ₹ ओ	
2810- उ; ह वृत्तिका उओुहदर आतक			
02- सौर—			
101- सौर ताप उर्जा कार्यक्रम—			
04- नवीन एवं नवीकरणीय उर्जा प्रशिक्षण			
केन्द्र ,कन्नौज	28.63	14.32	-14.31
उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2013)।			

ivthxr&

(ii) बचत निम्न के अधीन हुई:-

'kh"kl

dlg vupku

okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; \$

cpr&

1/4yk[k ₹ e#

4810- u; s vkg uohuhdr Åtklij ivthxr

ifj0; ; &

102- सौर ऊर्जा-

03- नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा प्रशिक्षण

केन्द्र ,कन्नौज-

मूल

2,00.00

..

..

..

पुनर्वि०

-2,00.00

₹ 2,00.00 लाख का समर्पण व्यय न होने के कारण हुआ।

04- सौर ऊर्जा स्रोतों पर आधारित विद्युत

उत्पादन की प्रोत्साहन योजना-

मूल

1,00,00.00

..

..

..

पुनर्वि०

-1,00,00.00

₹ 1,00,00.00 लाख का समर्पण सौर ऊर्जा स्रोतों के विद्युत परियोजना आवंटन के सौर ऊर्जा डेवलपर्स की प्री-बिड को देर से खोले जाने के कारण हुआ।

वृत्तिका 1 अंक 71 & फिक्क फोक्कx 1/2 कफ्फेद फिक्कx/2

एडि; 'कह"क

दिय वृत्तिका ओलरफोद 0; ;

वफ/कद 0; ; \$
cpr&

1/2gtkj ₹ ए

जक्तलो&

2071- इडकु रफ्क वलु; लडक फुओरर फग्र यकक]

2202- लकेलु; फिक्क रफ्क

2204- [क्यदिन रफ्क ; डक लडक; अ

नररर&

मूल 2,36,80,46,77

2,40,80,46,77 2,22,14,66,27

-18,65,80,50

पूरक 4,00,00,00

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2013)

18,41,23,26

इथर&

4202- फिक्क[क्यदिन]दिय रफ्क लडफर इज

इथर इज0; ;

नररर&

मूल 38,71,50

38,71,50

35,34,25

-3,37,25

पूरक ..

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2013)

2,97,27

वलिफ.क; का, ओ वडक; &

जक्तलो&

नररर&

(i) वास्तविक व्यय ₹ 2,22,14,66.27 लाख में वर्ष 2001-02,2002-03,2004-05,2005-06, 2006-07,2007-08,2008-09 ,2009-10,2010-11 और 2011-12 के उचन्त लेखे समाशोधन के ₹ 7,62.59 लाख की धनराशि सम्मिलित है । ₹ 18,73,43.09 लाख (₹ 18,65,80.50 लाख+ ₹ 7,62.59 लाख) की अन्तिम बचत में से, मात्र ₹ 18,41,23.26 लाख का अभ्यर्पण प्रत्याशित किया जा सका ।

(ii) ₹ 18,73,43.09 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुये, नवम्बर 2012 में प्राप्त किया गया ₹ 4,00,00.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ ।

(iii) बचत (अन्य शीर्षों के अन्तर्गत व्ययाधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न के अधीन हुई:-

'kh"kl	dly vupku okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$
		cpr&
	¼ yk[k ₹ e#	

2071- idku rFkk vU; l okfuofr
fgr ykHk&

01- सिविल-

109- राज्य से सहायता प्राप्त शिक्षा संस्थाओं के कर्मचारियों को पेंशन-

03- पेंशन आदि का भुगतान-

मूल	48,04,29.28				
पुनर्वि०	-11,26,60.06		36,77,69.22	36,43,11.42	-34,57.80

₹ 11,26,60.06 लाख के समर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

2202- l kekl; f' k{kk&

01- प्रारम्भिक शिक्षा-

001- निदेशन तथा प्रशासन-

03- निदेशालय अधिष्ठान-

मूल	13,12.08				
पुनर्वि०	-2,47.54		10,64.54	10,68.72	+4.18

वास्तविक व्यय में ₹ 1.13 लाख वर्ष 2001-02,2007-08,2008-09 और 2009-10 के उच्चत लेखे समाशोधन के सम्मिलित है ।

₹ 2,47.54 लाख के समर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

053- भवनों का अनुरक्षण-

04- प्राइमरी तथा जू० हा० स्कूलों के भवनों के रख रखाव हेतु एकमुश्त प्रावधान-

मूल	5,00.00				
पुनर्वि०	-4,90.40		9.60	..	-9.60

₹ 4,90.40 लाख के समर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं ।

'kh"kz

dy vupku okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; \$
cpr&

¼ yk[k ₹ e#

101- राजकीय प्राथमिक विद्यालय—

03- राजकीय प्राथमिक विद्यालय—

मूल 21,33.34

19,11.85

19,17.63

+5.78

पुनर्वि० -2,21.49

वास्तविक व्यय में ₹ 1.75 लाख वर्ष 2001-02 के उचन्त लेखे समाशोधन के सम्मिलित है ।

₹ 2,21.49 लाख के समर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं ।

102- अराजकीय प्राथमिक विद्यालयों

को सहायता—

07- बेसिक शिक्षा परिषद के मुख्यालयों/क्षेत्रीय

कार्यालयों तथा प्रारम्भिक विद्यालयों और

सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल एवं के०जी०/

नर्सरी विद्यालयों की सहायता—

मूल 1,44,78,70.22

1,41,68,63.55

1,41,64,11.97

-4,51.58

पुनर्वि० -3,10,06.67

वास्तविक व्यय में ₹ 3,13.92 लाख वर्ष 2001-02,2002-03,2004-05,2005-06,2006-07,2007-08,
2008-09,2009-10,2010-11 और 2011-12 के उचन्त लेखे समाशोधन के सम्मिलित है ।

₹ 3,10,06.67 लाख के समर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं ।

23- शिक्षा मित्रों को मानदेय का

भुगतान (जिला योजना)—

मूल 86,06.84

75,06.11

75,18.33

+12.22

पुनर्वि० -11,00.73

वास्तविक व्यय में ₹ 16.56 लाख वर्ष 2011-12 के उचन्त लेखे समाशोधन के सम्मिलित है ।

₹ 11,00.73 लाख के समर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं ।

24- सामान्य वर्ग के बालकों को निःशुल्क

पाठ्य पुस्तकों का वितरण—

मूल 19,70.00

1,75.63

17,57.63

+15,82.00

पुनर्वि० -17,94.37

₹ 17,94.37 लाख के समर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं ।

'kh"KZ

dy vupku okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; \$
cpr&

¼ yk[k ₹ e#

27- सामान्य वर्ग के कक्षा 6 से 8 तक के बालकों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण—

मूल	53,25.00	}	48,64.39	47,87.73	-76.66
पुनर्वि०	-4,60.61				

वास्तविक व्यय में ₹ 18.76 लाख वर्ष 2011-12 के उचन्त लेखे समाशोधन के सम्मिलित है ।
₹ 4,60.61 लाख के समर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं ।

31- निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा—

मूल	5,00.04	}
पुनर्वि०	-5,00.04				

₹ 5,00.04 लाख के समर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं ।

32- प्रदेश में संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों को निःशुल्क यूनिफार्म—

मूल	75,00.00	}	74,05.33	74,22.72	+17.39
पुनर्वि०	-94.67				

वास्तविक व्यय में ₹ 1,67.38 लाख वर्ष 2001-02 के उचन्त लेखे समाशोधन के सम्मिलित है ।
₹ 94.67 लाख के समर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं ।

104- निरीक्षण —

03- क्षेत्रीय निरीक्षण कर्मचारी वर्ग (पुरुष)—

मूल	98,93.92	}	95,96.54	95,94.44	-2.10
पुनर्वि०	-2,97.38				

वास्तविक व्यय में ₹ 13.12 लाख वर्ष 2001-02, 2005-06, 2009-10, 2010-11 और 2011-12 के उचन्त लेखे समाशोधन के सम्मिलित हैं ।

₹ 2,97.38 लाख के समर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं ।

105- अनौपचारिक शिक्षा—

11- साक्षर भारत मिशन—2012—

मूल	1,29.85	}	67.09	67.08	-0.01
पुनर्वि०	-62.76				

₹ 62.76 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं ।

'kh"kZ

dy vupku okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; \$
cpr&

¼ yk[k ₹ e#

112- विद्यालयों में मध्याह्न भोजन का
राष्ट्रीय कार्यक्रम-01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा
पुरोनिधानित योजनायें-

मूल 15,60,56.00

पुनर्वि० -3,49,90.64

12,10,65.36 12,10,41.84

-23.52

वास्तविक व्यय में ₹ 1,97.82 लाख वर्ष 2011-12 के उचन्त लेखे समाशोधन के सम्मिलित है ।
₹ 3,49,90.64 लाख के समर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं ।

800- अन्य व्यय-

04- अवशेषों का भुगतान-

मूल 97,55.53

पुनर्वि० -46.96

97,08.57 96,49.36

-59.21

वास्तविक व्यय में ₹ 28.78 लाख वर्ष 2011-12 के उचन्त लेखे समाशोधन के सम्मिलित है ।
₹ 46.96 लाख के समर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं ।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत/व्ययाधिक्य/सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण
सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2013)।

(iv) व्ययाधिक्य निम्न के अधीन हुआ:-

2202- I kekl; f' k{kk&

01- प्रारम्भिक शिक्षा-

109- छात्रवृत्तियां तथा प्रोत्साहन-

04- प्रत्येक जिले में कक्षा 6 से 8 तक के

बच्चों को पन्द्रह रुपये प्रतिमाह की दर

से 3 वर्ष के लिये योग्यता

छात्रवृत्ति (जिला योजना)

.. 2.27

+2.27

वास्तविक व्यय में ₹ 2.27 लाख वर्ष 2001-02 के उचन्त लेखे समाशोधन के सम्मिलित है ।

i wthxr&

(v) ₹ 3,37.25 लाख की अन्तिम बचत में से, मात्र ₹ 2,97.27 लाख ही अभ्यर्पित किये गये।

(vi) बचत निम्न के अधीन हुआ:-

'kh"kl	dy vupku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$
			cpr&
		¼ yk[k ₹ e#	

4202- f'k{kk}[ksydin]dyk rFkk l dfr ij

i wthxr ifj0; ; &

01- सामान्य शिक्षा-

201- प्रारम्भिक शिक्षा-

03- जिलों में बेसिक शिक्षा अधिकारियों के कार्यालय

भवनों का निर्माण(जिला योजना)-

मूल	11,29.18	}	10,27.14	10,27.14	..
पुनर्वि०	-1,02.04				

₹ 1,02.04 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

04- प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में हैण्डपम्प

लगाने, विद्युतीकरण, चहारदीवारी व शौचालय के

निर्माण हेतु अनुदान-

मूल	27,42.31	}	25,47.09	25,07.11	-39.98
पुनर्वि०	-1,95.22				

₹ 1,95.22 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2013)।

वृत्तव्युत्पत्ति विवरण 72 & फिक्क फोह्कx 1/2; फेद फिक्कx 1/2

वृत्तव्युत्पत्ति

वृत्तव्युत्पत्ति
; क
फोह्कx

वृत्तव्युत्पत्ति 0; ;

वृत्तव्युत्पत्ति 0; ; \$
cpr&

वृत्तव्युत्पत्ति ₹ ६६

वृत्तव्युत्पत्ति

2013- ६६= ६६"kn]

2071- ६६ku rFkk vL; ६६k fuoRr

fgr ykHk]

2202- ६६keL; ६६k{kk]

2204- [kydin rFkk ; ६६k ६६k; ६६rFkk

2205- ६६k , oa ६६dfr

nRrer&

मूल 82,28,69,50

85,31,31,10

72,54,54,47

-12,76,76,63

पूरक 3,02,61,60

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि

..

i Hkkfjr&

मूल 2,70

2,70

50

-2,20

पूरक ..

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि

..

i wthxr&

4202- ६६k{kk] [kydin] ६६k rFkk

६६dfr ij i wthxr ६६fj0; ;

nRrer&

मूल 1,65,90,08

1,87,88,21

1,87,92,98

+4,77

पूरक 21,98,13

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि

..

fVli f.k; ka , oa VhdK; &

वृत्तव्युत्पत्ति

nRrer&

- (i) वास्तविक व्यय ₹ 72,54,54.47 लाख में वर्ष 2001-02,2002-03,2003-04,2004-05,2005-06, 2006-07,2007-08, 2008-09,2009-10,2010-11 और 2011-12 के उच्चतम समाशोधन ₹ 11,18.52 लाख सम्मिलित हैं। अन्तिम बचत ₹ 12,87,95.15 लाख (₹ 12,76,76.63 लाख+ ₹ 11,18.52 लाख) में कोई भी धनराशि अभ्यर्पण के लिए प्रत्याशित नहीं की जा सकी।
- (ii) ₹ 12,87,95.15 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुये, नवम्बर 2012 में प्राप्त किया गया ₹ 3,02,61.60 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(iii) बचत (अन्य शीर्षों के अन्तर्गत व्ययाधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न के अधीन हुई:-

'kh"kl	dy vunku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$
			cpr&
			¼ yk[k ₹ e#

2071- idku rFkk vU; l ok fuofRr fgr ykHk&

01- सिविल-

109- राज्य से सहायता प्राप्त शिक्षा संस्थाओं के कर्मचारियों को पेंशन-

03- सैनिक स्कूल, लखनऊ के कर्मचारियों को पेंशन का भुगतान

1,00.00	89.31	-10.69
---------	-------	--------

2202- l kekl; f' k{kk&

02- माध्यमिक शिक्षा-

001- निदेशन तथा प्रशासन-

03- माध्यमिक शिक्षा निदेशालय का अधिष्ठान-

मूल	22,26.94	}
पुनर्वि०	3.70	

22,30.64	18,26.29	-4,04.35
----------	----------	----------

वास्तविक व्यय में ₹ 3.67 लाख वर्ष 2001-02,2002-03 और 2009-10 उचन्त लेखे के समाशोधन से सम्बंधित है।

प्रावधान मे पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 3.70 लाख की वृद्धि छठें वेतन आयोग के बकाए के भुगतान के कारण थी।

04- माध्यमिक शिक्षा विभाग का लेखा

संगठन	19,82.07	13,08.22	-6,73.85
-------	----------	----------	----------

वास्तविक व्यय में ₹ 3.56 लाख वर्ष 2001-02, और 2006-07 उचन्त लेखे के समाशोधन से सम्बंधित है।

101- निरीक्षण-

03- क्षेत्रीय निरीक्षण कर्मचारी

वर्ग (पुरुष)-

मूल	59,63.74	}
पुनर्वि०	3.23	

59,66.97	56,68.00	-2,98.97
----------	----------	----------

वास्तविक व्यय में ₹ 40.05 लाख वर्ष 2001-02,2002-03,2003-04,2004-05,2005-06,2007-08 और 2009-10 उचन्त लेखे के समाशोधन से सम्बंधित है।

प्रावधान मे पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 3.23 लाख की वृद्धि छठें वेतन आयोग की संस्तुति के भुगतान के लिए अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता के कारण थी।

'kh"KZ	dy vupku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$
		¼ yk[k ₹ e½	cpr&
107- छात्रवृत्तियां—			
09- माध्यमिक स्तर(कक्षा 9—12) पर अतिरिक्त छात्रवृत्तियों की व्यवस्था	7.19	0.12	-7.07
11- ग्रामीण क्षेत्रों के माध्यमिक स्तर के (कक्षा 9—10) प्रतिभावान छात्रों को राष्ट्रीय छात्र वृत्तियां	24.00	0.09	-23.91
13- हाई स्कूल और इन्टर छात्र वृत्तियों की दरों में वृद्धि	40.00	10.30	-29.70
18- प्रदेश के मैदानी जिले में कक्षा 6—8 में 15 रूपये प्रति मास की दर से 3 वर्ष के लिए योग्यता छात्र वृत्ति—			
मूल 45.00			
पुनर्वि० -40.45	4.55	0.01	-4.54
प्रावधान मे पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 40.45 लाख की कमी के कोई कारण सूचित नहीं किये गये हैं।			
108- परीक्षाएं—			
04- माध्यमिक शिक्षा परिषद् के क्षेत्रीय कार्यालय—			
मूल 31,47.74			
पुनर्वि० -75.00	30,72.74	27,57.18	-3,15.56
वास्तविक व्यय में ₹ 76.00 लाख वर्ष 2009-10 उचन्त लेखे के समाशोधन से सम्बंधित है।			
प्रावधान मे पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 75.00 लाख की वृद्धि छठें वेतन आयोग की संस्तुति के भुगतान के लिए अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता के कारण थी।			
05- पत्राचार शिक्षा संस्थान	3,47.62	3,07.68	-39.94
वास्तविक व्यय में ₹ 4.96 लाख वर्ष 2001-02 उचन्त लेखे के समाशोधन से सम्बंधित है।			
109- राजकीय माध्यमिक विद्यालय—			
01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें—			
मूल 36,43.68			
पूरक 52.00	36,95.68	31,18.21	-5,77.47
वास्तविक व्यय में ₹ 12.49 लाख वर्ष 2011-12 उचन्त लेखे के समाशोधन से सम्बंधित है।			

' kh"lz

dy vupku

okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; \$

cpr&

¼ yk[k ₹ est

03- बालक एवं बालिका—

मूल 5,33,90.38

पूरक 0.03

5,33,90.41

4,99,36.06

-34,54.35

वास्तविक व्यय में ₹1,20.45 लाख वर्ष 2001-02,2002-03,2004-05,2005-06,2006-07,2007-08
2008-09,2009-10,2010-11और 2011-12 उचन्त लेखे के समाशोधन से सम्बंधित है।

06- राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में
अतिरिक्त अनुभाग खोलने तथा नये विषयों
का समावेश(जिला योजना)

1,14.16

70.38

-43.78

26- असेवित क्षेत्रों में ब्लाक स्तर पर राजकीय
हाईस्कूल (बालक/बालिका)की स्थापना
तथा राजकीय कन्या जू0 हाई स्कूल
(बालक/बालिका)का हाईस्कूल स्तर
पर उच्चीकरण

5,71.31

1,05.24

-4,66.07

110- गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालयों
को सहायता—

01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित
योजनायें

2,25,69.20

1,56,67.34

-69,01.86

03- गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालयों
को सहायक अनुदान (बालक)—

मूल 47,00,00.00

पुनर्वि0 -14,60.00

46,85,40.00

43,26,13.55

-3,59,26.45

वास्तविक व्यय में ₹ 6,47.01 लाख वर्ष 2001-02,2002-03,2003-04,2004-05,2005-06,2006-07,
2007-08 2008-09,2009-10,2010-11और 2011-12 उचन्त लेखे के समाशोधन से सम्बंधित है।

प्रावधान मे पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 14,60.00 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

05- सहायता प्राप्त उच्चतर
माध्यमिक विद्यालयों के

शिक्षकों का शैक्षिक भ्रमण

5.00

..

-5.00

08- अशासकीय उच्चतर माध्यमिक
विद्यालयों में विषय विशेषज्ञों
को मानदेय के भुगतान

हेतु व्यवस्था

50.00

40.62

-9.38

वास्तविक व्यय में ₹ 2.10 लाख वर्ष 2004-05 उचन्त लेखे के समाशोधन से सम्बंधित है।

'kh"kl	dy vunku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$
		¼ yk[k ₹ e#	cpr&
10- सहायक प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों से सम्बद्ध प्राइमरी प्रभाग हेतु सहायक अनुदान	56,60.19	39,36.51	-17,23.68
वास्तविक व्यय में ₹ 3.93 लाख वर्ष 2009-10 उचन्त लेखे के समाशोधन से सम्बंधित है।			
800- अन्य व्यय—			
01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें—			
पूरक	1,99.57	1,99.57	97.35
03- गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में सामूहिक बीमा योजना हेतु राज्य सरकार का अंशदान	23.76	0.10	-23.66
वास्तविक व्यय में ₹ 0.10 लाख वर्ष 2001-02 उचन्त लेखे के समाशोधन से सम्बंधित है।			
12- उ0प्र0सैनिक स्कूल समिति को सहायक अनुदान	5,23.07	4,82.86	-40.21
15- राज्य मुक्त विद्यालय परिषद्	20.00	0.75	-19.25
वास्तविक व्यय में ₹ 0.75 लाख वर्ष 2001-02 उचन्त लेखे के समाशोधन से सम्बंधित है।			
19- कन्या विद्या धन योजना—			
मूल	2,64,88.97		
पूरक	3,00,00.00		
	5,64,88.97	5,55,63.49	-9,25.48
23- 10वीं पास छात्र—छात्राओं को निःशुल्क टैबलेट उपलब्ध कराया जाना	2,38,27.00	20.49	-2,38,06.51
24- 12वीं पास छात्र—छात्राओं को निःशुल्क लैपटाप उपलब्ध कराया जाना	15,07,42.77	10,11,84.36	-4,95,58.41
25- बी0पी0एल0 परिवारों की कक्षा 10 पास बालिकाओं को आगे की शिक्षा हेतु	48,00.00	45,99.60	-2,00.40
05- भाषा विकास—			
103- संस्कृत शिक्षा—			
03- राजकीय संस्कृत पाठशाला	39.27	20.31	-18.96
05- राज्य निधि से सहायता प्राप्त संस्कृत विद्यालयों/महाविद्यालयों के शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के वेतन हेतु अनुदान	7,34.78	..	-7,34.78

'kh"lz	dy vunku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$
		¼ yk[k ₹ e#	cpr&
2204- [ksy dn rFkk ; pk l ok; &			
102- विद्यार्थियों के लिए युवा कल्याण कार्यक्रम—			
04- राष्ट्रीय सेना छात्र दल—			
मूल	62,98.86		
पूरक	10.00		
वास्तविक व्यय में ₹ 56.30 लाख वर्ष 2001-02,2002-03,2003-04,2004-05,2005-06,2006-07, 2007-08,2008-09,2009-10,2010-11 और 2011-12 के उचन्त लेखे समाशोधन के सम्मिलित हैं।	63,08.86	57,42.55	-5,66.31
104- खेलकूद—			
05- राज्य विद्यालयी क्रीड़ा संस्थान, फैजाबाद की स्थापना	39.59	33.12	-6.47
2205- dyk , oa l l dfr&			
105- सार्वजनिक पुस्तकालय—			
03- केन्द्रीय राज्य पुस्तकालय	1,97.06	1,66.38	-30.68
वास्तविक व्यय में ₹ 3.47 लाख वर्ष 2001-02,2003-04 और 2009-10 उचन्त लेखे के समाशोधन से सम्बंधित है।			
04- पुस्तकालय की नीति एवं पद्धति का विकास	15.81	10.75	-5.06
08- वर्तमान राजकीय जिला पुस्तकालयों का विकास तथा नये पुस्तकालयों की स्थापना(जिला योजना)	4,35.57	3,25.82	-1,09.75
वास्तविक व्यय में ₹ 4.21 लाख वर्ष 2001-02,2002-03,2003-04,2004-05,2005-06,2006-07, 2007-08,2008-09,2009-10,2010-11 और 2011-12 के उचन्त लेखे समाशोधन के सम्मिलित हैं। उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत/सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2013)।			
(iv) व्ययाधिक्य मुख्यतः निम्न के अधीन हुआ:—			
2202- l kekl; f' k{kk&			
02- माध्यमिक शिक्षा—			
104- अध्यापक एवं अन्य सेवायें—			
05- राज्य शिक्षक पुरस्कार योजना	1.37	6.81	+5.44
वास्तविक व्यय में ₹ 5.44 लाख वर्ष 2001-02 उचन्त लेखे के समाशोधन से सम्बंधित है।			

'kh"lz

dy vunku

okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; \$

cpr&

¼ yk[k ₹ e#

109- राजकीय माध्यमिक विद्यालय—

08- राजकीय हाई स्कूलों का इंटर स्तर

तक उच्चीकरण (जिला योजना)—

मूल 33,81.26

पुनर्वि० 12,60.00

46,41.26

37,09.34

-9,31.92

वास्तविक व्यय में ₹ 5.18 लाख वर्ष 2001-02 और 2011-12 उचन्त लेखे के समाशोधन से सम्बंधित है।

प्रावधान मे पुनर्विनियोग द्वारा ₹12,60.00 लाख की वृद्धि छठें वेतन आयोग की संस्तुति के भुगतान के लिए अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता के कारण थी।

800- अन्य व्यय—

18- सावित्रीबाई फूले बालिका शिक्षा मदद

योजना

..

18.91

+18.91

वास्तविक व्यय में ₹ 18.91 लाख वर्ष 2007-08, 2009-10 और 2011-12 उचन्त लेखे के समाशोधन से सम्बंधित है।

05- भाषा विकास—

103- संस्कृत शिक्षा—

04- संस्कृत पाठशालाओं को सहायक

अनुदान

1,42,80.34

1,50,74.06

+7,93.72

वास्तविक व्यय में ₹ 3.85 लाख वर्ष 2001-02, 2005-06 और 2009-10 उचन्त लेखे के समाशोधन से सम्बंधित है।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत/बिना व्यय के प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2013)।

i Hkkfjr&

(v) ₹ 2.20 लाख की अन्तिम बचत में से, कोई भी धनराशि अभ्यर्पण के लिए प्रत्याशित नहीं की गयी।

i wthxr&

nRrer&

(vi) वास्तविक व्यय ₹ 1,87,92.98 लाख में वर्ष 2009-10 के उचन्त समाशोधन ₹ 1,42.17

लाख सम्मिलित हैं। अन्तिम बचत ₹ 1,37.40 लाख (₹ 1,42.17 लाख— ₹ 4.77 लाख) में से कोई भी धनराशि अभ्यर्पण के लिए प्रत्याशित नहीं की जा सकी।

(vii) ₹ 1,37.40 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुये, नवम्बर 2012 में प्राप्त किया गया

₹ 21,98.13 लाख का अनुपूरक अनुदान अधिक सिद्ध हुआ।

(viii) बचत (अन्य शीर्षों के अन्तर्गत व्ययाधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न के अधीन हुई:-

'kh"z	dy vupku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$
			cpr&
			¼ yk[k ₹ est

4202- f'k{kk} [ksydin] dyk rFkk

l dfr ij iwthxr ifj0; ; &

01- सामान्य शिक्षा-

202- माध्यमिक शिक्षा-

06- जिला स्तर पर शिक्षा कार्यालय तथा
आवासीय भवनों का निर्माण
(जिला योजना)

2,48.38 2,33.36 -15.02

07- असेवित विकास खण्डों के लिये निजी
प्रबन्ध तंत्रों द्वारा कन्या विद्यालय की
स्थापना हेतु अनावर्तक अनुदान-

मूल	2,60.00	}	
पुनर्वि०	-60.00		

2,00.00 1,45.00 -55.00

प्रावधान मे पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 60.00 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

08- एक कन्या विद्यालय सेवित विकास खण्ड
की दूसरी न्याय पंचायत में निजी प्रबंध
तंत्रों द्वारा कन्या विद्यालयों की स्थापना
हेतु अनावर्तक अनुदान-

मूल	3,30.00	}	
पुनर्वि०	60.00		

3,90.00 3,30.00 -60.00

प्रावधान मे पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 60.00 लाख की वृद्धि सरकार के परिपक्व बंध प्रस्ताव की द्वितीय किश्त
और सेवित योजना के अन्तर्गत धनराशि की उपलब्धता न होने के कारण थी।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं(जून 2013)।

(ix) व्ययाधिक्य मुख्यतः निम्न के अधीन हुई:-

4202- f'k{kk} [ksydin] dyk rFkk

l dfr ij iwthxr ifj0; ; &

01- सामान्य शिक्षा-

202- माध्यमिक शिक्षा-

16- वर्तमान जिला राजकीय

पुस्तकालय 50.00 1,85.03 +1,35.03

वास्तविक व्यय में ₹ 1,42.17 लाख वर्ष 2009-10 उच्चत लेखे के समाशोधन से सम्बंधित है।

vunpku I a[; k 73 & f'k{kk foHkkx ¼mPp f'k{kk½

ed[; 'kh"z

dy vunpku okLrfod 0; ;
; k
fofu; ksx

vf/kd 0; ; \$
cpr&

½gtkj ₹ e½

jktLo&

2013- ef= ifj"kn]

2202- I kekl; f'k{kk rFkk

2204- [ksydin rFkk ; pk I dk; a

nRrer&

मूल 22,87,47,76

22,87,87,76 14,71,78,74 -8,16,09,02

पूरक 40,00

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि

..

i Hkkfj r&

मूल 1,00

1,00 .. -1,00

पूरक ..

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि

..

i wthxr&

4202- f'k{kk] [ksydin] dyk rFkk

I l dfr ij i wthxr ifj0; ;

nRrer&

मूल 2,14,18,53

2,15,93,53 92,17,51 -1,23,76,02

पूरक 1,75,00

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि

..

fVli f.k; ka , oa Vhd; &

jktLo&

nRrer&

- (i) वास्तविक व्यय ₹ 14,71,78.74 लाख में वर्ष 2001-02,2002-03,2004-05,2007-08,2008-09, 2009-10,2010-11 और 2011-12 के उच्चत लेखे ₹ 3,77.14 लाख समाशोधन के सम्मिलित हैं। अन्तिम बचत ₹ 8,19,86.16 लाख (₹ 8,16,09.02 लाख + ₹ 3,77.14 लाख) में से, कोई भी धनराशि अभ्यर्पण के लिये नहीं प्रत्याशित किये जा सके।
- (ii) ₹ 8,19,86.16 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुये, नवम्बर 2012 में प्राप्त किया गया ₹ 40.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(iii) बचत (अन्य शीर्षों के अन्तर्गत व्ययाधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न के अधीन हुई:-

'kh"kl	dy vupku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$
			cpr&
			vyk[k ₹ e#

2202- I kekl; f' k{kk&

03- विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा-

001- निदेशन और प्रशासन-

03- उच्च शिक्षा निदेशालय 5,81.89 5,50.70 -31.19

वास्तविक व्यय में ₹ 0.12 लाख वर्ष 2001-02 के उच्चत लेखे समाशोधन के सम्मिलित है।

102- विश्वविद्यालयों को सहायता-

06- विश्वविद्यालयों में आन लाइन

एजुकेशन संचालित किया जाना-

मूल 50.00

0.37

..

-0.37

पुनर्वि० -49.63

प्रावधान में ₹ 49.63 लाख की कमी भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित योजना के कारण हुई।

13- जनपद लखनऊ में अरबी फारसी विश्वविद्यालय

की स्थापना-

मूल 5,56.63

4,78.50

1,85.30

-2,93.20

पुनर्वि० -78.13

प्रावधान में ₹ 78.13 लाख की कमी विश्वविद्यालय में नियुक्ति न होने के कारण हुई।

32- इन्टर यूनिवर्सिटी यूथ

फेस्टिवल हेतु अनुदान

20.00

3.30

-16.70

33- अन्तर्विश्वविद्यालयी खेल प्रतियोगिता के

आयोजन हेतु अनुदान

20.00

15.00

-5.00

46- डा० राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि

संस्थान, लखनऊ

8,96.45

8,55.58

-40.87

48- इम्प्लायमेन्ट ब्यूरो/गाइडेंस सेल/प्लेसमेन्ट

सेल की स्थापना

3,00.00

..

-3,00.00

49- सेण्टर आफ एक्सीलेंस की

स्थापना

6,00.00

2,64.19

-3,35.81

वास्तविक व्यय में ₹ 15.00 लाख वर्ष 2010-11 के उच्चत लेखे समाशोधन के सम्मिलित है।

103- राजकीय कालेज तथा संस्थान-

04- राजकीय महाविद्यालयों का सुदृढीकरण एवं

उन्नयन तथा नये संकायों एवं विषयों का

समावेश

89.35

50.25

-39.10

वास्तविक व्यय में ₹ 26.95 लाख वर्ष 2008-09 और 2010-11 के उच्चत लेखे समाशोधन के सम्मिलित है।

(320)

'kh"kl	dy vupku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$
		okLrfod 0; ;	cpr&
		kyk[k ₹ e#	
05- प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में सेमिनार तथा सिम्पोजियम	35.00	..	-35.00
06- राजकीय महाविद्यालयों की स्थापना	1,10.80	39.11	-71.69
104- अराजकीय कालेजों और संस्थानों को सहायता—			
06- प्रदेश के सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में सेमिनार तथा सिम्पोजियम	35.00	27.60	-7.40
800- अन्य व्यय—			
05- अवशेषों का भुगतान—			
मूल 8,00,66.20	7,50,94.77	32.02	-7,50,62.75
पुनर्वि० -49,71.43			
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 2,75.00 लाख और ₹ 1,76.43 लाख की कमी के कारण विशेषतया सूचित नहीं किये गये हैं और प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 45,20.00 लाख की कमी छठें वेतन आयोग के भुगतान न होने के कारण हैं।			

2204- [kydin rFkk ; pk l ok; &

102- विद्यार्थियों के लिये युवा कल्याण कार्यक्रम—

01- केन्द्रीय आयोजनागत /केन्द्र

द्वारा पुरोनिधानित योजनायें 13,11.78 10,05.75 -3,06.03

वास्तविक व्यय में ₹ 29.65 लाख वर्ष 2001-02 और 2009-10 के उचन्त लेखे समाशोधन के सम्मिलित है।

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत बचत/सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं(जून 2013)।

(iv) व्ययाधिक्य निम्न के अधीन हुआ:—

2202- l kekl; f' k{kk&

03- विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा—

001- निदेशन और प्रशासन—

04- उच्च शिक्षा के क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ

गोरखपुर,कानपुर,बरेली,वाराणसी,झांसी,आगरा,

तथा मेरठ 3,02.23 3,02.67 +5.44

वास्तविक व्यय में ₹ 21.00 लाख वर्ष 2001-02,2007-08 और 2011-12 के उचन्त लेखे समाशोधन के सम्मिलित है।

'kh"lz

dy vupku okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; \$
cpr&

lyk[k ₹ e#

102- विश्वविद्यालयों को सहायता—

01- केन्द्रीय आयोजनागत / केन्द्र
द्वारा पुरोनिधानित योजनायें—

मूल	0.02	}	49.65	49.64	-0.01
पुनर्वि०	49.63				

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 49.63 लाख की वृद्धि केन्द्रीय सरकार कार्यान्वित योजना द्वारा राज्यांश के पंजीयन के कारण था।

08- गोरखपुर विश्वविद्यालय 11,50.01 11,54.27 +4.26

18- दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीटयुट, आगरा
(डीम्ड विश्वविद्यालय)–

मूल	7,52.78	}	8,10.79	8,10.79	..
पुनर्वि०	58.01				

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 58.01 लाख की वृद्धि व्यवस्थित व्यय के कम आय के कारण हुई।

19- दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीटयुट, आगरा
(इंजीनियरिंग संकाय)–

मूल	4,07.77	}	4,27.89	4,27.89	..
पुनर्वि०	20.12				

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 20.12 लाख की वृद्धि व्यवस्थित व्यय के कम आय के कारण हुई।

43- शिक्षण शुल्क जून 1995 के स्तर पर लिए
जाने से विश्वविद्यालयों की आय में कमी
की प्रतिपूर्ति

4,94.78 5,11.35 +16.57

103- राजकीय कालेज तथा संस्थान—

03- राजकीय महाविद्यालय —

मूल	1,55,69.41	}	1,58,44.41	1,52,61.40	-5,83.01
पुनर्वि०	2,75.00				

वास्तविक व्यय में ₹ 1.86 लाख वर्ष 2001-02,2002-03,2007-08 और 2009-10 के उच्चत लेखे समाशोधन के सम्मिलित हैं।

प्रावधान में ₹ 2,75.00 लाख की वृद्धि डिग्री कालेज में नियमित वेतन और भत्ते के भुगतान के कारण हुई।

'kh"lz dly vupku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; \$
cpr&

kyk[k ₹ e#

104- अराजकीय कालेजों और संस्थानों को सहायता—				
03- गैर सरकारी महाविद्यालयों को सहायता (पुरुष—महिलायें)—				
मूल	11,74,33.92	}	12,19,53.92	11,74,27.08
पुनर्वि०	45,20.00			
				-45,26.84
वास्तविक व्यय में ₹ 2,62.95 लाख वर्ष 2001-02,2002-03,2004-05,2010-11 और 2011-12 के उचन्त लेखे समाशोधन के सम्मिलित हैं। प्रावधान में ₹ 45,20.00 लाख की वृद्धि वेतनमान एवं डी०ए० में परिवर्तन होने के कारण हुआ।				
800- अन्य व्यय—				
03- उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग को अनुदान—				
मूल	35.00	}	2,11.43	2,22.77
पुनर्वि०	1,76.43			
				+11.34
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 1,76.43 लाख की वृद्धि व्यय व्यवस्था में कम आय के कारण हुई।				
04- राज्य स्तरीय पुरस्कार योजना	12.60		18.90	+6.30
16- उ०प्र०राज्य उच्च शिक्षा परिषद की स्थापना	15.00		25.46	+10.46

2204- [kydin rFkk ; pk l ok; &

102- विद्यार्थियों के लिये युवा कल्याण कार्यक्रम—				
03- छात्र कल्याण निधि से पोषित कार्यक्रमों के लिए अनुदान	20.00		22.90	+2.90
वास्तविक व्यय में ₹ 2.90 लाख वर्ष 2001-02 के उचन्त लेखे समाशोधन के सम्मिलित है। उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत/व्ययाधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2013)।				

i thxr&

nRrer&

- (v) ₹ 1,23,76.02 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुये, नवम्बर 2012 में प्राप्त किया गया
₹ 1,75.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ ।
- (vi) ₹ 1,23,76.02 लाख की अन्तिम बचत में से, कोई भी धनराशि अभ्यर्पण के लिए प्रत्याशित नहीं
की जा सकी।

(vii) बचत निम्न के अधीन हुई:-

'kh"kl

dy vunku okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; \$

cpr&

kyk[k ₹ e#

4202- f'k{kk} [ksydin] dyk rFkk l dfr ij iwthx r ifj0; ; &

01- सामान्य शिक्षा-

203- विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा-

04- नये राजकीय महाविद्यालयों की स्थापना-

मूल

1.00

1,01.00

50.00

-51.00

पूरक

1,00.00

05- कतिपय राजकीय महाविद्यालयों के निर्माणाधीन

भवनों को पूर्ण किया जाना

30,00.00

22,68.93

-7,31.07

06- क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी

कार्यालय हेतु भूमि क्रय/

भवन निर्माण

1,00.00

..

-1,00.00

08- अरबी फारसी विश्वविद्यालय,

लखनऊ

25,00.00

17,84.19

-7,15.81

09- राजकीय महाविद्यालयों के भवनों का

निर्माण, विस्तार एवं विद्युतीकरण

8,00.00

4,38.64

-3,61.36

16- राज्य विश्वविद्यालयों को चालू

भवन निर्माण एवं अन्य विकास

कार्यो हेतु अनुदान

5,00.00

2,36.50

-2,63.50

19- राज्य विश्वविद्यालयों में आधारभूत

सुविधाओं का विस्तार

8,00.00

3,64.68

-4,35.32

20- प्रदेश में निजी प्रबंध तंत्रों/संस्थाओं

द्वारा असैवित क्षेत्रों में महाविद्यालय

खोलने हेतु अनुदान

15,00.00

13,80.00

-1,20.00

21- अशासकीय महाविद्यालयों में आधारभूत

सुविधाओं का विस्तार

5,00.00

..

-5,00.00

22- राज्य विश्वविद्यालयों को प्रोत्साहन

अनुदान

3,00.00

..

-3,00.00

23- प्रदेश के राजकीय स्नातक/स्नातकोत्तर

महाविद्यालयों में आन लाइन एजुकेशन

संचालित किया जाना

50.00

39.58

-10.42

26- प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में

प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों का सुदृढीकरण

एवं ई-लाइब्रेरी की स्थापना

5,00.00

..

-5,00.00

(324)

'kh"kl

dy vunku okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; \$
cpr&

lyk[k ₹ est

27- प्रदेश के न्यून सकल नामांकन दर वाले
जिलों में माडल राजकीय महाविद्यालय
की स्थापना
उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत बचत/सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये
गये हैं (जून 2013)।

95,67.50

12,80.00

-82,87.50

वृत्तिका 1 अंक 75 अंशों के फॉर्मेट में प्रस्तुत है; 'क' के लिए वृत्तिका, 'क' के लिए अंक, 'क' के लिए अंक

अंक; 'क' के लिए

द्वि-वृत्तिका

अंक 0; ;

वृत्तिका 0; ; \$
अंक

अंक ₹ अंक

अंक

2002-03 के लिए अंक

अंक

मूल

85,61,27

85,61,28

74,62,60

-10,98,68

अंक

1

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च, 2013)

8,78,81

अंक

2002-03 के लिए [अंक] अंक अंक

अंक अंक अंक

अंक

मूल

10,03

10,04

..

-10,04

अंक

1.00

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च, 2013)

10,03

अंक अंक अंक

अंक

अंक

(i) ₹ 74,62.60 लाख के वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02, 2002-03, 2003-04, 2005-06, 2006-07, 2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-11 और 2011-12 के उच्चतम लेखे समाशोधन के ₹ 48.61 लाख की धनराशि सम्मिलित है। ₹ 11,47.29 लाख (₹ 10,98.68 लाख + ₹ 48.61 लाख) की अन्तिम बचत में से, केवल ₹ 8,78.81 लाख की धनराशि ही अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित की जा सकी।

(ii) ₹ 11,47.29 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुये, नवम्बर 2012 में प्राप्त किया गया ₹ 0.01 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(iii) बचत (अन्य शीर्षों के अन्तर्गत व्ययाधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न के अधीन हुई:-

'kh"kl	dy vupku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$	
			cpr&	
				¼ yk[k ₹ e#

2202- I kekl; f' k{kk&

80- सामान्य-

001- निदेशन तथा प्रशासन-

03- राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद-

मूल	2,47.88	}	2,19.91	2,19.45	-0.46
पुनर्वि०	-27.97				

वास्तविक व्यय में ₹ 0.09 लाख वर्ष 2001-02, और 2002-03 के उचन्त लेखे समाशोधन के सम्मिलित हैं।

₹ 27.97 लाख की कुल प्रत्याशित बचत में से, पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में ₹ 12.00 लाख की कमी सेवा निवृत्ति के बाद खाली पद के कारण और ₹ 15.97 लाख का समर्पण तकनीकि संस्थान लखनऊ के लिए था।

003- प्रशिक्षण-

01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-

मूल	64,49.67	}	54,07.97	51,87.56	-2,20.41
पुनर्वि०	-10,41.70				

वास्तविक व्यय में ₹ 21.40 लाख वर्ष 2001-02,2002-03,2003-04,2005-06,2006-07,2007-08, 2008-09,2009-10,2010-11 और 2010-11 के उचन्त लेखे समाशोधन के सम्मिलित हैं।

₹ 10,41.70 लाख की कुल प्रत्याशित बचत में से, पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में ₹ 2,32.86 लाख की कमी अधिक आवंटन के कारण और ₹ 8,08.84 लाख का समर्पण के कोई कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

04- परिषद का हिन्दी भाषा विभाग राज्य हिन्दी संस्थान वाराणसी-

मूल	70.88	}	63.39	63.41	+0.02
पुनर्वि०	-7.49				

₹ 7.49 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

'kh"kl	dy vunku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$
			cpr&
		¼ yk[k ₹ e½	

13- राजकीय प्रशिक्षण संस्थायें—राजकीय शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय—

मूल	1,42.42	1,35.03	1,36.49	+1.46
पुनर्वि०	-7.39			

वास्तविक व्यय में ₹ 1.49 लाख वर्ष 2001-02 के उचन्त लेखे समाशोधन के सम्मिलित हैं।

₹ 7.39 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत/व्ययाधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2013)।

(iv) व्ययाधिक्य मुख्यतः निम्न के अधीन हुआ:—

2202- I kekl; f' k{kk&

80- सामान्य—

003- प्रशिक्षण—

03- परिषद का प्रारम्भिक शिक्षा विभाग

राज्य शिक्षा संस्थान, इलाहाबाद—

मूल	2,51.37	2,80.84	2,80.88	+0.04
पुनर्वि०	29.47			

वास्तविक व्यय में ₹ 0.11 लाख वर्ष 2001-02 के उचन्त लेखे समाशोधन के सम्मिलित हैं।

₹ 29.47 लाख की कुल प्रत्याशित वृद्धि में से, पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में ₹ 30.50 लाख की वृद्धि मांग के पश्चात कम आवंटन के कारण और ₹ 1.03 लाख का समर्पण के कोई कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

07- परिषद् का विज्ञान तथा गणित विभाग

राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान

इलाहाबाद—

मूल	1,30.82	2,04.59	2,04.84	+0.25
पूरक	0.01			
पुनर्वि०	73.76			

वास्तविक व्यय में ₹ 0.35 लाख वर्ष 2003-04 और 2009-10 के उचन्त लेखे समाशोधन के सम्मिलित हैं।

₹ 73.76 लाख की कुल प्रत्याशित वृद्धि में से, पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में ₹ 74.57 लाख की वृद्धि मांग के पश्चात कम आवंटन के कारण और ₹ 0.81 लाख का समर्पण के कोई कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

'kh"KZ

dy vunku

okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; \$
cpr&

¼ yk[k ₹ e#

09- राजकीय प्रशिक्षण संस्थायें (प्राथमिक)
(पुरुष / महिला)–

मूल	2,59.05	}	2,80.02	2,87.85	+7.83
पुनर्वि०	20.97				

वास्तविक व्यय में ₹ 10.20 लाख वर्ष 2001-02, 2002-03, 2005-06, और 2007-08, के उचन्त लेखे समाशोधन के सम्मिलित हैं।

₹ 20.97 लाख की शुद्ध प्रत्याशित वृद्धि में से, पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में ₹ 29.60 लाख की वृद्धि मांग के पश्चात कम आवंटन के कारण और ₹ 8.63 लाख का समर्पण के कोई कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

15- गैर सरकारी शारीरिक प्रशिक्षण संस्थाओं
को सहायता–

मूल	63.01	}	82.02	81.39	-0.63
पुनर्वि०	19.01				

पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में ₹ 19.01 लाख की वृद्धि मांग के सापेक्ष कम प्रावधान के कारण हुआ।

20- कालेज आफ टीचर एजुकेशन
(सी०टी०ई०)–

मूल	1,99.16	}	2,31.77	2,26.14	-5.63
पुनर्वि०	32.61				

वास्तविक व्यय में ₹ 0.92 लाख वर्ष 2001-02 के उचन्त लेखे समाशोधन के सम्मिलित हैं।

₹ 32.61 लाख की कुल शुद्ध वृद्धि में से, पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में ₹ 44.07 लाख की वृद्धि मांग के सापेक्ष कम आवंटन के कारण और ₹ 11.46 लाख का समर्पण के कोई कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

'kh"KZ

dy vunku

okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; \$

cpr&

¼ yk[k ₹ e#

800- अन्य व्यय—

01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र
द्वारा पुरोनिधानित योजनायें—

मूल	1,15.92	}	1,44.52	1,39.58	-4.94
पुनर्वि०	28.60				

वास्तविक व्यय में ₹ 0.02 लाख वर्ष 2001-02 के उचन्त लेखे समाशोधन के सम्मिलित हैं।

₹ 28.60 लाख की कुल शुद्ध वृद्धि में से, पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में ₹ 35.11 लाख की वृद्धि मांग के सापेक्ष कम आवंटन के कारण और ₹ 6.51 लाख का समर्पण के कोई कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

05- राज्य शैक्षिक तकनीकी संस्थान,
उत्तर प्रदेश लखनऊ के कार्मिकों
के वेतनादि एवं अन्य मदों हेतु व्यवस्था—

मूल	2,26.47	}	2,29.36	2,42.25	+12.89
पुनर्वि०	2.89				

₹ 2.89 लाख की कुल शुद्ध वृद्धि में से, पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में ₹ 12.00 लाख की

की वृद्धि मांग के सापेक्ष कम आवंटन के कारण और ₹ 9.11 लाख का समर्पण के कोई कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत/व्ययाधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं(जून 2013)।

i wthxr&

nRrer&

(v) ₹ 10.04 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुये, नवम्बर 2012 में प्राप्त किया गया
₹ 0.01 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(vi) बचत निम्न के अधीन हुई —

4202- f'k{kk} [ksydin] dyk rFkk

l dfr ij i wthxr ifj0; ; &

01- सामान्य शिक्षा—

201- प्रारम्भिक शिक्षा—

01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र
द्वारा पुरोनिधानित योजनायें—

मूल	10.03	}	0.01	..	-0.01
पूरक	0.01				
पुनर्वि०	-10.03				

₹ 10.03 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत/व्ययाधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं(जून 2013)।

vunku l a[; k 76 & Je foHkkx (Je dY; k.k)

eq; 'kh"kl	dY; vunku ; k fofu; kx	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$ cpr &
jktLo& 2210- fpfdRI k rFkk ykd LokLF; , oa 2230- Je rFkk jkstxkj nRrer&		¼ gtlj ₹ ea ½	
मूल 10,23,45,40			
पूरक 50,00	10,23,95,40	2,08,80,20	-8,15,15,20
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2013)			8,15,07,84
i Hkkfjr&			
मूल 10			
पूरक ..	10	..	-10
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2013)			10

fVli f.k; ka , oa VhdK; &

jktLo&

nRrer&

- (i) ₹ 2,08,80.20 लाख के वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02, 2002-03, 2003-04, 2005-06, 2006-07, 2008-09 तथा 2011-12 के उच्चत लेखे के समाशोधन के ₹ 19.37 लाख की धनराशि सम्मिलित हैं।
- (ii) ₹ 8,15,34.57 लाख (₹ 8,15,15.20 लाख + ₹ 19.37 लाख) की अन्तिम बचत में से, मात्र ₹ 8,15,07.84 लाख की धनराशि अभ्यर्पण के लिए प्रत्याशित की जा सकी।
- (iii) ₹ 8,15,34.57 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, नवम्बर 2012 में प्राप्त किया गया ₹ 50.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ। इसे यथावश्यक सांकेतिक धनराशि से सीमित किया जा सकता था।
- (iv) बचत (अन्य शीर्षों के अन्तर्गत व्ययाधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न के अधीन हुई:-

'kh"kl	dY; vunku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; + cpr -
		¼ yk[k ₹ ea ½	

2210- fpfdRI k rFkk ykd LokLF; &

01- शहरी स्वास्थ्य सेवायें-एलोपैथी-

102- कर्मचारी राज्य बीमा योजना-

03- अधिष्ठान-

मूल 2,99.66			
पुनर्वि० -48.12	2,51.54	2,52.67	+1.13

₹ 48.12 लाख की कुल प्रत्याशित बचत में से, ₹ 2.43 लाख का अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं तथा प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 45.69 लाख की कमी वास्तविक व्यय के उपरान्त बचत के कारण हुई।

'kh"kl

dlj vupku

okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; +
cpr -

¼ yk[k ₹ ea ½

02- शहरी स्वास्थ्य सेवायें-अन्य चिकित्सा पद्धतियां-

101- आयुर्वेद-

03- कर्मचारी राज्य बीमा योजना-

मूल 1,28.67

1,07.55

1,06.58

-0.97

पुनर्वि० -21.12

₹ 21.12 लाख की कुल प्रत्याशित बचत में से, ₹ 8.72 लाख का अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं तथा प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 12.40 लाख की कमी वास्तविक व्यय के उपरान्त बचत के कारण हुई।

2230- Je rFkk jkstxkj &

01- श्रम-

001- निदेशन तथा प्रशासन-

03- श्रमायुक्त का अधिष्ठान-

मूल 4,59.22

3,83.79

3,91.15

+7.36

पुनर्वि० -75.43

₹ 75.43 लाख की शुद्ध बचत में से, ₹ 79.94 लाख का अभ्यर्पण पदों के रिक्त रहने तथा वास्तविक व्यय के कारण था। प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 4.51 लाख की वृद्धि वेतन, स्टेशनरी और फार्म की छपाई, वाहनों के रख-रखाव के कारण हुई।

वास्तविक व्यय में वर्ष 2002-03 तथा 2005-06 के उच्चत लेखे के समाशोधन के ₹ 1.30 लाख की धनराशि सम्मिलित हैं।

004- अनुसंधान तथा सांख्यिकी-

03- अनुसंधान प्रख्यापन एवं श्रम सम्बंधी आंकड़े-

मूल 2,72.30

2,43.66

2,44.12

+0.46

पुनर्वि० -28.64

₹ 28.64 लाख की शुद्ध बचत में से, ₹ 28.70 लाख का अभ्यर्पण देयकों के प्राप्त न होने, कोई मांग नही होने, अवकाश यात्रा सुविधा का उपयोग न होने, वास्तविक व्यय के आधार पर था। प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 0.06 लाख की वृद्धि वेतन, वाहनों के रख-रखाव, स्टेशनरी और फार्म की छपाई के कारण हुई।

वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02, 2003-04 तथा 2005-06 के उच्चत लेखे के समाशोधन के ₹ 0.54 लाख की धनराशि सम्मिलित हैं।

101- औद्योगिक संबंध-

01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र

द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-

मूल 29.90

..

1.79

+1.79

पुनर्वि० -29.90

₹ 29.90 लाख अभ्यर्पण भारत सरकार से केन्द्रीय सहायता प्राप्त न होने के कारण हुआ।

वास्तविक व्यय में वर्ष 2005-06 के उच्चत लेखे के समाशोधन के ₹ 1.79 लाख की धनराशि सम्मिलित है।

' kh"kl

dly vupku

okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; +
cpr -

¼ yk[k ₹ ea ½

05- औद्योगिक प्रबन्ध तन्त्र का

सुदृढीकरण तथा विकेन्द्रीकरण
समितियों. सम्मेलनों तथा
आयोगों का संयोजन—

मूल	34.15			
		4.81	6.26	+1.45
पुनर्वि०	-29.34			

₹ 29.34 लाख की कुल प्रत्याशित बचत में से, ₹ 24.72 लाख का अभ्यर्पण मुख्यतः अध्यक्ष का पद रिक्त रहने, देयकों के प्राप्त नहीं होने के कारण था । प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 4.62 लाख की कमी आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा बचत समर्पित किये जाने के कारण हुई ।

103- सामान्य श्रम कल्याण—

01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र

द्वारा पुरोनिधानित योजनायें—

मूल	7,12.00			
		2,66.80	2,65.20	-1.60
पुनर्वि०	-4,45.20			

₹ 4,45.20 लाख अभ्यर्पण भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त न होने के कारण हुआ ।

वास्तविक व्यय में वर्ष 2005-06 के उच्चत लेखे के समाशोधन के ₹ 2.20 लाख की धनराशि सम्मिलित हैं ।

03- सामान्य आवास योजनायें—

मूल	8,21.63			
		6,93.71	6,94.16	+0.45
पुनर्वि०	-1,27.92			

₹ 1,27.92 लाख की शुद्ध बचत में से, ₹ 84.94 लाख का अभ्यर्पण मुख्यतः आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा धनराशि समर्पित कर दिये जाने, वास्तविक व्यय के आधार पर हुआ । प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 7.02 लाख वृद्धि वेतन, वाहनों के रख-रखाव, स्टेशनरी और फार्म की छपाई के कारण हुई तथा प्रावधान में ₹ 50.00 लाख की कमी आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा धनराशि समर्पित किये जाने के कारण हुई ।

वास्तविक व्यय में वर्ष 2003-04 तथा 2005-06 के उच्चत लेखे के समाशोधन के ₹ 0.45 लाख की धनराशि सम्मिलित हैं ।

04- शिक्षा सम्बन्धी योजनाओं के

अन्तर्गत श्रमिक कल्याण केन्द्र—

मूल	14,40.62			
		12,35.70	11,95.22	-40.48
पुनर्वि०	-2,04.92			

₹ 2,04.92 लाख की शुद्ध बचत में से, ₹ 2,07.31 लाख का अभ्यर्पण मुख्यतः वास्तविक व्यय के उपरान्त बचत, कार्मिकों द्वारा अवकाश यात्रा सुविधा का उपयोग न होने के कारण हुआ । प्रावधान में ₹ 2.39 लाख की वृद्धि चिकित्सा-प्रतिपूर्ति के देयकों के भुगतान के कारण हुई ।

¼ yk[k ₹ ea ½

05- स्वास्थ्य सम्बन्धी योजनायें—

मूल	1,31.41	97.70	97.70	..
पुनर्वि०	-33.71			

₹ 33.71 लाख की शुद्ध बचत में से, ₹ 34.21 लाख का अभ्यर्पण कानपुर क्षेत्र द्वारा धनराशि समर्पित किये जाने, वास्तविक व्यय के आधार पर हुआ । प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 0.50 लाख की वृद्धि स्टेशनरी क्रय किये जाने के कारण हुई ।

08- बाल श्रम उन्मूलन—

मूल	28.92	21.22	21.01	-0.21
पुनर्वि०	-7.70			

₹ 7.70 लाख का अभ्यर्पण वास्तविक व्यय के आधार पर हुआ ।

111- श्रमिक के लिये सामाजिक सुरक्षा—

03- उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण

कर्मकार कल्याण निधि से व्यय—

मूल	4,00,00.00
पुनर्वि०	-4,00,00.00			

₹ 4,00,00.00 लाख का अभ्यर्पण बजट प्रावधान से धनराशि की आवश्यकता नहीं होने के कारण हुआ ।

797- आरक्षित निधियों तथा जमा लेखों को/से अन्तरण—

03- उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण

कर्मकार कल्याण—

मूल	4,00,00.00
पुनर्वि०	-4,00,00.00			

₹ 4,00,00.00 लाख का अभ्यर्पण इसलिये किया गया क्यों कि उपरोक्त आरक्षित निधि में धनराशि के अन्तरण की आवश्यकता नहीं थी ।

800- अन्य व्यय—

03- व्यापार संघों का निबन्धन और

स्थायी आदेशों का प्रभावीकरण—

मूल	2,17.62	1,93.32	1,92.51	-0.81
पुनर्वि०	-24.30			

₹ 24.30 लाख की शुद्ध बचत में से, ₹ 24.35 लाख का अभ्यर्पण कोई मांग नहीं होने, वास्तविक व्यय के आधार पर हुआ । प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 0.05 लाख की वृद्धि स्टेशनरी क्रय किये जाने के कारण हुई ।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अंतिम व्ययाधिक्य/बचत/बिना बजट प्रवधान के व्यय के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2013)।

(v) व्ययाधिक्य निम्न के अधीन हुआ :-

'kn'kz

dy vupku

okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; +

cpr -

¼ yk[k ₹ e½

2210- fpfdRI k rFkk ykd LokLF; &

01- शहरी स्वास्थ्य सेवायें-एलोपैथी-

102- कर्मचारी राज्य बीमा योजना-

05- चिकित्सालय-

मूल	58,84.01			
पूरक	10.00	59,26.26	59,21.20	-5.06
पुनर्वि०	32.25			

₹ 32.25 लाख की शुद्ध वृद्धि में से, प्रावधान में ₹ 98.80 लाख की वृद्धि चिकित्सालयों के लम्बित देयकों के भुगतान, विद्युत देयकों, कार्मिकों के वेतन के कारण हुई । प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 36.80 लाख की कमी वास्तविक व्यय के आधार पर हुई तथा ₹ 29.75 लाख का अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

02- शहरी स्वास्थ्य सेवायें-अन्य चिकित्सा पद्धतियां-

102- होम्योपैथी-

03- कर्मचारी राज्य बीमा योजना-

मूल	1,32.76			
पूरक	40.00	1,76.25	1,73.89	-2.36
पुनर्वि०	3.49			

₹ 3.49 लाख की शुद्ध वृद्धि में से, प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 4.70 लाख की वृद्धि कार्मिकों के वेतन के भुगतान के कारण हुई । प्रावधान में ₹ 0.70 लाख की कमी वास्तविक व्यय के उपरान्त बचत के कारण हुई तथा ₹ 0.51 लाख का अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2013)।

vunpku l a[; k 77& Je foHkkx (l ok; kstu)

ed[; 'kh"kl	dy vunpku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$
		cpr &	
		¼ gtlj ₹ ea ½	
2230- Je rFkk jkstxkj			
nRrer&			
मूल	7,71,36,91		
पूरक	..		
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2013)	7,71,36,91	5,68,90,12	-2,02,46,79
i wthxr&			
4250- vU; l ekt l okvka ij i wthxr ifj0; ;			
nRrer&			
मूल	26,25		
पूरक	..		
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2013)	26,25	25,25	-1,00
fVli f. k; ka , oa VhdK; &			
jktLo&			
nRrer&			

- (i) ₹ 5,68,90.12 लाख के वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02, 2003-04, 2005-06, 2006-07, 2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-11 तथा 2011-12 के उचन्त लेखे के समाशोधन के ₹ 68.86 लाख की धनराशि सम्मिलित हैं।
- (ii) ₹ 2,03,15.65 लाख (₹ 2,02,46.79 लाख + ₹ 68.86 लाख) की अन्तिम बचत में से, मात्र ₹ 2,03,10.60 लाख की धनराशि अभ्यर्पण के लिए प्रत्याशित की जा सकी।

- (iii) बचत (एक अन्य शीर्ष के अन्तर्गत व्ययाधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न के अधीन हुई :-
- | 'kh"kl | dy vunpku | okLrfod 0; ; | vf/kd 0; ; + |
|--------|-----------|---------------|--------------|
| | | cpr - | |
| | | ¼ yk[k ₹ ea ½ | |

2230- Je rFkk jkstxkj&

02- रोजगार सेवायें-

800- अन्य व्यय-

03- अनूजाति/अनूजनजाति और पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों हेतु शिक्षण एवं मार्गदर्शन केन्द्र-

मूल	9,55.40		
पुनर्वि०	-86.56		
		8,68.84	8,72.32
			+3.48

₹ 86.56 लाख के अभ्यर्पण मांग न होने, वास्तविक व्यय के आधार पर, वेतन के अनुरूप भत्तों का भुगतान तथा व्यय के उपरान्त शेष धनराशि के कारण हुआ।

वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02, 2003-04, 2005-06, 2006-07, 2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-11 तथा 2011-12 के उचन्त लेखे के समाशोधन के ₹ 3.13 लाख की धनराशि सम्मिलित हैं।

' kh"lz

dy vupku

okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; +
cpr -

¼ yk[k ₹ es ½

05- विकलांगों को रोजगार सहायता देने हेतु रोजगार कार्यालय में विशिष्ट रोजगार कोषक का गठन—

मूल	2,47.26	}	1,95.81	1,95.04	-0.77
पुनर्वि०	-51.45				

₹ 51.45 लाख के अभ्यर्पण मांग न होने, वास्तविक व्यय के आधार पर, व्यय के उपरान्त शेष धनराशि के कारण हुआ।

वास्तविक व्यय में वर्ष 2009-10 तथा 2011-12 के उचन्त लेखे के समाशोधन के ₹ 0.88 लाख की धनराशि सम्मिलित हैं।

07- उत्तर प्रदेश बेरोजगारी भत्ता योजना—

मूल	6,97,24.68	}	4,98,33.25	4,98,32.36	-0.89
पुनर्वि०	-1,98,91.43				

₹ 1,98,91.43 लाख की कुल बचत में से, ₹ 1,89,71.43 लाख का अभ्यर्पण शासनादेश के अनुसार तीन किश्तों में बेरोजगारी भत्ता के भुगतान हेतु व्यय करने के उपरान्त शेष धनराशि के कारण हुआ। प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 9.20 लाख की कमी मानक मद 20—सहायता अनुदान—सामान्य(गैर वेतन) में प्रत्याशित बचत के कारण हुई।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अंतिम व्ययाधिक्य/बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2013)।

(iv) व्ययाधिक्य निम्न के अधीन हुआ :-

2230- Je rFkk jkstxkj &

02- रोजगार सेवायें—

001- निदेशन तथा प्रशासन—

03- रोजगार निदेशालय—

मूल	7,51.63	}	7,43.79	7,99.72	+55.93
पुनर्वि०	-7.84				

₹ 7.84 लाख के अभ्यर्पण मांग न होने तथा आवश्यक धनराशि के व्यय के उपरान्त शेष धनराशि के कारण हुआ।

वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02, 2006-07, 2007-08, 2008-09, 2010-11 तथा 2011-12 के उचन्त लेखे के समाशोधन के ₹ 55.61 लाख की धनराशि सम्मिलित हैं।

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत अंतिम व्ययाधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2013)।

वृत्तिका 78 & विवरण; इकाई फॉर

एक; 'क'क

द्वि वृत्तिका

अंतराल 0; ;

वर्ष/क 0; ; \$
cpr &

¼ गति ₹ १ ½

जक्तल

2013- एफ= इज"कन]

2052- विवरण; & केल; विवरण;

2070- वल; इकाई फुड विवरण;

2075- फोफ/क केल; विवरण;

2220- विवरण रफक इज]

2251- विवरण; & केलतद विवरण; रफक

3451- विवरण; & वकफकद विवरण; र

नरर

मूल	4,51,30,26	}	4,76,80,26	4,06,72,42	-70,07,84
पूरक	25,50,00				

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2013)

76,43,48

इतर

4059- यकद फुकक दक; इज इतर इज0; ;

नरर

मूल	8,45,00	}	8,45,00	..	-8,45,00
पूरक	..				

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2013)

8,45,00

विवरण; का, वा वदक; &

जक्तल

नरर

(i) ₹ 4,06,72.42 लाख के वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02, 2006-07 तथा 2011-12 के उच्चत लेखे के समाशोधन के ₹ 22.90 लाख की धनराशि सम्मिलित हैं।

(ii) ₹ 70,30.74 लाख (₹ 70,07.84 लाख + ₹ 22.90 लाख) की अन्तिम बचत में से, मात्र ₹ 76,43.48 लाख का अभ्यर्पण न्यायसंगत नहीं था तथा व्यय के त्रुटिपूर्ण अनुमान का द्योतक था।

(iii) ₹ 70,30.74 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए, नवम्बर 2012 में प्राप्त किया गया ₹ 25,50.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ। इसे यथावश्यक सांकेतिक धनराशि से सीमित किया जा सकता था।

- (iv) बचत (अन्य शीर्षों के अन्तर्गत व्ययाधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न के अधीन हुई:-
 'kn"Kz dly vupku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; + cpr -

¼ yk/k ₹ ea ½

2013- ef= ifj"kn&

101- मंत्रियों और उपमंत्रियों का वेतन-

03- मंत्रिगण, उपमंत्रिगण तथा सभा सचिव-

मूल 83.48

67.95

68.32

+0.37

पुनर्वि० -15.53

₹ 15.53 लाख का अभ्यर्पण वास्तविक व्यय के आधार पर हुआ ।

104- भारत सरकार को देय आय कर की धनराशि

जो राज्य सरकार द्वारा वहन की जायेगी-

मूल 25.00

10.03

10.04

+0.01

पुनर्वि० -14.97

₹ 14.97 लाख का अभ्यर्पण वास्तविक व्यय के आधार पर हुआ ।

102- आतिथ्य और अन्य भत्ते-

03- मंत्रियों और उपमंत्रियों के भत्ते-

मूल 5,00.40

3,04.96

2,80.94

-24.02

पुनर्वि० -1,95.44

₹ 1,95.44 लाख की कुल बचत में से, ₹ 29.25 लाख का अभ्यर्पण वास्तविक व्यय के आधार पर हुआ तथा प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 1,66.19 लाख की कमी 06-अन्य भत्ते में अनुमान से कम व्यय होने के कारण हुई ।

108- दौरा खर्च-

03- मंत्रियों और उपमंत्रियों का यात्रा व्यय-

मूल 6,00.00

4,86.24

4,85.74

-0.50

पुनर्वि० -1,13.76

₹ 1,13.76 लाख की कुल बचत में से, ₹ 72.37 लाख का अभ्यर्पण आर्थिक मितव्ययिता तथा प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 41.39 लाख की कमी 04-दौरा खर्च में अनुमान से कम व्यय होने के कारण हुई ।

800- अन्य व्यय-

03- मंत्रियों और उपमंत्रियों के प्रकीर्ण व्यय-

मूल 2,15.01

1,15.42

1,16.18

+0.76

पुनर्वि० -99.59

₹ 99.59 लाख की कुल बचत में से, ₹ 34.09 लाख का अभ्यर्पण आर्थिक मितव्ययिता, भुगतान न होने, वास्तविक व्यय के आधार पर हुआ । प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 65.50 लाख की कमी 13-टेलीफोन व्यय में अनुमान से कम व्यय होने के कारण हुई ।

¼ yk/k ₹ ea ½

2052- I fpoky; &I kekl; I ok; &

090- सचिवालय—

03- सचिवालय—

मूल	2,53,80.10	}	2,20,22.43	2,27,65.63	+7,43.20
पुनर्वि०	-33,57.67				

₹ 33,57.67 लाख की शुद्ध बचत में से, ₹ 35,68.17 लाख का अभ्यर्पण पदों के रिक्त रहने, कम यात्रा तथा वास्तविक व्यय के कारण था । प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 2,10.50 लाख की वृद्धि रिक्त पदों में भर्ती न होने, अनुमान से अधिक व्यय होने के कारण हुई ।

वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02, 2006-07 तथा 2011-12 के उच्चत लेखे के समाशोधन के ₹ 21.69 लाख की धनराशि सम्मिलित हैं ।

04- सचिवालय प्रलेखीकरण केन्द्र एवं

पुस्तकालय का विकास एवं विस्तार—

मूल	20.00	}	0.07	9.10	+9.03
पुनर्वि०	-19.93				

₹ 19.93 लाख का अभ्यर्पण व्यय न होने तथा वास्तविक व्यय के आधार पर हुआ ।

05- संसदीय कार्य विभाग—

मूल	11.30	}	6.71	4.60	-2.11
पुनर्वि०	-4.59				

₹ 4.59 लाख का अभ्यर्पण वास्तविक आवश्यकता के आधार पर हुआ ।

07- सचिवालय का आधुनिकीकरण—

मूल	10,00.00	}	6,79.64	6,86.40	+6.76
पुनर्वि०	-3,20.36				

₹ 3,20.36 लाख का अभ्यर्पण उपकरण क्रय न होने के कारण हुआ ।

08- अभिसूचना के स्रोतों का विकास—

मूल	12.00	}	..	1.00	+1.00
पुनर्वि०	-12.00				

₹ 12.00 लाख का अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं ।

11- ई-गवर्नेन्स योजना के अन्तर्गत

सचिवालय में कम्प्यूटर, लैपटाप एवं
अन्य सहवर्ती उपकरणों का क्रय-

मूल	2,00.00			
पूरक	50.00	1,71.59	1,99.41	+27.82
पुनर्वि०	-78.41			

₹ 78.41 लाख का अभ्यर्पण कम्प्यूटर क्रय न होने के कारण हुआ ।

2070- vll; i7 kkl fud l ok; &

003- प्रशिक्षण-

04- सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंध संस्थान-

मूल	2,80.36			
पुनर्वि०	-91.58	1,88.78	1,88.30	-0.48

₹ 91.58 लाख का अभ्यर्पण पदों के रिक्त रहने, आर्थिक मितव्ययिता, वास्तविक व्यय के आधार पर हुआ ।

2251- l fpoky; &l kekftd l ok; &

090- सचिवालय-

03- सचिवालय-

मूल	67,88.51			
पुनर्वि०	-17,06.00	50,82.51	50,87.13	+4.62

₹ 17,06.00 लाख की शुद्ध बचत में से, ₹ 17,21.00 लाख का अभ्यर्पण पदों के रिक्त रहने तथा प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 15.00 लाख की वृद्धि मानदेय के दर में वृद्धि के कारण हुई ।

वास्तविक व्यय में वर्ष 2011-12 के उच्चत लेखे के समाशोधन के ₹ 0.86 लाख की धनराशि सम्मिलित है ।

04- कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग-

मूल	23.35			
पुनर्वि०	-20.48	2.87	2.86	-0.01

₹ 20.48 लाख का अभ्यर्पण आर्थिक मितव्ययिता, कम व्यय के कारण हुआ ।

3451- l fpoky; &vkfkd l ok; &

090- सचिवालय-

03- सचिवालय-

मूल	71,75.75			
पुनर्वि०	-16,85.57	54,90.18	53,68.34	-1,21.84

₹ 16,85.57 लाख की शुद्ध बचत में से, ₹ 16,40.57 लाख का अभ्यर्पण आर्थिक मितव्ययिता, पदों के रिक्त रहने, व्यय न करने तथा प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 60.00 लाख की कमी पदों के रिक्त होने के कारण हुई । प्रावधान में ₹ 15.00 लाख की वृद्धि मानदेय के दर में वृद्धि के कारण हुई ।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अंतिम बचत/व्ययाधिक्य/बिना बजट प्रवधान के व्यय के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2013)।

(341)

(v) व्ययाधिक्य निम्न के अधीन हुआ :-

' kh"z

dy vupku

okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; +

cpr -

2013- ef= ifj"kn&

104- मनोरंजन तथा सत्कार खर्च—

03- मनोरंजन तथा सत्कार खर्च—

मूल	2,60.00	}	3,15.50	3,15.50	..
पुनर्वि०	55.50				

₹ 55.50 लाख की शुद्ध वृद्धि में से, ₹ 0.04 लाख का अभ्यर्पण मितव्ययिता के कारण हुआ तथा प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 55.54 लाख की वृद्धि अनुमान से अधिक व्यय होने के कारण हुई ।

2220- l ipuk rFkk i pkj&

60- अन्य—

800- अन्य व्यय—

03- राजकीय उत्सवों के सम्बन्ध में व्यय—

मूल	55.00	}	92.03	90.09	-1.94
पुनर्वि०	37.03				

₹ 37.03 लाख की शुद्ध वृद्धि में से, ₹ 0.01 लाख का अभ्यर्पण वास्तविक व्यय के आधार पर हुआ तथा प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 37.04 लाख की वृद्धि अनुमान से अधिक व्यय होने के कारण हुई । उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2013) ।

i wthxr&

nRrer&

(vi) बचत निम्न के अधीन हुई :-

4059- ykd fuekzk dk; l ij i wthxr ifj0; ; &

80- सामान्य—

800- अन्य व्यय—

04- सचिवालय में सी०सी०टी०वी० /

सर्विलांस कैमरा एवं सहवर्ती

उपकरणों की स्थापना—

मूल	8,45.00	}
पुनर्वि०	-8,45.00				

₹ 8,45.00 लाख का अभ्यर्पण सी०सी०टी०वी० / सर्विलांस कैमरा एवं सहवर्ती उपकरणों की स्थापना के संबंध में कतिपय औपचारिकताओं की पूर्ति न होने के कारण हुआ ।

वृत्तिका I अ; क 79 & I एत दY; क.क फोहकx
 ¼ फोदकx , ओा फि नमक ओxल दY; क.क ½

ए; 'क"क

दY वृत्तिका

ओलरफोद 0; ;

वफ/कद 0; ; \$
 cpr &

¼ gtkj ₹ ए ½

जक्तलो&

2225- वुद वृप्र तक्र; क; वुद वृप्र तुतक्र; क
 रफक वU; फि नमक ओxक; दक दY; क.क , ओा

2235- I केफतद I ज {क रफक दY; क.क

नररर&

मूल	19,12,01,19	}
पूरक	..	

19,12,01,19

18,49,69,19

-62,32,00

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि

..

i wthxr&

4070- वU; izkkl fud I okvka ij i wthxr ifj0; ;]

4225- वुद वृप्र तक्र; क; वुद वृप्र तुतक्र; क रफक वU;
 फि नमक ओxक; दक दY; क.क ij i wthxr ifj0; ;]

4235- I केफतद I ज {क रफक दY; क.क

ij i wthxr ifj0; ; रफक

6235- I केफतद I ज {क रफक दY; क.क ds fy; s dtZ

नररर&

मूल	1,71,89,90	}
पूरक	..	

1,71,89,90

73,58,29

-98,31,61

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि

..

fVli f.k; क , ओा Vhdक; &

जक्तलो&

नररर&

(i) ₹ 18,49,69.19 लाख के वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02, 2002-03, 2003-04, 2004-05, 2005-06, 2006-07, 2008-09, 2009-10, 2010-11 तथा 2011-12 के उचन्त लेखे के समाशोधन के ₹ 3,49.05 लाख की धनराशि सम्मिलित हैं।

(ii) ₹ 65,81.05 लाख (₹ 62,32.00 लाख + ₹ 3,49.05 लाख) की अन्तिम बचत में से, कोई भी धनराशि अभ्यर्पण के लिए प्रत्याशित नहीं की जा सकी।

(iii) बचत (अन्य शीर्षों के अन्तर्गत व्ययाधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न के अधीन हुई :-
 'kh"KZ dY vupku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; + cpr -
 ¼ yk/k ₹ es ½

2225- vuq fpr tkfr; kq vuq fpr tutkfr; ka
 rFkk vU; fi NM&oxka dk dY; k.k &

03- पिछड़े वर्गों का कल्याण -

277- शिक्षा-

05- पिछड़ी जातियों के कक्षा 1 से 10 तक के छात्रों को छात्रवृत्ति एवं अनावर्ती सहायता-
 मूल 7,23,43.84

पुनर्वि० -93,14.44

6,30,29.40 5,73,22.73 -57,06.67

प्रावधान में ₹ 93,14.44 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 के उचन्त लेखे के समाशोधन के ₹ 31.21 लाख की धनराशि सम्मिलित हैं।

80- सामान्य-

800- अन्य व्यय-

03- पिछड़े वर्गों के लिये विशेषज्ञ समिति /
 स्थाई आयोग का गठन

2,83.36 1,86.63 -96.73

2235- l kekftd l j {kk rFkk dY; k.k&

02- समाज कल्याण-

101- विकलांग व्यक्तियों का कल्याण-

04- विभिन्न श्रेणी के विकलांगों के लिये
 आश्रित कर्मशालाएं व प्रशिक्षण केन्द्र-

मूल 1,93.35

पुनर्वि० -19.40

1,73.95 1,41.07 -32.88

प्रावधान में ₹ 19.40 लाख की कमी कौशल विकास केन्द्र के कर्मचारियों के अन्य संस्थानों में होने, विभिन्न श्रेणी के विकलांगों के लिये आश्रित कर्मशालाओं के आयोजन न होने इत्यादि के कारण हुई।

वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02, 2002-03, 2003-04, 2004-05, 2007-08, 2008-09 तथा 2009-10 के उचन्त लेखे के समाशोधन के ₹ 6.18 लाख की धनराशि सम्मिलित हैं।

06- मानसिक मन्दित विकलांगजन हेतु

आश्रय गृह सह प्रशिक्षण केन्द्र 56.80 14.72 -42.08

13- शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के

पुनर्वासन हेतु दुकान निर्माण योजना 24.10 .. -24.10

14- विभिन्न श्रेणी के विकलांगों के लिए राजकीय

विद्यालयों/ छात्रावासों का संचालन 14,61.11 10,73.11 -3,88.00

वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02, 2002-03, 2009-10, 2010-11 तथा 2011-12 के उचन्त लेखे के समाशोधन के ₹ 1.80 लाख की धनराशि सम्मिलित हैं।

'kh"KZ

dy vupku

okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; +
cpr -

¼ yk/k ₹ es ½

22- लखनऊ में ब्रेल प्रेस की स्थापना—

पुनर्वि०	15.54	15.54	..	-15.54
----------	-------	-------	----	--------

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 15.54 लाख की वृद्धि ब्रेल प्रेस की दर में वृद्धि के कारण हुई।

26- अमरावती पुरुषोत्तम बहुउद्देशीय विकलांग
विकास संस्थान, वाराणसी—

मूल	28.63	26.63	19.53	-7.10
पुनर्वि०	-2.00			

प्रावधान में ₹ 2.00 लाख की कमी अमरावती पुरुषोत्तम बहुउद्देशीय विकलांग विकास संस्थान, वाराणसी का संचालन न होने के कारण हुई।

30- डा० शकुन्तला मिश्रा उत्तर प्रदेश
विकलांग विश्वविद्यालय—

मूल	9,00.00	5,08.50	5,00.00	-8.50
पुनर्वि०	-3,91.50			

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 3,91.50 लाख की कमी निर्माणाधीन डा० शकुन्तला मिश्रा उत्तर प्रदेश विकलांग विश्वविद्यालय में सभी पाठ्यक्रमों के प्रारम्भ न होने के कारण हुई।

800- अन्य व्यय—

04- असहाय विकलांग व्यक्तियों को
बीमारी के इलाज हेतु अनुदान

20.00	..	-20.00
-------	----	--------

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अंतिम बचत/सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2013)।

(iv) व्ययाधिक्य मुख्यतः निम्न के अधीन हुआ :-

2225- vuq ųpr tkfr; kų vuq ųpr tutkfr; ka
rFkk vU; fi NMų oxka dk dY; k.k &

03- पिछड़े वर्गों का कल्याण -

277- शिक्षा—

01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र

द्वारा पुरोनिधानित योजनायें	60,00.00	60,04.22	+4.22
-----------------------------	----------	----------	-------

वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 तथा 2002-03 के उच्चत लेखे के समाशोधन के ₹ 4.22 लाख की धनराशि सम्मिलित हैं।

' kh" kZ

dy vupku

okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; +
cpr -

¼ yk/k ₹ es ½

03- अन्य पिछड़े हुये जातियों के दशमोत्तर कक्षा
में अध्ययन करने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति—

मूल 2,92,16.85

पुनर्वि० 40,54.00

3,32,70.85

3,33,63.41

+92.56

प्रावधान में ₹ 40,54.00 लाख की वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

वास्तविक व्यय में वर्ष 2004-05, 2005-2006 तथा 2010-11 के उचन्त लेखे के समाशोधन के
₹ 92.56 लाख की धनराशि सम्मिलित हैं।

07- दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत

पिछड़े वर्ग के छात्र छात्राओं को

प्रवेश शुल्क की धनराशि की प्रतिपूर्ति—

मूल 4,13,17.48

पुनर्वि० 52,60.44

4,65,77.92

4,65,77.92

..

प्रावधान में ₹ 52,60.44 लाख की वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

2235- I kekftd I j {kk rFkk dY; k. k&

02- समाज कल्याण—

101- विकलांग व्यक्तियों का कल्याण—

07- नेत्रहीन, मूक, बधिर तथा शारीरिक रूप से

विकलांगों को उनके भरण—पोषण हेतु अनुदान—

मूल 2,71,24.00

पुनर्वि० 3,50.00

2,74,74.00

2,76,07.72

+1,33.72

प्रावधान में ₹ 3,50.00 लाख की वृद्धि विकलांग व्यक्ति योजना में बजट प्रावधान कम होने के कारण हुई।

वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02, 2004-05, 2005-06, 2006-07, 2008-09, 2010-11 तथा 2011-12 के
उचन्त लेखे के समाशोधन के ₹ 1,89.92 लाख की धनराशि सम्मिलित हैं।

25- कौशल विकास केन्द्र की स्थापना—

मूल 16.12

पुनर्वि० 3.86

19.98

22.72

+2.74

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 3.86 लाख की वृद्धि मानदेय के भुगतान हेतु बजट प्रावधान कम
होने के कारण हुई।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अंतिम व्यायाधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2013)।

with the

of the

(v) ₹ 73,58.29 लाख के वास्तविक व्यय में वर्ष 2011-12 के उच्चत लेखे के समाशोधन के ₹ 20.04 लाख की धनराशि सम्मिलित हैं।

(vi) ₹ 98,51.65 लाख (₹ 98,31.61 लाख + ₹ 20.04 लाख) की अन्तिम बचत में से, कोई भी धनराशि अभ्यर्पण के लिए प्रत्याशित नहीं की जा सकी।

(vii) बचत (अन्य शीर्षों के अन्तर्गत व्ययाधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न के अधीन हुई :-

'kh"KZ	dy vunku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; +
			cpr -
			¼ yk/k ₹ ea ½

4070- vU; izkkl fud l okvka ij with the ifj0; ; &

800- अन्य व्यय-

03- समायोजन लेखा	60,38.97	..	-60,38.97
------------------	----------	----	-----------

4225- vuq fpr tkfr; kq vuq fpr tutkfr; ka rFkk vU;

fi NM& oxka dk dY; k.k ij with the ifj0; ; &

03- पिछड़े वर्गों का कल्याण -

277- शिक्षा-

01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र

द्वारा पुरोनिधानित योजनायें

24,25.92	9,97.30	-14,28.62
----------	---------	-----------

4235- l kekftd l j {kk rFkk dY; k.k

ij with the ifj0; ; &

02- समाज कल्याण-

101- विकलांग व्यक्तियों का कल्याण-

01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र

द्वारा पुरोनिधानित योजनायें

25,00.00	1,79.19	-23,20.81
----------	---------	-----------

वास्तविक व्यय में वर्ष 2010-11 के उच्चत लेखे के समाशोधन के ₹ 20.04 लाख की धनराशि सम्मिलित हैं।

21- ममता राजकीय विद्यालय,

इलाहाबाद के भवन का निर्माण

1,00.00	50.00	-50.00
---------	-------	--------

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अंतिम बचत/सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2013)।

(viii) व्ययाधिक्य निम्न के अधीन हुआ :-

6235- l kekftd l j {kk rFkk dY; k.k ds fy; s dt&

02- समाज कल्याण-

101- विकलांग व्यक्तियों का कल्याण-

03- शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के

पुनर्वासन हेतु दुकान निर्माण योजना

..	6.80	+6.80
----	------	-------

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत बिना बजट प्रावधान के व्यय के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2013)।

वृत्तिका 1 अ; क 80 & 1 एक्ट दय; क.क फोहकx
 ¼ 1 एक्ट दय; क.क , oa वृत्तिका वृत्तिका त्कफ; क.क दय; क.क ½

ए; 'क'क

दय वृत्तिका

okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; \$
cpr &

¼ gtkj ₹ ea ½

jktLo&

2013- ए= ifj"kn]

2225- वृत्तिका वृत्तिका त्कफ; क.क वृत्तिका वृत्तिका त्कफ; क.क
 rFkk vU; fi NM\$ oxka dY; क.क , oa

2235- 1 केफतद 1 ग {क rFkk दय; क.क

nRrer&

मूल	33,02,79,46	}	34,41,79,46	33,91,25,48	-50,53,98
पूरक	1,39,00,00				

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि

fVli f. k; ka , oa Vhdk; &

jktLo&

nRrer&

(i) ₹ 33,91,25.48 लाख के वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02, 2002-03, 2003-04, 2004-05, 2005-06, 2006-07, 2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-11 तथा 2011-12 के उचन्त लेखे के समाशोधन के ₹ 15,36.23 लाख की धनराशि सम्मिलित हैं।

(ii) ₹ 65,90.21 लाख (₹ 50,53,98 लाख + ₹ 15,36.23 लाख) की अन्तिम बचत में से, कोई भी धनराशि अभ्यर्पण के लिए प्रत्याशित नहीं की जा सकी।

(iii) ₹ 65,90.21 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, नवम्बर 2012 में प्राप्त किया गया ₹ 1,39,00.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अधिक सिद्ध हुआ।

(iv) बचत (अन्य शीर्षों के अन्तर्गत व्याधिव्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न के अधीन हुई:-

'क'क

दय वृत्तिका

okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; +
cpr -

¼ yk[k ₹ ea ½

2225- वृत्तिका वृत्तिका त्कफ; क.क वृत्तिका वृत्तिका त्कफ; क.क
 rFkk vU; fi NM\$ oxka dY; क.क &

01- अनुसूचित जातियों का कल्याण-

001- निदेशन तथा प्रशासन-

04- मंडलीय कार्यालयों का अधिष्ठान

5,33.18

4,65.05

-68.13

वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02, 2002-03, 2004-05, 2006-07 तथा 2011-12 से सम्बन्धित ₹ 2.64 लाख उचन्त लेखे के समाशोधन के सम्मिलित है।

¼ yk/k ₹ es ½

05- जिला कार्यालयों का अधिष्ठान	32,76.86	30,97.58	-1,79.28
वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02, 2003-04, 2004-05, 2005-06, 2006-07, 2007-08 तथा 2010-11 से सम्बन्धित ₹ 1,51.92 लाख उचन्त लेखे के समाशोधन के सम्मिलित है।			
102- आर्थिक विकास—			
03- औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों से प्रशिक्षित अनुसूचित जाति के व्यक्तियों हेतु निजी उद्यम प्रोत्साहन योजना	76.62	60.35	-16.27
वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02, 2002-03 तथा 2010-11 से सम्बन्धित ₹ 0.30 लाख उचन्त लेखे के समाशोधन के सम्मिलित है।			
277- शिक्षा—			
04- अनुसूचित जातियों के लिए छात्रावास—			
मूल	17,65.70		
पुनर्वि०	30.00		
प्रावधान में ₹ 30.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा की गयी वृद्धि अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता के कारण हुई।			
वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02, 2002-03, 2005-06, 2006-07, 2007-08, 2010-11 तथा 2011-12 से सम्बन्धित ₹ 52.05 लाख उचन्त लेखे के समाशोधन के सम्मिलित है।			
05- अनुसूचित जातियों के छात्रों को निःशुल्क शिक्षा के फलस्वरूप घाटे की प्रतिपूर्ति हेतु अशासकीय विद्यालयों को अनुदान—			
मूल	20.00		
पुनर्वि०	-20.00		
प्रावधान में ₹ 20.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा की गयी कमी आवश्यकता के आधार पर बचत के कारण हुई।			
06- चिकित्सा, अभियंत्रण तथा टेक्नालोजी विषय में अध्ययन करने वाले अनुसूचित जाति के छात्रों को पुस्तक व उपकरण क्रय हेतु अनावर्ती सहायता	25.00	17.50	-7.50
07- विभाग द्वारा सहायता प्राप्त अनुसूचित जाति के वर्तमान पुस्तकालयों छात्रावासों और पाठशालाओं का सुधार एवं विस्तार (जिला योजना)	80,50.00	72,62.96	-7,87.04
वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02, 2009-10 तथा 2011-12 से सम्बन्धित ₹ 52.05 लाख उचन्त लेखे के समाशोधन के सम्मिलित है।			

09- ज्योतिवाराव फूले राजकीय स्वच्छकार आश्रम पद्धति विद्यालय	20,86.10	18,27.62	-2,58.48
वास्तविक व्यय में वर्ष 2002-03, 2006-07, 2007-08, 2008-09, 2009-10 तथा 2010-11 से सम्बन्धित ₹ 8.78 लाख उचन्त लेखे के समाशोधन के सम्मिलित है।			
15- औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत छात्रों को आर्थिक सहायता—			
मूल	10.00		
पुनर्वि०	-10.00
प्रावधान में ₹ 10.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा की गयी कमी आवश्यकता के आधार पर बचत के कारण हुई।			
20- मैला उठाने, चमड़ा उतारने जैसे व्यवसाय करने वाले व्यक्तियों के दशमपूर्व कक्षाओं (कक्षा 1 से 10 तक) अध्ययनरत विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति—			
मूल	3,00.00		
पुनर्वि०	-1,64.76	1,35.24	81.03
प्रावधान में ₹ 1,64.76 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा की गयी कमी आवश्यकता के आधार पर बचत के कारण हुई।			
793- अनुसूचित जातियों की घटक योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता—			
04- सचिवालय स्तरीय अधिष्ठान	40.86	27.65	-13.21
800- अन्य व्यय—			
07- अनुसूचित जाति तथा जन जाति आयोग	3,57.61	1,32.18	-2,25.43
80- सामान्य—			
102- स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान—			
03- डा० अम्बेडकर जन्म शताब्दी फाउन्डेशन की स्थापना	14.80	9.36	-5.44
800- अन्य व्यय—			
03- शैक्षिक कार्यक्रम—			
मूल	12,14.67		
पुनर्वि०	-1,00.00	11,14.67	10,24.94
प्रावधान में ₹ 1,00.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा की गयी कमी आवश्यकता के आधार पर बचत के कारण हुई।			
वास्तविक व्यय में वर्ष 2002-03 तथा 2003-04 से सम्बन्धित ₹ 0.30 लाख उचन्त लेखे के समाशोधन के सम्मिलित है।			

(350)

04- पूर्व दशम कक्षाओं में पढ़ने वाले विमुक्त जातियों के अभ्यर्थियों को छात्रवृत्ति/ अनावर्ती सहायता (कक्षा 1 से 10 तक के छात्रों के लिये)–

मूल	50.00			
पुनर्वि०	-50.00			
		..	6.26	+6.26

प्रावधान में ₹ 50.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा की गयी कमी आवश्यकता के आधार पर बचत के कारण हुई।

वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 से सम्बन्धित ₹ 6.26 लाख उचन्त लेखे के समाशोधन के सम्मिलित है।

2235- I kékftd I j {kk rFkk dY; k.k&

01- पुनर्वास–

800- अन्य व्यय–

03- कश्मीर से आये विस्थापित व्यक्तियों को पुनर्वास हेतु सहायता

27.81	17.51	-10.30
-------	-------	--------

02- समाज कल्याण–

104- वृद्ध, अशक्त तथा निस्सहाय व्यक्तियों का कल्याण–

04- भिक्षावृत्ति का निवारण

3,62.00	2,90.33	-71.67
---------	---------	--------

वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02, 2002-03, 2004-05 तथा 2008-09 से सम्बन्धित ₹ 3.73 लाख उचन्त लेखे के समाशोधन के सम्मिलित है।

05- राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम–

मूल	12,50,00.00			
पुनर्वि०	-13,00.00			

12,37,00.00	12,11,51.58	-25,48.42
-------------	-------------	-----------

प्रावधान में ₹ 13,00.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा की गयी कमी आवश्यकता के आधार पर बचत के कारण हुई।

वास्तविक व्यय में वर्ष 2002-03, 2008-09, 2010-11 तथा 2011-12 से सम्बन्धित ₹ 1,89.50 लाख उचन्त लेखे के समाशोधन के सम्मिलित है।

105- नशाबंदी–

03- अधिष्ठान–

मूल	72.66			
पुनर्वि०	-5.79			

66.87	54.08	-12.79
-------	-------	--------

प्रावधान में ₹ 5.79 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा की गयी कमी आवश्यकता के आधार पर बचत के कारण हुई।

(351)

' kh" kZ

dY vunku

okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; +

cpr -

¼ yk[k ₹ e ½

04- मण्डलीय कार्यालय–

मूल	2,70.22			
पुनर्वि०	5.79			
<p>प्रावधान में ₹ 5.79 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा की गयी वृद्धि धनराशि की आवश्यकता के कारण हुई।</p> <p>वास्तविक व्यय में वर्ष 2003-04, 2004-05 तथा 2006-07 से सम्बन्धित ₹ 1.03 लाख उचन्त लेखे के समाशोधन के सम्मिलित है।</p>				
107- स्वैच्छिक संगठनों को सहायता—				
03- मान्यता प्राप्त निजी संस्थाओं एवं संगठनों को प्राविधि शिक्षण देने के लिये अनुदान		8,75.12	6,37.41	-2,37.71
200- अन्य कार्यक्रम—				
03- आरक्षित वर्ग के अतिरिक्त अन्य वर्गों (सामान्य) के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के पूर्व दशम् (कक्षा 1 से 10 तक) छात्रों को छात्रवृत्ति—				
मूल	1,76,64.00			
पुनर्वि०	-38,00.00			
<p>प्रावधान में ₹ 38,00.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा की गयी कमी वास्तविक व्यय के आधार पर बचत के कारण हुई।</p> <p>वास्तविक व्यय में वर्ष 2002-03, 2004-05, 2009-10 तथा 2011-12 से सम्बन्धित ₹ 1,37.62 लाख उचन्त लेखे के समाशोधन के सम्मिलित है।</p>				
05- सामान्य वर्ग के गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के युवक/युवतियों के लिये पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण		1,08.00	95.80	-12.20
06- सामान्य वर्ग के गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की पुत्रियों की शादी एवं इलाज हेतु आर्थिक सहायता—				
मूल	37,50.00			
पुनर्वि०	-6,00.00			
<p>प्रावधान में ₹ 6,00.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा की गयी कमी वास्तविक व्यय के आधार पर बचत के कारण हुई।</p>				

(352)

' kh" kZ

dy v unku

okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; +
cpr -

¼ yk/k ₹ ea ½

09- समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का कम्प्यूटरीकरण

1,86.55

1,19.78

-66.77

10- मानवाधिकार हनन के प्रकरणों में आर्थिक सहायता—

मूल	50.00			
पुनर्वि०	-50.00			

प्रावधान में ₹ 50.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा की गयी कमी आवश्यकता के आधार पर बचत के कारण हुई।

800- अन्य व्यय—

03- आवासीय संस्थानों के पूर्णकालिक चिकित्सकों की व्यवस्था

19.19	3.33	-15.86
-------	------	--------

60- अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम—

102- समाज सुरक्षा योजनाओं के अधीन पेंशन—

04- रानी लक्ष्मीबाई पेंशन योजना—

मूल	4,62,79.52			
पूरक	1,39,00.00	5,89,79.52	5,87,23.59	-2,55.93
पुनर्वि०	-12,00,00			

प्रावधान में ₹ 12,00,00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा की गयी कमी आवश्यकता के आधार पर बचत के कारण हुई।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अंतिम बचत/व्ययाधिक्य/बिना बजट प्रवधान के व्यय के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2013)।

(v) व्ययाधिक्य निम्न के अधीन हुआ :-

2225- वृद्धि प्रतिक्रिया; वृद्धि प्रतिक्रिया; कर्मचारी; विनिर्माण; कर्मचारी

01- अनुसूचित जातियों का कल्याण—

277- शिक्षा—

03- औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन—

मूल	4,39.72			
पुनर्वि०	84.76	5,24.48	4,69.44	-55.04

प्रावधान में ₹ 84.76 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा की गयी वृद्धि अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता के कारण हुई।

(353)

'kh"KZ

dy vupku

okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; +
cpr -

¼ yk/k ₹ ea ½

10- अनुसूचित जाति के कक्षा 1 से 10 तक पढ़ने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति एवं अनावर्ती सहायता—

मूल	3,60,00.00
-----	------------

		3,41,00.00	3,43,90.82	+2,90.82
पुनर्वि०	-19,00.00			

प्रावधान में ₹ 19,00,00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा की गयी कमी आवश्यकता के आधार पर बचत के कारण हुई।

वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02, 2002-03, 2003-04, 2004-05 तथा 2005-06 से सम्बन्धित ₹ 2,91.23 लाख उचन्त लेखे के समाशोधन के सम्मिलित है।

13- अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों के लिए राज्य

सेवाओं हेतु पूर्व परीक्षा-प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना-

मूल	1,40.95			
		2,40.95	3,54.02	+1,13.07
पुनर्वि०	1,00.00			

प्रावधान में ₹ 1,00.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा की गयी वृद्धि अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता के कारण हुई।

वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 तथा 2003-04 से सम्बन्धित ₹ 1,60.09 लाख उचन्त लेखे के समाशोधन के सम्मिलित है।

19- अनुसूचित जाति के दशमोत्तर

कक्षाओं के छात्रों को छात्रवृत्ति-

मूल	3,00,00.00			
		3,83,80.00	3,83,80.00	..
पुनर्वि०	83,80.00			

प्रावधान में ₹ 83,80.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा की गयी वृद्धि अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता के कारण हुई।

793- अनुसूचित जातियों की घटक योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता-

03- मण्डल/जनपद/विकास खंड स्तर

पर शासकीय स्टाफ की व्यवस्था-

मूल	45,02.25			
		51,02.25	48,87.89	-2,14.36
पुनर्वि०	6,00.00			

प्रावधान में ₹ 6,00.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा की गयी वृद्धि वेतन, महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते में बढ़ोत्तरी के कारण हुई।

वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02, 2005-06, 2007-08, 2008-09 तथा 2009-10 से सम्बन्धित ₹ 55.26 लाख उचन्त लेखे के समाशोधन के सम्मिलित है।

(354)

'kh"kl

dy vupku

okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; +
cpr -

¼ yk/k ₹ es ½

800- अन्य व्यय-

05- अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों की

बीमारी के इलाज तथा प्रार्थियों की

पुत्रियों की शादी हेतु आर्थिक सहायता

(जिला योजना)	60,00.00	61,15.85	+1,15.85
--------------	----------	----------	----------

वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02, 2002-03, 2003-04, 2004-05 तथा 2007-08 से सम्बन्धित ₹ 1,58.92 लाख उचन्त लेखे के समाशोधन के सम्मिलित है।

2235- I kelftd I j {kk rFkk dY; k.k&

02- समाज कल्याण-

200- अन्य कार्यक्रम-

07- आरक्षित वर्ग के अतिरिक्त अन्य वर्गों (सामान्य)

के निर्धन अभिभावकों के आश्रित छात्रों को दशमोत्तर

छात्रवृत्ति एवं प्रवेश शुल्क प्रतिपूर्ति

2,78,04.96

2,78,46.25

+41.29

वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 से सम्बन्धित ₹ 41.29 लाख उचन्त लेखे के समाशोधन के सम्मिलित है।

60- अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम-

102- समाज सुरक्षा योजनाओं के अधीन पेंशन-

03- वृद्धावस्था / किसान पेंशन

1,15,92.04

1,17,36.22

+1,44.18

वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02, 2002-03, 2003-04, 2004-05, 2005-06, 2006-07, 2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-11 तथा 2011-12 से सम्बन्धित ₹ 1,59.25 के उचन्त लेखे के समाशोधन के सम्मिलित हैं।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अंतिम व्ययाधिक्य / बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2013)।

vupku l a[; k 81 & l ekt dY; k.k foHkkx ¼ tutkfr dY; k.k ½

eq[; 'kh"kl

dY vupku
; k
fofu; kx

okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; \$
cpr &

¼ gtlj ₹ ea ½

jktLo&

2202- l kekl; f'k{kk}

2204- [ky dln rFkk ; pk l ok; q]

2225- vuq fpr tkfr; kq vuq fpr tutkfr; ka
rFkk vU; fi NM\$ oxka dk dY; k.k]

2235- l keftd l j {kk rFkk dY; k.k]

2401- Ql y d'k de]

2402- enk rFkk ty l j {k.k]

2403- i'kq ikyu]

2425- l gdkfj rk]

2515- vU; xke fodkl dk; [æ]

2702- y?kq fl pkbz rFkk

2851- xke rFkk y?kq m | kx

nRrer&

मूल

54,78,85

59,84,57

46,51,64

-13,32,93

पूरक

5,05,72

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि

..

i Hkkfj r&

मूल

10

10

..

-10

पूरक

..

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि

..

i wthxr&

4215- ty iwrz rFkk l Qkbz ij i wthxr ifj0; ;]

4225- vuq fpr tkfr; kq vuq fpr tutkfr; ka rFkk vU;
fi NM\$ oxka dk dY; k.k ij i wthxr ifj0; ;]

4250- vU; l ekt l okvka ij i wthxr ifj0; ;]

4406- okfudh rFkk ol; thou ij i wthxr ifj0; ;]

ed; 'kh"kl

dy vupku

okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; \$
cpr &

¼ gtlj ₹ ea ½

nRrer&

मूल

22,66,63

पूरक

..

22,66,63

12,46,67

-10,19,96

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि

fVli f.k; ka , oa VhdK; &

jktLo&

nRrer&

..

- (i) वास्तविक व्यय ₹ 46,51.64 लाख में उचन्त लेखे के समाशोधन के वर्ष 2011-12 से सम्बन्धित धनराशि ₹ 18.47 लाख सम्मिलित है।
- (ii) ₹ 13,51.40 लाख (₹ 13,32.93 लाख + ₹ 18.47 लाख) की अन्तिम बचत में से, कोई भी धनराशि अभ्यर्पण के लिए प्रत्याशित नहीं की जा सकी।
- (iii) ₹ 13,51.40 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, नवम्बर 2012 में प्राप्त किया गया ₹ 5,05,72 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ। इसे यथावश्यक सांकेतिक धनराशि से सीमित किया जा सकता था।
- (iv) बचत मुख्यतः निम्न के अधीन हुई :-

'kh"kl

dy vupku

okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; +
cpr -

¼ yk[k ₹ ea ½

2202- I kekl; f' k{kk&

01- प्रारम्भिक शिक्षा-

796- जनजाति क्षेत्र उप योजना-

01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र
द्वारा पुरोनिधानित योजनायें

10,00.00

8,23.65

-1,76.35

2204- [ky din rFkk ; pk l ok; &

796- जनजाति क्षेत्र उप योजना-

01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र
द्वारा पुरोनिधानित योजनायें

1,02.42

3.93

-98.49

2225- vuq fpr tkfr; kq vuq fpr tutkfr; ka
rFkk vU; fi NM& oxkq dk dY; k.k&

02- अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-

796- जनजाति क्षेत्र उप योजना-

01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र
द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-

मूल

7,15.24

पूरक

4,55.72

11,70.96

4,21.63

-7,49.33

' kh"lz	dlg vuqku	okLrfod 0; ; ¼ yk[k ₹ ee ½	vf/kd 0; ; + cpr -
03- मुख्यालय अधिष्ठान	1,32.38	1,10.80	-21.58
05- एकीकृत जनजाति विकास परियोजना का क्रियान्वयन	50.22	20.85	-29.37
06- जिला कार्यालय का जनजाति विकास सम्बन्धी अधिष्ठान	24.99	11.15	-13.84
07- प्रदेश में निवास करने वाली जनजाति जो इस समय अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल हैं के लिए सहायक अनुदान	10.00	1.70	-8.30
08- अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों के लिये छात्रावास	18.51	5.12	-13.39
11- अनुसूचित जन जातियों के कक्षा 1 से 10 तक विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति एवं अनावर्ती सहायता	6,80.00	5,40.85	-1,39.15
14- अनुसूचित जनजातियों की सहायता प्राप्त पाठशालाओं, पुस्तकालयों व छात्रावासों के सुधार/विकास	22.75	7.57	-15.18

2515- vll; xke fodkl dk; bde&

796- जनजाति क्षेत्र उप योजना—

01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र

द्वारा पुरोनिधानित योजनायें

15.00

6.55

-8.45

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2013)।

(v) व्ययाधिक्य निम्न के अधीन हुआ :-

2235- I kekftd I j {kk rFkk dY; k.k&

02- समाज कल्याण—

796- जनजाति क्षेत्र उप योजना—

04- पुष्टाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत समन्वित

बालविकास परियोजनाओं पर राज्य सरकार

द्वारा दिये जाने वाला पोषाहार

(के050/रा050—के0+रा0)

..

18.47

+18.47

वास्तविक व्यय में वर्ष 2011-12 से सम्बन्धित ₹ 18.47 लाख उचन्त लेखे के समाशोधन के सम्मिलित है।

i wthxr&

nRrer&

(vi) ₹ 10,19.96 लाख की अन्तिम बचत में से, कोई भी धनराशि अभ्यर्पण के लिए प्रत्याशित नहीं की जा सकी।

(vii) बचत मुख्यतः निम्न के अधीन हुई :-

' kh"kl

dgy vupku

okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; +

cpr -

¼ yk[k ₹ ea ½

4215- ty ifrl rFkk l Qkbl ij i wthxr ifj0; ; &

01- जलपूर्ति -

796- जनजाति क्षेत्र उप योजना-

01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र

द्वारा पुरोनिधानित योजनायें

89.00

61.99

-27.01

4225- vud fpr tkfr; kq vud fpr tutkfr; ka rFkk vU;

fi NM; oxkkl dk dY; k.k ij i wthxr ifj0; ; &

02- अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-

796- जनजाति क्षेत्र उप योजना-

01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र

द्वारा पुरोनिधानित योजनायें

19,02.01

10,74.92

-8,27.09

04- अनुसूचित जनजातियों के लिये

राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों

के अधूरे भवनों का निर्माण

90.00

..

-90.00

05- अनुसूचित जनजातियों के लिये

बालक एवं बालिकाओं के लिये

छात्रावास का निर्माण

29.19

..

-29.19

4250- vU; l ekt l okvka ij i wthxr ifj0; ; &

796- जनजाति क्षेत्र उप योजना-

03- अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण

संस्थानों की स्थापना

1,00.00

53.33

-46.67

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अंतिम बचत/सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2013)।

वृत्तव्युत्पत्ति विवरण 82 & विवरण फल

विवरण	वृत्तव्युत्पत्ति विवरण	वृत्तव्युत्पत्ति विवरण	वृत्तव्युत्पत्ति विवरण	वृत्तव्युत्पत्ति विवरण
2010-11: विवरण फल				
मूल	33,86,96			
पूरक	..			
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2013)		33,86,96	28,48,10	-5,38,86
2011-12: विवरण फल				
मूल	3,45,37			
पूरक	15,00			
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2013)		3,60,37	3,52,33	-8,04
2012-13: विवरण फल				
मूल	3,53,17			
पूरक	1,00,00			
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि		4,53,17	4,53,17	..

अनुदान के राजस्व प्रभाग के अन्तर्गत आकस्मिता निधि से मार्च 2013 में स्वीकृत अग्रिम में से व्यय किये गये किन्तु वर्ष के समाप्ति तक निधि में वापस न किये गये ₹ 14,14 हजार सम्मिलित नहीं हैं।

विवरण, विवरण फल &
वृत्तव्युत्पत्ति
विवरण

- (i) वास्तविक व्यय ₹ 28,48.10 लाख में उचन्त लेखे के समाशोधन के वर्ष 2003-04, 2005-06, 2007-08 तथा 2009-10 से सम्बन्धित धनराशि ₹ 10.09 लाख सम्मिलित हैं।
₹ 5,48.95 लाख (₹ 5,38.86 लाख + ₹ 10.09 लाख) की अंतिम बचत के विरुद्ध, मात्र ₹ 5,48.93 लाख की धनराशि अभ्यर्पण के लिये प्रत्याशित की जा सकी ।

(ii) बचत (अन्य शीर्षों के अन्तर्गत व्ययाधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) निम्न के अधीन हुई :-

'kh"kl	dy vupku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ;	+
				cpr -

¼ yk[k ₹ ee ½

2070- vU; i t kkl fud l ok; &

104- सतर्कता-

03- सतर्कता आयोग एवं प्रशासनिक न्यायाधिकरण-

मूल	2,36.15]	1,61.97	1,61.97	..
पुनर्वि०	-74.18				

₹ 74.18 लाख का अभ्यर्पण मुख्यतः पदों के रिक्त होने, आर्थिक मितव्ययिता, अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा एल०टी०सी० के दावे प्राप्त न होने इत्यादि के कारण हुआ ।

04- सतर्कता निदेशालय-

मूल	31,50.81]	26,76.06	26,86.14	+10.08
पुनर्वि०	-4,74.75				

₹ 4,74.75 लाख का अभ्यर्पण पदों के रिक्त होने, बिल प्राप्त न होने तथा दो वाहन खरीदने के लिये अपर्याप्त धनराशि इत्यादि के कारण हुआ ।

वास्तविक व्यय में वर्ष 2003-04, 2005-06, 2007-08 तथा 2009-10 से सम्बन्धित

₹ 10.08 लाख उचन्त लेखे के समाशोधन के सम्मिलित है ।

i Hkkfj r&

(iii) ₹ 8.04 लाख की अन्तिम बचत में से, ₹ 8.03 लाख की धनराशि का अभ्यर्पण हुआ ।

(iv) ₹ 8.04 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, नवम्बर 2012 में प्राप्त किया गया

₹ 15.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अधिक सिद्ध हुआ ।

(v) बचत निम्न के अधीन हुई :-

'kh"kl	dy fofu; kx	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ;	+
				cpr -

¼ yk[k ₹ ee ½

2070- vU; i t kkl fud l ok; &

104- सतर्कता-

05- लोक आयुक्त संगठन-

मूल	3,45.37]	3,52.34	3,52.33	-0.01
पूरक	15.00				
पुनर्वि०	-8.03				

₹ 8.03 लाख का अभ्यर्पण पदों के रिक्त होने, आर्थिक मितव्ययिता तथा वास्तविक व्यय के बाद बचत के कारण हुआ ।

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2013) ।

vupku l a ; k 83 &l ekt dY; k.k foHkkx
¼vud wpr tkfr; ka ds fy; s fo' ks'k ?kVd ; kstuk½

eq; 'kh"kl

dy vupku

okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; \$
cpr &

¼ g tkj ₹ ea ½

jktLo&

- 2070- vl; i' kkl fud l ok; q
- 2202- l kekl; f' k{kk}
- 2203- rduhdh f' k{kk}
- 2204- [ksy dwn rFkk ; pk l ok; q
- 2210- fpfdRI k rFkk ykd LokLF;]
- 2211- i fjokj dY; k.k]
- 2215- ty iwrz rFkk l Okb]
- 2217- 'kgjh fodkl]
- 2225- vud wpr tkfr; ka vud wpr tutkfr; ka
rFkk vl; fi NM& oxka dk dY; k.k]
- 2230- Je rFkk jkstxkj]
- 2235- l kekftd l g {kk rFkk dY; k.k]
- 2401- Ql y d'k de]
- 2403- i 'kq i kyu]
- 2404- Mjh fodkl]
- 2405- eNyh i kyu]
- 2425- l gdkfjrk]
- 2501- xke fodkl ds fy; s fo' ks'k dk; [da]
- 2505- xke jkstxkj]
- 2506- Hkfe l qkkj]
- 2515- vl; xke fodkl dk; [da]
- 2702- y?qk fl pkb]
- 2801- fctyh]
- 2810- vi kja fjd Atkl l kr rFkk
- 2851- xke rFkk y?qk m | ksx

nRrer&

मूल	66,26,96,95	}	71,74,37,26	54,12,26,80	-17,62,10,46
पूरक	5,47,40,31				

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि

..

i wthxr&

- 4202- f' k{kk} [ksydwn] dyk rFkk
l l dfr ij i wthxr ifj0; ;]

ed; 'kh"lz

dy vuŋku

okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; \$
cpr &

¼ gtkj ₹ ea ½

- 4210- fpfdRI k rFkk ykd LokLF;
ij iwthxr ifj0; ;]
- 4215- ty ifrZ rFkk l QkbZ ij iwthxr ifj0; ;]
- 4216- vkokl ij iwthxr ifj0; ;]
- 4217- 'kgjh fodkl ij iwthxr ifj0; ;]
- 4225- vuq ifpr tkfr; kq vuq ifpr
tutkfr; ka rFkk vU; fi NM\$ oxka
ds dY; k.k ij iwthxr ifj0; ;]
- 4250- vU; l ekt l okvka ij iwthxr ifj0; ;]
- 4406- okfudh rFkk ol; tho ij iwthxr ifj0; ;]
- 4515- vU; xke fodkl dk; Zdeka ij iwthxr ifj0; ;]
- 4575- vU; fo'ks'k {ks= ds dk; Zdeka
ij iwthxr ifj0; ;]
- 4702- y?kq fl pkbZ ij iwthxr ifj0; ;]
- 4801- fctyh ifj; kstukvka ij iwthxr ifj0; ;]
- 5054- l Melks rFkk l sqvka ij iwthxr ifj0; ; , oa
- 6225- vuq ifpr tkfr; ka@vuq ifpr tutkfr; ka rFkk
vU; fi NM\$ oxka ds dY; k.k ds fy; s dtZ

nRrer&

मूल	34,77,77,28	}	34,77,89,80	28,89,06,16	-5,88,83,64
पूरक	12,52				

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि

fVli f.k; ka , oa VhdK; &

jktLo&

nRrer&

- (i) वास्तविक व्यय ₹ 54,12,26.80 लाख में उचन्त लेखे के समाशोधन के वर्ष 2003-04, 2004-05, 2005-06, 2006-07, 2008-09, 2010-11 तथा 2011-12 से सम्बन्धित धनराशि ₹ 13,36.45 लाख सम्मिलित है।
- (ii) ₹ 17,75,46.91 लाख (₹ 17,62,10.46 लाख + ₹ 13,36.45 लाख) की अंतिम बचत में से, कोई भी धनराशि अभ्यर्पण के लिए प्रत्याशित नहीं की जा सकी।
- (iii) ₹ 17,75,46.91 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, नवम्बर 2012 में प्राप्त किया गया ₹ 5,47,40.31 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ। इसे यथावश्यक सांकेतिक धनराशि से सीमित किया जा सकता था ।

(iv) बचत (अन्य शीर्षों के अन्तर्गत व्ययाधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न के अधीन हुई—
 'kh"kl dly vuṅku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; + cpr -
 ¼ yk[k ₹ e½

2070- vU; i' kkl fud l ok; &

789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना—

03- प्रान्तीय रक्षक दल का सशक्तीकरण 2,00.00 93.92 -1,06.08

2202- l kekl; f' k{kk&

01- प्रारम्भिक शिक्षा—

789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना—

01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें 8,39,28.50 7,48,10.98 -91,17.52

वास्तविक व्यय में वर्ष 2005-06, 2010-11 तथा 2011-12 से सम्बन्धित ₹ 30.90 लाख उचन्त लेखे के समाशोधन के सम्मिलित है।

02- माध्यामिक शिक्षा—

789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना—

04- 10वीं पास छात्र-छात्राओं को निःशुल्क टेबलेट उपलब्ध कराया जाना 64,12.00 .. -64,12.00

05- 12वीं पास छात्र-छात्राओं को निःशुल्क लैपटाप उपलब्ध कराया जाना—
 मूल 9,11,42.23
 पुनर्वि० -87.23
 9,10,55.00 8,55.96 -9,01,99.04

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹87.23 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकता के आधार पर बचत के कारण हुई।

06- कन्या विद्या धन योजना—

मूल 1,74,45.77
 पूरक 1,50,00.00 3,25,33.00 3,00,56.10 -24,76.90
 पुनर्वि० 87.23

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 87.23 लाख की वृद्धि योजना के क्रियान्वयन होने के कारण हुई।

80- सामान्य—

789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना—

01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें 22,51.31 17,05.59 -5,45.72

2203- rduhdh f' k{kk&

789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना—

03- आई०टी० पालीटेक्निकों की स्थापना 40.03 28.68 -11.35

2204- [ksy dṅ rFkk ; ṅk l ok; &

789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना—

01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें 10,75.47 22.20 -10,53.27

2210- fpdfRI k rFkk ykxL LokLF; &

01- शहरी स्वास्थ्य सेवायें-एलोपैथी-

789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-

01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र

द्वारा पुरोनिधानित योजनायें

2,10.00

..

-2,10.00

05- चिकित्सा शिक्षा-प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-

789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-

03- शिक्षा

62,57.48

48,62.28

-13,95.20

2217- 'kgjh fodkl &

04- गंदी बस्तियों का विकास-

789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-

01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र

द्वारा पुरोनिधानित योजनायें

5.00

..

-5.00

03- मूलभूत नगरीय सुविधायें एवं आवास

18,50.00

11,04.88

-7,45.12

2225- vuq fpr tkfr; k; vuq fpr tutkfr; k;

rFkk vU; fi NM; oxk; dk dY; k. k&

01- अनुसूचित जातियों का कल्याण-

789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-

05- छत्रपति साहू जी महाराज शोध

एवं प्रशिक्षण संस्थान, लखनऊ

1,01.00

84.41

-16.59

09- राजकीय छात्रावासों/राजकीय आश्रम

पद्धति विद्यालयों का अनुरक्षण

3,00.00

1,21.26

-1,78.74

10- अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं

के छात्रावासों का संचालन

1,40.68

52.91

-87.77

12- राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय-

मूल 12,79.29

52,79.29

48,52.80

-4,26.49

पुनर्वि0 40,00.00

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 40,00.00 लाख की वृद्धि योजना के समुचित क्रियान्वयन होने के कारण हुई। वास्तविक व्यय में वर्ष 2010-11 तथा 2011-12 से सम्बन्धित ₹ 8.57 लाख उचन्त लेखे के समाशोधन के सम्मिलित है।

13- विभिन्न वर्गों की छात्रवृत्ति योजनाओं

का अनुश्रवण एवं कम्प्यूटरीकरण

2,50.00

1,05.71

-1,44.29

(365)

' kh"kl

dgy vupku

okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; +

cpr -

2230- Je rFkk jkst xkj&

02- रोजगार सेवायें-

789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-

01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र

द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-

मूल	68,60.00	}	44,85.92	5,25.23	-39,60.69
पुनर्वि०	-23,74.08				

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 23,74.08 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकता के आधार पर बचत के कारण हुई।

03- अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों हेतु

शिक्षण एवं मार्गदर्शन केन्द्र	1,12.09	31.92	-80.17
-------------------------------	---------	-------	--------

04- उत्तर प्रदेश बेरोजगारी भत्ता योजना के कार्यान्वयन हेतु-

मूल	5,20.83	}	7,50.83	2,69.07	-4,81.76
पुनर्वि०	2,30.00				

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 2,30.00 लाख की वृद्धि शासनादेश के अन्तर्गत जनपदों में चेकों के वितरण हेतु धनराशि की आवश्यकता के कारण हुई।

06- उत्तर प्रदेश बेरोजगारी भत्ता योजना-

मूल	3,77,95.17	}	2,20,68.13	89,20.81	-1,31,47.32
पुनर्वि०	-1,57,27.04				

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 1,57,27.04 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकता के आधार पर बचत के कारण हुई।

03- प्रशिक्षण-

789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-

03- आई०टी०आई० अलीगंज, लखनऊ में प्रादेशिक

स्टाफ प्रशिक्षण एवं शोध केन्द्र	1,03.77	7.32	-96.45
---------------------------------	---------	------	--------

04- राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण

संस्थानों की स्थापना	12,12.60	10,03.55	-2,09.05
----------------------	----------	----------	----------

05- राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में

अल्पकालीन व्यावसायिक प्रशिक्षण	93.09	18.17	-74.92
--------------------------------	-------	-------	--------

2235- l kekftd l j {kk rFkk dY; k. k&

02- समाज कल्याण-

789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-

01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र

द्वारा पुरोनिधानित योजनायें	10,70,00.00	8,89,50.79	-1,80,49.21
	(366)		

' kh"kl

dy vupku

okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; +

cpr -

08- शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को कृत्रिम अंग, श्रवण सहायक यंत्र क्रय हेतु सहायता 1,00.00 50.98 -49.02
वास्तविक व्यय में वर्ष 2004-05 से सम्बन्धित ₹ 2.63 लाख उचन्त लेखे के समाशोधन के सम्मिलित है।

60- अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम-

789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-

04- वृद्धावस्था/किसान पेंशन (राज्य सेक्टर)-

मूल	3,00,00.00	}	2,60,00.00	2,50,95.29	-9,04.71
पुनर्वि०	-40,00.00				

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 40,00.00 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकता के आधार पर बचत के कारण हुई।

वास्तविक व्यय में वर्ष 2003-04 तथा 2008-09 से सम्बन्धित ₹ 25.16 लाख उचन्त लेखे के समाशोधन के सम्मिलित है।

06- राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना 50,00.00 30,97.27 -19,02.73

08- प्रदेश के खतेदार/ सहखातेदार कृषकों की व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना के प्रीमियम हेतु भुगतान 59,22.00 .. -59,22.00

2401- Ql y d'f'k de&

789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-

01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र

द्वारा पुरोनिधानित योजनायें 37,77.50 25,37.54 -12,39.96

04- गन्ना विकास योजना (जिला योजना) 1,47.00 94.53 -52.47

06- प्रदेश के अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में औद्योगिक विकास (जिला योजना) 1,75.00 80.18 -94.82

2403- i 'kq i kyue

789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-

04- गायों एवं भैसों में कृत्रिम गर्भाधान द्वारा पशु

प्रजनन सुविधाओं का सुधार एवं विस्तार

तथा बैफ के माध्यम से प्रजनन सुविधाएं

उपलब्ध कराना (जिला योजना) 4,00.00 1,94.05 -2,05.95

09- एकीकृत सूकर विकास हेतु सूकर

पालक सहकारी समितियों का गठन-

मूल	5,58.00	}	3,29.89	2,97.47	-32.42
पुनर्वि०	-2,28.11				

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 2,28.11 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकता के बाद बचत के कारण हुई।

(367)

' kh"kl

dy vuqku

okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; +

cpr -

¼ yk[k ₹ e½

2425- l gdfj rk&

789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-

04- प्रारम्भिक सहकारी श्रृण समितियों की
अंशपूजी में धनराशि लगाने हेतु
अनुदान (जिला योजना)

50.00

..

-50.00

2501- xke fodkl ds fy; s fo' k'k dk; bde&

01- समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम-

789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-

01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र
द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-

मूल 1,17,50.00

पुनर्वि0 -40,00.00

77,50.00

36,35.42

-41,14.58

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 40,00.00 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकता के बाद बचत के कारण हुई।

05- बंजर भूमि विकास-

789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-

01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र
द्वारा पुरोनिधानित योजनायें

14.88

0.53

-14.35

2505- xke jkst xkj &

60- अन्य कार्यक्रम-

104- सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना-

01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र
द्वारा पुरोनिधानित योजनायें

10.00

..

-10.00

2506- Hkfe l qkkj &

789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-

01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र
द्वारा पुरोनिधानित योजनायें

10.00

0.87

-9.13

2515- vl; xke fodkl dk; bde&

789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-

03- ग्रामीण स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत

स्वच्छ शौचालयों का निर्माण

19,00.00

10,96.99

-8,03.01

वास्तविक व्यय में वर्ष 2008-09 से सम्बन्धित ₹ 10,96.99 लाख उचन्त लेखे के समाशोधन के सम्मिलित है।

05- अम्बेडकर रोजगार योजना

6,00.00

1,92.40

-4,07.60

' kh"KZ

dy vupku

okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; +

cpr -

¼ yk[k ₹ ea ½

2702- y?kq fl pkb&

02- भू-जल-

789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-

04- एलूवियम क्षेत्रों में मध्यम गहरें

नलकूपों का निर्माण

7,65.00

5,80.58

-1,84.42

80- सामान्य-

789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-

03- लघु सिंचाई योजना (जिला योजना)

9.00

0.91

-8.09

2801- fct yh&

05- संचरण एवं वितरण-

789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-

03- पावरलूम बुनकरों के बकाया विद्युत बिलों के भुगतान हेतु-

मूल

27,60.00

पुनर्वि०

-23,80.00

3,80.00

3,71.69

-8.31

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 23,80.00 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकता के बाद बचत के कारण हुई।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अंतिम बचत/सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं

किये गये हैं (जून 2013)।

(v) व्ययाधिक्य (अन्य शीर्षों के अन्तर्गत बचत द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न के अधीन हुआ:-

2202- l kekl; f' k{kk&

02- माध्यामिक शिक्षा-

789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-

03- सावित्रीबाई फूले बालिका

शिक्षा मदद योजना

..

30.03

+30.03

वास्तविक व्यय में वर्ष 2011-12 से सम्बन्धित ₹ 1.89 लाख उचन्त लेखे के समाशोधन के सम्मिलित है।

2225- vuq fpr tkfr; k; vuq fpr tutkfr; k;

rFkk vU; fi NM; oxk; dk dY; k. k&

01- अनुसूचित जातियों का कल्याण-

789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-

01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-

मूल

3,40,73.90

पूरक

3,77,40.31

9,60,65.33

8,44,10.29

-1,16,55.04

पुनर्वि०

2,42,51.12

₹ 2,42,51.12 लाख की शुद्ध वृद्धि में से, पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 3,14,51.12 लाख की प्रावधान में वृद्धि

केन्द्र वित्त पोषित योजना के क्रियान्वयन के कारण हुई तथा ₹ 72.00 लाख की प्रावधान में कमी वास्तविक

आवश्यकता के बाद बचत के कारण हुई।

वास्तविक व्यय में वर्ष 2008-09 तथा 2010-11 से सम्बन्धित ₹ 1.53 लाख उचन्त लेखे के समाशोधन

के सम्मिलित है।

'kh"kl

dy vupku

okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; +

cpr -

¼ yk[k ₹ e½

80- सामान्य-

789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-

03- कोल जाति के लिये

विशेष उत्थान कार्यक्रम

..

63,74.08

+63,74.08

2235- I kekftd I j {kk rFkk dY; k. k&

60- अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम-

789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-

05- उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री महामाया

गरीब आर्थिक मदद योजना

..

4.04

+4.04

वास्तविक व्यय में वर्ष 2010-11 से सम्बन्धित ₹ 4.04 लाख उचन्त लेखे के समाशोधन के सम्मिलित है।

2403- i 'kq ikyu&

789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-

01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-

पुनर्वि0

2,28.11

2,28.11

2,22.73

-5.38

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 2,28.11 लाख की वृद्धि केन्द्र वित्त पोषित योजना के समुचित रूप से क्रियान्वयन होने के कारण हुई।

2515- vll; xke fodkl dk; Øe&

789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-

01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र

द्वारा पुरोनिधानित योजनायें

7,00.00

7,02.60

+2.60

वास्तविक व्यय में वर्ष 2007-08 से सम्बन्धित ₹ 1,00.00 लाख उचन्त लेखे के समाशोधन के सम्मिलित है।

2702- y?kq fl pkb&

80- सामान्य-

789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-

07- लघु तथा सीमान्त कृषकों को कृषि उत्पादन

हेतु सहायता (निःशुल्क बोरिंग)

30,00.00

30,04.15

+4.15

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अंतिम बचत/व्ययाधिक्य/बिना प्रावधान के व्यय किये जाने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2013)।

i wthxr&

nRrer&

(vi) वास्तविक व्यय ₹ 28,89,06.16 लाख में उचन्त लेखे के समाशोधन के वर्ष 2010-11

तथा 2011-12 से सम्बन्धित धनराशि ₹ 31.23 लाख सम्मिलित है।

(vii) ₹ 5,89,14.87 लाख (₹ 5,88,83.64 लाख + ₹ 31.23 लाख) की अंतिम बचत में से, कोई भी

धनराशि अभ्यर्पण के लिए प्रत्याशित नहीं की जा सकी।

(viii) ₹ 5,89,14.87 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, नवम्बर 2012 में प्राप्त किया गया ₹ 12.52 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ix) बचत मुख्यतः निम्न के अधीन हुई :-

	dy vupku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; + cpr -
'kh"kl			
		¼ yk[k ₹ e½	
4202- f'k{kk] [ksydn] dyk rFkk l l dfr ij iwthxr ifj0; ; &			
03- खेलकूद तथा युवा सेवा-			
789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-			
03- अनुसूचित जाति के युवाओं के लिये ग्रामीण स्टेडियम का निर्माण	1,89.66	..	-1,89.66
4210- f'pfdRI k rFkk ykx LokLF; ij iwthxr ifj0; ; &			
01- शहरी स्वास्थ्य सेवायें-			
789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-			
03- जिला/संयुक्त चिकित्सालयों तथा अन्य चिकित्सालयों के लिये उपकरणों का क्रय	3,00.00	..	-3,00.00
04- जिला/संयुक्त चिकित्सालयों में स्वतंत्र विद्युत फीडर का निर्माण	18,00.00	..	-18,00.00
02- ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें-			
789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-			
04- नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का भवन निर्माण (जिला योजना)	6,00.00	4,22.81	-1,77.19
05- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/सा0स्वा0 केन्द्रों व उप केन्द्रों में जल सम्पूर्ति विद्युतीकरण सुधार विस्तार एवं नवीनीकरण	1,00.00	..	-1,00.00
06- सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन निर्माण (जिला योजना)	12,00.00	3,24.29	-8,75.71
08- आयुर्वेदिक चिकित्सालय भवन का निर्माण	81.00	60.85	-20.15
09- सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिये उपकरणों का क्रय	3,74.25	..	-3,74.25
03- चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-			
789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-			
03- राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज की स्थापना	2,00.00	..	-2,00.00

' kh"kl	dy vupku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; + cpr -
		¼ yk[k ₹ ea ½	
04- राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज, कन्नौज	4,25.01	..	-4,25.01
05- राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज, उरई, जालौन	4,25.01	..	-4,25.01
4215- tyi#r#l rFkk l Qkbl ij i#thxr ifj0; ; &			
01- जलपूर्ति -			
789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-			
03- अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में हैण्ड पम्पों का अधिष्ठापन	30,00.00	14,00.00	-16,00.00
4216- vkokl ij i#thxr ifj0; ; &			
03- ग्रामीण आवास-			
789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-			
01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-			
मूल 3,00,00.00	2,09,13.04	1,63,17.32	-45,95.72
पुनर्वि0 -90,86.96			
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹90,86.96 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकता के बाद बचत के कारण हुई।			
4217- 'kgjh fodkl ij i#thxr ifj0; ; &			
60- अन्य शहरी विकास योजनायें-			
789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-			
05- इन्टीग्रेटेड हाउसिंग एण्ड स्लम डेवलपमेन्ट प्रोग्राम (के0 80/रा0 20-के0+रा0)	1,76,13.00	69,22.90	-1,06,90.10
06- जे0एन0एन0यू0आर0एम0 का उपघटक, बेसिक सर्विसेज फार अरबन पूअर (के0 50/रा0 50-के0+रा0)	2,64,20.00	1,40,98.38	-1,23,21.62
4225- vuq #pr tkfr; k# vuq #pr tutkfr; k# rFkk vU; fi NM# oxk# ds dY; k.k ij i#thxr ifj0; ; &			
01- अनुसूचित जातियों का कल्याण-			
789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-			
01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें	35,61.56	6,81.73	-28,79.83
06- अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं के लिये छात्रावासों का निर्माण	2,00.00	..	-2,00.00

' kh"kl	dy vupku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; + cpr -
		¼ yk[k ₹ e½	
08- स्वैच्छिक संस्थाओं/विश्वविद्यालय/विद्यालय परिसर में अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं हेतु छात्रावास	2,00.00	..	-2,00.00
10- अति पिछड़े अनुसूचित जाति समूहों के लिये एकीकृत विकास योजना	7,50.00	5,48.80	-2,01.20
4250- vll; l ekt l okvka ij i wthxr ifj0; ; &			
789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना—			
01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें	1,00.00	..	-1,00.00
03- आई0टी0आई0 अलीगंज, लखनऊ में प्रादेशिक स्टाफ प्रशिक्षण एवं शोध केन्द्र	80.00	..	-80.00
04- राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान—			
मूल 1,25,00.00			
पुनर्वि0 -17,18.98	1,07,81.02	22,90.23	-84,90.79
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 17,18.98 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकता के बाद बचत के कारण हुई।			
05- राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के अवशेष निर्माण	38,49.74	16,62.62	-21,87.12
07- पूर्व से संचालित 14 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में से अवशेष संस्थानों के भवन निर्माण	9,93.10	8,44.22	-1,48.88
08- राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में नये ट्रेड की स्थापना	4,69.20	..	-4,69.20
4515- vll; xke fodkl dk; bdeka ij i wthxr ifj0; ; &			
789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना—			
03- अनुसूचित जाति बाहुल्य आबादी वाले ग्रामों में सामुदायिक हाल/केन्द्र का निर्माण	1,41,75.80	1,16,51.00	-25,24.80
वास्तविक व्यय में वर्ष 2011-12 से सम्बन्धित ₹ 25.00 लाख उचन्त लेखे के समाशोधन के सम्मिलित है।			
05- समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत सी0सी0रोड एवं के0सी0ड्रेन तथा इन्टर लॉकिंग की व्यवस्था	50,00.00	39,66.34	-10,33.66
वास्तविक व्यय में वर्ष 2010-11 से सम्बन्धित ₹ 6.23 लाख उचन्त लेखे के समाशोधन के सम्मिलित है।			
4575- vll; fo' k'k {k= dk; bdeka ij i wthxr ifj0; ; &			
02- पिछड़े क्षेत्र—			
789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना—			
03- पूर्वांचल की विशेष योजनायें	1,00,00.00	76,02.73	-23,97.27
04- बुन्देलखण्ड की विशेष योजनायें	30,00.00	23,89.54	-6,10.46

' kh"kl	dy vuqku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; + cpr -
			¼ yk[k ₹ e½
4702- y?kq fl pkbz ij i wthxr ifj0; ; &			
789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-			
06- लघु सिंचाई योजना के अन्तर्गत ग्राउण्ड वाटर चार्जिंग चेक डेमों का निर्माण (जिला योजना)	3,00.00	2,25.93	-74.07
08- डा0 राम मनोहर लोहिया सामूहिक नलकूप योजना	5,00.00	4,29.29	-70.71
4801- fctyh ifj; kstukvka ij i wthxr ifj0; ; &			
06- ग्रामीण विद्युतीकरण-			
789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-			
03- डा0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजनान्तर्गत ग्रामों के विद्युतीकरण/ सुदृढीकरण कार्यों हेतु उत्तर प्रदेश विद्युत निगम को अंशपूंजी-			
मूल	3,12,00.00		
पुनर्वि0	-1,27,23.25	1,84,76.75	1,84,76.75
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹1,27,23.25 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकता के बाद बचत के कारण हुई।			..
05- किसानों के निजी नलकूपों के ऊर्जाकरण हेतु	34,00.00	17,00.00	-17,00.00
5054- l Mdk rFkk l r qvka ij i wthxr ifj0; ; &			
04- जिला तथा अन्य सड़कें-			
789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-			
08- समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत कृषि विपणन सुविधाओं हेतु ग्रामीण सम्पर्क मार्गों/लघु सेतुओं का निर्माण के नये कार्यों हेतु एकमुश्त व्यवस्था-			
मूल	5,00,00.00		
पुनर्वि0	-4,30,08.40	69,91.60	75,53.57
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹4,30,08.40 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकता के बाद बचत के कारण हुई।			+5,61.97
6225- vuq fpr tkfr; ka@vuq fpr tutkfr; ka rFkk vU; fi NM\$ oxka ds dY; k.k ds fy; s dt&			
01- अनुसूचित जातियों का कल्याण-			
789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-			
03- धोबी समाज के व्यक्तियों को ब्याज रहित ऋण	4,12.00	2,77.92	-1,34.08
उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अंतिम बचत/व्ययाधिक्य/सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2013)।			

(x) व्याधक्य मुख्यतः नलडुन के अधीन हुआ :-

'kh"kl

dy vupku

okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; +

cpr -

¼ yk[k ₹ ea ½

4215- tyi#rl rFkk l Qkbl

ij i#thxr ifj0; ; &

01- जलपूर्ति -

789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-

01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र

द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-

मूल 2,25,00.00

3,15,86.96

3,15,86.96

..

पुनर्वि० 90,86.96

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 90,86.96 लाख की वृद्धि योजना के क्रियान्वयन होने के कारण हुई।

4406- okfudh rFkk ol; tho ij i#thxr ifj0; ; &

01- वानिकी-

789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-

03- सामाजिक वानिकी (सी०सी०एल०)(जिला योजना)-

मूल 15,00.00

32,18.98

32,18.97

-0.01

पुनर्वि० 17,18.98

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 17,18.98 लाख की वृद्धि योजना के समुचित क्रियान्वयन होने के कारण हुई।

4801- fctyh ifj; kstukvka ij i#thxr ifj0; ; &

05- संचरण तथा वितरण-

789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-

04- उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड को वितरण नेटवर्क के सुदृढीकरण हेतु अंशपूजी-

मूल 1,68,00.00

2,95,23.25

2,95,23.25

..

पुनर्वि०

1,27,23.25

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 1,27,23.25 लाख की वृद्धि योजना के समुचित क्रियान्वयन होने के कारण हुई।

5054- l Mdk rFkk l r#vka ij i#thxr ifj0; ; &

04- जिला तथा अन्य सड़के-

789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-

10- कृषि विपणन सुविधाओं हेतु सम्पर्क मार्गों/लघु सेतुओं के नये निर्माण कार्यों हेतु एकमुश्त व्यवस्था-

पूरक 0.01

4,30,08.41

4,15,82.84

-14,25.57

पुनर्वि०

4,30,08.40

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 4,30,08.40 लाख की वृद्धि योजना के समुचित क्रियान्वयन होने के कारण हुई।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अंतिम बचत के कोई कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2013)।

वृत्तिका 1 अंक 84 & 1 के लिए; 1 अंक का उद्देश्य

एक; 'क'क

द्वय वृत्तिका

अनुपूरक 0; ;

वर्ष/क 0; ; \$
cpr &

1/2 गतक ₹ 1/2

जक्तल

2053- फ्तक 1 अंक

2070- वृ; 1 अंक

2075- फो/क 1 के लिए; 1 अंक; अरफक

2250- वृ; 1 के लिए; 1 अंक; अ

नरर

मूल 64,68,26

पूरक 12,50

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2013)

वर्ष/क; क, अ वृ; अ

जक्तल

नरर

- (i) ₹ 61,87.28 लाख की अन्तिम बचत में से, मात्र ₹ 60,69.57 लाख की धनराशि अभ्यर्पण के लिए प्रत्याशित की जा सकी ।
- (ii) ₹ 61,87.28 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, नवम्बर 2012 में प्राप्त किया गया ₹ 12.50 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ। इसे यथावश्यक सांकेतिक धनराशि से सीमित किया जा सकता था ।
- (iii) बचत (एक अन्य शीर्ष के अन्तर्गत अल्प व्ययव्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न के अधीन हुई :-

'क'क

द्वय वृत्तिका

अनुपूरक 0; ;

वर्ष/क 0; ; +
cpr -

1/2 यक/क ₹ 1/2

2053- फ्तक 1 अंक

093- जिला स्थापनाएं-

03- कलेक्टरी स्थापनाएं-

मूल 70.00

पुनर्वि 0 -29.54

40.46

35.09

-5.37

₹ 29.54 लाख का अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं ।

' kh"lz

dly vupku

okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; +

cpr -

¼ yk[k ₹ ea ½

2070- vll; i l kkl fud l ok; &

800- अन्य व्यय—

04- उ० प्र० नागरिक परिषद्—

मूल

11.53

0.92

1.08

+0.16

पुनर्वि०

-10.61

₹ 10.61 लाख का अभ्यर्पण चालू वित्तीय वर्ष 2012-13 में नागरिक परिषद के अध्यक्ष की नियुक्ति न होने के कारण वेतन इत्यादि के भुगतान न होने के कारण हुआ।

05- जनगणना कार्य—2011-

मूल

62,51.00

2,28.62

1,45.83

-82.79

पुनर्वि०

-60,22.38

₹ 60,22.38 लाख का अभ्यर्पण निदेशक, जनगणना उत्तर प्रदेश से प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुआ।

2075- fof0/k l kekl; l ok; &

800- अन्य व्यय—

03- अशोक चक्र श्रृंखला के अन्तर्गत उल्लिखित पुरस्कारों से विभूषित किये जाने वाले उ० प्र० के नागरिकों को नकद पुरस्कार के रूप में एक मुश्त धनराशि—

मूल

1,25.00

1,24.88

98.03

-26.85

पुनर्वि०

-0.12

₹ 0.12 लाख का अभ्यर्पण अशोक चक्र श्रृंखला के अन्तर्गत भुगतान के लिये धनराशि कम होने के कारण हुआ।

2250- vll; l kekf td l ok; &

101- धर्मार्थ प्रायोजनों के लिए दान—

04- कौलाश मानसरोवर का यात्रा पर जाने तीर्थयात्रियों को अनुदान—

पूरक

12.50

7.75

7.75

..

पुनर्वि०

-4.75

₹ 4.75 लाख का अभ्यर्पण कौलाश मानसरोवर यात्रा के लिये तीर्थयात्रियों द्वारा प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुआ।

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत अंतिम बचत/व्ययाधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2013)।

vunqu l a ; k 85 & l ko'rfud m | e foHkx

eq ; ' kh" kZ

diy vunqu

okLrfod 0 ; ;

vf/kd 0 ; ; \$
cpr &

¼ g tkj ₹ ea ½

jktLo&

3475- vU ; l kekl ; vkfFkd l dk ; &

nRrer&

मूल 4,47,85]

4,47,85

3,84,55

-63,30

पूरक ..]

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2013)

63,30

fVli f. k ; ka , oa VhdK ; &

jktLo&

nRrer&

(i) बचत मुख्यतः निम्न के अधीन हुई:-

' kh" kZ

diy vunqu

okLrfod 0 ; ;

vf/kd 0 ; ; +
cpr -

¼ yk/k ₹ ea ½

3475- vU ; l kekl ; vkfFkd l dk ; &

800- अन्य व्यय-

03- सार्वजनिक उद्यम निदेशालय-

मूल 4,32.95]

3,76.93

3,76.93

..

पुनर्वि० -56.02]

₹ 56.02 लाख का अभ्यर्पण महानिदेशक/निदेशक/वित्त नियंत्रक द्वारा वेतन आहरण न किये जाने तथा आर्थिक मितव्ययिता इत्यादि के कारण हुआ।

04- सार्वजनिक उद्यम विभाग(आडिट प्रकोष्ठ)-

मूल 14.90]

7.62

7.62

..

पुनर्वि० -7.28]

₹ 7.28 लाख का अभ्यर्पण आर्थिक मितव्ययिता, वास्तविक व्यय के कारण बचत, आडिट सेल में पूर्ण रूप से कर्मचारियों की नियुक्ति न होने के कारण हुआ।

वृत्तिका 86 & वृत्तिका

वृत्तिका ; 'क'क
 वृत्तिका वृत्तिका वृत्तिका 0 ; ;
 वृत्तिका 0 ; ; \$
 cpr &

¼ गतिका ₹ े ½

वृत्तिका

2220- वृत्तिका रकिका

वृत्तिका

मूल	1,44,94,18]	1,44,94,18	56,83,62	-88,10,56
पूरक	..				
वृत्तिका की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2013)					15,59,94

वृत्तिका ; का , वा वृत्तिका ; &

वृत्तिका

वृत्तिका

- (i) वास्तविक व्यय ₹ 56,83.62 लाख में उच्चत लेखे के समाशोधन के वर्ष 2001-02, 2003-04, 2004-05, 2006-07, 2007-08 तथा 2011-12 से सम्बन्धित धनराशि ₹ 3.28 लाख सम्मिलित हैं।
- (ii) ₹ 88,13.84 लाख (₹ 88,10.56 लाख + ₹ 3.28 लाख) की अंतिम बचत के विरुद्ध, मात्र ₹ 15,59.94 लाख की धनराशि अभ्यर्पण के लिये प्रत्याशित की जा सकी।
- (iii) बचत (अन्य शीर्षों के अन्तर्गत व्ययाधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) निम्न के अधीन हुई :-

'क'क वृत्तिका वृत्तिका 0 ; ; वृत्तिका 0 ; ; +
 cpr -

¼ यकिका ₹ े ½

2220- वृत्तिका रकिका

60- अन्य-

001- निदेशन तथा प्रशासन-

03- अधिष्ठान व्यय-

मूल	14,22.33]	13,30.74	13,30.66	-0.08
पुनर्वि०	-91.59				

₹ 91.59 लाख की शुद्ध बचत में से, ₹ 51.59 लाख का अभ्यर्पण आर्थिक मितव्ययिता, वेतन बिलों के प्राप्त न होने, कार्मिकों द्वारा एल०टी०सी० का उपयोग न करने, स्थानान्तरण कम होने, पशिक्षण का आयोजन न होने तथा वर्दी की देयता न होने के कारण हुआ। प्रावधान में ₹ 50.00 लाख की कमी सेवा निवृत्ति के बाद रिक्त पदों पर नियुक्ति न होने के कारण हुई। प्रावधान में ₹ 10.00 लाख की वृद्धि चिकित्सा-प्रतिपूर्ति के भुगतान के कारण हुआ।

101- विज्ञापन तथा दृश्य प्रचार—

05- अधिष्ठान—

मूल	91,49.65]	86,16.49	13,65.56	-72,50.93
पुनर्वि०	-5,33.16				

₹ 5,33.16 लाख की कुल बचत में से, पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में ₹ 8.00 लाख की कमी सेवा निवृत्ति के बाद रिक्त पदों पर नियुक्ति न होने के कारण हुई। ₹ 5,25.16 लाख का अभ्यर्पण आर्थिक मितव्ययिता, बिलों के प्राप्त न होने, देयकों की आहरण प्रक्रिया अपूर्ण होने, कार्मिकों द्वारा एल०टी०सी० का उपयोग न करने के कारण हुआ।

वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02, 2003-04 तथा 2006-07 से सम्बन्धित ₹ 0.50 लाख उचन्त लेखे के समाशोधन के सम्मिलित है।

102- सूचना केन्द्र—

03- सूचना केन्द्र का अधिष्ठान—

मूल	3,78.94]	3,44.86	3,44.12	-0.74
पुनर्वि०	-34.08				

₹ 34.08 लाख का अभ्यर्पण मुख्यतः रिक्त पदों पर नियुक्ति न होने, आर्थिक मितव्ययिता, कम संख्या में स्थानान्तरण होने, कार्मिकों द्वारा एल०टी०सी० का उपयोग न होने, देयकों के प्राप्त न होने तथा प्रशिक्षण का आयोजन न होने के कारण हुआ।

103- प्रेस सूचना सेवायें—

03- प्रेस सूचना सेवायें कार्यक्रम—

मूल	30.04]	18.99	18.99	..
पुनर्वि०	-11.05				

₹ 11.05 लाख का अभ्यर्पण निष्प्रयोज्य टेलिप्रिन्टर सेवाओं की समाप्ति के कारण हुआ।

109- फोटो सेवायें—

03- अधिष्ठान—

मूल	1,22.60]	1,03.78	1,03.88	+0.10
पुनर्वि०	-18.82				

₹ 18.82 लाख का अभ्यर्पण सेवानिवृत्ति के बाद रिक्त पदों पर नियुक्ति न होने, आर्थिक मितव्ययिता, समय पर देयकों के प्राप्त न होने के कारण हुआ।

110- प्रकाशन—

03- अधिष्ठान—

मूल	14,70.60	}	6,58.22	6,58.99	+0.77
पुनर्वि०	-8,12.38				

₹ 8,12.38 लाख की कुल बचत में से, प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 23.53 लाख की कमी सेवा निवृत्ति के बाद रिक्त पदों पर नियुक्ति न तथा ₹ 7,88.85 लाख का अभ्यर्पण आर्थिक मितव्ययिता, प्रकाशन स्टोर से सम्बन्धित किराया के देयकों के प्राप्त न होने, सन्दर्भित वर्ष में आकस्मिक प्रकाशन कार्य न होने, सी0एम0ओ0 द्वारा समय पर अनुसंशा प्राप्त न होने, प्रशिक्षण का आयोजन न होने के कारण हुआ। वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 तथा 2004-05 से सम्बन्धित ₹ 0.79 लाख उचन्त लेखे के समाशोधन के सम्मिलित है।

111- सामुदायिक रेडियो तथा टेलीविजन—

03- अधिष्ठान—

मूल	87.08	}	78.11	78.09	-0.02
पुनर्वि०	-8.97				

₹ 8.97 लाख का अभ्यर्पण आर्थिक मितव्ययिता, देयकों के प्राप्त न होने, सेवानिवृत्ति के बाद रिक्त पदों पर नियुक्ति न होने इत्यादि के कारण हुआ।

800- अन्य व्यय—

07- फिल्म विकास निधि की स्थापना—

मूल	50.00	}
पुनर्वि०	-50.00				

₹ 50.00 लाख का अभ्यर्पण फिल्म विकास निधि में पर्याप्त धनराशि होने तथा वर्ष के दौरान अनुदान से सम्बन्धित अपरिपक्व प्रस्ताव के कारण धनराशि की आवश्यकता न होने के कारण हुआ।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अंतिम बचत/व्ययाधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2013)।

(iv) व्ययाधिक्य निम्न के अधीन हुआ :-

'kh"z

dy vupku

okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; +

2220- l ipuk rFkk i pkj &

60- अन्य-

106- क्षेत्र प्रचार-

03- अधिष्ठान-

मूल	15,20.68	}	15,33.57	15,33.89	+0.32
पुनर्वि०	12.89				

₹ 12.89 लाख की शुद्ध वृद्धि में से, ₹ 54.57 लाख का अभ्यर्पण आर्थिक मितव्ययिता, कम्प्यूटर क्रय प्रक्रिया का पूर्ण न होने, कार्मिकों द्वारा एल0टी0सी0 का उपयोग न करने, जनपद कार्यालयों द्वारा सरकारी भवनों का अनुरक्षण कार्य न कराये जाने, देयकों के प्राप्त न होने, कम संख्या में स्थानान्तरण होने तथा जनपद कार्यालयों में डी0ए0 एरियर का भुगतान न होने के कारण हुआ। प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 67.46 लाख की वृद्धि अनुदान आवश्यकता से कम स्वीकृत किये जाने, माननीय न्यायालय के आदेशानुसार समूह 'ग' की नियुक्तियाँ किये जाने, एरियर भुगतान एवं डी0ए0 की दर में वृद्धि तथा चिकित्सा-प्रतिपूर्ति के भुगतान के कारण हुई।

वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02, 2004-05 तथा 2011-12 से सम्बन्धित ₹ 1.70 लाख उचन्त लेखे के समाशोधन के सम्मिलित है।

वृत्तिका I अ; क 87 & I सुद dY; क.क foHkkx

दृ; 'kh"z

dY वृत्तिका

okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; \$
cpr &

¼ gtlj ₹ ea ½

jktLo&

2075- fofo/k I kekl; I dk; rFkk

2235- I kekftd I j{kk rFkk dY; क.क

nRrer&

मूल	42,94,06	}
पूरक	..	

42,94,06

34,29,91

-8,64,15

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि

..

iwthxr&

4235- I kekftd I j{kk rFkk dY; क.क

ij iwthxr ifj0; ;

nRrer&

मूल	1,43,88	}
पूरक	..	

1,43,88

1,43,88

..

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि

..

fVli f.k; ka , oa VhdK; &

jktLo&

nRrer&

- (i) वास्तविक व्यय ₹ 34,29.91 लाख में उचन्त लेखे के समाशोधन के वर्ष 2001-02, 2002-03, 2003-04, 2004-05, 2005-06, 2006-07, 2007-08, 2008-09, 2009-10 तथा 2011-12 से सम्बन्धित धनराशि ₹ 34.76 लाख सम्मिलित हैं।
- (ii) ₹ 8,98.91 लाख (₹ 8,64.15 लाख + ₹ 34.76 लाख) की अन्तिम बचत में से, कोई भी धनराशि अभ्यर्पण के लिए प्रत्याशित नहीं की जा सकी।
- (iii) बचत मुख्यतः निम्न के अधीन हुई :-

'kh"z

dY वृत्तिका

okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; +
cpr -

¼ yk[k ₹ ea ½

2075- fofo/k I kekl; I dk; &

104- विशिष्ट सेवाओं के प्रतिफल
में पेंशन तथा पुरस्कार—

06- उत्तर प्रदेश के निवासी द्वितीय विश्वयुद्ध के भूतपूर्व

सैनिक एवं उनकी विधवाओं को पेंशन

26,00.00

19,92.57

-6,07.43

वास्तविक व्यय में वर्ष 2005-06 तथा 2011-12 से सम्बन्धित ₹ 25.09 लाख उचन्त लेखे के समाशोधन के सम्मिलित हैं।

' kh"kl

dy vupku

okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; +
cpr -

¼ yk[k ₹ ea ½

2235- I kekftd I j {kk rFkk dY; k.k&60- अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा
कल्याण कार्यक्रम-

200- अन्य कार्यक्रम-

03- सैनिक कल्याण एवं

पुनर्वास निदेशालय

15,88.90

13,47.96

-2,40.94

वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02, 2002-03, 2003-04, 2004-05, 2006-07, 2007-08, 2008-09, 2009-10
तथा 2011-12 से सम्बन्धित ₹ 9.66 के उच्चत लेखे के समाशोधन के सम्मिलित हैं।

04- शहीद/पूर्व सैनिकों के आश्रितों को

रोजगार परक प्रशिक्षण

10.92

0.01

-10.91

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2013)।

(iv) व्ययाधिक्य निम्न के अधीन हआ :-

2075- fofo/k I kekU; I dk; &

800- अन्य व्यय-

03- राज्य स्तरीय पूर्व सैनिक

सम्मेलन का आयोजन

5.00

6.50

+1.50

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत अंतिम व्ययाधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2013)।

वृत्तिका 1 अ; क 88 & 1 अफकर फोर फोहकx ¼ फुनस क्य; ½

अ; 'क'कz द्य वृत्तिका अलरफद 0; ; व/कद 0; ; \$
cpr &

¼ गतकx ₹ अ ½

जक्तल&

2052- 1 फपोक; & 1 केक; 1 अक; &

नरर&

मूल	5,10,51	}	5,27,84	4,88,59	-39,25
पूरक	17,33				

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2013)

39,26

व/ल.क; का , अा व/क; &

जक्तल&

नरर&

- (i) ₹ 39.25 लाख की अन्तिम बचत में से, ₹ 39.26 लाख का अभ्यर्पण न्यायसंगत नहीं था तथा व्यय के त्रुटिपूर्ण अनुमान का द्योतक था।
- (ii) ₹ 39.25 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, नवम्बर 2012 में प्राप्त किया गया ₹ 17.33 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ। इसे यथावश्यक सांकेतिक धनराशि से सीमित किया जा सकता था।
- (iii) बचत निम्न के अधीन हुई :-

'क'कz द्य वृत्तिका अलरफद 0; ; व/कद 0; ; +
cpr -

¼ यक/क ₹ अ ½

2052- 1 फपोक; & 1 केक; 1 अक; &

091- संलग्न कार्यालय&

03- संस्थागत वित्त निदेशालय-

मूल	3,54.83	}	3,36.06	3,36.03	-0.03
पूरक	17.33				
पुनर्वि०	-36.10				

₹ 36.10 लाख का अभ्यर्पण पदों के रिक्त होने, स्थानान्तरण न होने तथा वास्तविक आवश्यकता के आधार पर व्यय के कारण हुआ।

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2013)।

वृत्तिका 1 अ; क 89 & 1 अफकर फोर फोहकx
¼ ओफ.कT; दज ½

दृ; 'kh"z

दृ वृत्तिका
; क
फोफु; कx

ओलरफोद 0; ;

वृ/कद 0; ; \$
cpr &

¼ gtkj ₹ ea ½

jktLo&

2040- फओh] 0; कि क्ज वकfn ij दज]

2049- 0; कt vnk; fx; क

2052- 1 fpoky; &1 केकु; 1 ओक; द

2059- ykd fueZk dk; 1 rFkk

2216- vkokl

nRrer&

मूल 4,67,61,09

4,67,61,09

4,31,77,93

-35,83,16

पूरक ..

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2013)

37,10,30

i Hkkfj r&

मूल 65,45,02

65,45,02

65,47,25

+2,23

पूरक ..

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2013)

4,41

i wthxr&

4059- ykd fueZk dk; 1 ij i wthxr ifj0; ;

nRrer&

मूल 9,71,74

9,71,74

9,49,17

-22,57

पूरक ..

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2013)

15,88

fVli f.k; ka , oa Vhdk; &

jktLo&

nRrer&

- (i) वास्तविक व्यय ₹ 4,31,77.93 लाख में उचन्त लेखे के समाशोधन के वर्ष 2000-01, 2001-02, 2002-03, 2005-06, 2006-07, 2007-08, 2008-09, 2010-11 तथा 2011-12 से सम्बन्धित धनराशि ₹ 1,31.31 लाख सम्मिलित हैं।
- (ii) ₹ 37,14.47 लाख (₹ 35,83.16 लाख + ₹ 1,31.31 लाख) की अंतिम बचत में से, मात्र ₹ 37,10.30 लाख की धनराशि अभ्यर्पण के लिये प्रत्याशित की जा सकी।

- (iii) बचत (अन्य शीर्षों के अन्तर्गत व्ययाधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न के अधीन हुई :-
' kh"kl dly vupku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; + cpr -

¼ yk[k ₹ es ½

2040- fcØh] 0; ki kj vkfn ij dj&

800- अन्य व्यय—

03- वाणिज्य कर आयुक्त का अधिष्ठान—

मूल	4,43,57.07	}	4,07,25.13	4,08,54.46	+1,29.33
पुनर्वि०	-36,31.94				

₹ 36,31.94 लाख का अभ्यर्पण पदों के रिक्त होने, आर्थिक मितव्ययिता तथा वास्तविक व्यय के बाद बचत के कारण हुआ।

वास्तविक व्यय में वर्ष 2000-01, 2001-02, 2002-03, 2005-06, 2006-07, 2007-08, 2008-09, 2010-11 तथा 2011-12 से सम्बन्धित ₹ 1,29.04 लाख उचन्त लेखे के समाशोधन के सम्मिलित है।

05- व्यवस्थापन आयोग का अधिष्ठान—

मूल	29.37	}	..	1.58	+1.58
पुनर्वि०	-29.37				

₹ 29.37 लाख का अभ्यर्पण सेवा-शर्तों के निर्धारण न होने के कारण रिक्त पदों में नियुक्ति न किये जाने के कारण हुआ।

वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 से सम्बन्धित ₹ 1.58 लाख उचन्त लेखे के समाशोधन के सम्मिलित है। उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अंतिम व्ययाधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2013)।

i Hkkfj r&

(iv) व्यय प्रभारित विनियोग से ₹ 2,22,937 अधिक हुआ, अधिक व्यय का नियमानुकूलन अपेक्षित है।

(v) ₹ 2.23 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए, ₹ 4.41 लाख का अभ्यर्पण न्यायसंगत नहीं था तथा व्यय के त्रुटिपूर्ण अनुमान का द्योतक था।

(vi) व्ययाधिक्य (अन्य शीर्षों के अन्तर्गत बचत द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) निम्न के अधीन हुआ :-

' kh"kl dly fofu; kx okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; + cpr -

¼ yk[k ₹ es ½

2049- C; kt vnk; fx; k&

60- अन्य दायित्वों पर ब्याज—

701- विविध—

03- प्रवेश कर के जमा खाते

पर ब्याज का भुगतान	65,35.00	65,42.24	+7.24
--------------------	----------	----------	-------

वास्तविक व्यय में वर्ष 2004-05 से सम्बन्धित ₹ 7.24 लाख उचन्त लेखे के समाशोधन के सम्मिलित है।

(vii) बचत निम्न के अधीन हुई :-

'kh"kl

dy fofu; kx

okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; +

cpr -

¼ yk[k ₹ ea ½

2040- fcØh] 0; ki kj vkfn ij dj&

800- अन्य व्यय-

03- वाणिज्य कर आयुक्त का अधिष्ठान-

मूल

10.00

5.61

5.01

-0.60

पुनर्वि०

-4.39

₹ 4.39 लाख का अभ्यर्पण वास्तविक व्यय के बाद बचत के कारण हुआ ।

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2013)।

i wthxr&

nRrer&

(viii) ₹ 22.57 लाख की अन्तिम बचत में से, मात्र ₹ 15.88 लाख की धनराशि अभ्यर्पण के लिए प्रत्याशित की जा सकी।

(ix) बचत निम्न के अधीन हुई :-

'kh"kl

dy vupku

okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; +

cpr -

¼ yk[k ₹ ea ½

4059- ykd fuekzk dk; l ij i wthxr ifj0; ; &

01- कार्यालय भवन-

051- निर्माण-

31- सहायता केन्द्र/विभागीय कार्यालय

भवनों/आवासीय भवनों में

लघु निर्माण कार्य-

मूल

50.00

34.12

27.43

-6.69

पुनर्वि०

-15.88

₹ 15.88 लाख का अभ्यर्पण कोई प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुआ ।

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2013)।

वृत्तगत 19 वें वर्ष के लिए व्यय

वर्ष: 1957

वृत्तगत व्यय ;
; क
व्यय ;

वर्ष/वर्ष ; ; \$
प्रति

(गति ₹ में)

वृत्तगत

2045- व्यय के लिए आवंटित राशि

वर्ष के लिए

2049- व्यय ;

2059- व्यय के लिए आवंटित राशि

2071- व्यय के लिए आवंटित राशि

2801- व्यय

व्यय

मूल 54,79,32,12

55,29,32,12 55,28,88,28 -43,84

व्यय 50,00,00

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि

..

व्यय

मूल 39,46,50

39,46,50 32,88,71 -6,57,79

व्यय ..

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि

..

व्यय

4801- व्यय के लिए आवंटित राशि

वर्ष के लिए

6003- व्यय के लिए आवंटित राशि

व्यय

मूल 31,59,25,00

31,92,52,00 31,63,58,78 -28,93,22

व्यय 33,27,00

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि

..

व्यय

मूल 32,37,87

32,37,87 32,37,87 ..

व्यय ..

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि

..

अनुदान के राजस्व प्रभाग के अन्तर्गत व्यय में आकस्मिता निधि से मार्च 2013 में स्वीकृत अग्रिम में से व्यय किए गये किन्तु वर्ष की समाप्ति तक निधि में वापस न किए गये ₹ 2,50,00,00 हजार सम्मिलित नहीं हैं।

fVli f.k; ka , oa fVdk; &

jktLo&

nRrer&

- (i) ₹ 55,28,88.28 लाख के वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02,2003-04 और 2004-05 के उच्चत लेखे के समाशोधन के ₹ 9.10 लाख की धनराशि सम्मिलित है।
- (ii) ₹ 52.94 लाख (₹ 43.84 लाख + ₹ 9.10 लाख), की अन्तिम बचत में से कोई भी धनराशि अभ्यर्पण के लिए प्रत्याशित नहीं की जा सकी ।
- (iii) अन्तिम बचत ₹ 52.94 लाख को देखते हुए, नवम्बर 2012 में प्राप्त किया गया ₹ 50,00.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अधिक सिद्ध हुआ।
- (iv) बचत मुख्यतः निम्न के अधीन हुई:-

'kh"kl

diy vupku okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; \$
cpr&

(yk[k ₹ e)

2045- oLrq/ka rFkk I okvka ij vU; dj

rFkk 'kq/d&

103- संग्रहण प्रभार-विद्युत शुल्क

03- विद्युत सुरक्षा निदेशालय

18,21.62

17,78.15

-43.47

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2013)।

i Hkkfjr&

- (v) ₹ 6,57.79 लाख की अन्तिम बचत में से कोई भी धनराशि अभ्यर्पण के लिए प्रत्याशित नहीं नहीं की जा सकी ।

- (vi) बचत मुख्यतः निम्न के अधीन हुई:-

'kh"kl

diy fofu; ksx okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; \$
cpr&

(yk[k ₹ e)

2049- C; kt vnk; fx; k&

01- आन्तरिक ऋण पर ब्याज-

200- अन्य आन्तरिक ऋणों पर ब्याज-

03- राजीव ग्रामीण विद्युतीकरण योजनान्तर्गत -

ग्रामीण विद्युतीकरण निगम से प्राप्त ऋण

पर ब्याज

38,62.00

32,04.21

-6,57.79

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2013)।

i wthxr&
nRrer&

(vii) बचत मुख्यतः निम्न के अधीन हुई:-

'kh"kl

dy vupku okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; \$

cpr&

(yk[k ₹ ea)

4801- fctyh ifj; kstukvka ij i wthxr ifj0; ; &

02- ताप विद्युतशक्ति उत्पादन-

190- सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य
उपक्रमों में निवेश-

04- उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि. के
परियोजनाओं के प्रदूषण नियंत्रण कार्यक्रम हेतु
अंशपूजी विनियोजन-

मूल	20,00.00	}	6,60.00	6,60.00	..
पुनर्वि०	-13,40.00				

प्रावधान में ₹ 13,40.00 लाख की कमी परियोजना के अनुमोदन न होने के कारण हुई ।

09- उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम को
परीछा 2X250मेगावाट द्वितीय विस्तार हेतु
अंशपूजी-

मूल	2,37,20.00	}	1,40,05.00	1,40,05.00	..
पुनर्वि०	-97,15.00				

प्रावधान में ₹ 97,15.00 लाख की कमी योजना के अनुमोदन न होने के कारण हुई ।

11- उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम की
अनपरा 'डी' 2X500 मेगावाट के विस्तार हेतु
अंशपूजी विनियोजन-

मूल	1,45,70.00	}	87,50.00	87,50.00	..
पुनर्वि०	-58,20.00				

प्रावधान में ₹ 58,20.00 लाख की कमी परियोजना के अनुमोदन न होने के कारण हुई ।

14- उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम
लिमिटेड-

मूल	5,84,40.00	}	4,91,70.00	4,81,70.00	-10,00.00
पुनर्वि०	-92,70.00				

प्रावधान में ₹ 92,70.00 लाख की कमी परियोजना के अनुमोदन न होने के कारण हुई ।

' kh"kl

dly vupku

okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; \$

cpr&

(yk[k ₹ e)

06- ग्रामीण विद्युतीकरण-

190- सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश-

03- त्वरित ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम (राजीव गांधी ग्रामीण

विद्युतीकरण कार्यक्रम) हेतु उत्तर प्रदेश विद्युत निगम में

अंशपूंजी विनियोजन(के-100)

1,00,00.00

81,06.78

-18,93.22

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2013)।

(viii) व्ययाधिक्य निम्न के अधीन हुआ:-

4801- fctyh ifj; kstukvka ij i wthxr ifj0; ; &

05- संचरण तथा वितरण-

190- सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य

उपक्रमों में निवेश-

08- उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड को वितरण

नेटवर्क के सुदृढीकरण हेतु अंशपूंजी-

मूल 8,00,00.00

पूरक 33,27.00

पुनर्वि0 2,61,45.00

10,94,72.00

10,94,72.00

..

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 2,61.45 लाख की वृद्धि तापीय ऊर्जा प्रणाली और दूरसंचार नेटवर्क के सुदृढीकरण के लिए अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होने के कारण हुई।

वृत्तिका 1 अ; क 90 & 1 अफकखर फोरर फोहकख
वृत्तिका रफक कथिदज 1/2

अ; 'क'क

दय वृत्तिका

अलरफद 0; ;

वफ/कद 0; ; \$
cpr &

1/2 गतक ₹ अ 1/2

जकतल&

2045- अलरफक रफक 1 अकवका 1 ज

वु; दज रफक 'क'द

नररर&

मूल	70,43,45			
पूरक	..			

70,43,45

69,82,45

-61,00

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2013)

60,67

वलि.क; का , अा वधक; &

जकतल&

नररर&

(i) वास्तविक व्यय ₹ 69,82.45 लाख में उचन्त लेखे के समाशोधन के वर्ष 2001-02 तथा 2010-11 से सम्बन्धित धनराशि ₹ 3.03 लाख सम्मिलित हैं।

(ii) ₹ 64.03 लाख (₹ 61.00 लाख + ₹ 3.03 लाख) की अंतिम बचत में से, मात्र ₹ 60.67 लाख की धनराशि अभ्यर्पण के लिये प्रत्याशित की जा सकी।

(iii) बचत मुख्यतः निम्न के अधीन हुई :-

'क'क

दय वृत्तिका

अलरफद 0; ;

वफ/कद 0; ; +
cpr -

1/2 यक/क ₹ अ 1/2

2045- अलरफक रफक 1 अकवका 1 ज

वु; दज रफक 'क'द&

101- संग्रहण प्रभार-मनोरंजन कर-

03- मनोरंजन कर से सम्बन्धित अधिष्ठान-

मूल	20,43.45			
पुनर्वि०	-40.98			

20,02.47

20,02.14

-0.33

₹ 40.98 लाख की शुद्ध बचत में से, ₹ 60.06 लाख का अभ्यर्पण पदों के रिक्त होने, आर्थिक मितव्ययिता, अधिकारियों/कार्मिकों का मुफ्त प्रशिक्षण होने तथा साफ्टवेयर अनुरक्षण पर कोई व्यय न होने के कारण हुआ प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 19.08 लाख की वृद्धि न्यायालय के आदेशानुसार 12% की दर से सिनेमा मालिकों को ब्याज का भुगतान किये जाने, नये वाहन क्रय किये जाने, साफ्टवेयर क्रय करने तथा उसके अनुरक्षण इत्यादि के कारण हुई।

वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 तथा 2010-11 से सम्बन्धित ₹ 3.03 लाख उचन्त लेखे के समाशोधन के सम्मिलित है।

' kh"kl

dly vuŋku okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; +
cpr -

¼ yk[k ₹ eŋ ½

04- छविगृहों के निर्माण
की प्रोत्साहन योजना—

मूल	50,00.00	}	49,80.31	49,80.31	..
पुनर्वि०	-19.69				

₹ 19.69 लाख की कुल बचत में से, ₹ 0.61 लाख का अभ्यर्पण लम्बित देयकों की राशि अधिक होने के कारण हुआ। प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 19.08 लाख की कमी कुछ मल्टीप्लेक्स के अनुदान की अवधि समाप्त होने के कारण हुई।

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2013)।

व्यय वृद्धि : 91 & 11 फरवरी 2013
 11 फरवरी, 2013

विवरण	व्यय वृद्धि	अनुदान	अनुदान	अनुदान
विवरण	₹	₹	₹	₹
2013-14 फरवरी 2013				
2013-14 फरवरी 2013				
व्यय वृद्धि				
मूल	2,32,33,02			
पूरक	11,00,00			
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2013)		2,43,33,02	2,38,99,94	-4,33,08
व्यय वृद्धि				
मूल	4			
पूरक	..			
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2013)		4	..	-4
व्यय वृद्धि				
4013-14 फरवरी 2013				
व्यय वृद्धि				
मूल	1,53,00			
पूरक	..			
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2013)		1,53,00	1,29,79	-23,21

व्यय वृद्धि : 91 & 11 फरवरी 2013
 व्यय वृद्धि

- ₹ 2,38,99.94 लाख के वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02, 2002-03 तथा 2004-05 के उच्चतम लेखों के समाशोधन के ₹ 1.75 लाख की धनराशि सम्मिलित हैं।
- ₹ 4,34.83 लाख (₹ 4,33.08 लाख + ₹ 1.75 लाख) की अन्तिम बचत को देखते हुए, ₹ 12,55.11 लाख का अभ्यर्पण न्यायसंगत नहीं था तथा व्यय के त्रुटिपूर्ण अनुमान का द्योतक था।
- ₹ 4,34.83 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए, नवम्बर 2012 में प्राप्त किया गया ₹ 11,00.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अधिक सिद्ध हुआ।

(iv) बचत (अन्य शीर्षों के अन्तर्गत व्याधिव्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न के अधीन हुआ:-
 'kh"kl dy vupku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; + cpr -

¼ yk[k ₹ ea ½

2030- LVkEi i athdj .k&

01- स्टाम्प-न्यायिक-

101- स्टाम्पों की लागत-

03- न्यायिक स्टाम्प-

मूल	4,50.00	}	4,21.56	4,16.31	-5.25
पुनर्वि०	-28.44				

₹ 28.44 लाख का अभ्यर्पण वास्तविक व्यय के बाद बचत के कारण हुआ ।

02- स्टाम्प-न्यायिकेतर-

001- निदेशन तथा प्रशासन-

03- अधिष्ठान-

मूल	88.38	}	69.37	69.35	-0.02
पुनर्वि०	-19.01				

₹ 19.01 लाख की शुद्ध बचत में से, ₹ 20.85 लाख का अभ्यर्पण मुख्यतः मांग न होने, वास्तविक व्यय के आधार पर इत्यादि के कारण हुआ। प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 1.84 लाख की वृद्धि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में कम स्टाम्प धनराशि के समर्पण करने के बाद ब्याज के भुगतान के कारण हुई।

800- अन्य व्यय-

04- वाटर मार्क पेपर के

बिक्री पर व्यय-

मूल	55.00	}	39.16	38.67	-0.49
पुनर्वि०	-15.84				

₹ 15.84 लाख का अभ्यर्पण स्टाम्प की कम बिक्री के कारण हुआ ।

03- पंजीकरण-

001- निदेशन तथा प्रशासन-

03- मुख्यालय-

मूल	23,44.54	}	23,87.88	23,71.29	-16.59
पूरक	2,00.00				
पुनर्वि०	-1,56.66				

₹ 1,56.66 लाख का अभ्यर्पण वास्तविक व्यय के आधार पर बचत के कारण हुआ ।

वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 से सम्बन्धित ₹ 1.73 लाख उचन्त लेखे के समाशोधन के सम्मिलित है।

'kh"kl

dy vupku okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; +

cpr -

¼ yk[k ₹ ea ½

04- जिला व्यय—

मूल	85,44.64			
पुनर्वि०	-10,26.15	75,18.49	74,41.04	-77.45

₹ 10,26.15 लाख का अभ्यर्पण वास्तविक व्यय के आधार पर बचत के कारण हुआ ।
उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2013)।

(v) बचत मुख्यतः निम्न के अधीन हुई :-

2030- LVkEi i athdj .k&

01- स्टाम्प—न्यायिक—

102- स्टाम्पों की बिक्री पर व्यय—

03- न्यायिक स्टाम्प		6,20.00	6,93.91	+73.91
---------------------	--	---------	---------	--------

02- स्टाम्प न्यायिकेतर—

101- स्टाम्पों की लागत—

03- गैर अदालती स्टाम्प—

मूल	80,00.00			
पुनर्वि०	-3.78	79,96.22	80,12.29	+16.07

₹ 3.78 लाख की कुल बचत में से, ₹ 1.94 लाख का अभ्यर्पण वास्तविक व्यय के आधार पर बचत के कारण हुआ । प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 1.84 लाख की कमी मांग—पत्र प्राप्त न होने के कारण हुई ।

102- स्टाम्पों की बिक्री पर व्यय—

03- गैर अदालती स्टाम्प		29,00.00	36,45.68	+7,45.68
------------------------	--	----------	----------	----------

800- अन्य व्यय—

03- निवेश प्रमाण—पत्र पर देय

स्टाम्प शुल्क का उत्तर

प्रदेश अधिवक्ता कल्याण

निधि समिति को संक्रमण

50.00	1,41.71	+91.71
-------	---------	--------

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अंतिम व्ययाधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2013)।

i wthxr&

nRrer&

(vi) बचत निम्न के अधीन हुई :-

4059- ykd fueklk dk; lij i wthxr ifj0; ; &

01- कार्यालय भवन—

800- अन्य व्यय—

03- स्टाम्प एवं पंजीकरण विभाग

के कार्यालय भवनों के निर्माण

हेतु एकमुश्त व्यवस्था—

मूल	1,53.00			
पुनर्वि०	-23.21	1,29.79	1,29.79	..

₹ 23.21 लाख का अभ्यर्पण वास्तविक व्यय के आधार पर बचत के कारण हुआ ।

व्यय वृत्तिका 92 और अंतरावधि

व्यय ; 'क'क	व्यय वृत्तिका ; क व्यय ; क	अंतरावधि 0 ; ;	व्यय/कद 0 ; ; \$ cpr &
			¼ gtlj ₹ ea ½
व्यय वृत्तिका			
2205- व्यय , अंतरावधि			
व्यय वृत्तिका			
मूल	39,23,58		
पूरक	70,00		
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2013)		39,93,58	36,03,17
			-3,90,41
व्यय वृत्तिका			3,97,82
व्यय वृत्तिका			
मूल	5		
पूरक	..		
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2013)		5	..
			-5
			5
व्यय वृत्तिका			
4202- व्यय [व्यय] व्यय रक			
अंतरावधि व्यय व्यय व्यय ; ;			
व्यय वृत्तिका			
मूल	35,86,60		
पूरक	50,00		
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2013)		36,36,60	35,50,81
			-85,79
			81,02

व्यय व्यय व्यय ; ; व्यय व्यय व्यय ; ;

व्यय व्यय व्यय ; ;

व्यय व्यय व्यय ; ;

- (i) ₹ 36,03.17 लाख के वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02, 2002-03, 2003-04, 2004-05 तथा 2006-07 के उच्चतम लेखों के समाशोधन के ₹ 6.31 लाख की धनराशि सम्मिलित हैं।
- (ii) ₹ 3,96.72 लाख (₹ 3,90.41 लाख + ₹ 6.31 लाख) की अन्तिम बचत को देखते हुए, ₹ 3,97.82 लाख का अभ्यर्पण न्यायसंगत नहीं था तथा व्यय के त्रुटिपूर्ण अनुमान का द्योतक था।
- (iii) ₹ 3,96.72 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए, नवम्बर 2012 में प्राप्त किया गया ₹ 70.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ। इसे यथावश्यक सांकेतिक धनराशि से सीमित किया जा सकता था।

(iv) बचत (अन्य शीर्षों के अन्तर्गत व्ययाधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) निम्न के अधीन हुई :-

'kh"kl dly vupku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; + cpr -

¼ yk[k ₹ es ½

2205- dyk , oa l ldf&

101- ललित कला शिक्षा-

09- कथक केन्द्र, लखनऊ के विकास के लिये अनुदान-

मूल	43.94	}	26.03	26.03	..
पुनर्वि०	-17.91				

₹ 17.91 लाख की कुल बचत में से, ₹ 8.95 लाख का अभ्यर्पण तथा प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 8.96 लाख की कमी वास्तविक व्यय के बाद बचत के कारण हुआ।

17- अयोध्या शोध संस्थान को अनुदान-

मूल	3,35.48	}	2,46.70	2,46.70	..
पुनर्वि०	-88.78				

₹ 88.78 लाख का अभ्यर्पण वास्तविक व्यय के बाद बचत के कारण हुआ।

21- भातखण्डे संगीत संस्थान को अनुदान-

मूल	3,92.00	}	3,21.29	3,21.29	..
पुनर्वि०	-70.71				

₹ 70.71 लाख की कुल बचत में से, ₹ 11.01 लाख का अभ्यर्पण तथा प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 59.70 लाख की कमी वास्तविक व्यय के बाद बचत के कारण हुआ।

104- अभिलेखागार-

03- राज्य अभिलेख-

मूल	4,13.15	}	3,52.10	3,56.13	+4.03
पुनर्वि०	-61.05				

₹ 61.05 लाख का अभ्यर्पण पदों के रिक्त रहने तथा वास्तविक व्यय के बाद बचत के कारण हुआ। वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02, 2002-03, 2003-04, 2004-05 तथा 2006-07 के उच्च लेखों के समाशोधन के ₹ 2.44 लाख की धनराशि सम्मिलित हैं।

107- संग्रहालय-

03- अधिष्ठान व्यय-

मूल	9,18.83	}	7,33.80	7,33.85	+0.05
पुनर्वि०	-1,85.03				

₹ 1,85.03 लाख का अभ्यर्पण मुख्यतः अपरिपक्व प्रस्ताव प्राप्त होने, पदों के रिक्त होने, आर्थिक मितव्ययिता, एल0टी0सी0 का उपयोग न होने, प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण हुआ।

वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02, 2003-04 तथा 2005-06 के उच्च लेखों के समाशोधन के ₹ 0.27 लाख की धनराशि सम्मिलित हैं।

' kh"kl

dly vuŋku okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; +

cpr -

¼ yk[k ₹ es ½

800- अन्य व्यय—

11- कला एवं संस्कृति की शिक्षा, लोक परम्पराओं का वीडियो अभिलेखीकरण, योग्य छात्रों एवं वृद्ध कलाकारों को आर्थिक सहायता योजना—

मूल 20.00

पुनर्वि० -20.00

..

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 20.00 लाख की कमी वास्तविक व्यय के उपरान्त बचत के कारण हुई। उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अंतिम व्ययाधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2013)।

(v) व्ययाधिक्य निम्न के अधीन हुआ :-

2205- dyk , oa l l dfr&

102- कला एवं संस्कृति का संवर्द्धन—

04- "यश भारती सम्मान"—

मूल 1,11.00

पुनर्वि० 59.66

1,70.66 1,70.66 ..

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 59.66 लाख की वृद्धि अतिरिक्त धनराशि की मांग होने के कारण हुई।

103- पुरातत्व विज्ञान—

01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें—

मूल 1,13.53

पुनर्वि० 4.25

1,17.78 1,17.79 +0.01

प्रावधान में ₹ 4.25 लाख की शुद्ध वृद्धि में से, ₹ 11.71 लाख का अभ्यर्पण पदों के रिक्त होने, आर्थिक मितव्ययिता इत्यादि तथा प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 15.96 लाख की वृद्धि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में डा० सुरेश नारायन श्रीवास्तव, पंजीकरण अधिकारी के वेतन के एरियर भुगतान हेतु अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता के कारण हुई।

800- अन्य व्यय—

13- सैफाई महोत्सव-2012—

पूरक 50.00

पुनर्वि० 38.00

88.00 88.00 ..

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 38.00 लाख की वृद्धि सैफाई महोत्सव-2012 का आयोजन के लिए अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता के कारण हुई।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अंतिम व्ययाधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2013)।

i wthxr&

nRrer&

(vi) ₹ 85.79 लाख की अन्तिम बचत में से, मात्र ₹ 81.02 लाख की धनराशि अभ्यर्पण के लिए प्रत्याशित की जा सकी ।

(vii) ₹ 85.79 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, नवम्बर 2012 में प्राप्त किया गया ₹ 50.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ। इसे यथावश्यक सांकेतिक धनराशि से सीमित किया जा सकता था ।

(viii) बचत मुख्यतः निम्न के अधीन हुई :-

'kh"kl

dy vupku okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; +
cpr -

¼ yk[k ₹ ea ½

4202- f'k{kk} [ksydin] dyk rFkk

l l dfr ij i wthxr ifj0; ; &

04- कला तथा संस्कृति-

106- संग्रहालय-

09- महापुरुषों की मूर्तियों का निर्माण-

मूल	1,00.00	}	28.66	28.66	..
पुनर्वि०	-71.34				

₹ 71.34 लाख की कुल बचत में से, ₹ 1.34 लाख का अभ्यर्पण तथा प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 70.00 लाख की कमी वास्तविक व्यय के बाद बचत के कारण हुआ।

800- अन्य व्यय-

01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-

मूल	4,59.00	}	3,50.25	3,50.25	..
पुनर्वि०	-1,08.75				

₹ 1,08.75 लाख की कुल बचत में से, ₹ 0.75 लाख का अभ्यर्पण भवन के निर्माण के सम्बन्ध में अनुमानित प्रक्रिया के अपूर्ण होने के कारण हुआ तथा प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 1,08.00 लाख की कमी वास्तविक व्यय के बाद बचत के कारण हुई।

03- प्रेक्षागृह/खुला मंच का निर्माण-

मूल	50.00	}	21.52	21.52	..
पुनर्वि०	-28.48				

₹ 28.48 लाख का अभ्यर्पण वास्तविक आवश्यकता के बाद बचत के कारण हुआ ।

' kh"kz

dly vuŋku okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; +
cpr -

¼ yk[k ₹ es ½

20- भातखण्डे संगीत (संस्थान) विश्वविद्यालय,
लखनऊ के भवन का सुदृढीकरण/परिवर्द्धन—

मूल 28.00

11.20

11.20

..

पुनर्वि० -16.80

₹ 16.80 लाख की कुल बचत में से, प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 16.00 लाख की कमी तथा
₹ 0.80 लाख का अभ्यर्पण वास्तविक आवश्यकता के बाद बचत के कारण हुआ ।

(ix) व्ययाधिक्य निम्न के अधीन हुआ :-

4202- f'k{kk} [ksydin] dyk rFkk

l ldfri j i wthxr ifj0; ; &

04- कला तथा संस्कृति—

106- संग्रहालय—

04- तेरहवें वित्त आयोग की

संस्तुतियों का क्रियान्वयन—

मूल 28,00.00

29,48.94

29,44.17

-4.77

पुनर्वि० 1,48.94

₹ 1,48.94 लाख की शुद्ध वृद्धि में से, ₹ 48.66 लाख का अभ्यर्पण पंडित बिरजू महाराज के कालका बिन्दा
दीन की ढयोड़ी के सम्बन्ध में लीज डीड के अपूर्ण होने, अन्तर्राष्ट्रीय राम कथा संग्रहालय, फैजाबाद के भवन
के स्थानान्तरण न होने के कारण हुआ तथा प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 1,97.60 लाख वृद्धि अतिरिक्त
धनराशि की मांग होने के कारण हुई।

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2013)।

वृत्तगत व्यय का विवरण 2013-14 के लिए

विवरण	वृत्तगत व्यय	अनुमानित व्यय	अनुमानित व्यय	अनुमानित व्यय
	₹	₹	₹	₹
वृत्तगत व्यय				
2700- व्यय				
2701- व्यय				
2702- व्यय				
2711- व्यय				
मूल	21,81,42,80	21,81,42,80	19,82,63,73	-1,98,79,07
पूरक	..			
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2013)				39,56,64
वृत्तगत व्यय				
4700- व्यय				
4701- व्यय				
4702- व्यय				
4711- व्यय				
मूल	30,18,62,05	30,33,62,05	22,27,85,52	-8,05,76,53
पूरक	15,00,00			
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2013)				12,98,64,40
वृत्तगत व्यय				
मूल	15,00,00	15,00,00	9,15,91	-5,84,09
पूरक	..			
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2013)				2,04,86

वृत्तगत व्यय का विवरण 2013-14 के लिए

वृत्तगत व्यय

वृत्तगत व्यय

(i) ₹ 1,98,79.07 लाख की अन्तिम बचत में से, मात्र ₹ 39,56.64 लाख ही अभ्यर्पण के लिए प्रत्याशित किये जा सके।

(ii) बचत(अन्य शीर्षों के अन्तर्गत व्ययाधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित)मुख्यतः निम्न के अधीन
हुई:-

' kh"kl	dy vupku	okLrfod 0; ; ¼ yk[k ₹ ea ½	vf/kd 0; ; \$ cpr &
2700- eq[; fl pkb&			
14- राजघाट नहर प्रणाली (वाणिज्यिक)-			
101- रख-रखाव और मरम्मत-			
03- अन्य रख-रखाव व्यय	1,13.90	77.17	-36.73
15- रामगंगा बांध परियोजना (कालागढ़)-			
101- रख-रखाव और मरम्मत-			
03- अन्य रख-रखाव व्यय	52.50	43.75	-8.75
80- सामान्य-			
800- अन्य व्यय-			
03- ब्याज	2,18,85.28	1,85,78.26	-33,07.12
04- जल उपभोक्ता समितियां	1,00.00	81.67	-18.33
05- तेरहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों का कार्यान्वयन-			
मूल	2,19,16.96		
पुनर्वि०	-16,11.03		
	2,03,05.93	1,93,64.90	-9,41.03
₹ 16,11.03 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।			
2701- e/; e fl pkb&			
06- बेलन नहर (वाणिज्यिक)-			
101- रख-रखाव और मरम्मत-			
03- अन्य रख-रखाव व्यय-			
मूल	2,21.33		
पुनर्वि०	-1,21.94		
	99.39	99.33	-0.06
₹ 1,21.94 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।			
12- राम गंगा नहर (वाणिज्यिक)-			
101- रख-रखाव और मरम्मत-			
03- अन्य रख-रखाव व्यय	2,03.59	1,46.25	-57.34
22- पीली बाँध व नहर (वाणिज्यिक)-			
101- रख-रखाव और मरम्मत-			
03- अन्य रख-रखाव व्यय-			
मूल	3,08.82		
पुनर्वि०	-77.78		
	2,31.04	2,18.85	-12.19

₹ 77.78 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

(400)

' kh"lZ	diy vupku	okLrfod 0; ; ¼ yk[k ₹ ea ½	vf/kd 0; ; \$ cpr &
24- मेजा नहर (वाणिज्यिक)–			
101- रख-रखाव और मरम्मत–			
03- अन्य रख-रखाव व्यय–			
मूल	2,41.56	1,79.92	1,79.75
पुनर्वि०	-61.64		
₹ 61.64 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।			
27- भूपौली पम्प नहर (वाणिज्यिक)–			
101- रख-रखाव और मरम्मत–			
03- अन्य रख-रखाव व्यय–			
मूल	1,31.35	1,02.24	1,11.67
पुनर्वि०	-29.11		
₹ 29.11 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।			
30- क्वानों पम्प नहर (वाणिज्यिक)–			
101- रख-रखाव और मरम्मत–			
03- अन्य रख-रखाव व्यय–			
मूल	1,60.64	1,04.48	44.29
पुनर्वि०	-56.16		
₹ 56.16 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।			
31- सुरहाताल पम्प नहर (वाणिज्यिक)–			
101- रख-रखाव और मरम्मत–			
03- अन्य रख-रखाव व्यय–			
मूल	12.86	6.84	2.33
पुनर्वि०	-6.02		
₹ 6.02 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।			
34- सोम पम्प नहर (वाणिज्यिक)–			
101- रख-रखाव और मरम्मत–			
03- अन्य रख-रखाव व्यय–			
मूल	94.90	89.40	89.45
+0.05			

पुनर्वि० -5.50]
 ₹ 5.50 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।
 (401)

'kh"lz diy vupku okLrfod vf/kd 0; ; \$
 0; ; cpr &

¼ yk[k ₹ ea ½

35- सरयू पम्प नहर (वाणिज्यिक)–

101- रख–रखाव और मरम्मत–

03- अन्य रख–रखाव व्यय–

मूल	1,08.22			
		69.25	72.11	+2.86
पुनर्वि०	-38.97			

₹ 38.97 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

49- उत्तरौला पम्प नहर (वाणिज्यिक)–

101- रख–रखाव और मरम्मत–

03- अन्य रख–रखाव व्यय–

मूल	1,13.63			
		82.16	82.25	+0.09
पुनर्वि०	-31.47			

₹ 31.47 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

50- डुमरियागंज पम्प नहर (वाणिज्यिक)–

101- रख–रखाव और मरम्मत–

03- अन्य रख–रखाव व्यय–

मूल	82.63			
		55.54	55.56	+0.02
पुनर्वि०	-27.09			

₹ 27.09 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

51- चित्तौड़गढ़ जलाशय परियोजना (वाणिज्यिक)–

101- रख–रखाव और मरम्मत–

03- अन्य रख–रखाव व्यय 24.23 16.38 -7.85

53- अयोध्या पम्प नहर (वाणिज्यिक)–

101- रख–रखाव और मरम्मत–

03- अन्य रख–रखाव व्यय–

मूल	42.49			
		36.74	34.29	-2.45

पुनर्वि०

-5.75]

₹ 5.75 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

(402)

' kh"kl

diy vupku

okLrfod

vf/kd 0; ; \$

0; ;

cpr &

¼ yk[k ₹ ea ½

54- बेवर फीडर सिंचाई परियोजना (वाणिज्यिक)–

101- रख-रखाव और मरम्मत–

03- अन्य रख-रखाव व्यय–

मूल

26.17]

20.68

20.69

+0.01

पुनर्वि०

-5.49]

₹ 5.49 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

56- राम की पैड़ी (वाणिज्यिक)–

101- रख-रखाव और मरम्मत–

03- अन्य रख-रखाव व्यय–

मूल

21.30]

10.66

10.65

-0.01

पुनर्वि०

-10.64]

₹ 10.64 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

68- गुन्टा बांध नहर प्रणाली (वाणिज्यिक)–

101- रख-रखाव और मरम्मत–

03- अन्य रख-रखाव व्यय–

मूल

20.66]

10.47

9.34

-1.13

पुनर्वि०

-10.19]

₹ 10.19 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

76- जरौली पम्प नहर (वाणिज्यिक)–

101- रख-रखाव और मरम्मत–

03- अन्य रख-रखाव व्यय–

मूल

50.82]

30.33

30.46

+0.13

पुनर्वि०

-20.49]

₹ 20.49 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

77- आवासीय एवं अनावासीय भवन (वाणिज्यिक)–

101- रख-रखाव और मरम्मत-

05- गंगा सिंचाई पुरम (अधिकारी एवं कर्मचारी) आवासीय कालोनी

55.00

41.66

-13.34

(403)

' kh"kl

diy vupku

okLrfod

vf/kd 0; ; \$

0; ;

cpr &

80- सामान्य-

¼ yk[k ₹ ea ½

800- अन्य व्यय-

03- ब्याज

2,99,59.45

60,54.12

-2,39,05.36

2008-09, 2009-10, 2010-11 तथा 2011-12 के दौरान भी, इस शीर्ष के अन्तर्गत क्रमशः

₹ 2,31,62.40 लाख (प्रावधान का 77 प्रतिशत), ₹ 2,39,60.41 लाख (प्रावधान का 79 प्रतिशत)

₹ 2,57,83.54 लाख (प्रावधान का 85 प्रतिशत) तथा ₹ 2,41,14.58 लाख (प्रावधान का

80 प्रतिशत) की बचत थी।

09- विद्युत उर्जा (पम्प नहरों हेतु)

3,40,00.00

2,80,00.00

-60,00.00

12- तेरहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों का कार्यान्वयन-

मूल

1,05,02.29

89,28.63

58,55.95

-30,72.68

पुनर्वि०

-15,73.66

₹ 15,73.66 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

2702- y?kq fl pkb&

01- सतही जल-

800- अन्य व्यय-

03- ब्याज

40,37.00

14,19.57

-26,17.43

2008-09, 2009-10, 2010-11 तथा 2011-12 के दौरान भी, इस शीर्ष के अन्तर्गत क्रमशः

₹ 32,60.03 लाख (प्रावधान का 81 प्रतिशत), ₹ 32,44.35 लाख (प्रावधान का 80 प्रतिशत) तथा

₹ 18,22.82 लाख (प्रावधान का 45 प्रतिशत) तथा ₹ 26,97.62 (प्रावधान का 67 प्रतिशत)लाख

बचत थी।

03- रख-रखाव-

103- नलकूप-

03- अन्य रख-रखाव व्यय-

मूल

5,80,20.00

5,79,23.50

5,78,81.04

+42.46

पुनर्वि०

-96.50

₹ 96.50 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

80- सामान्य-

800- अन्य व्यय-

05- तेरहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों

का कार्यान्वयन

16,80.75

1,82.63

-14,98.12

2711- ck<+fu; æ.k rFkk ty fudkl &

03- जल निकास-

103- सिविल निर्माण-

04- सोडिक ड्रेनों का अनुरक्षण 10,00.00 8,73.70 -1,26.30
उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत/व्ययाधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं
(जून 2013)।

(404)

(iii) व्ययाधिक्य मुख्यतः निम्न के अधीन हुआ:-

' kh"kl	dy vupku	okLrfod	vf/kd 0; ; \$
		0; ;	cpr &
		½ yk[k ₹ ea ½	
2700- eq; fl pkb&			
04- अपर गंगा नहर (वाणिज्यिक)-			
101- रख-रखाव और मरम्मत-			
03- अन्य रख-रखाव व्यय	15,47.49	19,58.95	+4,11.46
05- लोअर गंगा नहर (वाणिज्यिक)-			
101- रख-रखाव और मरम्मत-			
03- अन्य रख-रखाव व्यय	19,34.72	27,44.54	+8,09.82
06- पूर्वी यमुना नहर (वाणिज्यिक)-			
101- रख-रखाव और मरम्मत-			
03- अन्य रख-रखाव व्यय	4,30.71	5,23.79	+93.08
07- आगरा नहर (वाणिज्यिक)-			
101- रख-रखाव और मरम्मत-			
03- अन्य रख-रखाव व्यय	6,15.23	18,83.12	+12,67.89
08- शारदा नहर (वाणिज्यिक)-			
101- रख-रखाव और मरम्मत-			
03- अन्य रख-रखाव व्यय	16,99.18	21,20.76	+4,21.58
09- शारदा सहायक (वाणिज्यिक)-			
101- रख-रखाव और मरम्मत-			
03- अन्य रख-रखाव व्यय	27,42.39	31,87.34	+4,44.95
11- गण्डक एवं नरायनी नहरें (वाणिज्यिक)-			
101- रख-रखाव और मरम्मत-			
03- अन्य रख-रखाव व्यय	5,41.59	14,03.59	+8,62.00
13- मध्य गंगा नहर (वाणिज्यिक)-			
101- रख-रखाव और मरम्मत-			
03- अन्य रख-रखाव व्यय-			
मूल	1,61.50		
पुनर्वि0	-19.47	1,42.03	2,73.02
			+1,30.99

₹ 19.47 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

19- पूर्वी गंगा नहर (वाणिज्यिक)–

101- रख–रखाव और मरम्मत–

03- अन्य रख–रखाव व्यय 4,25.25 4,94.81 +69.56

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम व्ययाधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2013)।

(405)

' kh"kl

dy vupku

okLrfod

vf/kd 0; ; \$

0; ;

cpr &

¼ yk[k ₹ ea ½

80- सामान्य–

799- उचन्त–

03- भण्डार उचन्त .. 13,98.39 +13,98.39

बिना बजट आवंटन के इस शीर्ष के अन्तर्गत लेन–देन किया जाना अनियमित है। उचन्त लेन–देन के ब्यौरे टिप्पणी संख्या (iv) के अन्तर्गत दर्शाये गये हैं।

04- विविध कार्य अग्रिम .. 13,34.72 +13,34.72

बिना बजट आवंटन के इस शीर्ष के अन्तर्गत लेन–देन किया जाना अनियमित है। उचन्त लेन–देन के ब्यौरे टिप्पणी संख्या (iv) के अन्तर्गत दर्शाये गये हैं।

2701- e/; e fl pkb&

05- घाघरा व गरई नहरें (वाणिज्यिक)–

101- रख–रखाव और मरम्मत–

03- अन्य रख–रखाव व्यय–

मूल

2,46.77

2,03.56

2,48.06

+44.50

पुनर्वि०

-43.21

₹ 43.21 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

07- केन नहर (वाणिज्यिक)–

101- रख–रखाव और मरम्मत–

03- अन्य रख–रखाव व्यय 3,11.57 3,13.89 +2.32

08- दोहरी घाट पम्प नहर (वाणिज्यिक)–

101- रख–रखाव और मरम्मत–

03- अन्य रख–रखाव व्यय 3,17.00 4,94.89 +1,77.89

10- चन्द्रप्रभा नहर (वाणिज्यिक)–

101- रख–रखाव और मरम्मत–

03- अन्य रख–रखाव व्यय–

मूल

59.25

54.25

1,20.46

+66.21

पुनर्वि०

-5.00

₹ 5.00 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

13- बानगंगा नहर (वाणिज्यिक)–

101- रख-रखाव और मरम्मत-			
03- अन्य रख-रखाव व्यय	78.50	1,11.38	+32.88
14- रामपुर नहर (वाणिज्यिक)-			
101- रख-रखाव और मरम्मत-			
03- अन्य रख-रखाव व्यय	87.04	1,29.40	+42.36

(406)

' kh"kl dy vupku okLrfod vf/kd 0; ; \$
0; ; cpr &

¼ yk[k ₹ ea ½

15- रुहेलखण्ड नहर (वाणिज्यिक)-			
101- रख-रखाव और मरम्मत-			
03- अन्य रख-रखाव व्यय	79.12	1,48.83	+69.71
26- टोंस पम्प नहर (वाणिज्यिक)-			
101- रख-रखाव और मरम्मत-			
03- अन्य रख-रखाव व्यय	1,21.44	1,32.24	+10.80

28- नरायन पम्प नहर (वाणिज्यिक)-			
101- रख-रखाव और मरम्मत-			
03- अन्य रख-रखाव व्यय-			
मूल	3,08.06	2,98.32	3,60.85
पुनर्वि०	-9.74		
₹ 9.74 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।			

29- जमानिया पम्प नहर (वाणिज्यिक)-			
101- रख-रखाव और मरम्मत-			
03- अन्य रख-रखाव व्यय	1,46.96	1,94.70	+47.74

32- यमुना पम्प नहर (वाणिज्यिक)-			
101- रख-रखाव और मरम्मत-			
03- अन्य रख-रखाव व्यय-			
मूल	1,42.70	1,29.92	1,48.10
पुनर्वि०	-12.78		
₹ 12.78 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।			

33- देवकली पम्प नहर (वाणिज्यिक)-			
101- रख-रखाव और मरम्मत-			
03- अन्य रख-रखाव व्यय	1,02.03	2,79.85	+1,77.82

36- अन्य सिंचाई योजनायें (वाणिज्यिक)–

101- रख-रखाव और मरम्मत–

03- अन्य रख-रखाव व्यय–

मूल	3,71.86	}	3,33.25	5,79.87	+2,46.62
पुनर्वि०	-38.61				

₹ 38.61 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

(407)

' kh" kZ

dy vupku

okLrfod

vf/kd 0; ; \$

0; ;

cpr &

¼ yk[k ₹ ea ½

52- गोला पम्प नहर (वाणिज्यिक)–

101- रख-रखाव और मरम्मत–

03- अन्य रख-रखाव व्यय–

मूल	33.41	}	30.09	82.55	+52.46
पुनर्वि०	-3.32				

₹ 3.32 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

55- ज्ञानपुर पम्प नहर (वाणिज्यिक)–

101- रख-रखाव और मरम्मत–

03- अन्य रख-रखाव व्यय–

मूल	1,09.01	}	97.58	1,29.42	+31.84
पुनर्वि०	-11.43				

₹ 11.43 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

62- राजा महेन्द्र रिपुदमन सिंह चंबल डल

परियोजना (वाणिज्यिक)–

101- रख-रखाव और मरम्मत–

03- अन्य रख-रखाव व्यय 74.68 91.91 +17.23

77- आवासीय और अनावासीय भवन (वाणिज्यिक)–

101- रख-रखाव और मरम्मत–

03- अन्य रख-रखाव व्यय 1,70.00 1,83.32 +13.32

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम व्याधिव्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2013)।

80- सामान्य–

799- उचन्त–

03- भण्डार उचन्त .. 4,73.12 +4,73.12

बिना बजट आवंटन के इस शीर्ष के अन्तर्गत लेन-देन किया जाना अनियमित है। उचन्त लेन-देन के ब्यौरे टिप्पणी संख्या (iv) के अन्तर्गत दर्शाये गये हैं।

04- विविध कार्य अग्रमि .. 4,19.57 +4,19.57
बिना बजट आवंटन के इस शीर्ष के अन्तर्गत लेन-देन किया जाना अनियमित है। उचन्त लेन-देन के ब्यौरे टिप्पणी संख्या (iv) के अन्तर्गत दर्शाये गये हैं।

800- अन्य व्यय-

05- प्रमुख अभियन्ता की रक्षित धनराशि 1,00.00 1,28.58 +28.58
उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम व्ययाधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2013)।

(408)

' kh"lz dy vupku okLrfod vf/kd 0; ; \$
0; ; cpr &

½ yk[k ₹ ea ½

2702- y?kq fl pkb&

02- सतही जल-

800- अन्य व्यय-

03- ब्याज 40,37.00 1,39,89.87 +99,52.87

2009-10, 2010-11 तथा 2011-12 के दौरान भी, इस शीर्ष के अन्तर्गत कमशः व्यय प्रावधान (₹ 40,37.00 लाख) से ₹ 1,16,40.43 लाख, प्रावधान (₹ 40,37.00 लाख) से ₹ 76,03.43 लाख तथा प्रावधान (₹ 40,37.00 लाख) से ₹ 85,64.87 लाख अधिक था।

03- रख-रखाव-

103- नलकूप-

03- अन्य रख-रखाव व्यय-

मूल	5,80,20.00	}	5,79,23.50	5,79,81.04	+57.54
पुनर्वि०	-96.50				

₹ 96.50 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

80- सामान्य-

052- मशीनरी एवं उपस्कर-

03- नवीन सम्पूर्ति 2.40 11.02 +8.62

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम व्ययाधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2013)।

799- उचन्त-

03- भण्डार उचन्त .. 3,85.53 +3,85.53

बिना बजट आवंटन के इस शीर्ष के अन्तर्गत लेन-देन किया जाना अनियमित है। उचन्त लेन-देन के ब्यौरे टिप्पणी संख्या (iv) के अन्तर्गत दर्शाये गये हैं।

04- विविध कार्य अग्रमि .. 77.57 +77.57

बिना बजट आवंटन के इस शीर्ष के अन्तर्गत लेन-देन किया जाना अनियमित है। उचन्त लेन-देन के ब्यौरे टिप्पणी संख्या (iv) के अन्तर्गत दर्शाये गये हैं।

2711- ck< fu; æ.k rFkk ty fudkl &

01- बाढ नियन्त्रण-

103- सिविल निर्माण-कार्य-

03- सिविल निर्माण-कार्य 60,00.00 62,70.94 +2,70.94

03- जल निकासी-

103- सिविल निर्माण-कार्य-

03- सिविल निर्माण-कार्य 20,00.00 77,42.74 +57,42.74

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम व्ययाधिक्य/बिना प्रावधान के व्यय के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2013)।

(iv) mplr yu&nu:-

लघु शीर्ष "उचन्त" अन्तिम लेखा शीर्ष नहीं हैं। लेन-देन पूरे समझे जाने तथा अन्तिम रूप से लेखे में दर्ज किये जाने से पूर्व जहाँ और अदायगियां या मूल्य के समायोजन आवश्यक होते हैं वहाँ अन्तरिम लेन-देन इसके अन्तर्गत होते हैं। तदनुसार, इस शीर्ष के अन्तर्गत जो लेन-देन अन्तिम शीर्ष में समायोजित नहीं हो पाते वे वर्षानुवर्ष आगे ले जाये जाते हैं। उचन्त के तीन उप प्रभाग होते हैं, अर्थात् (1)स्टाक, (2)विविध निर्माण कार्य पेशगियां और (3)वर्कशाप उचन्त।

उचन्त लेन-देनों की प्रकृति और उनकी लेखा पद्धति नीचे दी जा रही है:-

(1) स्ट्राक:- इस शीर्ष में उस सामग्री का मूल्य नामें डाला जाता है जो स्ट्राक के लिए प्राप्त होती है, किसी विशिष्ट कार्य के लिए नहीं। इसमें उस सामग्री का मूल्य जमा कर दिया जाता है जो निर्माण - कार्य के लिए दे दी जाती है या बेच दी जाती है या अन्य मण्डलों को अन्तरित कर दी जाती है। अतः यह शीर्ष नामें शेष दिखलायेगा जो स्ट्राक में रखी गयी सामग्री के खाता मूल्य तथा सामग्री के निर्माण से सम्बन्धित असमायोजित प्रभार, यदि कोई हो, का सूचक होगा।

(2) विविध निर्माण कार्य-पेशगियां:-इस शीर्ष में उधार में बेची गयी सामग्री के मूल्य, जमा राशि निर्माण कार्य पर प्राप्त जमाराशियों से अधिक व्यय, बटटे खाते में न डाली गयी नकद या सामग्री की हानि,सरकारी कर्मचारियों से वसूली योग्य राशियों आदि के लिए नामें राशियां होती हैं। अतः इस शीर्ष के अन्तर्गत नामें शेष वसूली योग्य राशि का सूचक है।

(3) वर्कशाप उचन्त- विभागीय वर्कशापों में किये गये कार्यो या अन्य कार्य प्रचालनों के प्रभार उनकी वसूली या उसके समायोजन हो जाने तक इस शीर्ष में नामें डाले जाते हैं।

2012-2013 के लेन-देन का विश्लेषण और आदि शेष तथा अन्त शेष का ब्यौरा परिशिष्ट-III में दिया गया है।

(4) लोक निर्माण विभाग की स्थापना, औजार और संयंत्र के प्रभारों का यथानुपात वितरण:- अन्य सरकारी विभागों, स्थानीय निकायों आदि के लिए लोक निर्माण विभाग द्वारा किये कार्य के लिए विभाग के सकल प्रभारों से स्थापना, औजार और संयंत्र प्रभारों के लिये प्रतिशत वसूलियां काट ली जाती हैं और निवल प्रभार सम्बन्धित मुख्य लेखा शीर्षों में ऐसे प्रत्येक शीर्ष के विशेष स्थापनाओं (यदि कोई हो) द्वारा निष्पादित निर्माण कार्यो पर होने वाले परिव्यय को छोड़कर वास्तविक निर्माण कार्य परिव्यय के अनुपात में वितरित कर दिये जाते हैं।

निदेशन एवं प्रशासन और मशीनरी एवं उपस्कर प्रभारों की समीक्षा परिशिष्ट -IV में दी गयी है।

i wthxr&

nRrer&

- (v) ₹ 8,05,76.53 लाख की अन्तिम बचत में से, मात्र ₹ 12,98,64.40 लाख का अभ्यर्पण न्याय संगत नहीं था तथा व्यय के त्रुटिपूर्ण अनुमान का द्योतक था।
- (vi) ₹ 8,05,76.53 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए, नवम्बर 2012 में प्राप्त किया गया ₹ 15,00.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (vii) बचत (अन्य शीर्षों के अन्तर्गत व्ययाधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न के अधीन हुई:-

' kh" kZ	dy vupku	okLrfod 0; ; ½ yk[k ₹ ea ½	vf/kd 0; ; \$ cpr &
----------	----------	----------------------------------	------------------------

4700- eq[; fl pkbz ij i wthxr ifj0; ; &

04- टिहरी परियोजना (वाणिज्यिक)-

050- भूमि-

10- नहरें-

मूल	2,00.00	1,97.52	22.52	-1,75.00
पुनर्वि०	-2.48			

₹ 2.48 लाख का अभ्यर्पण मांग न होने के कारण हुआ।

051- निर्माण-

07- बैराज-

मूल	1,00.00	40.00	40.00	..
पुनर्वि०	-60.00			

₹ 60.00 लाख का अभ्यर्पण मांग न होने के कारण हुआ।

12- वितरण प्रणाली-

मूल	11,82.58	7,04.33	7,04.29	-0.04
पुनर्वि०	-4,78.25			

₹ 4,78.25 लाख का अभ्यर्पण मांग न होने तथा स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण हुआ।

05- लोवर गंगा नहर (वाणिज्यिक)-

050- भूमि-

10- नहरें-

मूल	1,00.00	28.34	..	-28.34
पुनर्वि०	-71.66			

₹ 71.66 लाख का अभ्यर्पण मांग न होने के कारण हुआ।

(411)

' kh"lZ	diy vupku	okLrfod 0; ; ¼ yk[k ₹ ea ½	vf/kd 0; ; \$ cpr &
051- निर्माण-			
10- नहरें-			
मूल	23,70.80		
पुनर्वि०	-22,06.39	1,64.41	5,42.44
			+3,78.03
प्रावधान में ₹ 22,06.39 लाख की कुल कमी में से, ₹ 8,81.94 लाख का अभ्यर्पण मांग न होने, स्वीकृति प्राप्त न होने तथा शेष धनराशि होने के कारण हुआ। प्रावधान में ₹ 1,00.00 लाख की कमी नाबार्ड की स्वीकृति प्राप्त न होने तथा प्रावधान में ₹ 12,24.45 लाख की कमी के कोई विशेष कारण सूचित नहीं किये गये हैं।			
12- वितरण प्रणाली-			
मूल	50,25.21		
पुनर्वि०	-26,91.00	23,34.21	5,76.19
			-17,58.02
प्रावधान में ₹ 26,91.00 लाख की कुल प्रत्याशित बचत में से, ₹ 21,91.00 लाख का अभ्यर्पण तथा प्रावधान में ₹ 5,00.00 लाख की कमी स्वीकृति प्राप्त न होने तथा समयाभाव के कारण कार्य न होने के कारण हुआ।			
06- पूर्वी यमुना नहर (वाणिज्यिक)-			
051- निर्माण-			
10- नहरें-			
मूल	9,37.02		
पुनर्वि०	-3,91.93	5,45.09	4,29.81
			-1,15.28
प्रावधान में ₹ 3,91.93 लाख की कुल कमी में से, ₹ 3,91.91 लाख की कमी मांग न होने तथा स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण हुई। ₹ 0.02 लाख का अभ्यर्पण टोकन प्रावधान होने के कारण हुआ।			
07- आगरा नहर (वाणिज्यिक)-			
050- भूमि-			
10- नहरें-			
मूल	2,00.00		
पुनर्वि०	-2,00.00
			..
₹ 2,00.00 लाख का अभ्यर्पण मांग न होने के कारण हुआ।			
051- निर्माण-			
10- नहरें-			
मूल	9,00.00		

पुनर्वि०	-2,27.00	6,73.00	6,73.01	+0.01
----------	----------	---------	---------	-------

₹ 2,27.00 लाख का अभ्यर्पण स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण हुआ।

(412)

'kh"KZ	diy vupku	okLrfod	vf/kd 0; ; \$
		0; ;	cpr &
		¼ yk[k ₹ ea ½	

12- वितरण प्रणाली-

मूल	50.00			
पुनर्वि०	-50.00

₹ 50.00 लाख का अभ्यर्पण पुनरीक्षित परियोजना की स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण हुआ।

08- शारदा सहायक (वाणिज्यिक)-

050- भूमि-

10- नहरें-

मूल	2,00.00			
पुनर्वि०	-2,00.00

₹ 2,00.00 लाख का अभ्यर्पण मांग न होने के कारण हुआ।

051- निर्माण-

10- नहरें-

मूल	17,56.02			
पुनर्वि०	-17,56.02

₹ 17,56.02 लाख का अभ्यर्पण केन्द्रांश प्राप्त न होने के कारण हुआ।

11- शाखायें-

मूल	6,91.45			
पुनर्वि०	-5,12.74	1,78.71	1,78.68	-0.03

₹ 5,12.74 लाख का अभ्यर्पण स्वीकृति प्राप्त न होने तथा पूर्ण परियोजना की शेष धनराशि होने के कारण हुआ।

09- शारदा सहायक (वाणिज्यिक)-

050- भूमि-

10- नहरें-

मूल	3,00.00			
पुनर्वि०	-60.00	2,40.00	..	-2,40.00

₹ 60.00 लाख का अभ्यर्पण मांग न होने के कारण हुआ।

051- निर्माण-

10- नहरें-

मूल	1,09,47.97			
		83,16.96	78,28.18	-4,88.78

पुनर्वि० -26,31.01]

₹ 26,31.01 लाख का अभ्यर्पण मांग न होने तथा पुनरीक्षित परियोजना की स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण हुआ।

(413)

'kh"kl dy vupku okLrfod vf/kd 0; ; \$
0; ; cpr &
¼ yk[k ₹ ea ½

11- शाखायें—

मूल	3,49.41			
पुनर्वि०	-3,00.00	49.41	..	-49.41

प्रावधान में ₹ 3,00.00 लाख की कुल प्रत्याशित बचत में से, ₹ 5.68 लाख का अभ्यर्पण मांग न होने के कारण हुआ। प्रावधान में ₹ 2,94.32 लाख की कमी कार्यों के निष्पादन की सम्भावना न होने के कारण हुई।

12- वितरण प्रणाली—

मूल	2,00.00			
पुनर्वि०	-1,33.33	66.67	56.24	-10.43

प्रावधान में ₹ 1,33.33 लाख की कुल कमी में से, ₹ 90.33 लाख का अभ्यर्पण मांग न होने तथा प्रावधान में ₹ 43.00 लाख की कमी के कोई विशेष कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

11- गण्डक एवं नरायनी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)—

050- भूमि—

10- नहरें—

मूल	3,00.00			
पुनर्वि०	-3,00.00

₹ 3,00.00 लाख का अभ्यर्पण मांग न होने के कारण हुआ।

051- निर्माण—

11- शाखायें—

मूल	27,35.00			
पुनर्वि०	-20,50.00	6,85.00	2,19.80	-4,65.20

प्रावधान में ₹ 20,50.00 लाख की कुल प्रत्याशित बचत में से, ₹ 10,00.00 लाख का अभ्यर्पण प्रावधान में ₹ 1,00.00 लाख की कमी नाबार्ड की स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण हुई।

13- मध्य गंगा नहर (वाणिज्यिक)—

051- निर्माण—

07- बैराज—

मूल	1,00.00			
-----	---------	--	--	--

मूल	1,51.00			
पुनर्वि०	-1,51.00			
₹ 1,51.00 लाख का अभ्यर्पण नाबार्ड की स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण हुआ।				

(415)

' kh"kl	diy vupku	okLrfod 0; ; ¼ yk[k ₹ ea ½	vf/kd 0; ; \$ cpr &
17- सरयू नहर परियोजना (वाणिज्यिक)–			
051- निर्माण–			
10- नहरें–			
मूल	3,00,00.00		
पुनर्वि०	-75,53.30	2,24,46.70	2,23,44.30
₹ 75,53.30 लाख का अभ्यर्पण केन्द्रांश प्राप्त न होने के कारण हुआ।			
18- बाणसागर बांध परियोजना (वाणिज्यिक)–			
051- निर्माण–			
10- नहरें–			
मूल	2,51,69.00		
पुनर्वि०	-1,14,26.75	1,37,42.25	1,39,93.10
₹ 1,14,26.75 लाख का अभ्यर्पण केन्द्रांश प्राप्त न होने के कारण हुआ।			
12- वितरण प्रणाली–			
मूल	9,88.00		
पुनर्वि०	-50.00	9,38.00	1,30.00
₹ 50.00 लाख के अभ्यर्पण के कोई कारण सूचित नहीं किये गये हैं।			
19- पूर्वी गंगा नहर परियोजना (वाणिज्यिक)–			
050- भूमि–			
10- नहरें–			
मूल	2,00.00		
पुनर्वि०	-34.95	1,65.05	1,65.05
₹ 34.95 लाख का अभ्यर्पण मांग न होने के कारण हुआ।			
051- निर्माण–			
07- बैराज–			
मूल	1,00.00		
पुनर्वि०	-58.00	42.00	42.00
₹ 58.00 लाख का अभ्यर्पण मांग न होने के कारण हुआ।			

11- शाखायें—

मूल	7,24.18	}	7,11.05	7,10.65	-0.40
पुनर्वि०	-13.13				

प्रावधान में ₹ 13.13 लाख की शुद्ध कमी में से, ₹ 56.13 लाख का अभ्यर्पण मांग न होने तथा प्रावधान में ₹ 43.00 लाख की वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

(416)

' kh"kl	dy vupku	okLrfod	vf/kd 0; ; \$
		0; ;	cpr &
		¼ yk[k ₹ ea ½	

20- कनहर सिंचाई परियोजना (वाणिज्यिक)—

051- निर्माण—

10- नहरें—

मूल	1,00,00.00	}	10,00.00	7,20.98	-2,79.02
पुनर्वि०	-90,00.00				

₹ 90,00.00 लाख का अभ्यर्पण केन्द्रांश प्राप्त न होने के कारण हुआ।

21- अर्जुन सहायक परियोजना (वाणिज्यिक)—

051- निर्माण—

10- नहरें—

मूल	1,50,00.00	}	25,00.00	26,33.88	+1,33.88
पुनर्वि०	-1,25,00.00				

₹ 1,25,00.00 लाख का अभ्यर्पण केन्द्रांश प्राप्त न होने के कारण हुआ।

22- मध्यमगंगा नहर परियोजना—द्वितीय चरण (वाणिज्यिक)—

051- निर्माण—

10- नहरें—

मूल	1,60,00.00	}	90,00.00	91,59.62	+1,59.62
पुनर्वि०	-70,00.00				

₹ 70,00.00 लाख का अभ्यर्पण केन्द्रांश प्राप्त न होने के कारण हुआ।

23- बदायूं सिंचाई परियोजना (वाणिज्यिक)—

051- निर्माण—

10- नहरें—

मूल	30,43.06	}	30,43.05	21,28.99	-9,14.06
पुनर्वि०	-0.01				

₹ 0.01 लाख का अभ्यर्पण टोकन प्रावधान होने के कारण हुआ।

24- कचनौधा बांध परियोजना (वाणिज्यिक)—

051- निर्माण-				
10- नहरें-				
मूल	1,03,71.00	}	73,87.00	81,84.13
पुनर्वि०	-29,84.00			
₹ 29,84.00 लाख का अभ्यर्पण केन्द्रांश प्राप्त न होने के कारण हुआ।				

(417)

' kh"kl	dy vupku	okLrfod	vf/kd 0; ; \$
		0; ;	cpr &
		¼ yk[k ₹ ea ½	

28- जमरार बांध परियोजना (वाणिज्यिक)-

051- निर्माण-				
10- नहरें		20,00.00	..	-20,00.00

29- रतौली बियर बांध (वाणिज्यिक)-

051- निर्माण-				
10- नहरें-				
मूल	6,25.00	}
पुनर्वि०	-6,25.00			

₹ 6,25.00 लाख का अभ्यर्पण नाबार्ड की स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण हुआ।

30- क्योलारी बांध परियोजना (वाणिज्यिक)-

051- निर्माण-				
10- नहरें-				
मूल	2,95.00	}
पुनर्वि०	-2,95.00			

₹ 2,95.00 लाख का अभ्यर्पण नाबार्ड की स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण हुआ।

31- पूर्ण योजनाओं के अवशेष भू-प्रतिकर भुगतान (वाणिज्यिक)-

050- भूमि-				
10- नहरें		5,00.00	3,94.66	-1,05.34

32- बाह्य सहायतित योजनायें (वाणिज्यिक)-

051- निर्माण-				
97- बाह्य सहायतित योजनायें-				
मूल	10,00.00	}	9,17.81	9,17.80
पुनर्वि०	-82.19			

₹ 58.00 लाख का अभ्यर्पण आवश्यकता न होने के कारण हुआ।

4701-e/; e fl pkbz ij iat hxr ifj0; ; &

08- दोहरीघाट पम्प नहर (वाणिज्यिक)–

051- निर्माण–

10- नहरें–

मूल	3,50.00	}			
पुनर्वि०	-3,50.00		

प्रावधान में ₹ 3,50.00 लाख की कमी के कोई विशेष कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

(418)

' kh" kZ

dy vupku

okLrfod

vf/kd 0; ; \$

0; ;

cpr &

¼ yk[k ₹ ea ½

12- राम गंगा नहर (वाणिज्यिक)–

051- निर्माण–

10- नहरें

1,39.98

95.13

-44.85

19- धसान नहर (वाणिज्यिक)–

051- निर्माण–

10- नहरें

5,00.00

..

-5,00.00

20- जामिनी नहरें (वाणिज्यिक)–

051- निर्माण–

05- बाँध–

मूल	12,71.01	}			
पुनर्वि०	-0.01			12,71.00	..

₹ 0.01 लाख का अभ्यर्पण टोकन प्रावधान होने के कारण हुआ।

21- कर्मनाशा नहर की योजना (वाणिज्यिक)–

051- निर्माण–

10- नहरें

30.00

..

-30.00

25- टाण्डा पम्प नहर (वाणिज्यिक)–

051- निर्माण–

10- नहरें

4,43.00

..

-4,43.00

27- भूपाली पम्प नहर (वाणिज्यिक)–

051- निर्माण–

10- नहरें–

मूल	20,00.01	}			
पुनर्वि०	-14,81.10			5,18.91	5,18.06

प्रावधान में ₹ 14,81.10 लाख की शुद्ध बचत में से, ₹ 10,00.00 लाख का अभ्यर्पण तथा प्रावधान में ₹ 10,00.00 लाख की कमी नाबार्ड की स्वीकृति न प्राप्त होने के कारण हुई। प्रावधान में ₹ 5,18.90 लाख की वृद्धि अन्य परियोजना में निधि की मांग के कारण हुआ।

28- नरायनपुर पम्प नहर (वाणिज्यिक)–

051- निर्माण–

10- नहरें–

मूल	1,65.88	}	1,02.21	1,01.30	-0.91
पुनर्वि०	-63.67				

₹ 63.67 लाख का अभ्यर्पण स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण हुआ।

(419)

' kh"lz

dy vupku

okLrfod

vf/kd 0; ; \$

0; ;

cpr &

½ yk[k ₹ ea ½

29- जमानिया पम्प नहर (वाणिज्यिक)–

051- निर्माण–

10- नहरें

2,10.00	..	-2,10.00
---------	----	----------

31- सुरहाताल पम्प नहर (वाणिज्यिक)–

051- निर्माण–

10- नहरें–

मूल	1,81.00	}	1,71.36	..	-1,71.36
पुनर्वि०	-9.64				

₹ 9.64 लाख का अभ्यर्पण पूर्ण परियोजना की शेष धनराशि होने के कारण हुआ।

32- यमुना पम्प नहर (वाणिज्यिक)–

051- निर्माण–

10- नहरें–

मूल	7,87.61	}	6,45.54	6,45.53	-0.01
पुनर्वि०	-1,42.07				

₹ 1,42.07 लाख का अभ्यर्पण पूर्ण परियोजना की शेष धनराशि होने के कारण हुआ।

33- देवकली पम्प नहर (वाणिज्यिक)–

051- निर्माण–

10- नहरें

1,50.97	41.11	-1,09.86
---------	-------	----------

34- सोन पम्प नहर (वाणिज्यिक)–

051- निर्माण–

10- नहरें–

मूल	5,00.01	}	5,00.00	..	-5,00.00
पुनर्वि०	-0.01				

₹ 0.01 लाख का अभ्यर्पण टोकन प्रावधान होने के कारण हुआ।

41- चिल्लीमल पम्प नहर (वाणिज्यिक)–

051- निर्माण–

10- नहरें–

मूल	16,48.00	}	25.00	25.00	..
पुनर्वि०	-16,23.00				

₹ 16,23.00 लाख का अभ्यर्पण नाबार्ड की स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण हुआ।

(420)

' kh" kZ

dy vupku

okLrfod

vf/kd 0; ; \$

0; ;

cpr &

½ yk[k ₹ ea ½

55- ज्ञानपुर पम्प नहर (वाणिज्यिक)–

050- भूमि–

10- नहरें–

मूल	5,00.00	}	70.10	70.10	..
पुनर्वि०	-4,29.90				

प्रावधान में ₹ 4,29.90 लाख की शुद्ध बचत में से, ₹ 4,21.41 लाख का अभ्यर्पण मांग न होने के कारण हुआ तथा प्रावधान में ₹ 8.49 लाख की कमी के कोई कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

051- निर्माण–

10- नहरें–

मूल	1,37.03	}	46.20	..	-46.20
पुनर्वि०	-90.83				

₹ 90.83 लाख का अभ्यर्पण मांग न होने तथा स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण हुआ।

69- चरखारी पम्प नहर (वाणिज्यिक)–

051- निर्माण–

10- नहरें–

मूल	3,86.30	}	1,75.05	1,75.05	..
पुनर्वि०	-2,11.25				

₹ 2,11.25 लाख का अभ्यर्पण स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण हुआ।

78- लहचूरा बॉध (वाणिज्यिक)–

050- भूमि–

10- नहरें–

मूल	53,08.97	}
-----	----------	---

		3,27.24	13,27.17	+9,99.93
पुनर्वि०	-49,81.73			
₹ 49,81.73 लाख का अभ्यर्पण केन्द्रांश प्राप्त न होने के कारण हुआ।				

79- उमरहट पम्प नहर (वाणिज्यिक)–

051- निर्माण–

10- नहरें–

मूल	15,00.00			
पुनर्वि०	-4.93	14,95.07	3,77.03	-11,18.04
₹ 4.93 लाख का अभ्यर्पण मांग न होने के कारण हुआ।				

(421)

' kh" kZ

dy vupku

okLrfod

vf/kd 0; ; \$

0; ;

cpr &

¼ yk[k ₹ ea ½

80- सामान्य–

052- मशीनरी तथा उपस्कर–

03- नवीन सम्पूर्ति–

मूल	3,00.00			
पुनर्वि०	-13.00	2,87.00	2,93.52	+6.52
₹ 13.00 लाख का अभ्यर्पण मांग न होने के कारण हुआ।				

05- गाड़ी भाड़ा–

मूल	50.00			
पुनर्वि०	-3.00	47.00	27.49	-19.51
₹ 3.00 लाख का अभ्यर्पण मांग न होने के कारण हुआ।				

81- पहाड़ी बांध परियोजना (वाणिज्यिक)–

051- निर्माण–

10- नहरें–

मूल	83,52.00			
पुनर्वि०	-63,23.80	20,28.20	20,22.55	-5.65

प्रावधान में ₹ 63,23.80 लाख की कुल बचत में से, ₹ 13,23.80 लाख का अभ्यर्पण नाबार्ड की स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण हुआ तथा प्रावधान में ₹ 50,00.00 लाख की कमी पुनरीक्षित परियोजना की स्वीकृति न प्राप्त होने के कारण हुई।

82- विराट सागर बांध परियोजना (वाणिज्यिक)–

051- निर्माण–

10- नहरें–

मूल	10,50.01			
-----	----------	--	--	--

पुनर्वि०	-10,50.01]
----------	-----------	---	----	----	----

₹ 10,50.01 लाख का अभ्यर्पण मांग न होने के कारण हुआ।

83- जनपद फैजाबाद में विभिन्न घाटों का निर्माण (वाणिज्यिक)–

051- निर्माण–

10- नहरें–

मूल	21,00.01]	4,75.00	..	-4,75.00
पुनर्वि०	-16,25.01]			

प्रावधान में ₹ 16,25.01 लाख की कुल कमी में से, प्रावधान में ₹ 10,00.00 लाख की कमी स्वीकृति प्राप्त न होने, पर्याप्त समय उपलब्ध न होने तथा ₹ 6,25.01 लाख का अभ्यर्पण बजट पर प्रतिबन्ध होने के कारण हुआ।

(422)

' kh" kZ	dy vupku	okLrfod	vf/kd 0; ; \$
		0; ;	cpr &
		½ yk[k ₹ ea ½	

84- पूर्ण योजनाओं के अवशेष भू-प्रतिकर भुगतान (वाणिज्यिक)–

051- निर्माण–

10- नहरें–

मूल	5,00.01]	2,41.33	2,41.35	+0.02
पुनर्वि०	-2,58.68]			

₹ 2,58.68 लाख का अभ्यर्पण मांग न होने के कारण हुआ।

85- सिंचाई विभाग के विभिन्न निरीक्षण भवनों का पुनरोद्धार एव विस्तार (वाणिज्यिक)–

051- निर्माण–

09- भवन–

मूल	10,00.00]	4,94.61	4,94.24	-0.37
पुनर्वि०	-5,05.39]			

₹ 5,05.39 लाख का अभ्यर्पण मांग न होने के कारण हुआ।

92- नाबार्ड वित्त पोषित सिंचाई परियोजना (वाणिज्यिक)–

051- निर्माण–

09- भवन–

मूल	5,00.00]
पुनर्वि०	-5,00.00]			

₹ 5,00.00 लाख का अभ्यर्पण नाबार्ड की स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण हुआ।

4702- y?kq fl pkbz ij i wthxr ifj0; ; &

101- सतही जल—

03- उठारु सिंचाई—

मूल	33,26.79]	18,68.98	18,10.97	-58.01
पुनर्वि०	-14,57.81				

₹ 14,57.81 लाख का अभ्यर्पण स्वीकृति प्राप्त न होने तथा क्षेत्र-इकाई से समर्पण के कारण हुआ।

102- भू-जल—

03- नलकूप योजनायें—

मूल	3,46,22.30]	2,23,17.34	2,12,17.95	-10,99.39
पुनर्वि०	-1,23,04.96				

₹ 1,23,04.96 लाख का अभ्यर्पण स्वीकृति प्राप्त होने, पर्याप्त समय उपलब्ध न होने के कारण हुआ।

(423)

' kh" kZ

dy vupku

okLrfod

vf/kd 0; ; \$

0; ;

cpr &

¼ yk[k ₹ ea ½

04- राजकीय नलकूपों एवं लघु डाल

नहरों हेतु एनर्जी मीटर—

पूरक	5,00.00	5,00.00	15.70	-4,84.30
------	---------	---------	-------	----------

800- अन्य व्यय—

03- मशीनरी तथा उपस्कर		5,00.88	4,54.51	-46.37
-----------------------	--	---------	---------	--------

4711- ck<&fu; æ. k ifj ; kst ukvka ij

i wthxr ifj0; ; &

01- बाढ़ नियंत्रण—

103- सिविल निर्माण कार्य—

01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा

पुरोनिधानित योजनायें—

मूल	3,50,00.00]	39,27.40	39,02.25	-25.15
पुनर्वि०	-3,10,72.60				

₹ 3,10,72.60 लाख का अभ्यर्पण केन्द्रांश प्राप्त न होने, पर्याप्त समय उपलब्ध न होने के कारण हुआ।

03- सीमान्त बांध के लिए एकमुश्त व्यवस्था

(राज्य सेक्टर)—

मूल	35,27.78]	29,87.78	29,43.63	-44.15
पुनर्वि०	-5,40.00				

₹ 5,40.00 लाख का अभ्यर्पण पर्याप्त समय उपलब्ध न होने के कारण हुआ।

07- अनपेक्षित आपातकालीन कार्य—

मूल	11,00.00	}	..	2,26.26	+2,26.26
पुनर्वि०	-11,00.00				

₹ 11,00.00 लाख का अभ्यर्पण स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण हुआ।

08- तट बंधों का निर्माण—

मूल	2,00.00	}	54.58	54.58	..
पुनर्वि०	-1,45.42				

₹ 1,45.42 लाख का अभ्यर्पण पर्याप्त समय उपलब्ध न होने के कारण हुआ।

25- सर्वेक्षण एवं अनुसन्धान	1,00.00	87.73	-12.26
	(424)		

'kh"kl dly vupku okLrfod vf/kd 0; ; \$
0; ; cpr &
¼ yk[k ₹ ea ½

03- जल निकास—

103- सिविल निर्माण कार्य—

03- जल निकास योजनायें (राज्य सेक्टर)—

मूल	16,51.59	}	15,43.86	5,02.50	-10,41.36
पुनर्वि०	-1,07.73				

₹ 1,07.73 लाख का अभ्यर्पण मांग न होने, पर्याप्त समय उपलब्ध न होने के कारण हुआ।

07- जल निकास योजनायें (नाबार्ड पोषित)—

मूल	6,37.42	}	6,19.92	5,28.51	-91.41
पुनर्वि०	-17.50				

₹ 17.50 लाख का अभ्यर्पण पर्याप्त समय उपलब्ध न होने के कारण हुआ।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत/सम्पूर्ण प्रावधान के अपुयक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2013)।

(viii) व्ययाधिक्य मुख्यतः निम्न के अधीन हुआ—

4700- eq; fl pkb/ij i#thxr ifj0; ; &

04- टिहरी परियोजना (वाणिज्यिक)—

051- निर्माण—

10- नहरें—

मूल	18,86.36	}	20,60.56	20,60.55	-0.01
पुनर्वि०	1,74.20				

प्रावधान में ₹ 1,74.20 लाख की शुद्ध वृद्धि में से, प्रावधान में ₹ 6,86.23 लाख की वृद्धि अन्य परियोजना में निधि की मांग होने तथा ₹ 5,12.03 लाख का अभ्यर्पण स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण हुआ।

26- लोअर रोहिनी बांध परियोजना (वाणिज्यिक)–

051- निर्माण–

10- नहरें–

मूल	15,00.01	}	30,00.00	29,99.96	-0.04
पुनर्वि०	14,99.99				

प्रावधान में ₹ 14,99.99 लाख की शुद्ध वृद्धि में से, प्रावधान में ₹ 15,00.00 लाख की वृद्धि अन्य परियोजना में निधि की मांग होने तथा ₹ 0.01 लाख का अभ्यर्पण टोकन प्रावधान होने के कारण हुआ।

(425)

' kh" kZ

dy vupku

okLrfod

vf/kd 0; ; \$

0; ;

cpr &

¼ yk[k ₹ ea ½

27- उटारी बांध परियोजना (वाणिज्यिक)–

051- निर्माण–

10- नहरें–

मूल	30,00.00	}	40,50.00	32,52.86	-7,97.14
पुनर्वि०	10,50.00				

प्रावधान में ₹ 15,00.00 लाख की वृद्धि अन्य परियोजना में निधि की मांग होने के कारण हुई।

80- सामान्य–

052- मशीनरी तथा उपस्कर–

07- नहरें/शाखा/राजवाहे/अल्पिका

(राज्य वित्त पोषित)–

मूल	10,00.00	}	14,99.00	14,85.40	-13.60
पुनर्वि०	4,99.00				

प्रावधान में ₹ 4,99.00 लाख की शुद्ध वृद्धि में से, प्रावधान में ₹ 5,00.00 लाख की वृद्धि अन्य परियोजना में निधि की मांग होने तथा ₹ 1.00 लाख के अभ्यर्पण के कोई कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत/व्ययाधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2013)।

799- उचन्त–

03- भण्डार उचन्त .. 97,10.57 +97,10.57

बिना बजट आवंटन के इस शीर्ष के अन्तर्गत लेन-देन किया जाना अनियमित है। उचन्त लेन-देन के ब्यौरे टिप्पणी संख्या (xi) के अन्तर्गत दर्शाये गये हैं।

04- विविध कार्य अग्रिम .. 63,23.93 +63,23.93

बिना बजट आवंटन के इस शीर्ष के अन्तर्गत लेन-देन किया जाना अनियमित है। उचन्त लेन-देन के ब्यौरे टिप्पणी संख्या (xi) के अन्तर्गत दर्शाये गये हैं।

97- राज्य वित्त पोषित सिंचाई परियोजना (वाणिज्यिक)-

051- निर्माण-

10- नहरें-

पूरक	5,30.00	}	9,66.81	21,64.37	+11,97.56
पुनर्वि०	4,36.81				

प्रावधान में ₹ 4,36.81 लाख की शुद्ध वृद्धि में से, प्रावधान में ₹ 5,55.55 लाख की वृद्धि के कोई कारण सूचित नहीं किये गये हैं तथा ₹ 1,18.74 लाख का अभ्यर्पण स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण हुआ।

(426)

' kh"kl

dy vupku

okLrfod

vf/kd 0; ; \$

0; ;

cpr &

¼ yk[k ₹ ea ½

4701- e/; e fl pkbz ij i thxr ifj0; ; &

28- नरायनपुर पम्प नहर (वाणिज्यिक)-

051- निर्माण-

10- नहरें-

मूल	0.01	}	8.49	5.21	-3.28
पुनर्वि०	8.48				

₹ 8.481 लाख की शुद्ध व्ययाधिक्य में से, प्रावधान में ₹ 8.49 लाख की वृद्धि न्यायालय की आज्ञापतियों का भुगतान करने के कारण तथा ₹ 0.01 लाख का अभ्यर्पण टोकन प्रावधान होने के कारण हुआ।

80- सामान्य-

005- सर्वेक्षण तथा अनुसंधान-

10- नहरें-

मूल	10,00.00	}	10,77.10	10,61.63	-15.47
पुनर्वि०	77.10				

प्रावधान में ₹ 77.10 लाख की शुद्ध वृद्धि में से, प्रावधान में ₹ 1,00.00 लाख की वृद्धि के कोई कारण सूचित नहीं किये गये हैं तथा ₹ 30.10 लाख की वृद्धि सर्वे पूर्ण करने के लिए हुई। ₹ 53.00 लाख का अभ्यर्पण मांग न होने के कारण हुआ।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत/व्ययाधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2013)।

799- उचन्त-

03- भण्डार उचन्त .. 17,89.02 +17,89.02
बिना बजट आवंटन के इस शीर्ष के अन्तर्गत लेन-देन किया जाना अनियमित है। उचन्त लेन-
देन के ब्यौरे टिप्पणी संख्या (xi) के अन्तर्गत दर्शाये गये हैं।

04- विविध कार्य अग्रिम .. 21,89.55 +21,89.55
बिना बजट आवंटन के इस शीर्ष के अन्तर्गत लेन-देन किया जाना अनियमित है। उचन्त लेन-
देन के ब्यौरे टिप्पणी संख्या (xi) के अन्तर्गत दर्शाये गये हैं।

4702- y?kqfl pkbz ij i wthxr ifj0; ; &

101- सतही जल-

04- प्रस्थावतन योजनायें-

मूल	7,50.03	}			
पुनर्वि०	53,84.54		61,34.57	61,25.11	-9.46

प्रावधान में ₹ 53,84.54 लाख की शुद्ध वृद्धि में से, प्रावधान में ₹ 10,00.00 लाख की वृद्धि अन्य
परियोजना में निधि की मांग होने तथा प्रावधान में ₹ 30.10 लाख की कमी मांग न होने के कारण
हुई। ₹ 5,85.36 लाख के अभ्यर्पण स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण हुआ।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत/व्ययाधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं
(जून 2013)।

(427)

' kh"lz

diy vupku

okLrfod

vf/kd 0; ; \$

0; ;

cpr &

¼ yk[k ₹ ea ½

80- सामान्य-

799- उचन्त-

03- भण्डार .. 1,47,47.27 +1,47,47.27
बिना बजट आवंटन के इस शीर्ष के अन्तर्गत लेन-देन किया जाना अनियमित है। उचन्त लेन-
देन के ब्यौरे टिप्पणी संख्या (xi) के अन्तर्गत दर्शाये गये हैं।

04- विविध कार्य अग्रिम .. 27,80.36 +27,80.36
बिना बजट आवंटन के इस शीर्ष के अन्तर्गत लेन-देन किया जाना अनियमित है। उचन्त लेन-
देन के ब्यौरे टिप्पणी संख्या (xi) के अन्तर्गत दर्शाये गये हैं।

4711- ck<&fu; Æ.k ifj; kst ukvka ij

i wthxr ifj0; ; &

01- बाढ़ नियंत्रण-

052- मशीनरी तथा उर्पस्कर-

04- मरम्मत 20.00 24.99 +4.99

103- सिविल निर्माण कार्य-

06- नदी में सुधार तथा कटाव निरोधक योजनायें-

मूल	79,95.63	}			
पुनर्वि०	-14.12		79,81.51	1,11,16.96	+31,35.45

प्रावधान में ₹ 14.12 लाख की शुद्ध वृद्धि में से, प्रावधान में ₹ 96.40 लाख की वृद्धि अन्य परियोजना

में निधि की मांग होने तथा ₹ 1,10.52 लाख का अभ्यर्पण मांग न होने के कारण हुआ।

09- कटाव निरोधक योजनायें—

मूल	3,00.00	}	2,03.60	9,47.77	+7,44.17
पुनर्वि०	-96.40				

प्रावधान में ₹ 96.40 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

23- नदी में सुधार व कटाव निरोधक

योजनायें (नाबार्ड पोषित)–

मूल	2,18,62.58	}	1,69,73.09	2,41,30.55	+71,57.46
पुनर्वि०	-48,89.49				

₹ 48,89.49 लाख का अभ्यर्पण पर्याप्त समय उपलब्ध न होने के कारण हुआ।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम व्ययाधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2013)।

03- जल निकास—

799- उचन्त—

03- भण्डार उचन्त .. 1,05,19.86 +1,05,19.86

बिना बजट आवंटन के इस शीर्ष के अन्तर्गत लेन-देन किया जाना अनियमित है। उचन्त लेन-देन के ब्यौरे टिप्पणी संख्या (xi) के अन्तर्गत दर्शाये गये हैं।

(428)

' kh"kl dy vupku okLrfod vf/kd 0; ; \$
0; ; cpr &
¼ yk[k ₹ ea ½

04- विविध कार्य अग्रिम .. 19,72.72 +19,72.72

बिना बजट आवंटन के इस शीर्ष के अन्तर्गत लेन-देन किया जाना अनियमित है। उचन्त लेन-देन के ब्यौरे टिप्पणी संख्या (xi) के अन्तर्गत दर्शाये गये हैं।

i Hkkfjr&

(ix) ₹ 5,84.09 लाख की अन्तिम बचत में से, मात्र ₹ 2,04.86 लाख ही अभ्यर्पण के लिए प्रत्याशित की जा सकी।

(x) बचत निम्न के अधीन हुई:—

' kh"kl dy fofu; ks okLrfod vf/kd 0; ; \$
0; ; cpr &
¼ yk[k ₹ ea ½

4700- eq; fl pkb/ij iwthxri fj0; ; &

33- सिंचाई विभाग की विभिन्न नहर/बॉध परियोजनाओं के अनुबन्ध से अन्तर्ग्रस्त देय डिक्लीटल राशियों का भुगतान—

051- निर्माण—

10- नहरें—

मूल	15,00.00			
पुनर्वि०	-2,04.86	12,95.14	9,15.91	-3,79.23

₹ 2,04.86 लाख का अभ्यर्पण मांग न होने के कारण हुआ।

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये हैं (जून 2013)।

- (xi) उचन्त के अन्तर्गत रुपये 5,00.33 करोड़ का व्यय सम्मिलित है।
उचन्त लेन-देन की प्रकृति और लेखा प्रक्रिया अनुदान के राजस्व प्रभाग में दर्शायी गयी है।
2012-13 के अन्तर्गत आदि शेष और अन्त शेष के साथ लेन-देन का विश्लेषण परिशिष्ट v में दिया गया है।

वृत्तिका I अ; क 95 & फि पकबल फोहककx ¼vf/k"Bku½

eq; 'kh"kl dly vupku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; +
; k ; k cpr -
fofu; kx

¼gtkj ₹ ea½

jktLo&

2700- eq; fl pkbz rFkk

2701- e/; e fl pkbz

nRrer&

मूल 25,14,47,21

27,14,52,21

22,31,11,72

-4,83,40,49

पूरक 2,00,05,00

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2013)

4,03,06,36

i Hkkfjr&

मूल 50,00

50,00

27,67

-22,33

पूरक ..

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2013)

15,37

fVli f.k; ka , oa Vhdk; &

jktLo&

nRrer&

- (i) ₹ 4,83,40.49 लाख की अन्तिम बचत में से, मात्र ₹ 4,03,06.36 लाख की धनराशि समर्पण के लिये प्रत्याशित की जा सकी।
- (ii) ₹ 4,83,40.49 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए, नवम्बर 2012 में प्राप्त किया गया ₹ 2,00,05.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (iii) बचत (अन्य शीर्षों के अन्तर्गत व्ययाधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न के अधीन हुई:-

'kh"kl dly vupku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; +
; k ; k cpr -

¼yklk ₹ ea½

2700- eq; fl pkb&

32- वाटर सेक्टर रिस्ट्रक्चरिंग परियोजना
(द्वितीय चरण)(वाणिज्यिक)-

800- अन्य व्यय-

97- वाह्य सहायतित परियोजनाएं-

मूल 18,43.09

12,25.08

12,16.52

-8.56

पुनर्वि0 -6,18.01

₹ 6,18.01 लाख का अभ्यर्पण मुख्यतः स्वारा/स्वाडेक और पैक्ट द्वारा समर्पण के कारण किया गया।

'kh"kl

dlg vuŋku

okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; +

cpr -

¼ yk[k ₹ ea ½

2701- e/; e fl pkb&

02- मध्यम सिंचाई –वाणिज्यिक–

001- निदेशन तथा प्रशासन–

03- निदेशन–

मूल 1,84,87.24]

1,67,85.12

1,51,35.03

-16,50.09

पुनर्वि० -17,02.12]

₹ 17,02.12 लाख का अभ्यर्पण प्रतिबद्ध मदों के तहत बचत तथा स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण हुआ।

04- कार्यकारी अधिष्ठान–

मूल 22,65,34.92]

20,36,31.63

19,63,90.28

-72,41.35

पुनर्वि० -2,29,03.29]

₹ 2,29,03.29 लाख का अभ्यर्पण प्रतिबद्ध मदों के तहत बचत होने के कारण हुआ।

08- उत्तर प्रदेश राज्य जल प्रबन्धन एवं

नियामक आयोग–

मूल 5,54.22]

42.53

42.43

-0.10

पुनर्वि० -5,11.69]

₹ 5,11.69 लाख का अभ्यर्पण उ० प्र० सरकार द्वारा अध्यादेश 2012 के अन्तर्गत आयोग का उन्नमूलन होने के कारण हुआ।

10- सिंचाई अभियांत्रिकी के अधीन टोल

फ्री काल सेन्टर–

मूल 27.60]

26.70

2.22

-24.48

पुनर्वि० -0.90]

₹ 0.90 लाख का अभ्यर्पण आवश्यकता न होने के कारण हुआ।

11- प्रशासकीय जांच हेतु गठित समिति के

विविध व्यय–

पूरक 5.00]

..

..

..

पुनर्वि० -5.00]

₹ 5.00 लाख का अभ्यर्पण व्यय न होने के कारण हुआ।

'kh"kl

dy vupku

okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; +

cpr -

¼ yk[k ₹ ea ½

80- सामान्य-

800- अन्य व्यय-

03- नहरों और सरकारी नलकूपों से किसानों को मुफ्त पानी की सुविधा-

पूरक 2,00,00.00

पुनर्वि० -1,45,65.21

54,34.79

52,85.22

-1,49.57

₹ 1,45,65.21लाख का अभ्यर्पण मांग न होने के कारण हुआ।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2013)।

(iii) व्ययाधिक्य मुख्यतः निम्न के अधीन हुआ:-

2701- e/; e fl pkb&

02- मध्यम सिंचाई -वाणिज्यिक-

001- निदेशन तथा प्रशासन-

05- कार्यकारी अधिष्ठान (सिंचाई विभाग के कार्यप्रभारितों/दैनिक वेतन भोगियों एवं कार्यशालाओं के कार्मिकों हेतु

एकमुश्त व्यवस्था)

40,00.00

50,40.01

+10,40.01

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम व्ययाधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2013)।

i Hkkfj r&

(iv) ₹ 22.33 लाख की अन्तिम बचत में से, मात्र ₹ 15.37 लाख की धनराशि समर्पण के लिये प्रत्याशित की जा सकी।

(v) बचत निम्न के अधीन हुई:-

'kh"kl

dy fofu; ksx

okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; +

cpr -

¼ yk[k ₹ ea ½

2701- e/; e fl pkb&

02- मध्यम सिंचाई -वाणिज्यिक-

001- निदेशन तथा प्रशासन-

04- कार्यकारी अधिष्ठान-

मूल 50.00

पुनर्वि० -15.37

34.63

27.67

-6.96

₹ 15.37 लाख का अभ्यर्पण प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण हुआ।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2013)।

i f j f ' k ' V - I

(सन्दर्भ: विनियोग लेखे का सारांश पृष्ठ XXV)

आकस्मिकता निधि से वर्ष 2012-13 की अवधि में स्वीकृत अग्रिमों में से किये गये व्यय, जिनकी वर्ष के अन्त तक निधि में प्रतिपूर्ति नहीं की गई, के ब्यौरे:—

दृष्टिकोण	विवरण	क्र.सं.	राशि (₹)	विवरण
1	09-उर्जा विभाग	2801-fct yh	2,50,00,00	मार्च 2013
2	26- गृह विभाग (पुलिस)	2055- i f y l	13,44	प्रतीक्षित
3	42-न्याय विभाग	2014- U ; k ; i z k k l u	4,84,99	मार्च 2013
		4059- y k d f u e k z k d k ; l i w t h x r i f j 0 ; ;	4,91,44	फरवरी 2013
4	68-विधान सभा सचिवालय	2011- l d n @ j k T ; @ l d k j k T ; { k s = f o / k k u e M y	2,41,39	दिसम्बर 2012
5	82-सर्तकता विभाग	2070- v U ; i z k k l f u d l d k ; a	14,14	मार्च 2013
			2,62,45,40	

i f j f ' k " V & II

[सन्दर्भ: सारणी ; पृष्ठ (xxv)]

वसूलियों के अनुमानों और वास्तविक आंकड़ों का, जिन्हें व्यय में से कटौती करके लेखाओं में समायोजित किया गया है, अनुदान वार विवरण :-

dæ l æ ; k	vunku ; k fofu; kx dh l æ ; k vkj uke	vk; &0; ; d vupku	okLrfod vkdM\$	vk; &0; ; d vupku dh ryuk ea okLrfod vkdM\$ vf/kd \$ de &
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<i>g tkj ₹ ea ½</i>				
1.	3- उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन) पूँजीगत— दत्तमत	..	1,79,27	+1,79,27
2.	7- उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) राजस्व— दत्तमत	37,77,58	..	-37,77,58
3.	9- ऊर्जा विभाग पूँजीगत— दत्तमत	2,33,00,00	2,33,00,00	..
4.	10- कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्योगिक एवं रेशम विकास) पूँजीगत— दत्तमत	5,00,00	51,97,99	+46,97,99
5.	11- कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) पूँजीगत— दत्तमत	4,29,94,57	2,50,22,74	-1,79,71,83
6.	13- कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास) राजस्व— दत्तमत पूँजीगत— दत्तमत	..	8,14,32 99,93,12	+8,14,32 +99,93,12
7.	18- कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता) पूँजीगत— दत्तमत	..	2,10,85	+2,10,85

dæ l a[; k	vuŋku ; k fofu; kx dh l a[; k vkj uke	vk; &0; ; d vuŋku	okLrfod vkadM\$	vk; &0; ; d vuŋku dh ryuk ea okLrfod vkadM\$ vf/kd \$ de &
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<i>¼ g tkj ₹ ea ½</i>				
8.	21- खाद्य तथा रसद विभाग			
	पूजीगत—			
	दत्तमत	87,64,66,78	83,00,26,58	-4,64,40,20
	प्रभारित	1,27,61,36	..	-1,27,61,36
9.	24- गन्ना विकास विभाग			
	(चीनी उद्योग)			
	राजस्व—			
	दत्तमत	37,00,00	..	-37,00,00
10.	25- गृह विभाग			
	(कारागार)			
	राजस्व—			
	दत्तमत	4,00	..	-4,00
	पूजीगत—			
	दत्तमत	..	4,57,97	+4,57,97
11.	26- गृह विभाग			
	(पुलिस)			
	राजस्व—			
	दत्तमत	25,00,00	..	-25,00,00
	पूजीगत—			
	दत्तमत	13,65,65	..	-13,65,65
12.	31- चिकित्सा विभाग			
	(चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)			
	पूजीगत—			
	दत्तमत	..	2,17,79	+2,17,79
13.	32- चिकित्सा विभाग			
	(एलोपैथी चिकित्सा)			
	पूजीगत—			
	दत्तमत	..	1,97,48	+1,97,48
14.	37- नगर विकास विभाग			
	पूजीगत—			
	दत्तमत	2,36,00,00	1,98,00,70	-37,99,30

dæ l a[; k	vuŋku ; k fofu; ks dh l a[; k vkj uke	vk; &0; ; d vuŋku	okLrfod vkadM\$	vk; &0; ; d vuŋkuka dh ryuk ea okLrfod vkadM\$ vf/kd \$ de &
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<i>¼ g tkj ₹ ea ½</i>				
15.	38- नागरिक उडडयन विभाग			
	पूजीगत—			
	दत्तमत	..	2,75,03	+2,75,03
16.	39- भाषा विभाग			
	राजस्व—			
	दत्तमत	40,00	..	-40,00
17.	40- नियोजन विभाग			
	राजस्व—			
	दत्तमत	..	12,82,08	+12,82,08
18.	42- न्याय विभाग			
	पूजीगत—			
	दत्तमत	..	67,83	+67,83
19.	44- पर्यटन विभाग			
	राजस्व—			
	दत्तमत	..	1	+1
	पूजीगत—			
	दत्तमत		55,49	+55,49
20.	48- अल्पसंख्यक कल्याण विभाग			
	पूजीगत—			
	दत्तमत	..	58	+58
21.	49- महिला एवं बाल कल्याण विभाग			
	पूजीगत—			
	दत्तमत		10	+10
22.	50- राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)			
	पूजीगत—			
	दत्तमत	..	27,02,67	+27,02,67
23.	51- राजस्व विभाग (दैवी			
	विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)			
	राजस्व—			
	दत्तमत	..	4,76,91,74	+4,76,91,74
	पूजीगत—			
	दत्तमत	10,00,00	..	-10,00,00

dæ l a[; k	vuŋku ; k fofu; kx dh l a[; k vkj uke	vk; &0; ; d vuŋku	okLrfod vkadM\$	vk; &0; ; d vuŋkuka dh ryuk ea okLrfod vkadM\$ vf/kd \$ de &
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<i>¼ gtkj ₹ ea ½</i>				
24.	55- लोक निर्माण विभाग (भवन) पूजीगत— दत्तमत	..	72,32,50	+72,32,50
25.	56- लोक निर्माण विभाग (विशेष क्षेत्र कार्यक्रम) पूजीगत— दत्तमत	..	5,70,67	+5,70,67
26.	58- लोक निर्माण विभाग (संचार साधन—सड़कें) पूजीगत— दत्तमत	2,40,00,00	2,44,11,48	+18,04,11,48
27.	59- लोक निर्माण विभाग (सम्पदा निदेशालय) पूजीगत— दत्तमत	..	42,20	+42,20
28.	62- वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्तें तथा पेंशनें) पूजीगत— दत्तमत	1,67,32,15	1,67,32,15	..
29.	73- शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) राजस्व— दत्तमत	20,00	..	-20,00
30.	76- श्रम विभाग (श्रम कल्याण) राजस्व— दत्तमत	4,00,00,00	..	-4,00,00,00
31.	79- समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण) पूजीगत— दत्तमत	60,38,97	1	-60,38,96

dæ l a[; k	vuŋku ; k fofu; kx dh l a[; k vkj uke	vk; &0; ; d vuŋku	okLrfod vk&M&	vk; &0; ; d vuŋkuka dh rŋyuk ea okLrfod vk&M& vf/kd \$ de &
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<i>¼ g tkj ₹ ea ½</i>				
32.	83- समाज कल्याण विभाग (अनुसुचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) पूँजीगत— दत्तमत	..	73,54,39	+73,54,39
33.	94- सिचाई विभाग (निर्माण कार्य) राजस्व— दत्तमत पूँजीगत— दत्तमत	..	44,53,33 5,05,09,20	+44,53,33 +5,05,09,20
; kx&				
j kTkLo&				
nRrer		6,67,73,73	6,96,91,55	+29,17,82
i Hkkfj r	
i wthxr&				
nRrer		99,92,65,97	1,18,91,08,72	+18,98,42,75
i Hkkfj r		1,27,61,36	..	-1,27,61,36
egk; kx&				
j kTkLo&		6,67,73,73	6,96,91,55	+29,17,82
i wthxr&		1,01,20,27,33	1,18,91,08,72	+17,70,81,39

i f j f ' k " V III

[सन्दर्भ: टिप्पणी (iv) पृष्ठ 409]

m p l r y u & n u & v u p k u l d ; k 94-fl p k b l f o H k k x ¼ f u e k l k ½ j k t L o i H k k x

' k h " k l	1 v i s y 2012 d k s v k f n ' k s k (u k e s +) (t e k +)	u k e s	t e k	f u o y	31 e k p l 2013 d k s v l r ' k s k (u k e s +) (t e k -)
<i>¼ y k l k ₹ e s ½</i>					
2700-e d ; f l p k b &					
उचन्त स्टाक	+1,19.48	13,98.39	14,79.93	-81.54	+37.94
विविध निर्माण					
कार्य अग्रिम	+12,36.99	13,34.72	16,05.63	-2,70.91	+9,66.08
; k s x	+13,56.47	27,33.11	30,85.56	-3,52.45	+10,04.02
2701-e / ; e f l p k b &					
उचन्त स्टाक	+47,40.22	4,73.12	5,24.96	-51.84	+46,88.38
विविध निर्माण					
कार्य अग्रिम	-25,50.80	4,19.57	3,90.32	29.25	-25,21.55
कार्यशाला उचन्त	+18,07.32	+18,07.32
; k s x	+39,96.74	8,92.69	9,15.28	-22.59	+39,74.15
2702-y ? k q f l p k b &					
उचन्त स्टाक	+9,46.04	3,85.53	3,82.79	2.74	+9,48.78
विविध निर्माण					
कार्य अग्रिम	+50,82.91	77.57	69.70	7.87	+50,90.78
कार्यशाला उचन्त	-1,77.26	-1,77.26
; k s x	+58,51.69	4,63.10	4,52.49	10.61	+58,62.30

i f j f ' k " V IV

[सन्दर्भ : टिप्पणी (iv) पृष्ठ 409]

funs' ku , oa i z kkl u vk\$ e' khujh , oa mi Ldj l a æ i Hkkj 2012-2013

1	2	3		4		5		6		7		8	
		vupku	okLrfod vkadM\$	vupku	okLrfod vkadM\$	vupku	okLrfod vkadM\$	vupku	okLrfod vkadM\$	vupku	okLrfod vkadM\$	vupku	okLrfod vkadM\$
1. 2700- eq[; fl pkb&													
	दत्तमत	5,67,44	5,74,09						
2. 2701- e/; e fl pkb&													
	दत्तमत	33,09,96	26,99,79	24,96,04	22,18,68	13	13						
	प्रभारित	50	28	50	28						
3. 2702- y?kq fl pkb&													
	दत्तमत	9,97,26	11,01,44	2	11						
4. 2711- ck<+fu; æ.k rFkk ty fudkl &													
	दत्तमत	90,00	1,48,87						
5. 4700- eq[; fl pkb l ij i wthxr ifj0; ; &													
	दत्तमत	15,83,24	10,63,02	10,00	14,85						
	प्रभारित	15,00	9,16						
6. 4701- e/; e fl pkb l ij i wthxr ifj0; ; &													
	दत्तमत	3,18,63	1,23,01	3,84	3,71						

1	2	3		4		5		6		7		8	
		vunku	okLrfod vkadM\$	vunku	okLrfod vkadM\$	vunku	okLrfod vkadM\$	vunku	okLrfod vkadM\$	vunku	okLrfod vkadM\$	vunku	okLrfod vkadM\$
¼ yk[k ₹ ea ½													
14.	2216- vkokl & dttmat praharita	49,40 45	53,05 54
15.	3054- l Md rFkk l sq dttmat praharita	18,14,08 5	19,84,22 1
16.	4059- ykd fuekZk dk; k ij i thxr ifj0; ; & dttmat praharita	77,84 72	1,55,39 11,69
17.	4216- vkokl ij i thxr ifj0; ; & dttmat praharita	63,61 33	58,96 33
18.	4575- vl; fo'k\$ {ks= dk; lde ij i thxr ifj0; ; & dttmat	2,70,00	2,51,40
19.	5054- l Md rFkk l sq ij i thxr ifj0; ; & dttmat praharita	43,23,20 6,55	68,86,31 1,85
	nRrer	1,63,91,52	1,72,74,69	40,01,40	36,87,90	14,99	19,62						
	i Hkkfjr	25,85	26,10	54	31						

fvli . kh	ctV ea ; Fkk i vkiupkfur	okLrfod vkdM\$
1. निदेशन एवं प्रशासन व्यय की सिंचाई निर्माण-कार्यों के लिये निर्माण कार्य परिव्यय से प्रतिशतता मद (1) से (8)	31	32
2. निदेशन एवं प्रशासन व्यय की लोक निर्माण-कार्यों के लिये निर्माण कार्य परिव्यय से प्रतिशतता मद (9) से (19)	18	14
3. निदेशन एवं प्रशासन व्यय की राज्य के सभी निर्माण-कार्यों के लिये निर्माण कार्य परिव्यय से प्रतिशतता मद (1) से (19)	24	21

वर्ष 2009-10 तथा उसके बाद के वर्षों के लिए निदेशन एवं प्रशासन प्रभारों की सिंचाई और
और लोक निर्माण-कार्यों के लिए निर्माण कार्य परिव्यय की प्रतिशतता की तुलना नीचे दिखायी गयी है:—

	o"kl	fuekzk dk; l ifj0; ; iz kkl u iHkkj	fun\$ ku , oa	ifr'krk
	% yk[k ₹ ea ½			
सिंचाई निर्माण कार्य मद (1) से (8)				
	2009-10	41,01,20	15,50,38	38
	2010-11	45,93,88	17,48,30	38
	2011-12	61,76,15	19,93,33	32
	2012-13	69,39,04	22,18,96	32
लोक निर्माण कार्य मद (9) से (19)				
	2009-10	78,14,12	4,42,75	6
	2010-11	70,83,86	10,23,96	14
	2011-12	88,64,22	12,86,29	15
	2012-13	1,03,61,75	14,69,25	14

i f j f ' k " V v
[सन्दर्भ: टिप्पणी (xi) पृष्ठ 428]

mplr yu&nu& vupku l a ; k 94-fl pkbz foHkx¼ fuekLk dk; l ½ i wthxr i Hkx

' kh" kZ	1 vi sy 2012 dks vkfn ' ksk (ukes+) (tek+)	ukes	tek	fuoy	31 ekpZ 2013 dks vUr ' ksk (ukes+) (tek-)
<i>¼ ykLk ₹ ea ½</i>					
4225- vuq fpr tkfr; kq vuq fpr tutkfr; ka rFkk vU; fi NM& oxkã ds dY; k.k ij i wthxr i fj0; ; &					
उच्चत स्टाक	+69.46	+69.46
विविध निर्माण					
कार्य अग्रिम	+43.37	+43.37
; ksx	+1,12.83	+1,12.83
4700- eq; fa pkbz ij i wthxr i fj0; ; &					
उच्चत स्टाक	+36,87.61	97,10.57	77,32.62	+19,77.95	+56,65.56
विविध निर्माण					
कार्य अग्रिम	+57,10.93	63,23.93	89,75.03	-26,51.10	+30,59.83
; ksx	+93,98.54	1,60,34.50	1,67,07.65	-6,73.15	+87,25.39
4701- e/; e fl pkbz ij i wthxr i fj0; ; &					
उच्चत स्टाक	+1,32,37.91 *	17,89.02	22,18.82	-4,29.80	+1,28,08.11
विविध निर्माण					
कार्य अग्रिम	+64,95.48	21,89.55	11,84.41	+10,05.14	+75,00.62
कार्यशाला उच्चत	+2,38.08	+2,38.08
; ksx	+1,99,71.47	39,78.57	34,03.23	+5,75.34	+2,05,46.81

* पूर्व वर्ष के आकड़ों में संशोधन के पश्चात प्रोफार्मा परिवर्तन किया गया।

i f j f ' k " V v

' kh " k z	1 vi sy 2012 dks vkfn ' k s k (ukes+) (tek +)	ukes	tek	fuoy	31 ekp/2013 dks v l r ' k s k (ukes+) (tek -)
<i>¼ yk [k ₹ ea ½</i>					
4702- y?kq fl pkbz i j i w t h x r i f j 0 ; ; & उचन्त स्टाक	+1,24,06.36	1,47,47.27	1,50,04.69	-2,57.42	+1,21,48.94
विविध निर्माण कार्य अग्रिम	-59,14.28	27,80.36	23,96.04	+3,84.32	-55,29.96
कार्यशाला उचन्त	-17,87.70	-17,87.70
; ksx	+47,04.38	1,75,27.63	1,74,00.73	+1,26.90	+48,31.28
4711- ck < + fu ; a = . k i f j ; k s t u k v k a i j i w t h x r i f j 0 ; ; & उचन्त स्टाक	+38,08.51	1,05,19.86	1,05,71.43	-51.57	+37,56.94
विविध निर्माण कार्य अग्रिम	+21,82.56	19,72.72	6,94.91	+12,77.81	+34,60.37
कार्यशाला उचन्त	+0.59	+0.59
; ksx	+59,91.66	1,24,92.58	1,12,66.34	+12,26.24	+72,17.90